भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L32309KA1954GOI000787
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय
आउटर रिंग रोड, नागवारा,
बेंगलूरु - 560 045, भारत

फोन - +91-80-2503 9300
+91-80-6700 9300
फ़ैक्स - +91-80-2503 9266
ई-मेल - secretary@bel.co.in
वेबसाइट - www.bel-india.in
टोल फ्री - 1800 425 0433

पी.एम. केयर्स
प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं
राहत आपदा स्थिति निधि

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY. TECHNOLOGY. INNOVATION

सी.वी. 200 वेन्टिलेटर प्रणाली

कोविद के मरीजों की जीवन रेखा

कोविद योद्धाओं को सशक्त बनाते हुए

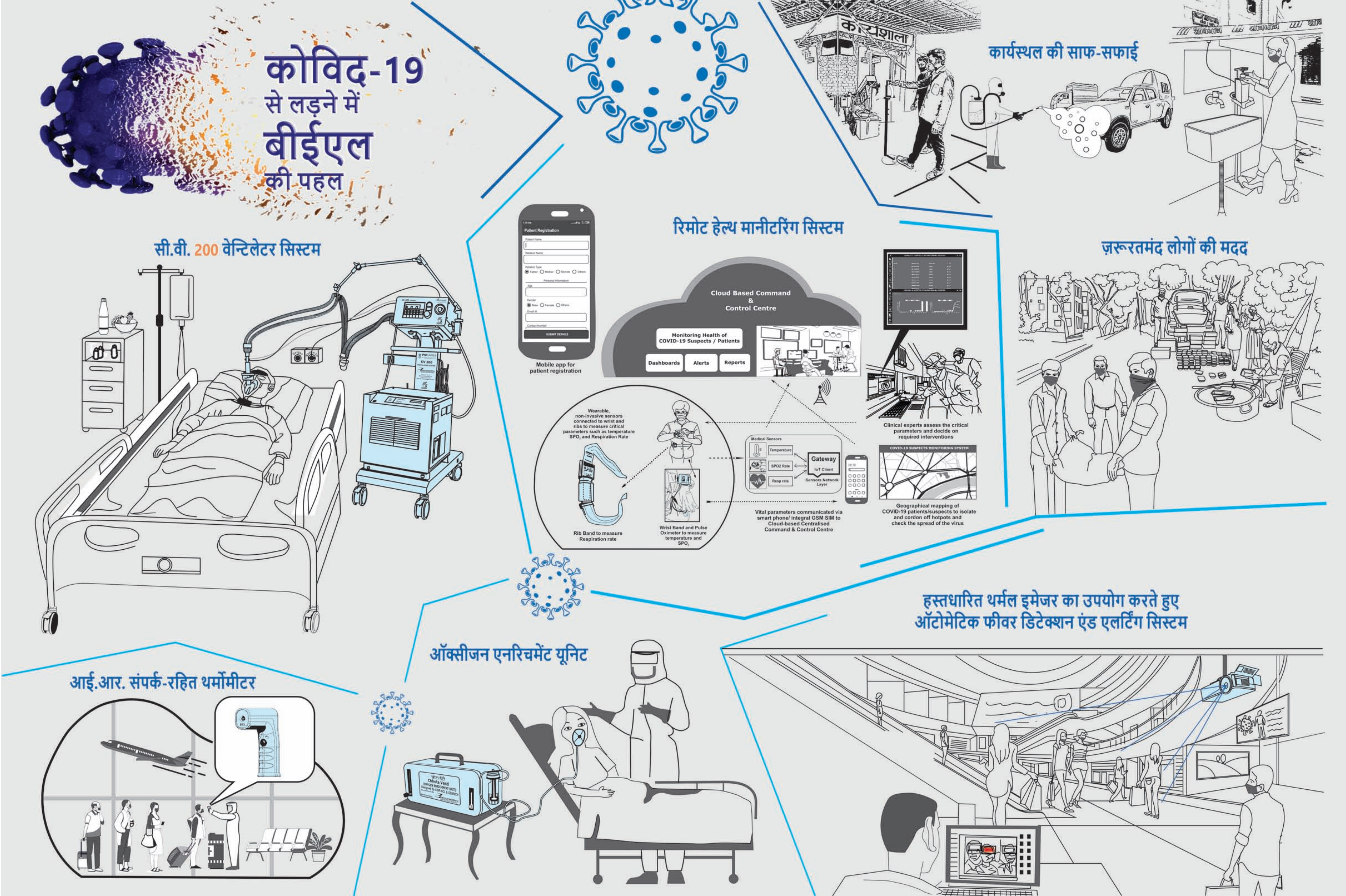
कोविद-19
से लड़ने में
बीईएल
की पहल
कार्यस्थल की साफ-सफाई
रिमोट हेल्थ मानीटरिंग सिस्टम
सी.वी. 200 वेन्टिलेटर सिस्टम
ज़रूरतमंद लोगों की मदद
Cloud Based Command & Control Centre
Monitoring Health of COVID-19 Suspects / Patients
Dashboards
Alerts
Reports
Mobile app for patient registration
Wearable, non-invasive sensors connected to wrist and ribs to measure critical parameters such as temperature SPO2 and Respiration Rate
Rib Band to measure Respiration rate
Wrist Band and Pulse Oximeter to measure temperature and SPO2
Medical Sensors
Temperature
SPO2 Rate
Resp rate
Gateway
IoT Client
Sensors Network Layer
Vital parameters communicated via smart phone/ integral GSM SIM to Cloud-based Centralised Command & Control Centre
Clinical experts assess the critical parameters and decide on required interventions
COVID-19 SUSPECTS MONITORING SYSTEM
Geographical mapping of COVID-19 patients/suspects to isolate and cordon off hotspots and check the spread of the virus
हस्तधारित थर्मल इमेजर का उपयोग करते हुए
ऑटोमेटिक फीवर डिटेक्शन एंड एलर्टिंग सिस्टम
ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट
आई.आर. संपर्क-रहित थर्मोमीटर

हमारी दृष्टि, ध्येय, मूल्य और उद्देश्य

दृष्टि

पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी में विश्व-स्तरीय उद्यम बनना ।

ध्येय

रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य चुने हुए क्षेत्रों में गुणता, प्रौद्योगिकी और नवीनता के जरिए ग्राहक-केन्द्रित, वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनी बनना ।

मूल्य

- ग्राहक को सर्वोपरि रखना।
- पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करना ।
- व्यक्तियों पर विश्वास करना और उनका सम्मान करना ।
- टीम भावना को पोषित करना ।
- अत्यधिक कर्मचारी- संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना ।
- लोचता और नवीनता को प्रोत्साहित करना ।
- अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करना ।
- संगठन का हिस्सा होने पर गर्व होना ।

उद्देश्य

- गुणता, सुपुर्दगी और सेवा की मांगों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक उत्पादों व समाधानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों में प्रदान करते हुए ग्राहक-केन्द्रित कंपनी बनना ।
- लाभप्रद विकास हेतु आंतरिक संसाधनों को सृजित करना ।
- संस्थागत अनुसंधान व विकास, रक्षा / अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के जरिए रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी में प्रौद्योगिकीय नेतृत्व हासिल करना ।
- निर्यात पर जोर देना ।
- लोगों के लिए सतत् शिक्षण व टीम-कार्य के जरिए उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त कराने हेतु सुविधापूर्ण परिवेश सृजित करना ।
- ग्राहकों को उनके धन का पूरा प्रतिफल प्रदान करना और शेयरधारकों हेतु संपदा सृजित करना ।
- कंपनी के निष्पादन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के साथ सतत् रूप से निर्देश-चिह्नित करना ।
- विपणन क्षमताओं को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना ।
- स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्म-निर्भरता का प्रयत्न करना ।

पिछला दशक

(रु. लाख में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बिक्री एवं सेवाएँ	552969	570363	601190	617423	669457	754117	882470	1008484	1178922	**1260776**
उत्पादन का मूल्य	552080	579358	628991	612690	665854	777537	924383	966956	1192142	**1234833**
अन्य आय	38933	70312	60993	42847	47795	53708	47101	20038	16954	**10194**
सामग्रियाँ	312931	366903	408463	358356	374453	406077	483222	510350	607993	**684573**
कर्मचारी अनुलाभ व्यय	104186	108123	111079	103043	126345	125726	154831	177233	187905	**205749**
मूल्यह्रास / ह्रास	12204	12080	13071	14210	15396	17221	19152	25100	31622	**34964**
ब्याज/ वित्त लागत	73	60	78	340	138	451	1178	127	1221	**326**
अन्य व्यय	45504	55019	57174	77439	67360	123978	141733	110977	139574	**102833**
कर पूर्व लाभ	116115	107485	111459	117474	146669	173212	202942	194784	270319	**247917**
कर का प्रावधान	29968	24495	22476	24312	29945	42476	48180	54855	77590	**68534**
कर पश्चात् लाभ	86147	82990	88983	93162	116724	130736	154762	139929	192729	**179383**
लाभांश (राशि)	17280	16640	17840	18640	23360	40800	50257	49058	82844	**68224**
लाभांश (%)	216	208	223	233	292	170	225	200	340	**280**
इक्विटी शेयर पूँजी	8000	8000	8000	8000	8000	24000	22336	24366	24366	**24366**
अन्य इक्विटी	490571	554221	622369	693724	780503	874360	728518	751735	877525	**960928**
ऋण निधियाँ	41	10	1	-	-	-	5000	6666	3334	**833**
सकल ब्लॉक	178900	190158	207323	222667	248515	114689	161699	221984	301320	**379483**
संचयी मूल्यह्रास / ह्रास	130529	139142	149778	157572	171405	17029	36168	61275	92880	**127514**
वस्तुसूची	246032	279182	327108	337014	342688	417747	490501	473912	445479	**396275**
व्यापार प्राप्य	289681	268686	333467	412854	378614	371193	435488	504950	536921	**673291**
कार्यशील पूँजी	430800	478994	544494	607714	690982	737289	530455	436595	537631	**581656**
नियोजित पूँजी	479171	530010	602039	672809	768092	834949	655986	597304	746071	**833625**
निवल मालियत	498571	562221	630369	701724	788503	898360	750854	776101	901891	**985294**
प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	3.26	3.15	3.37	3.53	4.42	4.95	6.03	5.70	7.91	**7.36**
प्रति शेयर पुस्त मूल्य (रुपए में)	20.77	23.43	26.27	29.24	32.85	37.43	33.62	31.85	37.01	**40.44**
कर्मचारियों की सं.	11180	10791	10305	9952	9703	9848	9716	9726	9612	**9279**

विषय-सूची

I | हमारी दृष्टि और ध्येय, मूल्य और उद्देश्य
II | पिछला दशक
III | विषय-सूची
IV | वित्तीय झलकियाँ (वित्तीय वर्ष 2019-20)
V | वित्तीय झलकियाँ (पिछले 5 वित्तीय वर्ष)

VI अध्यक्ष का पत्र

X वर्ष की झलकियाँ

XII नई कारोबारी पहल

XIV निदेशक मंडल वरिष्ठ प्रबंधन

XIX दौरे

XXII सीएसआर पहल

XXIV पुरस्कार दीर्घा

1 (1-83) मंडल की रिपोर्ट

19 | अनुलग्नक-1
फार्म सं. एओसी-2

20 | अनुलग्नक-2
सीएसआर कार्यकलापों की रिपोर्ट

23 | अनुलग्नक-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

27 | अनुलग्नक-4
वार्षिक विवरणी का सार

36 | अनुलग्नक-5
प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

50 | अनुलग्नक-6
कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

70 | अनुलग्नक-7
निर्वहनीयता रिपोर्ट

73 | अनुलग्नक 8
कारोबारी दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर)

84 (84-182) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियाँ

84 | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
98 | सी एंड एजी की टिप्पणियाँ
105 | तुलन-पत्र
107 | लाभ व हानि की विवरणी
108 | इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी
110 | नकदी प्राप्ति विवरणी
112 | लेखों की टिप्पणियाँ
172 | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

183 (183-283) समेकित वित्तीय विवरणियाँ

183 | स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
193 | सी एंड एजी की टिप्पणियाँ
200 | तुलन-पत्र
202 | लाभ व हानि की विवरणी
204 | इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी
206 | नकदी प्राप्ति विवरणी
208 | लेखों की टिप्पणियाँ
271 | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
282 | फार्म एओसी-1

वित्तीय झलकियाँ (वित्तीय वर्ष 2019-20)

वित्तीय झलकियाँ (वित्तीय वर्ष 2019-20)

कुल कारोबार रु.12,608 करोड़
2018-19 में रु. 11,789 करोड़ से लेकर 2019-20 में रु. 12,608 करोड़ तक कुल कारोबार में 6.94% की प्रगति दर्ज

उत्पादन का मूल्य रु. 12,348 करोड़
उत्पादन का मूल्य 2018-19 में रु. 11,921 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में रु. 12,348 करोड़ हुआ, 3.58% की वृद्धि

प्रचालनीय लाभ रु. 2,380 करोड़
प्रचालनीय लाभ 2018-19 में रु. 2,546 करोड़ के समक्ष 2019-20 में रु. 2,380 करोड़ हुआ

प्रति कर्मचारी कुल कारोबार रु. 1.36 करोड़
प्रति कर्मचारी आवर्त 2018-19 में रु. 1.23 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 1.36 करोड़ हुआ

निवल मलियत रु. 9,853 करोड़
निवल मलियत 2018-19 में रु. 9,019 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में रु. 9,853 करोड़ हुई

आर एंड डी में निवेश रु. 947 करोड़
आर एंड डी में निवेश 2018-19 में रु. 1,077 करोड़ के समक्ष 2019-20 में रु. 947 करोड़ हुआ

वित्तीय झलकियाँ (पिछले 5 वित्तीय वर्ष)

कुल कारोबार

(रु. करोड़ में)

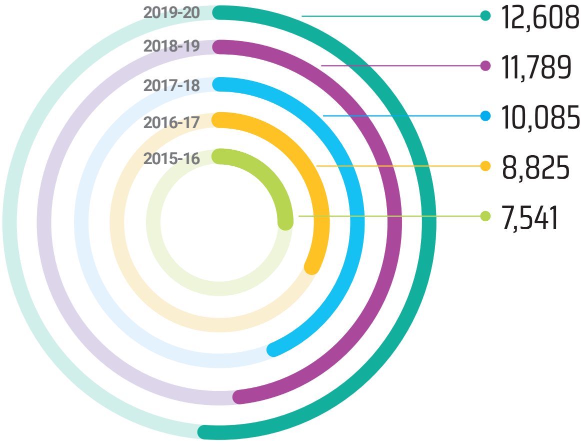

आदेश बही

(रु. करोड़ में)

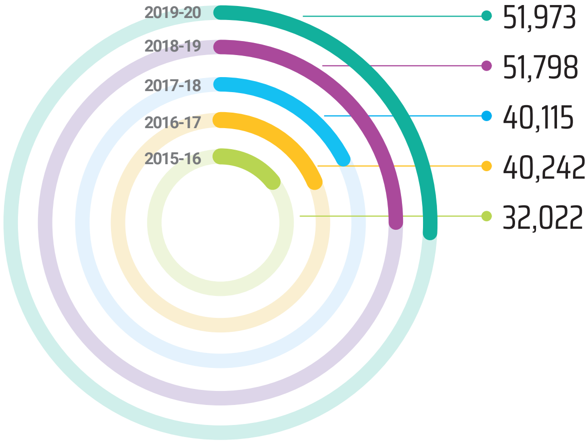

कर पश्चात् लाभ

(रु. करोड़ में)

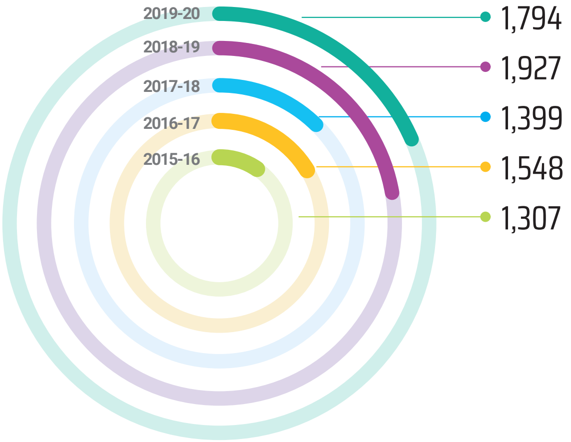

आर एंड डी निवेश

(रु. करोड़ में)

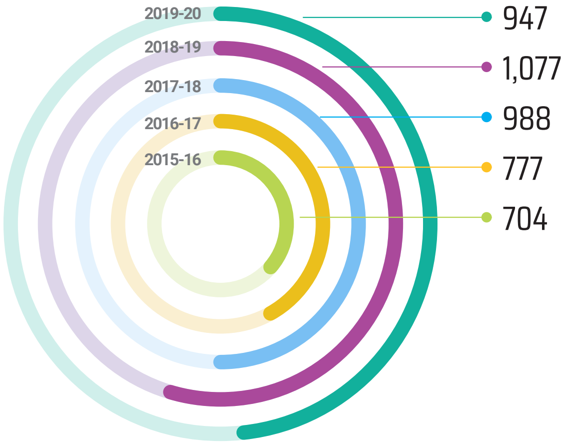

प्रति शेयर अर्जन

(रु. में)

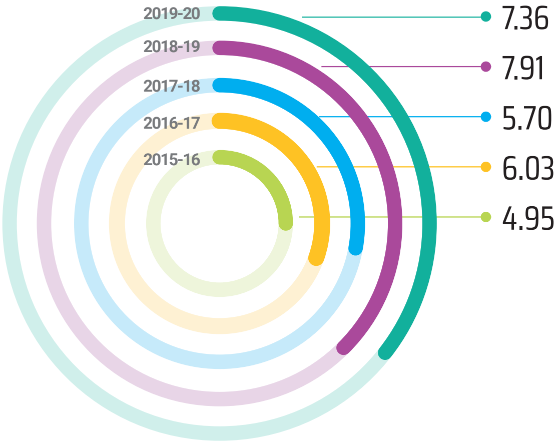

लाभांश वितरण

(रु. करोड़ में)

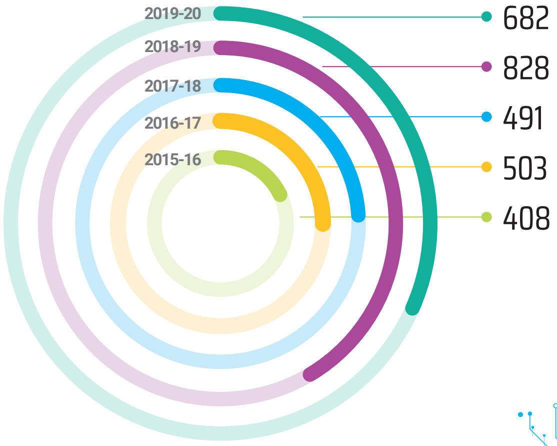

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय शेयरधारक,

इस पत्र के माध्यम से पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की वित्तीय की उपलब्धियाँ और वित्तीय झलकियाँ प्रस्तुत करने हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। संक्रामक नोवेल कोरोना वायरस (कोविद-19) के कारण आए अभूतपूर्व और अप्रत्याशित संकट ने पूरी दुनिया की मानव जाति को और विशेषकर अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आपकी कंपनी के कारोबारी प्रचालन भी रोकने पड़ गए थे लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान की गई अच्छी प्रगति के कारण संतोषजनक वित्तीय कार्य-निष्पादन किया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में, कहम जिस कारोबारी परिवेश में कार्य करते हैं, उसमें उल्लेखनीय चुनौतियाँ रहीं। इन चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने तेजी से बदलते कारोबारी परिवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी उन्नतन और अवसंरचना के स्थिर आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर देते हुए विकास के लक्ष्यों को हासिल किया। आपकी कंपनी ने राजस्व में उल्लेखनीय प्रगति की । आपकी कंपनी ने रक्षा बलों को उपकरणों / प्रणालियों की आपूर्ति करने में अपने नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखा और स्थिरता के साथ प्रगति पथ में अग्रसर है। इस अवसर पर मैं पिछले वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें और कंपनी भावी दृष्टि आपसे साझा करना चाहता हूँ।

वर्ष की झलकियाँ

आपकी कंपनी ने 2019-20 के दौरान रु. 12,60,776 लाख का कुल कारोबार हासिल किया जो वर्ष 2018-19 में रु. 11,78,922 लाख था और इस तरह 6.94% की प्रगति दर्ज की। बीईएल ने वर्ष के दौरान 48.59 मिलियन यूएसडी की निर्यात बिक्री की। कुछ प्रमुख देश जहाँ आपकी कंपनी के उत्पादों का निर्यात किया गया, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, स्वीडन, सेशेल्स, मॉरीशस, अर्मेनिया, श्रीलंका, गुएना, नामीबिया और इंडोनेशिया हैं। वर्ष के दौरान निर्यात किए गए प्रमुख उत्पाद / प्रणालियाँ हैं - रेडार, रेडार फिंगर प्रिंटिंग प्रणाली, रेडार की उप-प्रणालियाँ और सहायक पुर्जे, तटीय चौकसी प्रणाली, ई.डबल्यू. प्रणालियाँ, डेटा लिंक, केबल लूम, मेकेनिकल पुर्जे, संचार उपकरण, ई.ओ. सेन्सर और वैक्यूम इंटरप्टर आदि।

कुल कारोबार में
6.94%
की प्रगति

कंपनी की सभी नौ निर्माणी यूनिटों ने अच्छा कार्य-निष्पादन किया। कर पश्चात् लाभ वर्ष 2018-19 के रु. 1,92,729 लाख के समक्ष वर्ष 2019-20 में रु. 1,79,383 लाख रहा। कंपनी की निवल मूल्य वर्ष 2018-19 में रु. 9,01,891 लाख से बढ़कर वर्ष 2019-20 में रु. 9,85,294 लाख हुआ। रु. 51,97,318 लाख (1 अप्रैल 2020 को) की आदेश बही लगातार बेहतर हो रही है और अगले 2-3 वर्षों में भी अच्छे आदेश प्राप्त होने की संभावना है।

आर एंड डी निवेश कुल कारोबार का **7.5%**

अपने उत्पादों / प्रणालियों में स्वदेशीकरण और मूल्य वर्धन बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी आर एंड डी पर मुख्य रूप से ध्यान देती आ रही है। वर्ष के दौरान कुल कारोबार के 7.5% प्रतिशत के रूप में आर एंड डी पर कुल निवेश था जो रक्षा पीएसयू में सर्वोच्च है। स्वदेशी विकास के प्रति हमारे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि हम स्वदेशी उत्पादों से 79% कारोबार प्राप्त कर सके। हमारा 21% राजस्व विदेशी ओईएम से टीओटी के माध्यम से निर्मित उत्पादों से प्राप्त हुआ। चूँकि कंपनी का प्रमुख कारोबार रक्षा उत्पाद हैं, इसने 2018-19 में 68% के समक्ष 2019-20 में 82% के विक्रय राजस्व का योगदान दिया जबकि शेष 18% रक्षा-इतर क्षेत्र से जनित हुआ।

रक्षा कारोबार से **82%** राजस्व

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रस्तुत कुछ प्रमुख उत्पाद / प्रणालियाँ हैं, निर्यात के रेडार, मालदीव्स के लिए सीएसएस, जहाज से समुद्र-तट की संचार प्रणाली, आकाश एनजी की प्रणालियाँ, डिज़िटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफसीसी) मार्क-IA, युद्धक्षेत्र चौकसी प्रणाली (बीएसएस), सीडीएमए आधारित बेतार संचार प्रणाली, सीसीपीटी के लिए आईएफडीएसएस, साफ्टवेयर निर्देशित रेडियो (एसडीआर)-डीएसी, कॉमनेट गुनिया, मिसाइल डेटा लिंक यूनिट मार्क II , रेडार चेतावनी रिसीवर, टीतर्ड यूएवी, हैंडहेल्ड सिग्नल जनरेटर, एनएआईएसएस, आईपीएसएस, वरुणास्त्र ध्वनिक प्रणाली (वीएएस), भरणी मार्क-II, आईएफएफ मार्क-XII आदि।

आपकी कंपनी को वर्ष के दौरान लगभग रु. 13,20,000 लाख मूल्य के आदेश प्राप्त हुए। प्राप्त प्रमुख आदेशों में आकाश (7 स्क्वाड्रन), चेन ऑफ स्टैटिक सेन्सर (सीएसएस) चरण II, ई.डबल्यू प्रणाली के अपग्रेड, रेडार, रेडार और शस्त्र प्रणालियों एएमसी, साफ्टवेयर निर्देशित रेडियो (एसडीआर), सोनार, उन्नत संचार प्रणालियाँ आदि।

आपकी कंपनी को 2019-20 में तीन (3) पेटेंट प्रदान किए गए और इस प्रकार कुल स्वीकृत पेटेंटों की संख्या बढ़कर दस (10) हो गई। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में बीईएल के वैज्ञानिकों और आर एंड डी अभियंताओं के कुल 135 तकनीकी पत्र प्रकाशित हुए। आपकी कंपनी ने 160 आईपीआर (94 पेटेंट सहित) दाखिल किए।

160 आईपीआर के आवेदन दाखिल

आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की कुछ झलकियाँ इस प्रकार हैं –

- माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा बेंगलूरु यूनिट में उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र का उद्घाटन किया गया।
- माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी द्वारा नवी मुंबई यूनिट में सम्मिश्रित सामग्री, पर्यावरणीय परीक्षण एवं सज्जा की नई अत्याधुनिक निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया।
- बीईएल, हैदराबाद यूनिट में बीईएल का नया उत्पादन भवन।
- बीईएल की बेंगलूरु यूनिट में सेक्योर ट्रिपल प्ले सर्विस।
- बीईएल की कोटद्वार यूनिट में 60 टीआर चिल्लरों के साथ 2100 लीटर का जलवायु चैम्बर।
- डीपीई से वर्ष 2018-19 के लिए उत्कृष्ट "एमओयू" रेटिंग।
- ओमान में नए विपणन कार्यालय के कामकाज का प्रारंभ और विपणन संबंधी कार्यकलापों को सुचारु रूप से करने के लिए न्यूयॉर्क के कार्यालय का विस्तारण।
- उन्नत रक्षा प्रणाली - नौसेना (एडीएसएन) के क्षेत्र में नए एसबीयू का गठन।
- सीकर और मिसाइल, सौर शक्ति प्रणाली, मानव-रहित प्रणालियाँ एवं ऊर्जा भंडारण उत्पाद के क्षेत्र में माइक्रो एसबीयू (अलग कारोबारी खंड) का सृजन।
- बीईएल ने इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, चौकसी, रेडार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में 160 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के आवेदन दाखिल किए।
- बीईएल ने सहयोगात्मक आर एंड डी के लिए 263 साझेदारों का पैनल तैयार किया है जिसमें 30 सहयोगात्मक आर एंड डी साझेदार, 165 डिज़ाइन सेवा प्रदाता, 35 सलाहकार और 38 उत्पादन सेवा प्रदाता शामिल हैं।
- दो अतिरिक्त साफ्टवेयर केंद्रों को सीएमएमआई का स्तर-5 प्रमाणीकरण और 3 साफ्टवेयर केंद्रों को स्तर-3 का प्रमाणीकरण।

आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी को वर्ष के दौरान अनेक प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं -

- सीआईआई एक्ज़िम बैंक कारोबारी उत्कृष्टता पुरस्कार में गाज़ियाबाद और हैदराबाद यूनिटों को प्लेटिनम स्तर की मान्यता।
- दलाल स्ट्रीट इनवेस्टमेंट जर्नल द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पीएसयू अवार्ड 2018
- डिज़िटल इंडिया अवार्ड 2019
- कर्नाटक राज्य का निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार
- आर एंड डी, प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन एवं एच.आर. के लिए आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड
- आईपीसी फर्स्ट इंडिया अवार्ड
- 'निर्यात एवं सीएसआर में उत्कृष्टता' के लिए एयरोस्पेस और डिफेंस अवार्ड
- अनुसंधान एवं नवोन्मेष के लिए 'गवर्नेंस नाऊ' के अवार्ड
- जमनालाल बजाज फेयर बिज़नेस प्रैक्टिस अवार्ड

भावी दृष्टि

वैश्विक कारोबारी परिवेश में मौजूदा अस्थिरता कारोबार को प्रभावित कर रही है और प्रगति के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर रही है। हमसे जुड़े जोखिमों से लड़ने के लिए, आपकी कंपनी नए कारोबारी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है और अपनी प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने के अलावा तेजी से बदलते प्रौद्योगिकीय उन्नत कार्यों के साथ गति बनाए रखे हुए है। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल पर सरकार द्वारा बल दिए जाने से कंपनी के लिए स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ाने और भारतीय रक्षा क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ लेने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं।

बीईएल ने वर्ष 2020-21 के लिए 12-15% की बेहतर प्रगति दर का लक्ष्य बनाया है। रेडार और मिसाइल, संचार और नेटवर्क केंद्रित प्रणालियाँ, पनडुब्बी-रोधी युद्धपद्धति एवं सोनार प्रणालियाँ, टैंक इलेक्ट्रॉनिकी, गन के अपग्रेड, इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति एवं वैमानिकी प्रणालियाँ जैसे खंड आने वाले वर्षों में कंपनी के विकास की गति को बनाए रखेंगे। आपकी कंपनी ने स्वदेशीकरण, विविधीकरण, निरंतर आधुनिकीकरण, आर एंड डी, परीक्षण, उत्पादन, कौशल विकास के लिए अनेक विश्व-स्तरीय सुविधाएँ तैयार करने तथा एमएसएमई क्षेत्र में ज़ोर देते हुए भारतीय उद्योगों को बाह्यस्रोतण करते हुए सक्षमताओं और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर हमेशा ध्यान केंद्रित किया है। गैर-रक्षा खंड में, आपकी कंपनी गृहभूमि सुरक्षा समाधान, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा भंडारण उत्पाद जिनमें ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, सोलार, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक, उपग्रह एकीकरण, नेटवर्क एवं सायबर सुरक्षा, रेलवे और मेट्रो समाधआन, विमानपत्तन समाधआन, ई.वी.एम., दूरसंचार उत्पाद, पी.एन.वी.डी., चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोज़िट और साफ्टवेयर समाधान के क्षेत्र में कारोबार की संभावनाओं का पता लगा रही है।

आपकी कंपनी का भविष्य चुनौतीपूर्ण परंतु उज्जवल दिखता है। रक्षा प्रापण प्रक्रिया लागू किए जाने के बाद से रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खोला जा रहा है। इस बदलते कारोबारी परिदृश्य में, आपकी कंपनी उभरते रणनीतिक साझेदारों, ग्राहकों और भारतीय रक्षा उद्योग में अन्य प्रमुख भागीदारी रखने वालों के साथ बातचीत का स्तर बढ़ा रही है और दीर्घकालीन संबंध स्थापित कर रही है। आपकी कंपनी पर कोविद-19 का वास्तविक प्रभाव निकट भविष्य में दिखेगा क्योंकि अभी परिस्थितियाँ बदल रही हैं। बहरहाल, आपकी कंपनी ने इसकी कार्य-निष्पादन पर इसके प्रभाव को कम करने के उपाय करना शुरु कर दिया है।

सरकार ने आयात प्रतिस्थापन बढ़ाने और रक्षा उपकरणों में नवोन्मेषी समाधान संवर्धित करने के लिए एम.एस.एम.ई. सहित भारतीय उद्योग की प्रतिभागिता बढ़ाने की "मेक-II" प्रक्रिया शुरु की है। आपकी कंपनी ने अनेक "मेक-II" परियोजनाओं पर कार्य करना शुरु भी कर दिया है जो बीईएल के कारोबार के अनुरूप हैं।

बीईएल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रौदयोगिकी के साथ गति बनाए रखे और ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें किफायती और नवोन्मेषी समाधान प्रदान करने के लिए नियमित रूप से नए उत्पाद विकसित करे। भावी उत्पादों, प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों, बौद्धिक संपदा सृजन, प्रमुख प्रौद्योगिकियों का अर्जन और पेटेंट दाखिल करने के लिए तैयार की गई योजना के साथ कंपनी भर में आर एंड डी पर ज़ोर दिया जाएगा। आपकी कंपनी नए उत्पादों और प्रणालियों के विकास के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों तथा उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी कंपनियों और सलाहकारों के साथ घनिष्ठता के साथ कार्य करने पर भी अधिक ज़ोर दे रही है। आपकी कंपनी शिक्षा जगत और स्टार्ट-अप के साथ आर एंड डी सहयोग के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी वायरलेस संचार, रोबोटिक्स और कंप्यूटर दृष्टि, आवर्धित व आभासी वास्तविकता, क्वान्टन क्रिप्टोग्राफी आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है।

रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपने नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी ने विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की है और प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा प्रौद्योगिकी दक्षता बनाए रखने की कार्य योजना विकसित की है।

वर्ष 2020-21 के दौरान निष्पादन के लिए योजित कुछ प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं – लंबी दूरी की सतह से हवाई मिसाइल प्रणाली (एलआरसैम), आईसीयू वेन्टीलेटर, आकाश मिसाइल प्रणाली (7 स्क्वाड्रन), तटीय चौकसी प्रणाली (सीएसएस)- चरण II, केरल फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-एफओएन), शक्ति चरण-III, एकीकृत परिधीय सुरक्षा प्रणाली (आई.पी.एस.एस.), हम्सा एन जी प्रणाली, एकीकृत वायु कमान व कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस), सम्युक्ता अपग्रेड, टैंकों के लिए तापीय इमेजर, स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, दिल्ली सीसीटीवी, नौसैनिक एकीकृत वायुक्षेत्र सुरक्षा प्रणाली (एनएआईएसएस), साफ्टवेयर निर्देशित रेडियो आदि।

निर्यात के क्षेत्र में, 1 अप्रैल, 2020 को आदेश बही यू.एस. $ 73.65 मिलियन के समंजन आदेश सहित यू.एस. $ 164.01 मिलियन की है। निर्यात पर अधिक ज़ोर देने के लिए आपकी कंपनी ने न्यूयार्क, म्यांमार, सिंगापूर, वियतनाम और श्रीलंका में प्रचालित कार्यालयों के अलावा, वर्ष के दौरान ओमान में विपणन कार्यालय शुरु किया है। आपकी कंपनी ने ग्राहकों के साथ निरंतर बातचीत करते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप, मध्य-पूर्व, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में कारोबारी अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए हैं और स्थानिक-रणनीतिक पहुँच बढ़ाने और वैश्विक पहचान बढ़ाने के लिए संबंधित देशों में अन्य भारतीय कंपनियों और स्थानीय साझेदारों के साथ भी निकटता से कार्य कर रही है।

रणनीतिक नई पहल

आपकी कंपनी ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों के अनुरूप गृहभूमि सुरक्षा समाधान, स्मार्ट सिटी, लियॉन से/ फ्यूल सेल, सोलर परियोजनाएँ, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक जिनमें उपग्रह एकीकरण, नेटवर्क और सायबर सुरक्षा, रेलवे और मेट्रो समाधान, कंपोज़िट, साफ्टवेयर सेवाएँ शामिल हैं, मानवरहित प्रणालियाँ जिनमें रोबोटिक्स, आरएफ और आईआर सीकर, मिसाइल, रॉकेट, ग्लाइड बम और गोला-बारूद जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है।

सी.एस.आर.

आपकी कंपनी ने कंपनी की सी.एस.आर. एवं निर्वहनीयता नीति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अनुरूप तैयार की गई है, के अनुसार सी.आर.आर. के विभिन्न प्रोग्राम / पहल / परियोजनाएं पूरी की है। आपकी कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण, ग्रामीण विकास एवं व्यावसायिक कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रु. 3116.96 लाख खर्च किया है। आपकी कंपनी ने कोविद-19 महामारी की तरह किसी भी प्रकार की आपात और संकटकाल परिस्थिति से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए स्थापित पी.एम.-केयर्स फंड में सीएसआर निधि से रु. 1000.00 लाख की राशि का अंशदान किया।

अभिशासन (गवर्नेंस) और निर्वहनीयता

आपकी कंपनी सर्वोच्च स्तर के मूल्य और सिद्धांतों को निरंतर रूप से अपनाने और बनाए रखने में गर्व अनुभव करती है। सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 और सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में की गई अपेक्षानुसार, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट मंडल की रिपोर्ट में दी गई है।

बीईएल का कार्पोरेट कार्य-निष्पादन जिसे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिमापियों के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, बीईएल की सामाजिक रूप से उत्तरदायी कार्पोरेट निकाय की छवि को पुनर्बलित करती है। बीईएल नैतिक रूप से व्यवहार करने और अपने कार्यबल, उनके परिवारों, स्थानीय समुदाय और समग्र रूप से समाज का जीवन स्तर सुधारते हुए आर्थिक विकास की ओर योगदान देने के प्रति निर्वहनीयता लगातार प्रतिबद्ध रहती है । हम पुन:चक्रण, पुन:उपयोग और कटौती का दृष्टिकोण अपनाते हुए पर्यावरण को हरित बनाने का सिद्धांत निकट भविष्य में भी अपनाते रहेंगे।

आभार

मैं निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के सदस्यों के प्रति उनके अथक समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाएँ लगातार अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते आ रहे हैं। इसके अलावा मैं अपने शेयरधारकों, सम्माननीय ग्राहकों और कारोबारी सहयोगियों को अपना विश्वास अर्जित करने का अवसर प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी कंपनी की प्रमुख ताकत बनी हुई है। हम भावी चुनौतियों का सामना करने और लाभप्रद विकास करते रहने के लिए इस ताकत को बढ़ाने के प्रयास निरंतर करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

म. वें. गौतम

एम वी गौतम

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

बेंगलूरु

7 सितम्बर 2020

वर्ष की प्रमुख बातें

बीईएल की नवी मुंबई यूनिट में स्थापित कंपोज़िट सामग्री, पर्यावरणीय परीक्षण एवं परिष्करण निर्माणी सुविधा का उद्घाटन करते हुए श्री श्रीपद नाइक, माननीय रक्षा राज्य मंत्री

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह द्वारा बेंगलूरु में बीईएल के उत्पाद विकास व नवोन्मेष केंद्र का उद्घाटन

बीईएल द्वारा भारतीय वायु सेना के लिए विकसित सी4आई प्रणाली के बेंगलूरु नोट का उद्घाटन

बीईएल द्वारा बेलगावी, कर्नाटक में निष्पादित की जा रही स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए एकीकृत कमान व कंट्रोल केंद्र का उद्घाटन

भारतीय तट रक्षक बल के लिए विकसित तटीय चौकसी प्रणाली के चरण-II को स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संविदा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार को रु. 231.69 करोड़ के 170% अंतिम लाभांश का चैक सौंपते हुए।

वर्ष की प्रमुख बातें

बीईएल द्वारा विकसित स्वदेशी सिस्टम ऑन चिप (एस.ओ.सी.) आधारित टैबलेट का शुभारंभ

100वां ई.ओ.आई.आर. पेलोड एलोप, इज़राइल को सौंपा गया

201वां उन्नत एल-70 गन रवाना किया गया

केरल के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत निधि को रु. 45.6 लाख का अंशदान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बाढ़ राहत निधि को रु. 1.36 करोड़ का अंशदान

बीईएल की सहायक कंपनी बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड (बीटीएसएल) में नई एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा का उद्घाटन

नई कारोबारी पहल

एफ-21 प्रोग्राम में औद्योगिक अवसरों की संभावनाएँ पता लगाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एम.ओ.यू.

आई.टी., डिज़िटल और सायबर सुरक्षा समाधानों के लिए अगली पीढ़ी की डिज़िटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ाते हुए सशस्त्र बलों के लिए उत्पाद / प्रणालियाँ विकसित करने हेतु टेक महिन्द्रा के साथ एम.ओ.यू.

भारतीय रक्षा बलों और निर्यात बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा सहयोग को जारी रखने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ एम.ओ.यू.

विस्फोटक सामग्री खंड में सहयोग के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोज़िव्स लिमिटेड (टी.ई.एल.) के साथ एम.ओ.यू.

अर्धसैनिक और रक्षा बलों के लिए डिज़िटल मोबाइल रेडियो के निर्माण के लिए सिगटेक वायरलेस टेक्नालॉजीस प्रा. लि. के साथ एम.ओ.यू.

रक्षा परियोजनाओं के लिए क्लाउड सेवाएं, आई.ओ.टी., ई-गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, नेटवर्क तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए मिशन-महत्वपूर्ण संचार प्रणालियों में सहयोग के लिए रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के साथ एम.ओ.यू.

नई कारोबारी पहल

भारत में वायु रक्षा प्रणालियों के लिए नई सेवाएँ तथा अनुरक्षण केंद्र स्थापित करने में सहयोग करने हेतु इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (आई.ए.आई.) के साथ एम.ओ.यू.

नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एल्बिट मानव-रहित सतही पोतों के विकास एवं कार्यारंभ हेतु गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जी.आर.एस.ई.) और एल्बिट सिस्टम्स, इज़राइल के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू.

देशीय और निर्यात बाज़ार के लिए उत्पादों / प्रणालियों के विकास में सहयोग हेतु बी.एच.ई.एल. के साथ एम.ओ.यू.

ग्लाइड बम, रेंज एक्सटेंशन किट और हल्के क्रूज़ मिसाइल विकसित करने के लिए नागपूर की स्टार्ट-अप कंपनी जे.एस.आर. डायनेमिक्स प्रा. लि. (जे.एस.आर.) के साथ सहयोग व विपणन करार

बीईएल के कार्यपालकों को दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु बिट्स, पिलानी के साथ एम.ओ.यू.

निदेशक मंडल

(यथा 01 सितंबर 2020)

श्री एम वी गौतम

अध्यक्ष व
प्रबंध निदेशक

श्रीमती आनंदी रामलिंगम

निदेशक
(विपणन)

श्री विनय कुमार कत्याल

निदेशक
(बेंगलूरु कॉमप्लेक्स)

श्री शिवकुमारन के एम

निदेशक
(मानव संसाधन)

श्रीमती शिखा गुप्ता

निदेशक
(अन्य यूनिटें)

श्री दिनेश कुमार बत्रा

निदेशक
(वित्त) एवं सीएफओ

श्री राजशेखरन एम वी

निदेशक
(अनुसंधान व विकास)

निदेशक मंडल

(यथा 01 सितंबर 2020)

डॉ अमित सहाय

संयुक्त सचिव (पी एंड सी)
रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग
सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री जे मंजुला

डीएस एंड डीजी (ईसीएस), डीआरडीओ
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री मुक्का हरीश बाबू

सनदी लेखाकार
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुरेन्द्र एस सिरोही,
आईटीएस (से.नि.)

भारत सरकार के पूर्व-सचिव
स्वतंत्र निदेशक

डॉ विजय एस मदान,
आईएएस (से.नि.)

भारत सरकार के पूर्व-सचिव
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुनील कुमार कोहली,
आईडीएएस (से.नि.)

पूर्व एफएडीएस, रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्र निदेशक

श्री श्रीनिवास एस

कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन

(यथा 01 सितंबर 2020)

श्री श्रीकांत वलगड, आईएएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती रानी वर्गिस
कार्यपालक निदेशक वित्त- सीओ

श्री मनोज कुमार
कार्यपालक निदेशक एनएम – दिल्ली

श्री जयदीप मजूमदार
कार्यपालक निदेशक एनसीएस एवं यूनिट प्रमुख – गा.बाद.

श्री रवि बी एस
कार्यपालक निदेशक एडीएसएन - बी.जी.

श्री मन मोहन पांडे
महाप्रबंधक पीएस – सीओ

श्री रंजन बैनर्जी
महाप्रबंधक सीएम – दिल्ली

श्रीमती हेमलता के
महाप्रबंधक एसपी – सीओ

श्री विक्रमन एन
महाप्रबंधक एचआर - सीओ

श्री अनिल पंत
महाप्रबंधक आईएम – बी.जी.

श्री चरण सिंह
ओएसडी पीएस – सीओ

श्री सुरेश कुमार के वी
महाप्रबंधक टीपी – सीओ

श्री रामन आर
महाप्रबंधक आईए - सीओ

वरिष्ठ प्रबंधन
(यथा 01 सितंबर 2020)

श्री रमेश टी एन
महाप्रबंधक-हैदराबाद

श्री नंद कुमार वी
मुख्य वैज्ञानिक-सीआरएल - बी.जी.

श्री श्रीनिवासन आर
महाप्रबंधक एमएस – बी.जी.

श्रीमती रुचि गर्ग
महाप्रबंधक एससीसीएस – गा.बाद

श्री जगदीश चंद
महाप्रबंधक रेडार – गा.बाद

श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एनएस-एस एंड सीएस – बी.जी.

श्री उमेश चंद्रा
महाप्रबंधक – नमु

श्री रामा रेड्डी
महाप्रबंधक ईडब्ल्यू एंड ए – बी.जी.

श्री मनोज जैन
महाप्रबंधक-पीडी एंड आईसी

श्री बशीर अहमद
महाप्रबंधक ईएस – बी.जी.

श्री अमरेंद्र कुमार सिंह
सी.टी.ओ. ईओ एंड एल – पीडी एंड आईसी

श्रीमती पद्मिनी बालचंद्रा
सी.टी.ओ. आर एंड डब्ल्यूएस – पीडी एंड आईसी

श्री शेखर आर एल
महाप्रबंधक एससी एंड यूएस – बी.जी.

श्रीमती दुर्गा जी के
महाप्रबंधक सॉफ्टवेयर - बी.जी.

श्री शंकरसुब्रमण्यन आर
महाप्रबंधक ईएम - बी.जी.

श्री पुगज़ेंति आर
महाप्रबंधक एचएलएस एंड एससीबी - बी.जी.

वरिष्ठ प्रबंधन

(1 सितंबर, 2020 को)

श्री लोयोला पेड्रो विएनी जी
महाप्रबंधक - चेन्नै

श्री राजेन्द्रा के
महाप्रबंधक - पुणे

श्रीमती प्रभा गोयल
महाप्रबंधक - पंचकूला

श्री मुरली वी
महाप्रबंधक वित्त - बी.जी.

श्री प्रभाकर राव बी
महाप्रबंधक - मछिलिपट्टणम

श्री रुधिरमूर्ति ए
महाप्रबंधक - कोटद्वार

श्रीमती एन्सी जेम्स
महाप्रबंधक मिलकॉम- बी.जी.

श्री अनूप कुमार राय
मुख्य वैज्ञानिक सी.आर.एल. - गा.बाद

श्री उमेश के एस
महाप्रबंधक एनएस -
आर एंड एफसीएस - बी.जी.

श्री नरेश कुमार एस
महाप्रबंधक कंपोनेंट - बी.जी.

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मे. सूरी एंड कं.
बेंगलूरु

शाखा लेखा परीक्षक

मे. ताम्बी एंड जयपुरकर, पुणे
मे. जे पी कपूर एंड उबेरॉय, नई दिल्ली
मे. तुंगला एंड कं., मछिलिपट्टणम

लागत लेखा परीक्षक

मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स
बेंगलूरु

सचिवीय लेखा परीक्षक

मे. तिरपाल गोरिगे एंड
एसोसिएट्स एलएलपी
बेंगलूरु

दौरा

श्री श्रीपद येसो नाइक, माननीय रक्षा राज्य मंत्री

वाइस एडमिरल एस वी भोकरे, महानिरीक्षक (नाभिकीय संरक्षा)

बीईएल-गाज़ियाबाद में बीईएल के शहीद स्मारक का अनावरण करने के बाद अपना संबोधन देते हुए जनरल (से.नि.) वी के सिंह, माननीय राज्य मंत्री – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार

ले. जनरल ए पी सिंह, डीजी एएडी

इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल

दौरा

कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के पत्रकार

महामहिम मुनु महावर, ओमान सल्तनत में भारत के राजदूत

वाइस एडमिरल जी एस पैब्बी, सी.ओ.एम.

डॉ. अजय कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन)

म्यांमार का प्रतिनिधिमंडल

रॉयल सउदी नेवल फोर्स के सदस्य

दौरा

नेपाल का रक्षा प्रतिनिधिमंडल

श्रीलंका, मालदीव्स, घाना, म्यांमार, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ओमान और मॉरीशस का डायरेक्टिंग स्टाफ और नौसैनिक अधिकारीगण

डॉ सुमित जैरथ, भा.प्र.से., विशेष सचिव, केबिनेट सचिवालय

मोज़ाम्बिक का प्रतिनिधिमंडल

वाइस एडमिरल ए के सक्सेना, सीडब्ल्यू एंड ए

एयर मार्शल संदीप सिंह, डीसीएएस, आईएएफ

सीएसआर के माध्यम से जिंदगी बेहतर बनाते हुए

सीएसआर के माध्यम से जिंदगी बेहतर बनाते हुए

पुरस्कार दीर्घा

निर्माणी उद्यम – बृहत् वर्ग में उचित कारोबार पद्धतियों के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार

‘स्वागत’ के लिए सरकारी क्षेत्र में ‘परिवहन और गतिशीलता में सर्वोत्तम पहल’ के लिए कारोबारी जगत् डिज़िटल इंडिया अवार्ड

ऑल इंडिया कानफ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल से श्री गौतम एम वी, सीएमडी के लिए ‘दि ग्रेट सन ऑफ दि सॉएल’ पुरस्कार

‘मानव संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता’ के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आई.सी.सी.) का पी.एस.ई. उत्कृष्टता पुरस्कार

कर्नाटक राज्य निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार

‘निर्यात में उत्कृष्टता’ और ‘सकारात्मक सामाजिक प्रभाव के प्रति योगदान में उत्कृष्टता (सी.एस.आर.)’ के लिए सैप मीडिया वर्ल्डवाइड लि. का एरोस्पेस एवं रक्षा पुरस्कार

मंडल की रिपोर्ट

प्रति, सदस्यगण,

आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ उन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं ।

वित्तीय परिणाम एवं कार्य-निष्पादन की झलकियाँ

कंपनी के वित्तीय परिणाम एवं कार्य-निष्पादन की झलकियों का सारांश नीचे दिए गए हैं –

(रु. लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19
उत्पादन का मूल्य	**12,34,833**	11,92,142
विक्रयावर्त	**12,60,776**	11,78,922
मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**2,83,207**	3,03,162
वित्त लागत	**326**	1,221
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**34,964**	31,622
कर पूर्व लाभ	**2,47,917**	2,70,319
कर के लिए प्रावधान	**68,534**	77,590
कर पश्चात् लाभ	**1,79,383**	1,92,729
अन्य व्यापक आय / (हानि)	**(3,814)**	(4,021)
कुल व्यापक आय	**1,75,569**	1,88,708
देय लाभांश	**75,534**	51,168
लाभांश पर कर	**15,439**	10,518
सामान्य प्रारक्षण को अंतरण	**40,000**	40,000
अन्य इक्विटी (प्रारक्षण एवं अधिशेष सहित)	**9,60,928**	8,77,525
निवल मालियत	**9,85,294**	9,01,891
प्रति शेयर अर्जन (रु. में)	**7.36**	7.91
प्रति शेयर पुस्तक मूल्य (रु. में)	**40.44**	37.01

2019-20 के लिए उत्पादन के मूल्य का संवितरण नीचे दिया गया है –

विवरण	राशि (रु.लाख में)	प्रतिशतता
सामग्रियाँ	6,84,573	55.44%
कर्मचारी लागत	2,05,749	16.66%
अन्य व्यय (निवल)	61,630	4.99%
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	34,964	2.83%
कर के लिए प्रावधान	68,534	5.55%
कर पश्चात् लाभ	1,79,383	14.53%
कुल	**12,34,833**	**100.00%**

कंपनी का कुल कारोबार 2018-19 में रु. 11,78,922 लाख था जो वर्ष 2019-20 के दौरान बढ़कर रु. 12,60,776 लाख हुआ और 6.94% की प्रगति दर्ज की । वर्ष का कर पश्चात् लाभ पिछले वर्ष के रु. 1,92,729 लाख के समक्ष इस वर्ष रु. रु. 1,79,383 लाख हुआ । स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों से कुल कारोबार 79% है । रक्षा क्षेत्र को की गई आपूर्तियों ने वर्ष 2019-20 में 68% की तुलना में इस वर्ष 82% का योगदान दिया ।

कोविद-19 महामारी का प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी, 2020 को नोवेल कोरोनावायरस बीमारी (कोविद-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम माह, कोविद-19 महामारी तेजी से वैश्विक संकट बन गई जिसके कारण सरकारों को सभी आर्थिक कार्यकलापों को बंद करन पड़ा ।

इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी अनिवार्य बनाते संबंधी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, दिनांक 24.03.2020 से कंपनी की सभी यूनिटें / कार्यालय, अत्यावश्यक स्टाफ को छोड़कर, अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। तदुपरांत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त आदेशों के आधार पर वेन्टिलेटरों के निर्माण के लिए अप्रैल 2020 में बीईएल की बेंगलूरु यूनिट में सभी पूर्वापाय करते हुए और संबंधित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने क बाद आंशिक कामकाज शुरु किया गया । इस लॉकडाउन ने मार्च, 2020 के अंत, अप्रैल, 2020 और आंशिक रूप से मई, 2020 के दौरान कंपनी के कामकाज को प्रभावित किया।

बीईएल ने वित्तीय परिमापियों सहित कंपनी के कामकाज पर कोविद-19 के संभावित प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया। आंतरिक अध्ययन और विश्लेषण से यह अनुमान लगाया गया कि अल्पकाल में, कोविद-19 सुपुर्दगी अनुसूचियों के परिप्रेक्ष्य में कंपनी के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, हालांकि दीर्घकाल में, कंपनी के प्रचालनों और कार्य-निष्पादन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

चूँकि रक्षा कारोबार बीईएल का प्रमुख राजस्व खंड है, बीईएल को दीर्घकाल में कोविद के प्रभाव के कारण इसके उत्पादों / सेवाओं की मांग में किसी गिरावट का अनुमान नहीं है हालांकि अल्पकाल में आदेश अधिग्रहण में कुछ ठहराव आ सकता है। आत्म निर्भर भारत अभियान पर भारत सरकार के अधिक ज़ोर देने से रक्षा क्षेत्र में एक अग्रणी स्वदेशी समाधान प्रदाता के रूप में कंपनी की संभावनाएँ बढ़ेंगी और आगामी वर्षों में इसका कंपनी के कार्य-निष्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

लाभांश

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 और साथ ही सेबी, डीपीई, दीपम, वित्त मंत्रालय तथा कंपनी पर यथा लागू अन्य दिशा-निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुए लाभांश वितरण नीति तैयार की है । यह नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&LId=1&link=527 में उपलब्ध है ।

निदेशक मंडल ने 2019-20 के लिए रु. 1.40/- प्रति इक्विटी शेयर (140%), रु. 34,112 लाख के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । वर्ष 2019-20 के दौरान शेयर धारकों को अंतरिम लाभांश रु. 1.40/- प्रति इक्विटी शेयर (140%) अदा किया गया । इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश रु. 2.80/- प्रति इक्विटी शेयर (280%), रु. 68,224 लाख रहा ।

प्रारक्षणों को अंतरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 40,000 लाख की राशि सामान्य प्रारक्षणों में अंतरित करने का प्रस्ताव है ।

शेयर पूँजी

यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी की प्राधिकृत पूँजी रु. 25,000 लाख (रु. 1/- प्रत्येक के 250,00,00,000 इक्विटी शेयर) और चुकता शेयर पूँजी रु. 24,366 लाख था । वर्ष के दौरान चुकता शेयर पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

निष्पादित प्रमुख आदेश

तीनों सेनाओं तथा गैर-रक्षा ग्राहकों के लिए वर्ष के दौरान निष्पादित अग्रणी परियोजनाओं में शामिल हैं – कमान और नियंत्रण प्रणाली, टैंक के लिए थर्मल इमेजर, संप्रेषण प्रणाली का उन्नयन, भू-आधारित ईडब्ल्यू प्रणाली, शस्त्र मरम्मत सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, विभिन्न रेडार, नेवल एयरफील्ड एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (एनएआईएसएस), केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (के-फोन), स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, दिल्ली सीसीटीवी परियोजना, शिल्का उन्नयन, लाइट कॉपाट एयक्राफ्ट (एलसीए) के लिए वायुयान पैकेज, क्लासरूम जैमर, रैलवे के लिए रियल-टाइम ट्रैन सूचना प्रणाली (आरटीआईएस) और लोंग रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल (एलआरएसएएम) सिस्टम की आंशिक आपूर्ति ।

निर्यात

आपकी कंपनी गृहभूमि सुरक्षा समाधान, सीमा संरक्षण प्रणाली और अत्याधुनिक प्रणालियां एवं समाधान तथा असैनिक बाज़ारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो इसके कारोबार के मुख्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, सहित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और प्रणालियों के निर्यात की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ।

बीईएल कई मित्र देशों और निर्मित मूल उपकरण (ओईएम) को विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों का निर्यात कर रही है । बीईएल अपने वर्तमान और भावी ग्राहकों के साथ एक स्वस्थ संबंध स्थापित करने और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, बीईएल नियमित रूप से विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों की आपूर्ति को सक्षम करने के लिए विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है ।

बीईएल विभिन्न असैनिक परियोजनाएं, डाकघर और स्कूल की उन्नयन परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी, महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास, सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं, वेंटिलेटर आदि के लिए कृत्तिम बुद्धिमत्ता पर आधारित समाधान, सॉफ्टवेयर विकास जैसे उत्पाद एवं समाधान के साथ विकसित, विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों में नागरिक और चिकित्सा उपकरण के बाजार की खोज कर रही है ।

बीईएल रक्षा खरीद प्रक्रिया में शामिल समंजन नीति को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय की विभिन्न प्रस्ताव का अनुरोध (आर.एफ.पी.) में समंजन संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए ओ.ई.एम. की मदद करने के क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर रही है । इस संबंध में बीईएल विभिन्न प्रमुख विदेशी एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों के साथ गहनता से कार्य कर रही है और उनके साथ साझेदारी कर रही है । बीईएल ग्राहकों की विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमाणित उत्पादों और प्रणालियों को भी पेश कर रही है । बीईएल ने उभरते निर्यात अवसरों के नए क्षेत्रों के रूप में अद्यतन प्रणालियों एवं समाधानों की संविदा विनिर्माण (बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेक) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पहचान की है । वैश्विक कंपनियों के साथ दीर्घकालीन पूर्ति कड़ी संबंध स्थापित करने के भी अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं ।

बीईएल केंद्रित प्रयास के साथ विभिन्न मेक इन इंडिया कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है । बीईएल ने अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को प्रमुख प्लेटफार्म के ओईएम और उनके स्तर- I आपूर्तिकर्ताओं को पेश किया है । इसने कंपनी को सह-विकास, सह-उत्पादन और विभिन्न ओईएम के साथ समान व्यवस्था के लिए कंपनी में उत्पादों के निर्माण और कंपनी की सेवाओं के उपयोग के लिए न केवल भारतीय कार्यक्रमों के लिए बल्कि उनकी वैश्विक आवश्यकताओं के लिए भी साझेदारी करने में मदद की है ।

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न ग्राहकों अर्थात यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इजरायल, स्वीडन, म्यांमार, मॉरीशस, आर्मेनिया, नामीबिया और भूटान से US$ 101.47 मिलियन का निर्यात आदेश प्राप्त किया है। वर्ष 2019-20 में निर्यात आदेश का अधिग्रहण बीईएल में सभी समय अधिक था और इसके साथ ही यथा 1 अप्रैल 2020 को निर्यात आदेश US$164.01 मिलियन है।

कंपनी ने स्विट्ज़रलैंड, यू.एस.ए., फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, स्वीडन, सेशेल्स, मॉरीशस, अरमेनिया, श्रीलंका, गिनी, नामीबिया, इंडोनेशिया, चैना और एस.ई.ज़ेड जैसे विभिन्न देशों को वर्ष 2019-20 के दौरान यूएस $ 48.59 मिलियन की निर्यात बिक्री हासिल की है। निर्यात किए गए प्रमुख उत्पादों / प्रणालियाँ हैं वेपन लोकेटिंग रेडार, तटीय चौकसी प्रणाली रेडार, रेडार और ई.डबल्यू. प्रणालियों की उप-प्रणालियाँ, डेटा लिंक II, केबल लूम, यांत्रिक पुर्जे, संचार उपकरण, आईएफएफ इंटग्रेटर, रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम, ईओएस, वैक्यूम इंटरप्टर और रेडार के पुर्जे आदि।

निर्यात बिक्री में वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी द्वारा किए गए केंद्रित प्रयासों और विदेश और रक्षा मंत्रालय और ग्राहकों के साथ निरंतर और केंद्रित चर्चा के रूप में की गई नई निर्यात पहलों के कारण हुई थी, जो नई और पूर्ण प्रणालियों की पेशकश के साथ ग्राहकों के लिए सक्रिय दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं, ग्राहक के आधार में वृद्धि, नई अनुकूलित और महत्वपूर्ण परियोजनाएं लेना और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें समय पर वितरित करना, ग्राहकों को उनकी आवश्यकता और भविष्य के खतरों और अवसरों के आधार पर समाधान विकसित करने के लिए विस्तारित समर्थन / सेवाओं में अधिक निर्देशित प्रयास।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादों और सेवाओं के लिए, नए बाज़ार के विकास द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल-

❖ विदेश स्थित विपणन कार्यालय

- बीईएल ने ग्राहकों के साथ अनवरत बातचीत करते हुए यूएसए, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व देशों में कारोबारी अवसर बढ़ाने के प्रयास किए हैं।
- ओमान में विपणन कार्यालय स्थापित किए गए।
- नए साझेदारों / एजेंटों की पहचान की गई और दुनिया भर के विभिन्न देशों में व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

❖ विदेशी ओईएम के साथ रणनीतिक संधि

विश्व बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्य का सर्वोत्तम प्रतिफल प्रदान करते हुए विदेशी ओईएम के साथ प्रस्तावित रणनीतिक संधि

- आईएआई- मिसाइल प्रणाली
- एल्बिट सिस्टम्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, इज़राइल – इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स

❖ विदेशों / विदेशी ग्राहकों को प्रस्तुत निम्नलिखित उत्पादों और प्रणालियों के कारोबार के मुख्य प्रयास -

- तटीय चौकसी प्रणाली
- रेडार
- नौसेना रेडार और सोनार का उन्नयन
- संविदा विनिर्माण
- संप्रेषण उपकरण
- वैमानिकी

❖ वर्ष 2019-20 के दौरान समंजन कारोबार का कार्य-क्षेत्र इस प्रकार रहा –

- बोइंग कंपनी, यू.एस.ए. के लिए डेटा लिंक II
- आईएफएफ- बोइंग कंपनी, यूएसए के लिए इंटरोगेटर
- बोइंग कंपनी, यूएसए के लिए रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम
- एलोप इज़राइल के लिए EoS CoMPASS
- एसएबी, स्वीड़न के लिए ऑपरेटर्स मॉड्यूल
- थालेस, फ्रांस के लिए ई.डबल्यू. एंड रेडार सब-एसेंब्ली

सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन

आपकी कंपनी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के साथ प्रति वर्ष समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती आ रही है। सरकार के साथ किए गए एमओयू के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018-19 के लिए बीईएल के कार्य-निष्पादन को **"उत्कृष्ट"** आंका गया है। वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू की रेटिंग सरकार द्वारा समीक्षाधीन है।

आदेश बही की स्थिति

यथा 1 अप्रैल 2020 को कंपनी की आदेश बही लगभग रु. 51,973 करोड़ है। इस आदेश बही में मुख्य रूप से सुदूर तल-से-आकाश मिसाइल प्रणाली, आकाश, एकीकृत वायु कमांड नियंत्रण प्रणाली, युद्ध-क्षेत्र चौकसी प्रणाली, तटीय चौकसी प्रणाली (फेस- II), उन्नत

सम्मिश्रित संचार प्रणाली, कमांड सूचना निर्णय समर्थन प्रणाली, ई डब्ल्यू सूट, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, एकीकृत पेरिमीटर सुरक्षा समाधान, नौसैनिक एयरफील्ड एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, संयुक्ता उन्नयन, चौकसी रेडार तत्व के लिए एएमसी, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, कमांडर थर्मल इमेजिंग साइट, सोनार, शक्ति पीएच III आदि जैसे प्रमुख कायदिश शामिल हैं ।

वित्त

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 340% की तुलना में 280% के लाभांश की घोषणा की है । वर्ष 2018-19 के लिए रु. 41,422 लाख (170%) के अंतिम लाभांश, जिसे 2019-20 में भुगतान किया गया था, के अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 34,112 लाख (140%) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया ।

आगामी वर्षों में अनुमानित प्रगति हासिल करने के लिए, आपकी कंपनी द्वारा कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य करते हुए ध्यान-केंद्रित पहल की गई है जिनमें अच्छी प्रगति हो रही है और इन परियोजनाओं के परिणाम से कंपनी को कुल कारोबार और प्रगति की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी । ग्राहकों के पास बजट संबंधी कुछ समस्या होने के बावजूद, आपकी कंपनी आंतरिक संग्रहणों से सभी वृद्धिशील कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रही है। कंपनी ने अपनी कैपेक्स संबंधी आवश्यकताओं का वित्त-पोषण करने के लिए रु. 10,000 लाख का मीयादी ऋण प्राप्त किया है जिसमें से यथा 31 मार्च 2020 को रु. 833 लाख बकाया है। आपकी कंपनी ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों उधार के संबंध में आई.सी.आर.ए. द्वारा सर्वोच्च रेटिंग बनाए रखा है।

यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी की वस्तुसूची की स्थिति (निवल) रु. 396,275 लाख रही, जो 31 मार्च 2019 को रु. 4,45,479 लाख थी । यह 31 मार्च 2020 को 117 दिनों के उत्पादन मूल्य के समक्ष पिछले वर्ष में 136 दिनों में परिकलित होता है । यह कमी गहन निगरानी नियंत्रण के कारण संभव हो सका है ।

यथा 31 मार्च 2020 को व्यापार प्राप्यों की स्थिति (निवल) रु. 673,291 लाख रही जो 31 मार्च 2019 को रु. रु. 536,921 लाख थी। यह, पिछले वर्ष के दौरान 166 दिनों के कुल कारोबार की तुलना में 31 मार्च 2020 तक 195 दिनों के कुल कारोबार में परिकलित होता है । व्यापार प्राप्यों में यह वृद्धि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अधिक कुल कारोबार के कारण संभव हो पाया है ।

जमा राशियाँ

कंपनी में फिलहाल कोई सार्वजनिक जमा योजना नहीं है । बहरहाल, यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी के पास पिछली परिपक्व सार्वजनिक जमा राशि (फरवरी 2006 से पहले संग्रहित) रु. 36.95 लाख की है। इन 34 जमा राशियों में से, रु. 36.50 लाख की राशि का दावा नहीं किया गया या अदा नहीं किया गया है क्योंकि ये राशियाँ कर्नाटक लोकायुक्त के निर्देश पर अवरोध कर दी गई हैं । यथा 31 मार्च 2020 को रु. 0.45 लाख की शेष परिपक्व जमा राशियाँ जमाकर्ताओं द्वारा पर्याप्त दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण अदत्त हैं ।

अनुसंधान व विकास

कंपनी का आर एंड डी सिद्धांत अनुसंधान और विकास के माध्यम से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य चुने हुए क्षेत्रों के उत्पादों / सेवाओं में अपने पूर्व-प्रतिष्ठा को बढ़ाना है । कंपनी का आर एंड डी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के साथ निर्मित नए उत्पादों के विकास का प्रयास करता है । ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करते हुए, कंपनी द्वारा विकसित उत्पाद अत्याधुनिक, प्रतिस्पर्धी और सर्वोच्च गुणतायुक्त हैं ।

कंपनी ने तीन स्तरीय आर एंड डी संरचना नामत: केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सीआरएल), केंद्रीय उत्पाद डिज़ाइन और नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) और अपनी विभिन्न यूनिट / एसबीयू के साथ संबद्ध डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग (डी एंड ई) स्थापित किया है। बेंगलूरु और गाज़ियाबाद स्थित केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं (सीआरएल) में बीईएल के प्रमुख प्रौद्योगिक क्षेत्रों में भविष्यगामी अनु. व वि. कार्य किए जाते हैं और यहाँ एसबीयू / यूनिटों के प्रयोग में आने वाले प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किए जाते हैं । बेंगलूरु स्थित पीडी एंड आईसी में रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग, आर.एफ. और माइक्रोवेव कंपोनेंट, ऊर्जा समाधान, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स और लेज़र, एन्क्रिप्शन मॉड्यूल, एमएमआईसी, एंबेडेड सिस्टम आदि के क्षेत्र में सामान्य प्रौद्योगिकी के मॉड्यूल, उप-प्रणालियाँ और उत्पाद विकसित किए जाते है जिनका उपयोग प्रमुखता के साथ एसबीयू / यूनिटों द्वारा किया जाता है । एसबीयू / यूनिटों के डी एंड ई ग्रूप अंतिम प्रयोक्ताओं को सिस्टम और सिस्टम ऑफ सिस्टम समाधान प्रदान करते हैं । इसके लिए, उन्हें सीआरएल, पीडी एंड आईसी और सहयोगी अनुसंधान एवं विकास भागीदारों के माध्यम से विकसित आवश्यक तकनीकी मॉड्यूल और उप प्रणाली प्राप्त होते हैं । वे इन प्रणालियों को सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया में आवश्यक सभी मूल्यांकन और परीक्षण करते हैं । वे उत्पाद के संपूर्ण जीवन-चक्र के दौरान तकनीकी सहायता भी देते हैं और अप्रचलन प्रबंधन का भी ध्यान रखते हैं ।

2019-20 में शुरु की गई डी एंड ई परियोजनाएं- वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थागत विकास और सहयोगात्मक प्रयास (मुख्य रूप से डीआरडीओ के साथ) के माध्यम से विभिन्न आर एंड डी परियोजनाएं शुरु की गईं । वर्ष 2019-20 में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं हैं आकाश प्राइम, आईआरएसटी का विकास, 2-वाहन रोहिणी, लंबी दूरी की सतह से हवाई मिसाइलों का विकास, स्वदेशी एएसआर-एमएसएसआर का विकास, उच्च शक्ति का रेडार, ईसीएम जैमर एमके III, एमकेIIए एमएसएसआर और सक्रिय प्रावस्था ऐरे आधारित विन्यास-योग्य सामरिक चौकसी रेडार ।

वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यान्वित डी एंड ई परियोजनाएं- वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यान्वित / पूरी की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं - बीईएल का स्वदेशी एसओसी, एमआरसैम के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, सब 1एम केयू-बैंड मैनपाक सैटकॉम टर्मिनल, डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर (तरंग एमके- II), डीएफसीसी एमके1ए प्रोटोटाइप, एसडीआर-टीएसी, सीएमएस15, उषस-2 और नौसेना के लिए एएसआर और एमएसएसआर के एनसी एनसी के प्रायोगिक परीक्षण का समापन ।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण आर एंड डी पुरस्कार / मान्यताएँ हैं – आर एंड डी के लिए भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड और श्री विकास नेगी, प्रबंधक, गाज़ियाबाद यूनिट द्वारा जीता गया आईईटीई का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार।

बीईएल ने निम्नलिखित को समय पर पूरा करते हुए आर एंड डी से संबंधित एमओयू के सभी मापदंडों को पूरा किया है-

- सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) का स्वदेशी विकास और ग्राहकों को पेश करना
- रेडार एप्लिकेशन के लिए स्वदेशी एक्स बैंड एलएनए एमएमआईसी का विकास और मूल्यांकन / क्षेत्र परीक्षणों के लिए इसे डीआरडीओ को प्रस्तुत करना ।
- चार एआई सक्षम परियोजनाओं को पूरा करना (वस्तु संसूचना और ट्रैकिंग का "प्रूफ ऑफ कंसेप्ट", सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण- विकास, परीक्षण और प्रथम आदेश प्राप्त करना, रोबोटिक चौकसी प्लैटफॉर्म- विकास, परीक्षण और प्रथम आदेश प्राप्त करना, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चेहरा पहचान-विकास, परीक्षण और उसका बिल तैयार करना)
- कांपैक्ट गन फायर कंट्रोल सिस्टम का एकीकरण और तैयारी करना और प्रायोगिक परीक्षण के लिए ग्राहक को पेश करना
- एलटीई आधारित आवश्यकता अनुरूप eNodeB सिस्टम की तैयारी और प्रायोगिक परीक्षण के लिए ग्राहक को पेश करना

बीईएल ने शैक्षणिक संस्थानों / स्टार्टअप के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाओं की सुविधा के लिए आईआईटी-मद्रास में एक रिसर्च पार्क की स्थापना की । बीईएल ने कोचिन में एक शोध प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है जो वर्तमान में साइड स्कैन सोनारों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थागत / सहयोगी विकास प्रयासों के माध्यम से विकसित नए उत्पाद निम्नलिखित हैं-

1. **वेपन लोकेटिंग रेडार (डब्ल्यूएलआर) निर्यात संस्करण-** वेपन लोकेटिंग रेडार मिसाइल बैटरी, मोर्टार, गन, रॉकेट लॉचर का पता करने और मैत्रीपूर्ण गनों, रॉकेटों और बैटरियों के फायर के दिशा का मार्गदर्शन करने वाली फील्ड तोपखाना रेडार प्रणाली है । कंपनी द्वारा इसका विकास डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से किया गया है और निर्यात के लिए अनुकूलित किया गया है।
2. **जहाज से तट की संचार प्रणाली -** यह परियोजना अत्याधुनिक मल्टी-लेयर आईपी आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) संचार प्रणाली है, जिसमें विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ वास्तविक समय में जहाज से तटीय टर्मिनल तक मिशन-क्रिटिकल डेटा, आवाज और वीडियो के परिवहन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑन द मूव (एसओटीएम) की क्षमता है ।
3. **आकाश एनजी की प्रणालियाँ -** आकाश-एनजी के लिए संचार उपकरण और नेटवर्क सहित मल्टी-फंक्शन रेडार, कमान नियंत्रण यूनिट का विकास कंपनी द्वारा डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से किया गया है।
4. **डिजीटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर (डीएफसीसी) के लिए डिप ब्रेज़्ड चेसिस-** अब तक डीएफसीसी के चेसिस का आयात किया जाता था । इसमें फ्रंट पैनल में लगाए जाने वाले एयरक्राफ्ट इंटरफेस कनेक्टर (24 सं.) होते थे, जो विमान पर / से डीएफसीसी को असेंबल करना और अलग करना श्रमसाध्य और समय की खपत वाली प्रक्रिया बनाते थे । नई और स्वदेशी रूप से अभिकल्पित चेसिस 1 एटीआर चेसिस है और इसमें रियर पैनल में कनेक्टर है, जो विमान पर / से असेंबल करने और अलग करने की प्रक्रिया को आसान कर देता है ।
5. **युद्धक्षेत्र चौकसी प्रणाली अत्युच्च क्षेत्र (बीएसएस एचएए)-** बीएसएस एचएए एक मोबाइल, स्वचालित चौकसी प्रणाली है जो प्रभाग और सेना के स्तर पर सभी युद्धक्षेत्र चौकसी उपकरण/ सेंसर से इनपुट को एकीकृत करने में सक्षम है और कमांडर को निर्णय लेने में सहायक युद्धक्षेत्र का परिदृश्य का निर्माण करने के लिए उनकी सत्यता की पुष्टि, दोहराव को रोकने, अन्य इनपुट और डेटाबेस के साथ उन्हें फ़्यूज़ करना है । बीएसएस का यह संस्करण अत्युच्च क्षेत्रों में प्रचालन के लिए विकसित किया गया है ।

6. **सीडीएमए आधारित बेतार संप्रेषण प्रणाली-** सीडीएमए आधारित बेतार संप्रेषण प्रणाली लिंक भूतल से हवा संचार के लिए एक लंबी दूरी का बेतार संप्रेषण लिंक है । बेतार संप्रेषण लिंक भू-आधारित ट्रांसमीटर स्टेशनों से एयरबोर्न रिसीवर सिस्टम तक एक तरफ़ा अपलिंक प्रदान करता है । यह संप्रेषण लिंक 450 कि.मी. की दूरी सुकर बनाता है।

7. **सॉफ्टवेयर निर्देशित रेडियो (एसडीआर)-टीएसी-** एसडीआर-टीएसी एक मल्टी-मोड, मल्टी रोल और मल्टी-चैनल सॉफ्टवेयर निर्देशित रेडियो है जिसमें नेटवर्क-केंद्रित युद्ध प्रचालन की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवाज और डेटा प्रचालन दोनों शामिल हैं । इस रेडियो का विकास कंपनी द्वारा डीआरडीओ के साथ मिलकर किया गया है जिसे जहाज और तट दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार आवृत्ति बैंड के विभिन्न संयोजनों के लिए विन्यास किया जा सकता है । यह नैरोबैंड और वाइडबैंड बिंदु से बिंदु और नेटवर्क संचार दोनों प्रदान करता है ।

8. **मिसाइल डाटा लिंक यूनिट (एमडीयूएल) एमके II-** एमडीएलयू एमके II वर्धित दूरी के साथ एमडीएलयू का उन्नत वर्शन है ।

9. **ट्रैनर विमान के लिए आर118-** यह एक रेडार वार्निंग रिसीवर (आरडब्ल्यूआर) जिसे डीएआरई द्वारा डिजाइन किया गया और कंपनी द्वारा मूल रूप से लड़ाकू विमान में उपयोग के लिए निर्मित किया गया है । मूल आर 118 को ट्रैनर विमानों पर उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है ।

10. **टेदर्ड अनमैन्ड एरियल विहाइकल-** टेदर्ड अनमैन्ड एरियल विहाइकल (टीयूएवी)- 'पतंग' जिसमें ईओ सेंसर पेलोड होते हैं, का उपयोग दिन और रात की हवाई चौकसी के लिए किया जाता है । ज़मीन से बिजली प्राप्त करते हुए, इस सिस्टम का 24X7 प्रचालन किया जा सकता है । टीएयूवी को 100 मी. ऊँचाई तक लगाया जा सकता है और भू नियंत्रण स्टेशन से दिन/रात कैमरे को नियंत्रित किया जा सकता है । इस प्रणाली का विकास शिक्षा जगत की साझेदारी से किया गया है ।

11. **हैंड हेल्ड फंक्शन सिग्नल जनरेटर-** यह क्षेत्र में तैनात विभिन्न प्रकार के आरडब्ल्यूआर सिस्टम की गो-नो गो परीक्षण के लिए पोर्टेबल और पूरी तरह प्रोग्राम करने योग्य उपकरण है ।

12. **नौसैनिक एयरफील्ड एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (एनएआईएसएस)-** यह नौसेना के वायु स्टेशनों की परिधि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विकसित की गई प्रणाली है । इसमें एक एंटी-क्लाइम्बिंग फेंस, ड्रेन डिटेक्शन इंट्रूज़न सिस्टम, एक सीसीटीवी नेटवर्क और वाहन के भीतर की चौकसी शामिल हैं।

13. **एकीकृत परिधि सुरक्षा प्रणाली (आईपीएसएस) –** यह भारतीय वायुसेना के लिए विकसित प्रणाली है । इसमें एक स्मार्ट फेंस, चौकसी प्रणाली, थर्मल कैमरा, मोशन डिटेक्टर और एक केंद्रीय नियंत्रण और कमांड सेंटर शामिल हैं।

14. **वरुणास्त्र ध्वनिक प्रणाली (वीएएस)-** वरुणास्त्र भारत का पहला स्वदेशी भारी वजन वाला टॉरपिडो है, जिसकी डिज़ाइन एनएसटीएल (डीआरडीओ प्रयोगशाला) द्वारा और विकास इसे बीईएल द्वारा किया गया है । यह पनडुब्बियों के विरुद्ध जहाज़ का "फायर और फोरगेट" प्रकार का हथियार है । वीएएस टॉरपिडो का मूलभूत इलेक्ट्रॉनिक है ।

15. **भरणी एमके- II रेडार-** यह एक कॉम्पैक्ट, निम्न स्तरीय, हल्का सोलिड-स्टेट 2डी चौकसी रेडार है । इसकी डिज़ाइन और विकास कंपनी द्वारा एलआरडीई, डीआरडीओ के साथ किया गया । इसमें दुश्मन के हवाई जहाजों की पहचान के लिए मोड-एस क्षमता के साथ एक अभिन्न आईएफएफ एमके XII है ।

16. **आरएएन 40एल के लिए आईएफएफ एमके- XII(एस)-** मित्र और शत्रु को पहचानने वाले इन्टेरोगेटर की डिज़ाइन भारतीय नौसेना के लिए की गई है । इसमें ऑपरेशन के छह अलग-अलग मोड और 450 कि.मी. की यंत्रीकृत दूरी होती है। इसमें मोनो पल्स क्षमता भी मौजूद है ।

17. **उन्नत टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम (एटीडीएस) मारीच-** यह एएसडब्ल्यू और गैर- एएसडब्ल्यू प्लेटफार्मों पर विंटेज और आधुनिक टॉरपीडो के खिलाफ रक्षा करने की एक व्यापक प्रणाली है । एटीडीएस सिस्टम को डीआरडीओ प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसे बीईएल द्वारा निर्मित किया गया है । एटीडीएस सिस्टम में एटीडीएस सोनार और एटीडीएस एफसीएस (फायर कंट्रोल सिस्टम) होते हैं।

18. **स्वदेशी केयू बैंड एसओटीएम-** सैटेलाइट ऑन द मूव में एक 3 एक्सिस स्टैबिलाइज्ड एंटेना सिस्टम है जो वाहन के चलते समय और उच्च गति का कसंचार प्रदान करते समय भी उपग्रह को ट्रैक करने के लिए वाहन पर लगाया जाता है। यह चलते वाहन पर आवाज, वीडियो और डेटा क्षमताएं प्रदान करता है। इस सिस्टम में अंत:निर्मित जीपीएस और आईएमयू होता है जो बीकन ट्रैकिंग की सहायता से परिमार्जन करने के साथ चुने गए उपग्रह को स्वत:निर्धारित करता है। यह विभिन्न सैन्य और वाणिज्यिक वाहनों पर लगाया जाता है ।

19. **एनएफएस उपग्रह टर्मिनल-** एनएपएस उपग्रह टर्मिनल एनएफएस नेटवर्क के लिए विकसित किया गया । एनएफएस अखिल भारतीय नेटवर्क है जिसमें जियो रेडंडेंट हब, स्टेटिक और सूटकेस आधारित टर्मिनल हैं । यह लगभग 164 स्थानों पर एनएफएस स्थलीय नेटवर्क के लिए बैकअप के रूप में कार्य करता है, जबकि यह 55 साइटों पर संचार का एक प्राथमिक

माध्यम है जहां एनएफएस स्थलीय कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। एनएफएस उपग्रह टर्मिनल आवाज़, वीडियो और डाटा सेवा प्रदान करता है ।

20. **भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) रिसीवर,** जिसे नैविक (नेविगेशन इन इंडियन कांस्टेलेशन) के रूप में भी जाना जाता है, को इसरो द्वारा की गई डिज़ाइन के आधार पर कंपनी द्वारा विकसित किया गया है । यह आउटपुट के रूप में नेविगेशनल मापदंड (अक्षांश, देशांतर और ऊँचाई) और समय की जानकारी प्रदान करता है । वर्तमान संस्करण में एसपीएस (स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस) मोड में काम करने के लिए रिसीवर को विकसित किया गया है । टाइमिंग सर्वर को नैविक रिसीवर का उपयोग करके भी डिज़ाइन किया गया है, जिसका उपयोग एक नेटवर्क को सटीक समय की जानकारी उत्पन्न करने और प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है जिसे सिंक्रनाइज़ करना होता है।

21. **एसएचएआर के लिए एमडब्ल्यूआईआर (मिड वेव इंफ्रा-रेड) साइट-** सैटेलाइट लॉन्च विहाइकल को ट्रैक करने के लिए आयातित कैमरे के प्रतिस्थापन के रूप में एसएचएआर केंद्र / इसरो के लिए स्वदेशी एमडब्ल्यूआईआर साइट विकसित की गई है । यह प्रणाली सैटेलाइट लॉन्च वाहन के 1200 किलोमीटर की दूरी तक स्पष्ट आईआर सिग्नेचर का उत्पादन करने में सक्षम है ।

22. **सुदूर प्रचालित चौकसी विहाइकल (एसआरओवी)-** चौकसी रोबोटिक प्लैटफॉर्म एक लघु, ट्रैक किया गया प्लैटफार्म है, जिसे गोपनीय रूप से चौकसी करने के लिए विकसित किया गया है । इसका विकास पुणे के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर्स) की डिजाइन के आधार पर किया गया है । यह आतंकवादियों या आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान चौकसी करने के लिए इमारतों के भीतर लगाया जा सकता है । यह वास्तविक समय में वीडियो फीडबैक देने में सक्षम है ।

भावी कार्य योजना- बीईएल की योजना अपने ग्राहकों की निरंतर उभरती आवश्यकताओं के साथ-साथ विविधीकरण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर एंड डी में निवेश जारी रखने की है । शिक्षा जगत और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ इस सहयोग को मजबूत किया जाएगा, जबकि स्वामित्व प्रौद्योगिकियों के लिए लॉक-इन की चुनौतियों को दूर करने के लिए संस्थागत विकास करने पर ज़ोर दिया जाएगा । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, आईओटी, रोबोटिक्स, ड्रोन और उनके पेलोड और विभिन्न ईडब्ल्यू तकनीक कंपनी का फोकस बनी रहेंगी । कंपनी भर में विकसित किए जा रहे उत्पादों और समाधानों में इन प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित किया जाएगा । इसके अलावा, एसओसी आधारित उत्पाद, ई.वी. बैटरी का विकास, ई-गवर्नेंस परियोजनाएं और कई अन्य विकास कार्य किए जाएंगे ।

संस्थापित नई सुविधाएं

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने के हमारे प्रयास में, सभी यूनिटों / एसबीयू में विशिष्ट समूह वैश्विक बाज़ार में प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को लगातार स्कैन कर रहे हैं जो अधिग्रहण के लिए नई प्रक्रियाओं की पहचान कर रहे हैं । वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण, परीक्षण उपकरण, आर एंड डी निवेश, बुनियादी ढांचे के उन्नयन आदि के लिए कैपेक्स निवेश के हिस्से के रूप में रु.51,297 लाख खर्च किए हैं ।

वर्ष के दौरान संस्थापित कुछ प्रमुख सुविधाएं निम्नलिखित हैं-

- उत्पाद विकास और नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) का उद्घाटन बेंगलुरु यूनिट में माननीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया ।
- नवी मुंबई यूनिट में माननीय रक्षा राज्य मंत्री द्वारा सम्मिश्र सामग्री, पर्यावरण परीक्षण और परिष्करण के लिए नई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा ।
- बीईएल, हैदराबाद यूनिट में नई उत्पादन इमारत।
- बीईएल, बेंगलूरु यूनिट में सेक्योर ट्रिपल प्ले सर्विस
- बीईएल कोटद्वार यूनिट में 60 टीआर चिलर्स के साथ 2100 लिटर क्लैमेटिक चैंबर ।

बीईएल में सैप कार्यान्वयन और अन्य आईटी पहलें-

सैप में कर्मचारी संबंधी सेवाओं के स्वचालन के लिए विभिन्न नई प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं । ओयो होटल बुकिंग से लेकर भुगतान तक और ओला बुकिंग से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया सैप के साथ एकीकृत की गई है । बीईएल के लिए व्यापक साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) को सीईआरटी-इन के दिशानिर्देशों और लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी के मुद्दों को कवर करने के अनुरूप लागू किया गया है । सीसीएमपी में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालने वाली दुर्भावनापूर्ण साइबर से संबंधित घटनाओं को कम करने और उनसे उभरने के लिए त्वरित पहचान, सूचना विनिमय, तेजी से प्रतिक्रिया और निदानात्मक उपाय करने हेतु एक समन्वित, बहु-विषयक और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए साइबर संबंधी घटनाओं से निपटने की नीति निर्धारित की गई है ।

सीसीएमपी के हिस्से के रूप में, इंटरनेट अवसंरचना पर ट्रैफिक निगरानी के लिए केंद्रीकृत इंटरनेट गेटवे और सुरक्षा प्रचालन केंद्र (एसओसी) है । सेटअप में इंट्रूशन रोकथाम सुविधा, नेटवर्क डाटा लीकेज रोकथाम, एंटी-अड्वांसड पेंरसिस्टेंड त्रेट सहित अगली पीढ़ी फायरवॉल शामिल हैं । घटना की निगरानी, सतर्कता, ट्रैकिंग, प्रतिक्रिया और बंद करने के लिए सुरक्षा सूचना और इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) लागू किया गया है ।

सभी यूनिटों की नेटवर्क परिसंपत्तियों के केंद्रीकृत प्रबंधन और निगरानी के लिए, वैन और लैन के लिए नेटवर्क निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) टूल को आईएस विभाग में केंद्रीय रूप से स्थापित किया गया है । टूल सभी यूनिटों में नेटवर्क आउटेज की आसान समस्या निवारण, महत्वपूर्ण उपकरणों की आवधिक बैकअप, नियमित स्वास्थ्य जांच, सक्रिय निगरानी और ऐतिहासिक रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीकृत टोपोलॉजी प्रदान करता है ।

गुणता

गुणता, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष बीईएल के कारोबारी पहल के तीन मार्गदर्शी स्तंभ हैं । गुणता इनमें से प्रथम स्तंभ है, जिस पर कंपनी सर्वाधिक ध्यान देती है। गुणता, पहला स्तंभ होने के नाते, कंपनी के लिए केन्द्रित क्षेत्रों में से एक रहा है। ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणता बढ़ाने के लिए उत्पाद अभिकल्प, समय पर सुपुर्दगी, प्रक्रिया में लगने वाला समय, साख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण (एसपीसी), गुणता नियंत्रण ग्राहक सेवाएं आदि से संबंधित निष्पादन में सुधार के लिए गुणता की पहल की गई है ।

कंपनी विश्व स्तरीय गुणता प्रणाली के अनुरूप प्रक्रियाओं के जरिए अपनी गतिविधियों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है । सभी यूनिट / रणनीतिक कारोबार यूनिट (एसबीयू) / सामान्य सेवा ग्रूप (सीएसजी) को गुणता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमसी) का ISO 9001 प्रमाणीकरण प्राप्त है । कंपनी की तेरह यूनिटें / एसबीयू ने अपने क्यूएमएस से एयरोस्पेस मानक, AS 9100D तक अपग्रेड की है । कंपनी की सभी यूनिटें ISO 14001 प्रमाणीकरण के ज़रिए पर्यावरण प्रबंध प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध हैं । गाज़ियाबाद यूनिट ने अपने ओएचएसएएस को आईएसओ 18001 से आईएसओ 45001 तक अपग्रेड की है । इन सभी प्रबंधन प्रणालियों को लक्षित समय-सीमा के भीतर अद्यतन वर्शनों के साथ संशोधित किया गया है । कंपनी के सात यूनिटें / एसबीयू / प्रभाग सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली आईएसएमएस आई.एस.ओ. 27001 से प्रमाणित हैं ।

बेंगलूरु कॉमप्लेक्स, गाज़ियाबाद और पंचकूला यूनिटों के परीक्षण उपकरण अंशांकन एवं अनुरक्षण विभाग आईएसओ/आईईसी 17025 मानक के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला एवं प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रमाणित है । बेंगलूरु कॉमप्लेक्स का बीईएल सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र सीएमएमआई स्तर 5 से प्रमाणित है । डी एंड ई-नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम और सीआरएल-गाज़ियाबाद, चेन्नै, हैदराबाद यूनिट सीएमएमआई स्तर 3 से प्रमाणित है ।

बीईएल में वर्ष 2002 से ईएफक्यूएम (गुणता प्रबंधन का यूरोपियन फाउंडेशन) मॉडल का पालन किया जा रहा है । वर्ष 2019-20 के दौरान, गाज़ियाबाद और हैदराबाद यूनिट ईएफक्यूएम मॉडल पर आधारित सीआईआई एक्सिम प्लैटिनम पुरस्कार प्राप्त किया ।

उत्पादों और प्रक्रियाओं में लगातार सुधार विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है, ऐसा एक दृष्टिकोण है 'सिक्स सिग्मा पद्धति' । कनिष्ठ और मध्यम स्तर के कार्यपालक सुधार लाने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से सिक्स सिग्मा परियोजनाएं चुनते हैं ।

वर्ष के दौरान, विभिन्न यूनिटों से 24 वरिष्ठ कार्यपालकों को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, बेंगलूरु द्वारा सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के रूप में प्रशिक्षित किया गया । ये ब्लैक बेल्ट अपने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स में ग्रीन बेल्ट के अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हैं । वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 495 सिक्स सिग्मा परियोजनाएं पूरी हुई हैं । इसमें से 31 सिक्स सिग्मा परियोजना को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में नामांकित किया, 15 परियोजनाओं को क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए और 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय चैंप्यनशिप पुरस्कार प्राप्त किए हैं ।

कंपनी ने गूणता नियंत्रण सर्कल (क्यूसीसी) के माध्यम से गुणता आंदोलन में गैर-कार्यपालकों की भागीदारी की सुविधा प्रदान की है । वर्ष 2019-20 के दौरान, विभिन्न क्यूसीसी द्वारा 761 क्यूसीसी प्रस्तुतियाँ दी गई । कई क्यूसीसी सर्कल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नामित किए गए थे और सभी को विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए चुना गया । टोक्यो, जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, आईसीक्यूसीसी 2019 में नवी मुंबई यूनिट से एक क्यूसीसी टीम ऊर्जा ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और "गोल्ड अवार्ड" जीता ।

गुणता सुधार का एक अन्य दृष्टिकोण सुझाव योजना के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें गैर-कार्यपालकों से प्रबंधक तक के कर्मचारी द्वारा सुझाव दिए जाते हैं और उनके इन सुझावों के कार्यान्वयन पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 4244 सुझाव पुरस्कृत हुए थे । चयनित बीईएल कर्मचारियों ने भारतीय राष्ट्रीय सुझाव योजना एसोसिएशन (आईएनएसएसएएन) द्वारा आयोजित 30 वें राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग लिया । वर्ष के दौरान, बेंगलूरु कॉमप्लेक्स को इंजीनियरिंग उद्योग श्रेणी के तहत आईएनएसएसएएन द्वारा आयोजित "एक्सेलेंस इन सजेशन स्कीम कोंटेस्ट- 2018-19" के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया ।

कंपनी ने अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी (एएसक्यू) द्वारा विश्वसनीयता पर वैश्विक प्रमाणन का "प्रमाणित विश्वसनीयता इंजीनियर (सीआरई)" के लिए डी एंड ई इंजीनियर्स को नामांकित किया है । वर्ष के दौरान, 35 डी एंड ई इंजीनियरों को सीआरई के लिए प्रमाणित किया गया है । कंपनी ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा डिजाइन और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट (डीएफएसएस-जीबी) प्रमाणन के लिए भी डी एंड ई इंजीनियर्स को नामित किया है । वर्ष के दौरान 59 डी एंड ई इंजीनियर्स को "डीएफएसएस ग्रीन बेल्ट्स" के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

वर्ष के दौरान, विभिन्न एसबीयू / यूनिट में 43 प्रचालन स्तर के गुणता इंजीनियर को एएसक्यू द्वारा "प्रमाणित गुणता इंजीनियर (सीक्यूई)" के रूप में प्रमाणित किया गया है । वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए एएसक्यू द्वारा गुणता और संगठनात्मक उत्कृष्टता (सीएमक्यू एंड ओई) के लिए प्रमाणित प्रबंधक कार्यक्रम 13 वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भी आयोजित किया गया ।

7 प्रमुख कारोबार प्रक्रियाओं में उत्तम निष्पादित यूनिट/एसबीयू के लिए गुणता अभिज्ञान पुरस्कार (क्यूआरए) से पुरस्कृत किया जाता है। पंचकूला यूनिट, एमआर एसबीयू और ईडब्ल्यू एंड ए एसबीयू को यथाक्रम प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

परियोजना प्रबंधन की संस्कृति को समझाने के लिए, परियोजना प्रबंधन पेशेवर (पीएमपी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । वर्ष के दौरान 65 पीएमपी को परियोजना प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) द्वारा प्रमाणित किया गया ।

इस वर्ष, कंपनी ने पीडीसीए दृष्टिकोण के साथ अंतिम प्रयोक्ता तक निष्पादन के माध्यम से आदेश देने वाले एजेंसियों से ग्राहकों का समग्र धारणाओं को समझने के लिए एकीकृत ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया । निर्यात उत्पाद गुणता लेखा परीक्षा प्रक्रिया को संस्थागत किया और लेखा परीक्षा मैनुअल जारी किया गया । क्यूएमएस, ईएमएस, आईएसएमएस और ओएचएसएएस के लिए आंतरिक लेखा-परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए सैप मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया जाता है ।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी में 31 मार्च, 2019 को 9,612 कार्मिकों के समक्ष यथा 31 मार्च 2020 को 9,279 कार्मिक नियोजित थे । इनमें से यथा 31 मार्च 2020 को 4,973 अभियंता/ वैज्ञानिक और 1,991 महिला कर्मचारी थे । वर्ष के दौरान कुल 29 कर्मचारियों को नियुक्त किए गए । वर्ष के दौरान अ.जा. के 3 कर्मचारी, अ.ज.जा. के 1 कर्मचारी, अ.पि.व. के 6 कर्मचारी तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 4 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई ।

कंपनी आरक्षण से संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती आ रही है । यथा 31 मार्च, 2020 को अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य वर्ग के कर्मचारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

कर्मचारियों का वर्ग	कार्यपालक		गैर-कार्यपालक	
	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'क'	समूह 'ख'
अनुसूचित जाति	1035	28	566	33
अनुसूचित जनजाति	349	12	132	21
अ.पि.व.	1297	37	791	37
भूतपूर्व सैनिक	87	1	261	50
दिव्यांग	94	5	115	2

तकनीकी, कार्यशील, प्रबंधन एवं नेतृत्व के क्षेत्रों में सक्षमताएँ बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए । कार्यपालकों के विभिन्न ज़रूरतों में पदोन्नत होने के साथ-साथ विकसित होने वाली उनकी प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ संरचित कार्यपालक विकास कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए गए । वर्ष के दौरान मानव संसाधन संबंधी विशिष्ट पहलों पर विस्तृत लेख प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में अलग से दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनता है ।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

हमारी कंपनी एक ऐसी नियोक्ता है जहाँ सभी को समान अवसर दिए जाते हैं तथा ऐसा कार्य वातावरण बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं जहाँ सभी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न, (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया गया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेधाज्ञा तथा निवारण नीति को कंपनी के इन्ट्रानेट पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सेवा उपलब्ध कराने वाली महिलाओं सहित स्थायी, अस्थायी या ठेके पर कार्यरत सभी महिलाएँ इस नीति में शामिल होती हैं ।

कार्पोरेट कार्यालय सहित सभी नौ यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई । कर्मचारियों को जागृत करने और कार्यस्थल में उनके सहकर्मियों की मर्यादा बनाए रखने, विशेषकर यौन उत्पीड़न के निवारण के संबंध में कंपनी भर में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। यौन उत्पीड़न से संबंधित दाखिल की गई शिकायतों, वर्ष के दौरान निपटाई गई और लंबित शिकायतों को ब्यौरे, जो इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में कारोबारी जिम्मेदारी रिपोर्ट में दिए गए हैं ।

पुरस्कार और प्रशस्तियाँ

आपकी कंपनी ग्राहकों की सुदृढ़ अंतर्दृष्टि और देश भर में ग्राहकों के साथ जुड़ने की क्षमता के आधार पर, अपने उत्पादों की गुणता और नवोन्मेष के लिए लगातार विश्वसनीय संगठन बनी हुई है । वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्न पुरस्कार और प्रशस्तियाँ प्राप्त किए हैं-

- जमनालाल बजाज न्यायोचित कारोबार पद्धति का पुरस्कार
- दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट पत्रिका द्वारा भारत का श्रेष्ठ पीएसयू पुरस्कार 2018

- डिजिटल भारत पुरस्कार 2019
- कर्नाटक राज्य निर्यात उत्कृष्ट पुरस्कार
- आर एंड डी, प्रचालनात्मक निष्पादन और एचआर के लिए आईसीसी पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार
- आईपीसी प्रथम भारत पुरस्कार
- सीआईआई एक्सिम बैंक कारोबार उत्कृष्टता पुरस्कार में गाज़ियाबाद और हैदराबाद यूनिट के लिए प्लैटिनम स्तर की मान्यता
- 'निर्यात और सीएसआर में उत्कृष्टता' के लिए वायुयान और रक्षा पुरस्कार
- अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए गवर्नेंस नाउ पुरस्कार

वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ -

- कंपनी ने कोविद 19 महामारी के कारण चालू संकट के बावजूद वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 12,608 करोड़ से अधिक का अब तक का सर्वाधिक कुल कारोबार किया है
- बीईएल ने यूएसडी 48.59 मिलियन का निर्यात कारोबार किया है (प्रमुख मदें- वेपन लोकेटिंग रेडार (डब्ल्यूएलआर)- अरमेनिया, कोंपैक्ट मल्टी-पर्पस एड्वांस्ड स्टेबिलाइसेशन सिस्टम (कोंपास), इलेक्ट्रो-मैकानिकल पार्टस, रेडार फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम (आरएफपीएस) आदि ।
- रु. 13,500 करोड़ का आदेश प्राप्त है (प्रमुख आदेश में आकाश, तटीय चौकसी फेस-II, संयुक्ता अपग्रेड, सॉफ्टवेयर निर्धारित रेडियो-नौसेना विन्यास (एसडीआर-एनसी), तटीय चौकसी प्रणाली (सीएसएस)-म्यांमर, चौकसी रेडार तत्व (एसआरई), रोहिणि आदि के लिए उत्पाद समर्थन और एएमसी हैं।)
- अंतरराष्ट्रीय खंड में एलआईजी एनईएक्स1 (कोरिया), लोखीड़ मार्टिन (यूएसए), एल्बिट (इस्राएल) जैसे वैश्विक कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी ।
- विभिन्न प्रौद्योगिकी/उत्पादों के विकास की दिशा में स्वदेशी खंड में इसरो, आईआईटी मद्रास, रैलटेल, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव लि., तेजस निटवर्क, टेक महिंद्रा आदि के साथ रणनीतिक साझेगारी ।
- आयुध निर्माणी, मुरदानगर (यूपी) में 2एमडब्ल्यू सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य शुरु किया गया ।

सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और संबद्ध संस्थान

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड (बेलॉप), इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के निर्माण कार्य में लगे हैं, जो पूर्ण रूप से बीईएल की सहायक कंपनी है । आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान बेलॉप के अधिकार निर्गमों में अभिदान करते हुए बेलॉप के इक्विटी शेयरों में रु.2,832.69 लाख (रु.143/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर रु. 100/- प्रत्येक के 11,65,716 इक्विटी शेयर) तक का अतिरिक्त निवेश किया है । बेलोप ने पिछले वर्ष के रु. 10,325 की तुलना में वर्ष के लिए रु. 3,721 का कारोबार किया है । कर पश्चात लाभ (पीएटी) पिछले वर्ष के रु. 1,418 की तुलना में वर्ष के लिए रु. 301 लाख का था ।

बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड (बीटीएसएल), सहायक कंपनी की स्थापना भारतीय और वैश्विक बाज़ार के लिए आसैनिक और चयनित सैनिक रेडारों का अभिकल्प, विकास, विपणन, आपूर्ति और समर्थन के लिए की गई थी । आपकी कंपनी बीटीएसएल में 74% इक्विटी पूँजी धारित करती है । बीटीएसएल ने पिछले वर्ष रु. 672 लाख की तुलना में वर्ष के दौरान रु. 4,056 लाख का कुल कारोबार किया है । कर पश्चात् लाभ (PAT) पिछले वर्ष की रु. 104 लाख की तुलना में इस वर्ष के लिए रु. 334 लाख था ।

सहायक कंपनी जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड (26% शेयर बीईएल द्वारा धारित) ने अच्छा कार्य-निष्पादन करना जारी रखी हुए है । यह कंपनी सीटी मैक्स और एक्स-रे ट्यूब का अन्य नवीनतम संस्करण का विनिर्माण करता है । जीई बीई प्रा. लि. ने पिछले वर्ष के रु. रु. 105,851 लाख की तुलना में इस वर्ष रु. 1,17,685 लाख का कुल कारोबार किया । कर पश्चात लाभ (पीएटी) पिछली वर्ष रु. 14,862 लाख की तुलना में इस वर्ष रु. 12,369 लाख था ।

रक्षा नवोन्मेष संगठन (डीआईओ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार एक 'लाभरहित' कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूँजी रु. 1 करोड़ है । इक्विटी की भागीदारी में बीईएल का 50% और एचएएल का 50% हिस्सा है । इस कंपनी की स्थापना रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से की गई है ।

कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधान जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में विवरणी जिसमें सहायक कंपनी/संबद्ध संस्थान/संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, वित्तीय विवरणियों में संलग्न की गई हैं ।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों के वित्तीय विवरण, आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ समेकित वित्तीय विवरण और सहायक कंपनियों से संबंधित अतिरिक्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in. पर उपलब्ध हैं ।

समेकित वित्तीय विवरण

आपकी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा संबंद्ध कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

सतर्कता

कंपनी के सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.), एक आईएएस अधिकारी हरियाणा कैडर (1991 बैच) द्वारा किया जाता है । स्थायी सर्तकता अधिकारी प्रत्येक यूनिट और एसबीयू में नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक यूनिट /एसबीयू में सर्तकता प्रशासन देखने के लिए सर्तकता समितियाँ गठित की गईं । यूनिट/एसबीयू के अध्यक्षों को सतर्कता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त कार्पोरेट कार्यालय में भी एक सर्तकता समिति गठित है जहाँ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष है तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी सदस्य सचिव है। सतर्कता विभाग का ज़ोर दिए जाने वाला क्षेत्र निवारणात्मक सतर्कता है और चालू वर्ष के दौरान इसी पर ध्यान केन्द्रित किया गया । सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद / उप ठेका ठेकों और संबंधित प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण संचालित करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच-पड़ताल करता है । कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन-देन के बारे में जाँच-पड़ताल करने हेतु सीवीओ को सूचित कर सकता है, जिसकी जांच कंपनी की शिकायत निवारण की नीति के अनुसार की जाती है। ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली प्रचालन में है । ऑनलाइन शिकायतों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर लॉग इन कर दर्ज कराया जा सकता है ।

वर्ष के दौरान 1,417 उच्च मूल्य क्रय आदेश/अनुबंध की समीक्षा की गई। पाँच आईई टीमों को गठित करते हुए सीटीई प्रकार के गहन परीक्षण की प्रक्रिया दोबारा निर्धारित की गई । 61 उच्च मूल्य प्रापण अनुबंध की गहन जांच की गई । फील्ड सतर्कता अधिकारियों द्वारा नियमित तथा आकस्मिक जाँच / निरीक्षण भी किए गए । वर्ष के दौरान, 30 शिकायतें जिनमें सीवीसी/एमओडी/सीबीआई द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई । कुल 37 शिकायतें जिनमें 5 शिकायतें सीवीसी/एमओडी/सीबीआई द्वारा संदर्भित थीं, को निपटाया गया । कुछेक मामलों जिनमें कमियाँ पाई गईं, में अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा सिस्टम/प्रक्रिया सुधार की सिफारिश की गई । 2 मामले, गाज़ियाबाद और बैंगलूर सीबीआई की जाँच के लिए लंबित है ।

वर्ष के दौरान, 896 कार्यपालकों तथा 254 गैर-कार्यपालकों को सतर्कता पर मूलभूत जागरूकता कार्यक्रम प्रदान की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत 79 कार्यपालकों और 34 गैर-कार्यपालकों का कार्य चक्रानुक्रम किया गया और इसका प्रतिशत कवरेज 80.7% है ।

सतर्कता विभाग को कंपनी के सतर्कता कार्य के लिए आईएसओ 9001/2015 प्रमाणीकरण जारी है ।

प्रौद्योगिकी आवर्धन पर सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सैप और कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में निम्नलिखित कार्य शुरु किए गए-

- ई-प्रापण - टीओटी प्रापण को छोड़कर प्रापण के लगभग 93% प्रतिशत, दीर्घावधि दर संविदा और दोहराए गए आदेश को ई-प्रापण के तहत शामिल किया गया।
- पूर्तिकर्ताओं का ऑनलाइन पंजीकरण ।
- पूर्तिकर्ता भुगतान सूचना प्रणाली ।
- पूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए ई-भुगतान/बैंक अंतरण की सुविधा ।
- संकर्म ठेकों, सेवा ठेकों, पूँजीगत मदों तथा गैर-उत्पादन मदों के संबंध में रु.10 लाख से अधिक मूल्य के प्रदत्त ठेकों / क्रय आदेशों के ब्यौरे वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।
- नामांकन / एकल निविदा आधार पर जारी रु.5 लाख से अधिक मूल्य के ठेकों / क्रय आदेशों के ब्यौरे वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।
- क्रय प्रक्रियाएँ, तथा संकर्म ठेका मैनुअल में संशोधन किए गए और वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं ।
- शिकायत निवारण नीति तथा सचेतक नीति वेबसाइट पर डाल दी गई है ।
- भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंध नीति तैयार की गई तथा कंपनी भर कार्यान्वित की गई । इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
- निष्क्रिय पूर्तिकर्ताओं को हटाने के बाद पूर्तिकर्ताओं की निर्देशिका, कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है ।
- कंपनी भर में फाइल लाइफ़ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (एफएलएम) कार्यान्वित किया गया है और इसमें कंपनी में बनाई गई कुल फाइलों में लगभग 99% फाइलें शामिल की गई हैं।

- एपीआर की ऑन लाइन फाइलिंग सैप में सभी कार्यपालकों के लिए लागू की गई और कार्यपालकों द्वारा सैप में एपीआर द्वारा फाइलिंग किया जा रहा है ।
- सतर्कता विभाग की मासिक और तिमाही रिपोर्ट सैप द्वारा बनाई गई है ।
- सतर्कता स्वीकृति सैप में समर्पित सतर्कता पोर्टल द्वारा स्वीकार की जाती है ।

सतर्कता स्थापना कंपनी के सभी लेन-देनों तथा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, न्यायसंगतता और समानता लाने के लिए कंपनी के सिस्टम और प्रक्रियाओं द्वारा जागरूकता पैदा करने तथा जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लगातार प्रयासरत है । वर्ष के दौरान किए गए कुछ मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं -

1) अक्तूबर/नवंबर 2019 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का आयोजन किया गया । प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विशेष संबोधन का आयोजन करते हुए यह सप्ताह मनाया गया । बाहरी कार्यकलापों के भाग के रूप में बेंगलूरु जिले के त्यामगोंड्लू गाँव में ग्रामसभा आयोजित की गई । बीईएल फैक्टरी के आस-पास स्थित स्कूलों और कॉलेजों के विद्यर्थियों को राष्ट्रीय एकता और भ्रष्टाचार विरुद्ध संदेशों से संबंधित लघु नाटिका और वीडियो फिल्म दिखाया गया । इसी तरह बीईएल का शैक्षिक संस्थान के स्कूली बच्चों के लिए लघु नाटिका और प्रेरणात्मक वीडियो फिल्म के रूप में भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई । सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में बीईएल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा वाकेथॉन और साइकिल रैली, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मानव श्रृंखला, बेंगलूर के पीएसयू और पीएसबी के कर्मचारियों द्वारा वॉकिंग और प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान श्रृंखला और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

2) सीवीसी वेबसाइट में ई-शपथ लेने के अलावा आयोग की नई पहल के रूप में बीईएल-इंट्रानेट में ई-शपथ की सुविधा उपलब्ध कराई गई ।

निष्ठा-संधि

सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के अनुबंधों में निष्ठा संधि की शुरुआत करना केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा खरीद गतिविधि में भ्रष्टाचार को मिटान के लिए किए पहलों में से एक है । रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने प्रारंभिक रूप से रु. 300 लाख तथा इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों/ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं/पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों/ सेवा प्रदाताओं के साथ इस निष्ठा संधि को अपनाया है ।

इस निष्ठा-संधि में यह आवश्यक रूप से उल्लिखित है कि ठेके के किसी पहलू / अवस्था में किसी प्रकार की भ्रष्ट पद्धति का आश्रय न लेने के लिए दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों / अधिकारियों को प्रतिबद्ध करते हुए संभावित विक्रेताओं / बोलीकर्ताओं तथा प्रधान (बीईएल) के बीच एक करार किया जाएगा । केवल ऐसे विक्रेता / बोलीकर्ता जो प्रधान के साथ उक्त संधि के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं, को बोली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी विशेष ठेके के संबंध में निष्ठा-संधि बोलियों को आमंत्रित करने की अवस्था से लेकर ठेके की अंतिम समाप्ति तक प्रचालित रहेगी । इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन, बोलीकर्ताओं की अयोग्यता और भावी कारोबारी लेन-देनों से निष्कासन में परिणामित होगा ।

सी.वी.सी. की सिफारिशों के अनुसार, कंपनी में निष्ठा-संधि के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, आई.ए.एस. (से.नि.) तथा श्री सुरेश एन पटेल (फरवरी 2020 में इस्तीफा दिया है) को नियुक्त किया गया । वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) द्वारा 371 ठेकों की समीक्षा की गई और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के साथ निर्धारित बैठकें की ।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्रापण

आपकी कंपनी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्रापण को बढ़ाने पर ज़ोर देती आ रही है और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों / अधिसूचना के अनुसार एमएसई के लिए सरकारी प्रापण नीति को कार्यान्वित कर रही है । वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने एमएसई के लिए सरकार से सार्वजनिक खऱीद नीति का अनुपालन किया है ।

कंपनी ने सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए TReDS प्लेटफार्म, गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम), एमएसएमई संबंध, एमएसएमई समाधान पोर्टलों को कार्यान्वित किया है ।

कंपनी ने देश भर में आयोजित रक्षा प्रदर्श संगठन (डिफेक्स्पो) सहित विभिन्न पूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया है । बीईएल ने एमएसई सहित देशी पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वदेशीकरण की जाने वाली विभिन्न मदों को प्रदर्शित किया ।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी ने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया । इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयास इस प्रकार हैं -

राजभाषाई निरीक्षण - संसदीय राजभाषा समिति ने दिनांक 10.01.2020 को गाज़ियाबाद यूनिट का और दिनांक 26.02.2020 को कार्पोरेट कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कंपनी की 04 यूनिटों का और कार्पोरेट राजभाषा अंकेक्षण टीम द्वारा 06 यूनिटों/कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

द्विभाषीकरण - कार्पोरेट कार्यालय सहित कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं । पत्राचार और कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है। द्विभाषीकरण बढ़ाने के लिए सीएमडी द्वारा राजभाषा नियम 10 (4) के तहत हिंदी में प्रवीणता रखे वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिश: आदेश जारी किए गए । इसके अलावा, नियम 12 (1) के अनुसार जाँच बिंदु का परिपत्र भी जारी किया गया।

कंप्यूटरीकरण और वेबसाइट – कार्पोरेट कार्यालय द्वारा तैयार किए गए राजभाषा पोर्टल 'गरिमा' में राजभाषा संबंधी सभी अद्यतन सूचनाओं का प्रसार किया जाता है । यूनिटों / कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट एसएपी में ऑनलाइन प्राप्त की जा रही है। फाइल लाइफ़साइकिल मैनेजमेंट (एफ.एल.एम.) में हिंदी टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं। कंपनी की वेबसाइट हिंदी में भी उपलब्ध है ।

प्रशिक्षण व रिपोर्टिंग - हिंदी भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए रोस्टर बनाया गया है जिसे समय-समय पर अद्यनत किया गया। इस रोस्टर के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, हिंदी शिक्षण योजना, नराकास को नियत समय पर तिमाही / अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी गई।

हिंदी माह समारोह - कंपनी की सभी यूनिटों और कार्यालयों में सितंबर माह के दौरान हिंदी माह और हिंदी दिवस मनाया गया। माह के दौरान, कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों ने विभिन्न कार्यक्रमों / प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बैठकें / कार्यशालाएँ - कंपनी की सभी यूनिटों / कार्यालयों में तिमाही आधार पर राभाकास बैठकें ,कार्यशालाएँ और तकनीकी व्याख्यान आयोजित किए गए ।

प्रोत्साहन व पुरस्कार - विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया और कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों ने इन योजनाओं में भाग लिया और नकद पुरस्कार प्राप्त किए । नराकास की प्रतियोगिताओं में यूनिटों/कार्यालयों से कार्यपालकों / गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया और पुरस्कार प्राप्त किए ।

प्रकाशन - कंपनी की सभी यूनिटों / कार्पोरेट कार्यालय में राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया।

नई पहल - कार्पोरेट राजभाषा द्वारा सीएसटीटी, नई दिल्ली के समन्वय से बीईएल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी शब्दावली की पहल की गई और इसकी पहली बैठक 13 से 17 जनवरी, 2020 तक गा.बाद में हुई। वेबसाइट में राजभाषा का एक अलग खंड तैयार किया जा रहा है। पुस्तकालय से स्थानीय स्कूली बच्चों को हिंदी किताबें वितरित की जाती हैं।

कंपनी भर में राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, आपकी कंपनी में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की सुपरिभाषित प्रणाली है । आपकी कंपनी ने कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए "नोडल अधिकारी" के रूप में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को नामित किया है । प्राप्त अनुरोधों पर कार्पोरेट कार्यालय और कंपनी की प्रत्येक यूनिट/क्षेत्रीय कार्यालय से एक-एक "केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ)" के रूप में नामित 14 वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यवाही की जाती है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के तहत दाखिल की जाने वाली प्रथम अपीलों के निपटान के लिए "प्रथम अपीलीय अधिकारी" के रूप में महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को नामित किया है । सरकार दिशा-निर्देशों के पालन में, कंपनी आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदनों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन संसाधित कर रही है ।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अनुसार प्रदान की जाने वाली सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर डाली गई है।

एफएए, सीपीआईओ और अन्य आंतरिक पणधारकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत उनकी दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया।

कंपनी को अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान 345 आवेदन (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा बीईएल को अंतरित 59 आवेदन सहित) प्राप्त हुए और वर्ष 2018-19 से 15 आरटीआई आवेदनों को अग्रेषित किया गया । कुल 360 आवेदनों में से 40 आवेदनों को अस्वीकार करने सहित कुल 350 आवेदनों का जवाब दिया गया । इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी को 107 प्रथम अपील प्राप्त हुईं, जिनमें से 106 को निपटाया गया । केंद्रीय सूचना आयोग को चारों (4) तिमाहियों की आरटीआई विवरणी प्रस्तुत की गई ।

मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिक में परिवर्तन तथा उनके शेयरधारण

वर्ष के दौरान, मंडल की आठ बैठकें आयोजित हुईं, जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग हैं ।

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए -

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति का दिनांक	समाप्ति का दिनांक
1	श्री आर एन बग्दलकर	निदेशक (मानव संसाधन)	लागू नहीं	31.05.2019
2	श्री शिवकुमारन के एम	निदेशक (मानव संसाधन)	11.06.2019	लागू नहीं
3	श्री सुनील कुमार कोहली	स्वतंत्र निदेशक	18.07.2019	लागू नहीं
4	श्री नटराज कृष्णप्पा	निदेशक (अन्य यूनिटें)	लागू नहीं	30.11.2019
5	श्रीमती शिखा गुप्ता	निदेशक (अन्य यूनिटें)	01.12.2019	लागू नहीं
6	डॉ भास्कर राममूर्ति	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	01.12.2019
7	डॉ. आर के शेवगांवकर	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	01.12.2019
8	श्रीमती उषा माथुर	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	22.12.2019
9	श्री शरद श्याम संघी	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	06.01.2020

वर्ष के दौरान कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) में कोई बदलाव नहीं आया ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में दी गई परिभाषा के तहत, श्री एम वी गौतम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री कोशी एलेक्ज़ाडर, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री एस. श्रीनिवास, कंपनी सचिव के.एम.पी. हैं ।

श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक (अन्य यूनिटें) को दिनांक 01 दिसंबर, 2019 से श्री नटराज कृष्णप्पा, जो अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हुए, के स्थान पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । श्री दिनेश कुमार बत्रा, निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ. को दिनांक 01 अगस्त, 2020 से श्री कोशी एलेक्ज़ांडर, जो अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए, के स्थान पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । श्री एम वी राजशेखर, निदेशक (आर एंड डी) को दिनांक 01 सितंबर, 2020 से श्री महेश वी, जो अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अगस्त, 2020 को सेवानिवृत्त हुए, के स्थान पर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

श्रीमती शिखा गुप्ता, श्री दिनेश कुमार बत्रा और श्री एम वी राजशेखर, अपर निदेशकों को 66वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन), जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होती हैं और पात्र बनती हैं, स्वयं को पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जो 31 मार्च 2020 को कंपनी में शेयर धारित करते हैं, का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित इक्विटी शेयरों की सं.
1	श्री एम वी गौतम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1,263
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन)	1,263
3	श्री कोशी एलेक्जाण्डर	निदेशक (वित्त)	1,265
4	श्री महेश वी	निदेशक (अनुसंधान व विकास)	1,265

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित इक्विटी शेयरों की सं.
5	श्री विनय कुमार कत्याल	निदेशक (बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स)	1,263
6	श्री शिवकुमारन के एम	निदेशक (एचआर)	1,263
7	श्री एस श्रीनिवास	कंपनी सचिव	1,263

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण -

अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ तथा प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के संबंध में निम्नलिखित विवरण देते हैं कि-

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ लागू भारतीय लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं जो इतने उचित और दूरदर्शी हैं कि 31 मार्च 2020 को कंपनी के कार्यकलापों और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की सच्ची और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सक्रिय और लाभप्रद कारोबार आधार पर तैयार किया है;

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं और उक्त वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

च) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उचित प्रणालियाँ विकसित की है जो समुचित हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं ।

उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसे कोई उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो भविष्य में कंपनी की कार्यशीलता और उसके प्रचालनों को प्रभावित करेंगे ।

वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं जो 31 मार्च 2020 तथा इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच घटित हुए हैं।

संबंधित पक्षकार के लेन-देन

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसे कोई उल्लेखनीय संबंधित पक्षकार के लेन-देन नहीं थे जिनका कंपनी के हितों के साथ महत्वपूर्ण संघर्ष हो सकता था । संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसे लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए थे, स्वतंत्र लेनदेन आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए । संबंधित पक्षकार के सभी लेन-देन लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष उनके अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, के लिए पेश किए जाते हैं । सदस्य संबंधित पक्षकार के लेन-देनों की जानकारी के लिए लेखों की टिप्पणियाँ देख सकते हैं। संबंधित पक्षकारों का लेन-देन कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in. पर अपलोड कर दिया गया है। कंपनी (लेखा) 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार सूचना **"अनुलग्नक-1"** के रूप में इस रिपोर्ट में दी गई है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 जिन्हें कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों, संशोधनों के साथ पढ़ा जाना है, के प्रावधानों के तारतम्य में, आपकी कंपनी ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और निर्वहनीयता नीति बनाई है । सीएसआर के ये कार्यक्रम/ पहल/ परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किए गए हैं जिन्हें सीएसआर और निर्वहनीयता नीति में विधिवत् रूप से शामिल किया गया है और जो हमारे सभी कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं । बीईएल की सीएसआर और निर्वहनीयता नीति कंपनी की वेबसाइट, www.bel-india.in पर लगाई गई है ।

सीएसआर का उद्देश्य क्षमता निर्माण के उपायों, हाशिये पर जी रहे लोगों तथा सुविधा-रहित वर्गों / समुदायों के सशक्तीकरण द्वारा समाज के समग्र विकास, निर्वहनीय एवं समान विकास के प्रति योगदान देना है । स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय निर्वहनीयता और व्यावसायिक कौशल विकास के क्षेत्रों में ध्यान दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सीएसआर खर्च के संबंध में डीपीई के दिशा-निर्देशों में सीपीएसई के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वे नीति आयोग द्वारा अभिचिह्नित आकांक्षी जिलों को वरीयता देते हुए, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण के सामान्य विषय पर अपने सीएसआर कार्यकलाप करें । तदनुसार, सीएसआर कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सीएसआर बजट का लगभग 53.49% आवंटित किया गया है । इसके अलावा, सीएसआर की ऐसी परियोजनाएँ जो ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, कौशल भारत के तहत कार्यान्वित की जा रही है ।

कंपनी के (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 की अपेक्षाओं के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2019-20 के सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट "**अनुलग्नक-2**" में दी गई है ।

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के तारतम्य में, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स सूरी एंड कं., सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को बेंगलूरु कॉमप्लेक्स, हैदराबाद और चेन्नै यूनिटों तथा कार्पोरेट कार्यालय के लेखों के लेखा परीक्षण के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है । मेसर्स ताम्बी एंड जयपुरकर, सनदी लेखाकार, पुणे को पुणे और नवी मुंबई यूनिटों का शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया । मेसर्स जे पी कपूर एंड उबेरॉय, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को गाज़ियाबाद, पंचकूला और कोटद्वार यूनिटों का शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया । मेसर्स तुंगला एंड कं., सनदी लेखाकार, मचिलिपट्टणम को वित्तीय मचिलिपट्टणम यूनिट का शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया ।

लागत लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है । कंपनी अपनी निर्माणी कार्यकलापों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख रखती है ।

सचिवालय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी ने कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु श्री तिरुपाल गोरिजे एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है । सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट में "**अनुलग्नक-3**" में दी गई है ।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी को सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार अपने मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करनी है । सूचना दी गई कि एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उक्त स्वतंत्र रिक्तियाँ भरने का कार्य नियुक्ति प्राधिकारियों अर्थात् भारत सरकार के पास लंबित हैं ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है । सी एंड एजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर के साथ समेकित वित्तीय विवरण सहित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 98 और 193 में दी गई है ।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(2) के तहत लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी, जिसके ब्यौरे मंडल की रिपोर्ट में देने आवश्यक है, की कोई रिपोर्ट नहीं की है ।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी का सार "**अनुलग्नक-4**" में दिया गया है ।

जोखिम प्रबंधन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के तारतम्य में, कंपनी ने कारोबारी जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है । इस

समिति के विवरण तथा विचारार्थ विषय, जोखिम प्रबंधन नीति आदि कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में वर्णित हैं तथा जोखिम प्रबंधन पर विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन परिचर्चा विश्लेषण रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

पारिश्रमिक नीति एवं मंडल का मूल्यांकन

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन के चयन तथा नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक, मंडल के मूल्यांकन आदि के लिए एक नीति तैयार की है। इसके ब्यौरे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

सतर्कता प्रणाली / सचेतक नीति

कंपनी में धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, के मामले से निपटने के लिए सचेतक नीति नामक सतर्कता प्रणाली विद्यमान है। इस नीति के ब्यौरे कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में वर्णित हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16 (1)(बी) के तहत कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से यह आवश्यक घोषणा प्राप्त की है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में वर्णित उनकी स्वतंत्रता संबंधी मानदंड पूरा करते हैं।

प्रबंधन के विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और साथ ही सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर सरकार के दिशा-निर्देशों (डीपीई) के तहत अपेक्षित प्रबंधन के विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **"अनुलग्नक-5"** में दी गई है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, एक सरकार कंपनी होने के नाते कंपनी रक्षा उत्पादन का कार्य करती है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 से छूट प्राप्त है।

कर्मचारियों के विवरण तथा संबंधित प्रकटण

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण संबंधी कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों और नियमों से सरकारी कंपनी को छूट प्राप्त है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है। प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, में अंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी उपलब्ध कराई गई है।

लेखा परीक्षा समिति का संगठन

लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक नामत: श्री मुक्का हरीश बाबू, समिति के अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह सिरोही और श्री सुनील कुमार कोहली शामिल हैं। वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को श्रेणीकृत किया जाएगा। डीपीई ने वर्ष 2018-19 के लिए बीईएल को "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 और डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्पोरेट अभिशासन पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा अनुपालन प्रमाण-पत्र के साथ एक रिपोर्ट जारी की गई, जो इस रिपोर्ट के **"अनुलग्नक-6"** में दी गई है।

निर्वहनीयता रिपोर्ट

सीपीएसई के लिए निर्वहनीय विकास पर डीपीई के दिशा-निर्देश, सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य बनाते है कि वे 'स्टैंड अलोन रिपोर्ट' में अथवा वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक अध्याय के रूप में अपने निर्वहनीय विकास संबंधी प्रयासों का प्रकटण करें। इस आवश्यकता के तारतम्य में, "निर्वहनीय विकास" पर आपकी कंपनी के प्रयास इस रिपोर्ट के **"अनुलग्नक-7"** में दर्शाए गए हैं।

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 ने वार्षिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बी आर रिपोर्ट") शामिल करना अनिवार्य बनाया है। सूचीकरण विनियमों के विनियम 34(2)(एफ) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 की कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन

पर कंपनी द्वारा की गई पहल सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रारूप में वर्णित है, इस रिपोर्ट के **“अनुलग्नक-8”** में दी गई है ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

आपकी कंपनी एक रक्षा पीएसयू होने के नाते, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम के संबंध में कंपनी (लेखा) नियम 8(3), 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के तहत रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधिसूचना जीएसआर सं. 680(ई) दिनांक 4 सितंबर 2015 के अनुसार रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को छूट प्रदान की है ।

आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ तथा अर्द्ध-सैन्य बलों से प्राप्त मूल्यवान समर्थन के लिए हार्दिक सराहना व आभार प्रकट करते हैं और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं । आपके निदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा डीआरडीओ के तहत आने वाली विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं विशेषकर संयुक्त विकास कार्यक्रम तथा नए उत्पादों के लिए, अपना आभार व्यक्त करते हैं । आपके निदेशक भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवालय लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, सहयोगकर्ताओं और विक्रेताओं के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं । आपके निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण प्रयासों की प्रशंसा करते हैं जिसके कारण वर्ष के दौरान कंपनी अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी । आपके निदेशक सभी शेयरधारकों / निवेशकों को कंपनी में विश्वास व भरोसा करने के लिए अपनी प्रशंसा व आभार व्यक्त करते हैं और आगामी वर्षों में कंपनी की सतत प्रगति में उनके निरंतर समर्थन और सहभागिता की आशा करते हैं ।

मंडल के लिए और मंडल की ओर से

बेंगलूरु
7 सितम्बर 2020

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - 1

फार्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच)
तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुवर्तन में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1), में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/करार संबंधी विवरण जिसमें, तृतीय प्रावधान के तहत कुछेक स्वतंत्र संव्यवहार शामिल है, के प्रकटण का प्रारूप-

1. ऐसी संविदाओं या करार अथवा संव्यवहार के विवरण जो के स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर नहीं किए गए हैं
   - क. संबद्ध पक्षकार के नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
   - ख. संविदा/करार/संव्यवहार की प्रकृति - लागू नहीं
   - ग. संविदा/करार/संव्यवहार की अवधि - लागू नहीं
   - घ. मूल्य सहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार की महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई हो - लागू नहीं
   - ङ. इस प्रकार की संविदा या करार अथवा संव्यवहार प्रारंभ करने का औचित्य - लागू नहीं
   - च. मंडल के अनुमोदन की तारीख - लागू नहीं
   - छ. अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं
   - ज. धारा 188 के प्रथम प्रावधान के अधीन अपेक्षित सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प की तारीख - लागू नहीं

2. स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या करार या संव्यवहारों के विवरण
   - क. संबद्ध पक्षकार के नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
   - ख. संविदा/ करार/ संव्यवहार की प्रकृति - लागू नहीं
   - ग. संविदा/करार/संव्यवहार की अवधि - लागू नहीं
   - घ. मूल्य सहित संविदा या करार अथवा संव्यवहार की महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई हो - लागू नहीं
   - ङ. मंडल के अनुमोदन की तारीख - लागू नहीं
   - च. अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो - कोई नहीं

मंडल के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूरु
7 सितम्बर 2020

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक- 2

सीएसआर कार्य-कलापों पर रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें पूरी की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या प्रोग्रामों की सामान्य जानकारी और सीएसआर नीति व परियोजनाओं या प्रोग्रामों की वेब-लिंक शामिल है ।**

   कंपनी की सीएसआर नीति निम्नलिखित वेब-लिंक के तहत कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है-
   वेब-लिंक- http://www.bel-india.in/Documentviews.aspx?fileName=CSR-Policy-08-05-2020.pdf

2. **यथा तिथि 31 मार्च, 2020 को सीएसआर समिति का संघटन –**

   श्री एम वी गौतम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष

   श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक (वित्त), सदस्य

   श्री शिवकुमारन के एम, निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य

   श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक (अन्य यूनिटें) - सदस्य

   श्री सुरेंद्र एस सिरोही (स्वतंत्र निदेशक), सदस्य

   श्री मुक्का हरीश बाबू (स्वतंत्र निदेशक), सदस्य

3. **विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसतन निवल लाभ -** रु. 2,15,517.85 लाख

4. **विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में उल्लिखित राशि का दो प्रतिशत) -** रु. 4,310.36 लाख

5. **वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण -**

   क. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि - रु. 3,116.96 लाख

   ख. खर्च नहीं की गई राशि, यदि कोई हो - रु. 1,193.40 लाख (आगे ले जाया गया)*

   ग. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निष्पादित परियोजनाओं के संबंध में खर्च की गई राशि की रीति का विवरण नीचे दिया गया है-

   * डीपीई के दिशा-निदेशों के अनुसार, संबंधित परियोजना के संबंध में व्यय के लिए शेष राशि के लिए लेखा बही में परियोजना-वार प्रावधान किया गया है।

(रु. लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्रम. सं.	**अभिचिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**परियोजना का व्याप्ति-क्षेत्र**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम** 1) **स्थानीय क्षेत्र या अन्य** 2) **परियोजनाओं या कार्यक्रम के क्रियान्वित राज्य का उल्लेख करें**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप-शीर्ष-**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय**	**खर्च की गई राशि- प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा**
					(1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय	**(2) ऊपरी व्यय**		
1	पीएम केयर्स फंड में योगदान **स्थिति- पूरा किया गया**	स्वास्थ्य सेवा	अन्य- नई दिल्ली	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	प्रत्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्रम. सं.	अभिचिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना का व्याप्ति-क्षेत्र	परियोजनाएँ या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) परियोजनाओं या कार्यक्रम के क्रियान्वित राज्य का उल्लेख करें	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप-शीर्ष- (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) ऊपरी व्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि- प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा
2	लगभग 5 राज्यों के सरकारी स्कूलों में अवसंरचना का विस्तार **स्थिति - चालू**	स्कूली शिक्षा	स्थानीय- कोटद्वार, उत्तराखंड, पंचकूला, हरियाणा, चेन्नै, तमिलनाडु बेंगलूर-कर्नाटक अन्य: कर्नाटक में शिमोगा, मुधोल और सोमपुरा; मेहबूबनगर, तेलंगाना	1151.86	280.17	-	280.17	प्रत्यक्ष
3	(i) सियाहा जिले का समावेशी और सतत विकास। (ii) स्कूली बच्चों के भोजन वितरण के लिए वाहनों का प्रावधान, वृंदावन iii) मलयप्पनपेट में ड्रेनेज का निर्माण **स्थिति - चालू**	स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण	अन्य- सियाहा जिला-मिज़ोरम, वृंदावन-उत्तर प्रदेश स्थानीय - मछिलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश	153.71	29.90	-	29.90	प्रत्यक्ष
4	कौशल भारत के तहत शिक्षुओं को प्रशिक्षण **स्थिति- पूरा किया गया**	व्यावसायिक कौशल विकास	स्थानीय – बेंगलूरु-कर्नाटक, चेन्नै-तमिलनाडु, हैदराबाद-तेलंगाना, मछिलिपट्टणम-ए.पी., पुणे और नवी मुंबई-महाराष्ट्र, गाज़ियाबाद- उ.प्र., पंचकूला- हरियाणा, कोटद्वार-उत्तराखंड	1581.64	1581.64	-	1581.64	प्रत्यक्ष
5	(i) पुचिंग गांव का समावेशी और सतत विकास (ii) धुले के 5 गांवों में कम्युनिटी हॉल का निर्माण **स्थिति - चालू**	ग्रामिण विकास	अन्य- तमेंगलोंग जिला-मणिपुर, धुले जिला-महाराष्ट्र	99.01	0.00	-	0.00	प्रत्यक्ष
6	झील का जीर्णोद्धार **स्थिति - चालू**	पर्यावरणीय निर्वहनीयता	स्थानीय- बेंगलूर-कर्नाटक	98.89	0.00	-	0.00	प्रत्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्रम. सं.	**अभिचिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**परियोजना का व्याप्ति-क्षेत्र**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम** 1) **स्थानीय क्षेत्र या अन्य** 2) **परियोजनाओं या कार्यक्रम के क्रियान्वित राज्य का उल्लेख करें**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रम पर खर्च राशि उप-शीर्ष-**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय**	**खर्च की गई राशि- प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा**
					(1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय	**(2) ऊपरी व्यय**		
7	सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान **स्थिति- पूरा किया गया**	सशस्त्र बल वरिष्ठ सैनिकों के लाभ के उपाय	अन्य- नई दिल्ली	20.00	20.00	-	20.00	प्रत्यक्ष
8	सीएसआर प्रशासनिक ऊपरी व्यय **स्थिति- पूरा किया गया**	-	-	205.25	-	205.25	205.25	-
	कुल			**4310.36**	**2911.71**	**205.25**	**3116.96**	

6. यदि कंपनी विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसतन निवल लाभ के दो प्रतिशत या उसका कोई हिस्सा खर्च करने में असमर्थ रही तो, कंपनी द्वारा उसकी बोर्ड रिपोर्ट में व्यय न किए जाने का कारण दिया जाएगा ।

सीएसआर के माध्यम से दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव डालने के उद्देश्य से, कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि तक फैले मील-पत्थर आधारित भुगतानों के साथ एक वर्ष से अधिक अवधि की परियोजनाओं में अनेक पहल किए हैं। यह भी सीएसआर पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार है जिसमें सीपीएसई को एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि में परियोजना मोड में सीएसआर प्रोग्राम करना अनिवार्य बनाया गया है।

2018-19 तक पूर्व वित्तीय वर्षों के रु. 4,216.96 लाख की आगे ले जाई गई राशि (विशिष्ट सीएसआर परियोजनाओं के समक्ष अभिचिह्नित), वित्तीय वर्ष 2019 -20 में रु. 1,924.87 लाख की राशि खर्च की गई है। शेष राशि अगले दो वर्षों में उत्तरोत्तर खर्च करने की उम्मीद है।

7. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में किया जाता है ।

मंडल के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूरु
7 सितम्बर 2020

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-3

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंध कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 का नियम सं. 9 के अनुवर्तन में]

सेवा में,

सदस्य,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
आउटर रिंग रोड, नागवारा,
बेंगलूरु – 560045, कर्नाटक

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (जिसे यहाँ इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट पद्धतियों का पालन करने के संबंध में सचिवालयीन लेखा-परीक्षा की है । सचिवालयीन लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई है कि कार्पोरेट व्यवहार/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार मिले ।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, प्रारूप एवं फाइल की गई विवरणियाँ व अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवालयीन लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं व प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यहाँ इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अनुसार और उसके अधीन, उसके पास समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ व अनुपालन की कार्यप्रणाली उपलब्ध है।

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, प्रारूप एवं फाइल की गई विवरणियाँ व अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया है -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधान;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') व उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 व उसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम;

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा उसके अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए बनाए गए नियम व विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम व दिशा-निर्देश-

   (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अभिग्रहण व अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015;

   (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम व प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014; (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008; (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

(च) कंपनी अधिनियम व ग्राहक लेनदेन से संबंधित भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का निर्गम व अंतरण अभिकर्ताओं के पंजीयक) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009; (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित से संबंधित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है-

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयीन मानक ।

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्न को छोड़कर, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमावली, विनियमों, दिशा-निर्देशों एवं मानकों आदि का अनुपालन किया है-

(i) समाप्त वित्तीय वर्ष तक मंडल में कुल 13 निदेशक हैं, जिसके एक अध्यक्ष हैं जो नियमित कार्यकारी निदेशक (प्रबंध निदेशक) है, अन्य छः कार्यकारी निदेशक, दो गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, जहां सूचीबद्ध स्वत्व के पास कोई नियमित गैर-कार्यकारी निदेशक नहीं हैं, वहां कम से कम आधे निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी को और पांच स्वतंत्र निदेशकों नियुक्त करने हैं। इनमें से दो रिक्तियां पिछले वर्षों से बनी हुई हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (बी) के अनुसार, कंपनी शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में आती है, इसलिए इसमें 1 अप्रैल 2019 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। स्वतंत्र महिला निदेशक का पद 22 नवंबर 2019 से रिक्त है। तब से उक्त पद रिक्त है। तदनुसार, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इस गैर-अनुपालन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों ने कंपनी पर समय-समय पर जुर्माना अधिरोपित किया है। यह सूचित किया गया है कि उक्त स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियाँ भरने का कार्य नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार के पास लंबित है। उक्त की सूचना देते हुए, कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई को कोई जुर्माना अदा नहीं किया गया है। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा निर्देशित जुर्माने का भुगतान न करने के मामले को ध्यान में लाने के लिए मंडल के समक्ष रखा गया था और स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी सूचना दी गई। एनएसई से प्राप्त पत्र सं. NSE/LIST/SOP/0449 दिनांक 22 जून 2020 के अनुसार, एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया गया ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में उपलब्ध अनुपालन प्रणाली के संबंध में तथा उसके अनुवर्तन में संगत दस्तावेजों और अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, नमूने की जाँच के आधार पर, कंपनी ने निम्नलिखित नियमों/ दिशा-निर्देशों/ नियमावली का अनुपालन किया है जो विशेषकर कंपनी पर लागू होते हैं -

(i) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश;

(ii) रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश;

(iii) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/विनियम;

(iv) ई-वेस्ट (प्रबंधन व संचालन) नियमावली, 2016;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि-

मंडल के संगठन में उपर्युक्त योग्यता के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठित है। निदेशक मंडल की संगठन में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए थे।

मंडल की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को समुचित सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजी गई और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण मांगने व प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने की प्रणाली मौजूद है।

सदस्यों के विचारों में मतभेद, यदि कोई हो, प्राप्त और दर्ज किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में बहुमत से निर्णय लिया गया ।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधि, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और कामकाज के अनुरूप, कंपनी में समुचित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित घटनाएँ/कार्य देखने को मिले जिनका ऊपर संदर्भित विधि, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों के तारतम्य में कंपनी के कामकाज पर प्रभाव पड़ा है - कुछ नहीं ।

कृते तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी
पेशेवर कंपनी सचिव

सी.एस. तिरुपाल गोरिगे
पदनामित साझेदार
एफ.सी.एस. नं. 6680; सी.पी. नं. 6424
यू.डी.आई.एन.: F006680B000392703

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक - 29 जून, 2020

टिप्पणी - इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र जो **अनुलग्नक-क** में दिया गया है और इस इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है, के साथ पढ़ा जाए ।

'अनुलग्नक-क'

सेवा में,

सदस्य,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
आउटर रिंग रोड, नागवरा,
बेंगलूरु - 560045, कर्नाटक

इस पत्र के साथ हमारी समसंख्यक रिपोर्ट पढ़ी जाए ।

(1) सचिवालयीन अभिलेख के अनुरक्षण का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन अभिलेखों पर अपना विचार प्रकट करना है।

(2) हमने सचिवालयीन अभिलेखों की विषय-वस्तु की यथार्थता के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए आवश्यक, लेखा-परीक्षा पद्धतियों व प्रक्रियाओं को अपनाया है। यह सत्यापन जाँच आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवालयीन अभिलेखों में सही तथ्य दिए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अनुसरित प्रक्रियाएँ व पद्धतियाँ हमारे विचार का औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

(3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता व समुचितता का सत्यापन नहीं किया है।

(4) जहाँ आवश्यक हो, हमने विधि, नियमों व विनियमों तथा घटनाक्रम आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

(5) निगमित व अन्य लागू विधि, नियमों व विनियमों, मानकों आदि के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा परीक्षण जाँच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित था।

(6) सचिवालयीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यों की सक्षमता या प्रभावात्मकता समर्थन है।

कृते तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी
पेशेवर कंपनी सचिव

सी.एस. तिरुपाल गोरिगे
पदनामित साझेदार
एफ.सी.एस. नं. 6680; सी.पी. नं. 6424
यू.डी.आई.एन.: F006680B000392703

स्थान- बेंगलूरु
दिनांक- 29 जून, 2020

अनुलग्नक-4

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन)
नियमावली 2014 के नियम 12(1) के अनुक्रम में]

प्रारूप सं. एमजीटी - 9

i. पंजीकरण एवं अन्य विवरण -

सीआईएन	L32309KA1954GOI000787
पंजीकरण दिनांक	21 अप्रैल 1954
कंपनी का नाम	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
कंपनी का श्रेणी/ उप-श्रेणी	शेयर पूँजी की कंपनी
पंजीकृत कार्यलाय का पता और संपर्क विवरण	आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरू-560045, कर्नाटक फोन नं. 080-25039300
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो	इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि. #30, रमणा रेसीडेन्सी, चौथा क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर - 560003, कर्नाटक दूरभाष - 080 23460815 से 818

ii. कंपनी की महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियाँ -

कंपनी के कुल वार्षिक कारोबार के 10% या उससे अधिक का अंशदान देने वाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए -

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	संचार एवं सी4आई प्रणालियाँ	26303	(2019-20 के दौरान रक्षा को की गई आपूर्तियों से कुल कारोबार का 82% हिस्सा प्राप्त हुआ)
2	रेडार एवं फायर कंट्रोल सिस्टम	26515	
3	इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स	26700	

III. धारक, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों के विवरण –

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	धारक/सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	**बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड** ईएल 30 जे ब्लॉक एमआईडीसी, भोसारी, पुणे-411026, महाराष्ट्र	U32100PN1990GOI058096	सहायक कंपनी स्वामित्व संपूर्ण	100	2(87)
2	**बीईएल-थालेस सिस्टम लिमिटेड**, सीएनपी क्षेत्र, बीईएल इंडस्ट्रियल एस्टेट, जालहल्ली, बेंगलूरू-560013, कर्नाटक	U32106KA2014GOI076102	सहायक कंपनी	74	2(87)
3	**जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड,** नं.60, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, व्हाइटफ़ील्ड, बेंगलूर-560066, कर्नाटक	U31909KA1996PTC020482	सहयोगी कंपनी	26	2(6)
4	**रक्षा नवोन्मेष संगठन** ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालहल्ली, बेंगलूरु- 560013, कर्नाटक	U73100KA2017NPL102118	सहयोगी कंपनी	50	2(6)

IV. शेयरधारण का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी विघटन) -

i) श्रेणी-वार शेयरधारण									
शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष 31.03.2020 के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्रीय सरकार	1433326432	-	1433326432	58.83	1245973978	-	1245973978	51.14	(7.69)
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) कार्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (क)(1) -	**1433326432**	**-**	**1433326432**	**58.83**	**1245973978**	**-**	**1245973978**	**51.14**	**(7.69)**
(2) **विदेशी**									
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कार्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (क)(2) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तकों के कुल शेयरधारण (ए)=(क)(1)+(क)(2)	**1433326432**	**-**	**1433326432**	**58.83**	**1245973978**	**-**	**1245973978**	**51.14**	**(7.69)**
ख. सरकारी शेयरधारण									
(1) संस्थान									
क) म्यूच्यूअल फ़ंड/यू.टी.आई	446737355	69600	446806955	18.34	611714989	69,600	611784589	25.11	6.77
ख) बैंक / एफआई	10106655	-	10106655	0.42	9064397	-	9064397	0.37	(0.04)
ग) केंद्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वेंचर पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	100357764	-	100357764	4.12	115131839	-	115131839	4.73	0.61
छ) एफआईआई	182605873	-	182605873	7.49	260890412	-	260890412	10.71	3.22
ज) विदेशी वेंचर पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (स्पष्ट करें)	117604	-	117604	0.00	72000	-	72000	0.00	0.00
उप-कुल (ख)(1)-	**739925251**	**69600**	**739994851**	**30.37**	**996873637**	**69600**	**996943237**	**40.92**	**10.55**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष 31.03.2020 के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
(2) गैर-संस्थान									
क) कार्पोरेट निकाय									
i) भारतीय	66879812	9900	66889712	2.75	29712081	9900	29721981	1.22	(1.53)
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति -									
i) रु. 1 लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारक शेयरधारित व्यक्ति	151000430	241407	151241837	6.21	128556698	195482	128752180	5.29	(0.92)
ii) रु. 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारक शेयरधारित व्यक्ति	13167054	-	13167054	0.54	8739571	-	8739571	0.36	(0.18)
ग) अन्य (स्पष्ट करें) -									
i) न्यास	6230817	-	6230817	0.26	10003511	-	10003511	0.41	0.15
ii) एनआरआई	14130290	225	14130515	0.58	9293221	225	9293446	0.38	(0.20)
iii) निकासी सदस्य	11601892	-	11601892	0.47	7154656	-	7154656	0.29	(0.19)
iv) एलएलपी	7	-	7	0.00	257	-	257	0.00	0.00
v) आईईपीएफ खाता	9320	-	9320	0.00	9320	-	9320	0.00	0.00
vi) विदेशी नागरिक	506	-	506	0.00	506	-	506	0.00	0.00
vii) अन्य	-	-	-	-	300	-	300	0.00	0.00
उप-कुल (ख)(2)-	**263020128**	**251532**	**263271660**	**10.80**	**193470121**	**205607**	**193675728**	**7.95**	**(2.85)**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(बी)(1)+(बी) (2)	**1002945379**	**321132**	**1003266511**	**41.17**	**1190343758**	**275207**	**1190618965**	**48.86**	**7.69**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल योग (क+ख+ग)	**2436271811**	**321132**	**2436592943**	**100.00**	**2436317736**	**275207**	**2436592943**	**100.00**	

ii) प्रवर्तकों की शेयरधरिता

शेयरधारकों के नाम	वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष 31.03.2020 के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारण में परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों पर गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों पर गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	1433323132	58.83	0.00	1245973978	51.14	0.00	(7.69)
प्रेम कुमार कटारिया	3300	0.00	0.00	-	-	-	0.00
कुल	**1433326432**	**58.83**	**0.00**	**1245973978**	**51.14**	**0.00**	**(7.69)**

iii) प्रवर्तकों के शेयरधरिता में परिवर्तन (यदि परिवर्तन नहीं हैं तो कृपया स्पष्ट करें)								
क्रम. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में शेयरधारिता					अवधि – 31.03.2020 के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	तारीख	शेयरधारण में वृद्धि/ (घटाव)	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1433323132	58.83	01.04.2019	-	-	1433323132	58.83
				19.04.2019	3300	अंतरण	1433326432	58.83
				19.07.2019	(73842832)	अंतरण	1359483600	55.79
				26.07.2019	3411013	अंतरण	1362894613	55.94
				04.10.2019	(16960091)	अंतरण	1345934522	55.24
				18.10.2019	809732	अंतरण	1346744254	55.27
				31.01.2020	(103798859)	अंतरण	1242945395	51.01
				07.02.2020	3028583	अंतरण	1245973978	51.14
				31.03.2020			**1245973978**	**51.14**
2	प्रेम कुमार कटारिया	3300	0.00	01.04.2019	-	-	3300	0.00
				19.04.2019	(3300)	अंतरण	-	-
				31.03.2020	-	-	-	-

iv) प्रथम दस शेयरधारकों के शेयरधारण की प्रविधि (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर व एडीआर धारकों के अतिरिक्त) -					
क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष 01 अप्रैल 2019 के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष 31 मार्च 2020 के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं लि. एकाउंट रिलायंस कैपिटल**				
	वर्ष के प्रारंभ में	105167643	4.32	105167643	4.32
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	14030644	0.58	119198287	4.89
	वर्ष के अंत में	-	-	**119198287**	**4.89**
2	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एकाउंट एचडीएफसी हाईब्रिड इक्विटी**				
	वर्ष के प्रारंभ में	57847158	2.37	57847158	2.27
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	60594299	2.49	118441457	4.86
	वर्ष के अंत में	-	-	**118441457**	**4.86**
3	**कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	47961446	1.97	47961446	1.97
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	31775824	1.30	79737270	3.27
	वर्ष के अंत में	-	-	**79737270**	**3.27**
4	**मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	23921480	0.98	23921480	0.98
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	55396754	2.27	79318234	3.25
	वर्ष के अंत में	-	-	**79318234**	**3.25**

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष 01 अप्रैल 2019 के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष 31 मार्च 2020 के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
5	**भारतीय जीवन बीमा निगम**				
	वर्ष के प्रारंभ में	87916268	3.61	87916268	3.61
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	(23919684)	(0.98)	63996584	2.63
	वर्ष के अंत में	-	-	**63996584**	**2.63**
6	**आदित्य बिरला सन लाइफ़ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	69317555	2.84	69317555	2.84
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	(14366966)	(0.59)	54950589	2.25
	वर्ष के अंत में	-	-	**54950589**	**2.25**
7	**आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फंड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	42671717	1.75	42671717	1.75
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	1675410	0.07	44347127	1.82
	वर्ष के अंत में	-	-	**44347127**	**1.82**
8	**एसबीआई कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड - सीरीज**				
	वर्ष के प्रारंभ में	31860566	1.31	31860566	1.31
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	3378749	0.14	35239315	1.45
	वर्ष के अंत में	-	-	**35239315**	**1.45**
9	**फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड एकाउंट फ्रैंकलिन इंडिया**				
	वर्ष के प्रारंभ में	9844209	0.40	9844209	0.40
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	13379456	0.55	23223665	0.95
	वर्ष के अंत में	-	-	**23223665**	**0.95**
10	**एचडीएफसी लाइफ इनश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के प्रारंभ में	14809399	0.61	14809399	0.61
	वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव)	6197809	0.25	21007208	0.86
	वर्ष के अंत में	-	-	**21007208**	**0.86**

v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण

प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिक के लिए	वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष 31.03.2020 के दौरान संचयी शेयरधारण	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
श्री एम वी गौतम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,263**	**0.00**	**1,263**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	**1263**	**0.00**
श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन)				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,263**	**0.00**	**1,263**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	**1,263**	**0.00**

प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिक के लिए	वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष 31.03.2020 के दौरान संचयी शेयरधारण	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,265**	**0.00**	**1,265**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**-**	**-**	**1,265**	**0.00**
श्री महेश वी, निदेशक (अनुसंधान व विकास)				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,265**	**0.00**	**1,265**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**-**	**-**	**1,265**	**0.00**
श्री विनय कुमार कत्याल, निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स)				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,263**	**0.00**	**1,263**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**-**	**-**	**1,263**	**0.00**
श्री शिवकुमारन के एम, निदेशक (मानव संसाधन)				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,263**	**0.00**	**1,263**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**-**	**-**	**1,263**	**0.00**
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव				
वर्ष के प्रारंभ में	**1,263**	**0.00**	**1,263**	**0.00**
वर्ष के दौरान शेयरों की वृद्धि/(घटाव) के कारण का उल्लेख करते हुए शेयरधारण की तारीखवार वृद्धि/(घटाव)-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	**-**	**-**	**1,263**	**0.00**

vi) ऋणग्रस्तता

(रु. लाख में)

विवरण	जमा के बिना रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	3,334	-	37	3,371
ii) ब्याज देय परंतु अदा नहीं की गई	29	-	2	31
iii) ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**3,363**	**-**	**39**	**3,402**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	-	-	-	-
घटाव	(2,530)	-	-	(2,530)
निवल परिवर्तन	(2,530)	-	-	(2,530)

विवरण	जमा के बिना रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
iv) मूलधन	833	-	37	870
v) ब्याज देय परंतु अदा नहीं की गई	-	-	2	2
vi) ब्याज प्रोद्भूत परंतु देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**833**	**-**	**39**	**872**

vi) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. एमडी, डब्ल्यूटीडी और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रु. में राशि)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री एम वी गौतम	श्री नटराज कृष्णप्पा	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	श्री आर एन बग्दलकर	श्री कोशी एलेक्ज़ांडर*	श्री महेश वी	श्री विनय कुमार कत्याल	श्री शिवकुमारन के एम	श्रीमती शिखा गुप्ता	कुल
1.	सकल वेतन										
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	64,20,822	40,91,509	51,51,909	15,76,956	52,85,772	51,35,151	41,87,106	33,87,987	1,450,447	**3,66,87,660**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	39,600	7,06,139	6,14,756	3,20,788	32,400	37,645	6,36,564	3,93,744	88,984	**28,70,620**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
2.	स्टॉक विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
3.	स्वेट इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
4.	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
	- लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
	- अन्य बताएँ..	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
5	बताएँ - अन्य, i) पट्टा आवास, सेवानिवृत्ति तथा अन्य अनुलाभ	11,48,629	5,95,869	13,68,398	3,28,975	13,25,013	9,98,425	12,12,766	11,88,422	14,91,448	**96,57,945**
	कुल	**76,09,051**	**53,93,517**	**71,35,063**	**22,26,719**	**66,43,185**	**61,71,221**	**60,36,436**	**49,70,154**	**30,30,879**	**4,92,16,225**

* श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर निदेशक (वित्त) तथा सीएफओ हैं।

ख. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

1. स्वतंत्र निदेशक

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशकों के नाम								कुल राशि
		डॉ. भास्कर राममूर्ति	डॉ. आर के शेवगांवकर	श्रीमती उषा माथुर	श्री शरद श्याम सांघी	श्री सुरेन्द्र एस सिरोही	श्री मुक्का हरीश बाबू	डॉ. विजय एस मदान	श्री सुनील कुमार कोहली	
1	- मंडल/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	1,40,000	2,40,000	2,40,000	40,000	4,20,000	4,20,000	2,40,000	2,40,000	19,80,000
2	- कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
3	- अन्य, कृपया बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
	कुल (ख)(1)	**1,40,000**	**2,40,000**	**2,40,000**	**40,000**	**4,20,000**	**4,20,000**	**2,40,000**	**2,40,000**	**19,80,000**

2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशकों के नाम		कुल राशि
		डॉ. अमित सहाय	सुश्री मंजुला जे	
1	- मंडल/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	- कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	- अन्य, कृपया बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख)= (ख)(1)+ (ख)(2)	**कुछ नहीं**	**कुछ नहीं**	**19,80,000**

ग. एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	सीएफओ**	कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन	-	-		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	18,85,768	**18,85,768**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	-	-	2,54,728	**2,54,728**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
4.	कमीशन	-	-		**कुछ नहीं**
	- लाभ के % के रूप में	-	-	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
	- अन्य, बताएँ..	-	-	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
5.	पट्टा आवास, सेवानिवृत्ति तथा अन्य अनुलाभ	-	-	8,63,689	8,63,689
	कुल	**-**	**-**	**30,04,185**	**30,04,185**

** भाग-क में शामिल

vii. जुर्माना/अर्थदंड/अपराधों का शमन -

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / अर्थदंड / अधिरोपित शमन शुल्क के विवरण	प्राधिकारी	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्थदंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शमन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ख. निदेशक					
जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्थदंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शमन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अर्थदंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
शमन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

मंडल के लिए और उसकी ओर से

बेंगलूरु
7 सितम्बर 2020

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक -5

प्रबंधन के विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट

(क) उद्योग संरचना तथा विकास कार्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर तथा जोखिम, निर्वहनीय कार्य-निष्पादन तथा प्रगति सुनिश्चित करने हेतु की गई और योजित महत्वपूर्ण पहल

(क) अर्थ-व्यवस्था का सामान्य दृष्टिकोण, उद्योग जिसमें कंपनी प्रचालित होती है, सरकारी बजट, विशेषकर रक्षा बजट, बाजार की परिस्थितियाँ तथा कंपनी पर इनका प्रभाव, कंपनी के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

अक्टूबर 2019 के वल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में पाँचवाँ सबसे बड़ा अनुमान है । केंद्रीय बजट 2019-20, ने 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के बारे में स्पष्ट किया था । वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतियों को देखते हुए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, संरक्षणवाद आदि के बीच व्यापार तनाव, वैश्विक उत्पादन वृद्धि धीमी होने का अनुमान है । फरवरी 2020 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में 5% रहने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में 6.1% है । हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों से भारत की बृहद आर्थिक स्थिरता में वृद्धि हो रही है, लेकिन भारत में वित्तीय क्षेत्रों के सामने चुनौती ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुचित दबाव डाला है।

विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च 2019 के अंत तक यूएसडी 302 बिलियन से 10 जनवरी 2020 तक यूएसडी 461.2 बिलियन) में वृद्धि के कारण देश में एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से उच्च पूंजी प्रवाह के कारण भुगतान शेष में सुधार हुआ है । चालू खाता घाटा (सीएडी) बाहरी ऋणग्रस्तता और स्वतंत्र घरेलू नीति में कमी लाने के लिए अग्रणी रहा है ।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविद -19) के कारण अपूर्व और अप्रत्याशित संकट ने दुनिया भर में पूरे मानवजाति को झकझोर दिया है। हालांकि, कोविद-19 के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वास्तविक प्रभाव निकट भविष्य में देखा जा सकता है क्योंकि अभी भी स्थिति विकसित हो रही है।

चीन से शुरू हुई महामारी कोविद-19 ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योग बंद होने के कारण अर्थ- व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है ।

रक्षा

अप्रैल, 2020 में जारी एस.आई.पी.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार, विश्व का कुल सैन्य खर्च वर्ष 2018 में यूएसडी 1.822 ट्रिलियन की तुलना में वर्ष 2019 में यूएसडी 1.917 ट्रिलियन तक बढ़ा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% की बढ़ोत्तरी है । यह वर्ष 2010 के बाद से रक्षा खर्च में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है बना हुआ है, जिसके बाद चीन, भारत, रूस और सऊदी अरब शामिल हैं, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है ।

दुनिया भर के चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य में, फरवरी, 2020 में भारत के केंद्रीय बजट में रक्षा के लिए पिछले वर्ष के रु. 4,31,011 करोड़ की तुलना में 2020-21 के लिए 9.37% बढोत्तरी के साथ रु. 4,71,378 करोड़ आबंटित किया गया है । पूँजीगत व्यय का बजट वर्ष 2019-20 के रु. 1,03,394 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में रु.1,13,734 करोड़ किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है ।

वायु सेना को आबंटित पूंजीगत व्यय रु. 43,282 करोड़, थलसेना को रु. 32,462 करोड़ और नौसेना को रु. 26,688 करोड़ है । कुल बजट आबंटन में से, वायु सेना के बजट का 59%, नौसेना का 54% और थल सेना का 18% पूंजीगत व्यय के लिए है ।

रक्षा के लिए पूंजीगत बजट में वृद्धि रक्षा बलों की खरीद योजनाओं के अनुरूप नहीं है और यह रक्षा बलों के चालू परियोजनाओं की आपूर्ति भुगतान को प्रभावित कर सकती है। आगामी वर्षों में महामारी कोविद -19 भारतीय रक्षा बजट/ व्यय को प्रभावित करने की संभावना है ।

रक्षा-इतर -

बीईएल के प्रमुख कारोबार रक्षा के अलावा, बीईएल ने गृह भूमि सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा भंडारण उत्पाद, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा, रेलवे एवं मेट्रो समाधान, कंपोजिट और सॉफ्टवेयर आदि जैसे विभिन्न रक्षा-इतर क्षेत्रों में प्रवेश किया है ।

गृह भूमि सुरक्षा

भारत में गृह भूमि सुरक्षा का बाज़ार केंद्र / राज्य सरकारों, पीएसयू सहित सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के संगठन तक फैला हुआ है । पुलिस के आधुनिकीकरण, महत्वपूर्ण अवसरंचना का संरक्षण, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद-रोधी कार्यकलाप, शहरी क्षेत्र की सुरक्षा, भू परिवहन, पत्तन और समुद्री सुरक्षा आदि में इस बाज़ार के उल्लेखनीय अवसर मौजूद हैं । आतंकवादी कार्यकलापों और अपराध के कारण मौजूद आंतरिक सुरक्षा की समस्याएँ, डेटा की चोरी, केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण की सुदूर निगरानी की ज़रूरत, परिसंपत्तियों का संरक्षण और विपदा प्रबंधन, सार्वजनिक अवसंरचना में वृद्धि, आई.टी. क्षेत्र में अधिक खर्च, विभिन्न सरकारी पहलों तथा सुरक्षा खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण भारत में गृह भूमि सुरक्षा के बाज़ार की मांग बहुत बढ़ी है।

वर्ष 2020-21 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस बल (जिसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस) के लिए कुल बजट आबंटन रु. 1,05,244 करोड़ है जो वर्ष 2019-20 के रु. 1,03,204 करोड़ की तुलना में 2 % की बढ़ोत्तरी है। इस बजट में से, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को रु. 77,887 करोड़ आबंटित किए गए हैं ।

स्मार्ट सिटी -

जून 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है और सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), सिटी लेवल एडवाइजरी फॉर्म्स (सीएलएएफ) शामिल किए गए हैं तथा परियोजनाओं के अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सभी और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति की गई । 2020-21 के बजट में 5 नए स्मार्ट शहरों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आदि के समान नए विकास से परिपूर्ण होंगे ।

2020-21 के बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए किसी विशेष बजट वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए वर्ष 2018-19 के रु.6,169 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए 2019 के बजट में रु. 6,450 करोड़ का आबंटन किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% अधिक है । रिपोर्टों के अनुसार, स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना के बाद 2 लाख करोड़ की लागत वाली 5,151 स्मार्ट सिटी परियोजनाएं 100 स्मार्ट शहरों के बीच कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

नई रणनीतिक कारोबार यूनिट जिसे विशेष रूप से स्मार्ट सिटी और गृह भूमि सुरक्षा कारोबार के लिए गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक करते हैं, ने गृह भूमि सुरक्षा और स्मार्ट सिटी परियोजना के कई आदेश प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

ऊर्जा भंडारण उत्पाद

अत्यधिक ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए रख-रखाव मुक्त बैटरियों की भारी आवश्यकता और भारत सरकार द्वारा ई-वाहनों के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण आने वाले वर्षों में वैकल्पिक बिजली भंडारण खंड में व्यापार के पर्याप्त अवसर हैं।

विकसित भंडारण प्रौद्योगिकियों में, लिथियम-आयन बैटरी बहुमुखी और कुशल भंडारण उपकरण हैं और रक्षा और गैर-रक्षा दोनों क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम में उपयोग पाए जाते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी), फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी (एफएएमई) और फेम 2 जैसी कई नीतिगत पहल आने के बाद से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के (ईवी) बाजारों में तेजी आई है । रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अगले 3-4 वर्षों में लिथियम-आयन बैटरी 35% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है ।

लिथियम आयन के बाजार में उपलब्ध अवसरों के अलावा, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी-आधारित दुनिया भर में और भारत में ऊर्जा भंडारण उत्पाद के भावी बाजारों पर भी मजबूत पकड़ बनाने वाले है ।

ली-आयन सेल और ईंधन सेल के उभरते बाजार में अवसर को देखते हुए, बीईएल ने केन्द्रीत क्षेत्रों में से एक के रूप में ली-आयन सेल/ बैटरी और ईंधन सेल की पहचान की है । इस क्षेत्र में, बीईएल ने एक समर्पित माइक्रो एसबीयू का निर्माण किया है ताकि केंद्रित तरीके से कारोबार किया जा सके और ली-आयन सेल और ईंधन सेल के विकास/ विनिर्माण द्वारा ऊर्जा भंडारण उत्पाद खंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाई जा सके ।

सोलर

सरकार ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 450 GW उत्पादन का महात्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है । इसमें सौर ऊर्जा से 100GW के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक 175GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है । बहरहाल, 175GW के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए भारत सरकार को 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 225GW प्राप्त

करने का पूर्ण विश्वास है । वर्ष 2020-21 के बजट में, सौर ऊर्जा के लिए रु.2516 करोड़ निर्धारित किए गए हैं जिसमें ग्रिड-इंटरैक्टिव और ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं शामिल हैं ।

बीईएल ने सेल/ मॉड्यूल विनिमार्ण से इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) / विकास प्रक्रिया के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं के निष्पादन तक अपने प्रचालन को बढ़ाया है। बीईएल ने सौर व्यापार के लक्षित आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक नया माइक्रो एसबीयू गठित किया है । निकट भविष्य में, इस खंड से निरंतर आधार पर बीईएल के व्यवसाय में योगदान करने की उम्मीद है ।

इसरो द्वारा भी अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए मल्टी जंक्शन सोलार सेल के विनिर्माण हेतु बीईएल का अंतिम सूची में रखा गया है। लगभग 60,000 मल्टी जंक्शन सेल प्रति वर्ष की क्षमता वाला यह संयंत्र इसरो द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसका संपूर्ण विनिर्माण बीईएल द्वारा किया जाएगा ।

अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स

इसरो ने 'पोलर स्पेस लांच वेहिकल' (पीएसएलवी) और छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों का निर्माण करने के लिए भारतीय उद्योग को अवसर प्रदान किया है। छोटे उपग्रहों की वैश्विक आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 500 नग होने की अपेक्षा है। वर्ष 2020-21 से प्रति वर्ष लगभग 18 उपग्रह के औसत से उपग्रह लांच की संख्या बढ़ाने की इसरो की महात्वाकांक्षी योजना है। इसरो की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने पिछले वर्ष के रु. 11,538 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में रु. 13,479 करोड़ का अंतरिम बजट आबंटित किया है। इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में इसरो के पास 30 पीएसएलवी और 10 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल (जीएसएलवी) लॉन्च करने का अनुमोदन प्राप्त है।

बीईएल ने उपग्रह संचार के खंड में प्रमुख निर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, छोटे व सूक्ष्म उपग्रह निर्माण के उद्योग में प्रवेश करना चाहती है और भारतीय निजी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से वेहिकल खंड शुरु करना चाहती है। बीईएल का यह दीर्घकालीन उद्देश्य कि वह अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और पेलोड में एक प्रमुख कंपनी बने। वर्ष 2019-20 के दौरान, बीईएल ने कंसोर्टियम में इसरो के लिए पीएसएलवी के उत्पादन हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ईओआई को जवाब दिया है और इसरो के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (एसएसएलवी) के उत्पादन में भागीदारी की अभिरुचि व्यक्त की है।

बीईएल ने उपग्रहों की असेंबली, एकीकरण और परीक्षण के लिए इसरो के एक औद्योगिक साझेदार के रूप में अर्हता प्राप्त की है। इस वर्ष के दौरान, बीईएल ने इसरो में तीन आरआईएसएटी उपग्रहों के सैटेलाइट एआईटी को पूरा कर लिया है। बीईएल ने इसरो के साथ गठबंधन किया है और अगली पीढ़ी के इंडजनस रिसीवर्स फार पोज़ीशनिंग एंड नेवीगेशन (आई.आर.एन.एस.एस.), जीसैट टर्मिनल, एलटीसीसी आधारित अवस्तरों तथा उच्च शक्ति के टी.डबल्यू.टी. जैसे उत्पाद पेश किए हैं जिनका रक्षा, सरकारी सेवाओं और अर्धसैनिक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। बीईएल सैटकॉम अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के एच.यू.बी. की आपूर्ति और कार्यारंभ के लिए इसरो के साथ संयुक्त रूप से काम कर रही है ।

नेटवर्क और सायबर सुरक्षा –

डिज़िटल प्रौद्योगिकी में हो रहे उन्नत कार्य और लगभग सभी क्षेत्रों में उनके उपयोग को देखते हुए, ई-गवर्नेंस, रक्षा, बैंकिंग आदि जैसे कारोबार सायबर आक्रमणों के लिए सुभेद्य बन गए हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए, सायबर सुरक्षा समाधान की आवश्यकताएँ सायबर कल्याण, जासूसी, राष्ट्र की रक्षा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, कर्मचारी/ ग्राहक की डेटा सुरक्षा/ निजी सूचना की सुरक्षा तक व्याप्त होती हैं, विकसित की जा रही हैं। वर्ष 2025 तक वैश्विक सायबर सुरक्षा का बाज़ार लगभग यूएसडी 190 बिलियन तक और अगले 3 वर्षों में सायबर सुरक्षा का बाज़ार लगभग रु. 30,000 करोड़ तक पहुँचने की संभावना है।

बीईएल नेटवर्क तत्व और सुरक्षा, कम्प्यूटिंग तत्वों, एन्क्रिप्शन, एआई और डेटा एनालिटिक्स, सुरक्षा प्रबंधन, डिजिटल पहचान समाधान, साइबर फोरेंसिक, सुरक्षा सेवाओं, सिक्योर नेटवर्क सेग्रेशन सॉल्युसन आदि प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रही है ।

बीईएल ने सिक्योरिटी एनालिटिक्स सेंटर (एसएसी) और विकसित उत्पादों जैसे डेटा डायोड, पीकेआई, सिक्योर स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिक्योर कंप्यूटिंग डिवाइस आदि जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को पूरा किया है।

सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा बीईएल को पैनलकृत किया गया है । बीईएल ने अपने एक उत्पाद के लिए ईएएल4 प्रमाणन प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान, बीईएल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई प्रतिष्ठित सरकारी/ निजी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

रेलवे और मेट्रो

2020-21 हेतु भारतीय रेलवे के लिए कुल पूंजी परिव्यय (परिसंपत्ति निर्माण पर खर्च की गई राशि) रु. 1,61,042 करोड़ है जो 2019-20 (रु. 1,56,352 करोड़) से 3% अधिक है । भारत में रेल और मेट्रो व्यवसाय में व्यापार के पर्याप्त अवसर हैं । रिपोर्टों के अनुसार, भारत के विभिन्न हिस्सों में 9 नई स्वीकृत परियोजनाओं सहित लगभग 34 मेट्रो रेल परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के अनुरूप मेट्रो के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेटिंग प्रणाली, भारतीय कंप्यूटर आधारित ट्रेन नियंत्रण/स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण (एटीएस), भारतीय रेलवे के लिए वास्तविक समय सूचना प्रणाली (आरटीआईएस), रेलवे के लिए एलटीई आधारित मिशन महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क, मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम, रेल और महानगरों के लिए कम्पोजिट पैनल, आदि कुछेक प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें बीईएल ने व्यापार के लिए प्रवेश किया है ।

बीईएल एटीएस सिस्टम, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्पोजिट पैनल आदि के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक/निजी संगठनों के साथ सहयोग कर रही है । बीईएल द्वारा निष्पादित एनसीएमसी अनुपालन एएफसी गेटिंग सिस्टम परिवहन के सभी साधनों अर्थात मेट्रो, ट्रेनों या बसों में चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे । इसके अलावा, आरटीआईएस परियोजना का पायलट कार्यान्वयन किया है, बीईएल पैन इंडिया कवरेज के लिए आरटीआईएस परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यान्वयन में भाग लेने हेतु इच्छुक है ।

कंपोजिट

एयरोस्पेस और रक्षा, पवन ऊर्जा, परिवहन, समुद्री अनुप्रयोगों आदि में विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए कंपोजिट का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कंपोजिट बाजार का आकार 2019 में यूएसडी 90.6 बिलियन से बढ़कर 2024 तक यूएसडी 131.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हल्के भार, उच्च कार्य-निष्पादन, संक्षारण प्रतिरोध, लंबे जीवन काल की मांग कुछेक प्रमुख कारक हैं जो समग्र व्यापार की वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं।

बीईएल शिपयार्ड, एयरो संरचनाओं, रेलवे व मेट्रो, भूमि उपकरणों आदि की घटक संरचना आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना बना रही है।

बीईएल ने रेसिन फिल्म इन्फ्यूजन (आरएफआई) और वैक्यूम असिस्टेड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग प्रक्रिया (वीआरटीएम) की सुविधाएं स्थापित की है। बीईएल सीएसआईआर लैब, कंसल्टेंसी के लिए एकेडेमिया और कम्पोजिट संरचनाओं के विकास के साथ सहयोग किया है। शिपयार्ड और रेलवे की आवश्यकता के अनुसार, विकास के लिए कंपोजिट पैनल की योजना बनाई जा रही है।

सॉफ्टवेयर

रक्षा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वारफेयर से नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में बदल रही है। इस संक्रमण में, आधुनिक रक्षा प्रणाली में सॉफ्टवेयर हथियार का एक महत्वपूर्ण भाग बन रहा है। उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर तकनीक आधुनिक युद्ध पद्धति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत दुनिया के अग्रणी सॉफ्टवेयर विकास केंद्रों में से एक है और भारतीय आईटी उद्योग 10.71% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय आईटी उद्योग सॉफ्टवेयर उत्पादों, आईटी सेवाओं, इंजीनियरिंग और आर एंड डी सेवाओं, आईटीईएस/ बीपीओ, हार्डवेयर और ई-कॉमर्स से मिलकर 2025 तक यूएसडी 350 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है । राजस्व का अधिकांश भाग सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात प्राप्त होता है।

बीईएल मौजूदा रक्षा ग्राहकों के अलावा अर्ध-सैन्य बलों, विशेष बलों, राज्य सरकारों, अन्य गैर-रक्षा ग्राहकों आदि जैसे संभावित ग्राहकों के साथ व्यापार के अवसरों के साथ आगे बढ़ रही है । भारतीय और निर्यात बाजार दोनों में केंद्रित तरीके से सॉफ्टवेयर व्यवसाय के अवसर को संबोधित करने के लिए एक समर्पित महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है।

प्रमुख्य रक्षा खंडों के अलावा, गृहभूमि सुरक्षा, ई-अभिशासन परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना, सॉफ्टवेयर सिम्युलेटर, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस सेवाएं के संबंध में अवसरों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

रक्षा के नए क्षेत्रों के लिए केंद्रित दृष्टिकोण

रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण देने के लिए, बीईएल ने मानव रहित सिस्टम, आरएफ और आईआर सीकर्स, मिसाइल, रॉकेट, ग्लाइड बम और अम्यूनिशन में निवेश किया है ।

मानव रहित सिस्टम

मिशन कठिनता के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से जुड़े जोखिम से बचने और मानव जीवन के मूल्य के लिए, टोही, खुफिया

जानकारी एकत्र करना, खतरों का पता लगाना आदि जैसे सैन्य अनुप्रयोग मानवयुक्त प्रणालियों से मानव रहित प्रणाली की ओर पलायन कर रहे हैं।

भारतीय यूएवी खंड 2027 तक समाप्त होने वाली LTIPP योजना अवधि के दौरान लगभग 5 बिलियन यूएसडी का समग्र अवसर प्रदान करता है। मानव रहित प्रणाली अवसरों में मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) प्रणाली, मानव रहित भूमि वाहन (यूजीवी) और मानव रहित जलअंतरित वाहन (यूयूवी) और मानव रहित भूतल वाहन (यूएसवी) प्रणाली शामिल हैं। ।

बीईएल डीआरडीओ/ विदेशी ओईएम/ भारतीय अकादमियों/ स्टार्टअप्स आदि के साथ साझेदारी करके भारतीय रक्षा/ गैर-रक्षा क्षेत्रों की यूएवी/ यूजीवी/ यूयूवी/ यूएसवी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है । बीईएल (ईओ, संचार, ईएसएम आदि जैसे) पेलोड्स और यूएवी के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आवश्यकताओं और ड्रोन गार्ड सिस्टम में क्षमताओं का विकास पर काम कर रही है । बीईएल ने रक्षा और गैर-रक्षा दोनों ग्राहकों के लिए मानव रहित सिस्टम के अवसरों के लिए एक माइक्रो एसबीयू शुरू किया है ।

आरएफ और आईआर सीकर

एसएएम और अन्य एडी मिसाइलों की अगली पीढ़ी सक्रिय/ निष्क्रिय सीकर प्रौद्योगिकियों पर आधारित है, जो लक्ष्य निशाने तक पहुंचाने के लिए आरएफ सीकर और आईआर सीकर का उपयोग करती है । आरएफ और आईआर सीकर की आवश्यकताएं, विभिन्न अगली पीढ़ी की मिसाइलों की खरीद के कारण उत्पन्न हुई मांगें हैं ।

भारत और मैत्रीपूर्ण देशों की रक्षा अधिग्रहण योजनाओं के अनुसार, अगले 10 वर्षों में आरएफ और आईआर सीकर के लिए लगभग रु. 28,000 करोड़ के अवसर हैं।

बीईएल आरएफ और आईआर सीकर की अतिरिक्त अभियांत्रिकी और उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के समवर्ती अवशोषण के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रही है । ये सीकर भविष्य के सभी स्वदेशी ए डी और अन्य मिसाइल प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव होंगे । बीईएल विनिर्मित और आपूरित आरएफ सीकर का पहले से ही उड़ान परीक्षणों में सफलतापूर्वक उपयोग किए जाते रहे हैं।

मिसाइल, रॉकेट, ग्लाइड बम और गोला-बारूद

रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल ने भारतीय उद्योग को स्वदेशी विकास और निर्धारित मिसाइलों, प्रोजेक्टाइल्स और संबंधित गोला-बारूद के विनिर्माण के अवसर प्रदान किए हैं ।

भारत की रक्षा अधिग्रहण योजनाओं के अनुसार, इस खंड के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग रु. 10,000 के करोड़ अवसर हैं।

बीईएल मेक इन इंडिया और डीपीपी के अन्य खरीद श्रेणी के तहत अवसरों की तलाश कर रही है । इसके साथ ही, बीईएल रक्षा/अंतरिक्ष क्षेत्रों के लिए प्रणोदकों के निर्माण के अवसरों की भी खोज कर रहा है । बीईएल ज्ञान/ प्रौद्योगिकी सहभागी के रूप में अकादमिया, आर एंड डी संस्थान, स्टार्ट-अप आदि के साथ साझेदारी कर रही है।

बीईएल पहले से ही मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और पुर्जों के विकास और विनिर्माण, गोला-बारूद, फ़्यूज़ आदि में लगी हुई है । बीईएल कई एमओडी और डीआरडीओ (डीसीसीपी) अवसरों की तलाश कर रही है जो खरीद के विभिन्न चरणों में हैं । इसके अलावा, बीईएल मिसाइलों, ग्लाइड बम, रॉकेट और उससे संबंधित पुर्जों के विनिर्माण के लिए आवश्यक अवसंरचना भी बना रही है।

(ख) उद्योग संरचना और विकास

वर्तमान में, भारत रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, जिसमें इसकी कई रक्षा आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत सरकार ने आयात की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एमएसएमई और स्टार्ट-अप सहित निजी क्षेत्र से पर्याप्त भागीदारी के साथ रक्षा क्षेत्र में मजबूत आत्मनिर्भर देशीय उद्योग विकसित करने का लक्ष्य तय किया है ।

इस संबंध में, सरकार ने "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम, एमएसएमई/ स्टार्ट-अप आदि द्वारा नवोन्मेष के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के विकास की ईको-प्रणाली का सृजन जैसे अनेक पहल की है। सरकार के सहयोग से भारतीय उद्योग रक्षा बलों की मूल्य कड़ी को बढ़ाने और गुणतायुक्त उत्पाद, प्रणालियाँ सुपुर्द करने और सेवाएँ प्रदान करने वाला है। सरकार ने रक्षा उत्पादन नीति का मसौदा तैयार किया है जिसका उद्देश्य 2025 तक रक्षा उत्पाद रु. 1,70,000 करोड़ तक बढ़ाना है।

रक्षा मंत्रालय ने डीपीपी 2016 के तहत भारतीय निजी क्षेत्र के लिए रणनीतिक साझेदारी मॉडल (एसपी) पेश किया है। यह मॉडल जटिल शस्त्र प्रणालियों और प्लेटफार्म की डिज़ाइन, विकास और निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र में स्वदेशी सक्षमताएँ प्रगामी रूप से निर्मित करने पर लक्षित है ।

स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एफडीआई सीमा में बढ़ोत्तरी, औद्योगिक लाइसेंस का उदारीकरण, रक्षा कॉरीडोर का विकास, iDEX/DIO द्वारा रक्षा और एरोस्पेस में नवोन्मेषी कार्यों का वित्त-पोषण, डीपीपी में बदलाव, निर्यात पर ज़ोर आदि जैसे पहल किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने प्रतिस्थापन के आयात और नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए एक सरलीकृत मेक- II प्रक्रिया जारी की है। मेक- II श्रेणी के तहत स्व-प्रेरित प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वचालित मार्ग के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 49% तक अनुमत है और सरकारी मार्ग के तहत ऊपरी 49% आधुनिक प्रौद्योगिकी में परिलक्षित होने की संभावना है।

डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी अब गैर-विशिष्ट आधार पर भारतीय उद्योग जगत को उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें टीओटी और रॉयल्टी शुल्क के भुगतान के साथ निजी क्षेत्र शामिल हैं । इसके अलावा, अक्टूबर 2019 के दौरान डीआरडीओ उद्योग के प्रौद्योगिकी में अंतरण के लिए एक संशोधित नीति और प्रक्रियाएं प्रस्तुत किया है।

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश रक्षा कॉरिडोर में आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ में छ: नोड होंगे । तमिलनाडु रक्षा कॉरिडोर के चेन्नै, कोयम्बटूर, होसुर, सेलम और तिरुचिरापल्ली में पांच नोड होंगे । आयुध निर्माणी, डीपीएसयू और निजी कंपनियों द्वारा क्रमशः तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश कॉरिडोर के लिए लगभग रु. 3,100 करोड़ और रु. 3,700 करोड़ निवेश योजना की घोषणा की गई है।

सरकार द्वारा 'मेक-I' की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और एक नए 'मेक-II' प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिससे रक्षा उत्पादन में एकीकरण करने में एमएसएमई और स्टार्टअप को मदद मिलेगी। बीईएल को भी रक्षा सेवाओं के ऐसे अनेक 'मेक-II' प्रोग्राम में भाग लेना होगा।

इन बदलते कारोबारी परिदृश्य में, बीईएल अपने अंतर्क्रिया स्तरों को बढ़ाने और भारतीय रक्षा उद्योग में उभरते रणनीतिक साझेदारों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने पर ध्यान दे रही है।

(ग) एस.डबल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

शक्तियाँ

- भारत में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ स्थापित करना ।
- अच्छी छवि, प्रतिष्ठा और कार्य नीति संस्कृति वाला रक्षा पीएसयू ।
- प्रौद्योगिकी तथा नए उत्पादों के विकास के लिए एक मज़बूत बहु-स्तरीय संस्थागत अनु. व वि. ।
- विनिर्माण एवं गुणता आश्वासन के लिए अच्छी अवसंरचना के साथ प्रतिबद्ध कार्यबल ।
- कंपनी भर ई.आर.पी. प्रणाली सहित सुस्थापित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ
- दशकों का अनुभव जो रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्ट प्रक्षेत्र ज्ञान तथा प्रमुख सक्षमताओं में परिणामित होता है
- मज़बूत उत्पाद समर्थन नेटवर्क के साथ उत्पादों की व्यापक श्रृंखला
- शस्त्र बल, रक्षा अनु. व वि. प्रयोगशालाएँ तथात सरकारी एजेंसियों के साथ सुदृढ़ संबंध
- निष्ठावान ग्राहक आधार
- विविधीकरण के पहलों में लोचता
- सहयोगकर्ताओं से सक्रिय ज्ञानार्जन
- बृहत् एवं जटिल प्रणाली एकीकरण की परियोजनाएँ एवं टर्नकी समाधान निष्पादित करने की विशेषज्ञता और अनुभव
- लगातार लाभार्जन
- ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन प्रतिबद्धता

कमज़ोरियाँ

- कुछेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कमियाँ
- रक्षा बाज़ार पर निर्भरता
- विपणन का समय अधिक
- कुछेक खंडों में प्रौद्योगिकी के लिए डीआरडीओ पर निर्भरता
- क्षीण होते प्रारक्षण

अवसर

- रक्षा और सुरक्षा की बढ़ती ज़रूरतें
- रक्षा उपकरणों के निर्माण में सरकार द्वारा मेक-इन-इंडिया पर ज़ोर

- आधुनिकीकरण, अपग्रेड प्रोग्राम तथा अनुरक्षण मरम्मत और ओवरहाल के लिए बढ़ता रक्षा बजट आबंटन
- केंद्रीय अर्धसैनिक और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर बढ़ता ज़ोर
- निर्माणी आधार के रूप में चीन से ओ.ई.एम. की वापसी।
- सौर आधारित संयंत्रों तथा संबंधित गैर-रक्षा क्षेत्रों का बढ़ता बाज़ार जैसे गृहभूमि सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क व सायबर सुरक्षा, कंपोज़िट, ऊर्जा संयंत्र आधारित सोलर, रेलवे आदि।

खतरे

- रक्षा प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हो रहे परिवर्तन
- कुछेक जटिल और अस्वीकृत प्रौद्योगिकियों के स्रोतण में कठिनाई
- नीतिगत हस्तक्षेप जो निजी क्षेत्र के पक्ष में होते हैं
- रक्षा क्षेत्र में भारतीय निजी उद्योग तथा विदेशी ओईएम, उनके जे.वी. सहित, से कई गुना बढ़ती प्रतिस्पर्धा
- रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की खरीद
- कोविद जैसे महामारी के कारण प्रभाव

(घ) कंपनी के निरंतर निष्पादन एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा निर्धारित कार्यनीति, उद्देश्य तथा लक्ष्य सहित, कार्यान्वित/ नियोजित महत्वपूर्ण प्रमुख पहल

कंपनी ने निर्वहनीय निष्पादन एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की है -

(i) <u>सह-विकास, सह-उत्पादन तथा विनिर्माण टीओटी के माध्यम से उभरते कारोबार के लिए रणनीतिक गठबंधन-</u>

कंपनी अनेक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है जैसे एईएसए आधारित आधुनिक रेडार, नौसेना रेडार, एयरबोर्न रेडार, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध-पद्धति स्यूट्स, वायु रक्षा प्रणालियाँ, भूमि, आकाशीय और अंतर्जलीय अनुप्रयोग के लिए मानवरहित प्रणालियां, पंडुब्बी-रोधी युद्ध-पद्धति प्रणालियां, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, सी41 प्रणालियां, अक्रिय रात्रि दर्शी साधित्र, मल्टी-सेन्सर स्टेबिलाइज़ेशन प्रणालियाँ, हथियार और गोला-बारूद, रेलवे और मेट्रो के लिए परिवहन समाधान, भूमि के लिए समग्र उत्पाद, समुद्री और वैमानिकी खंड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉन्च वाहन, सोलर, चिकित्सा उपकरण और संबंधित समाधान, ऊर्जा भंडारण उत्पाद आदि।

निर्यात सहित रक्षा बल और गैर-रक्षा बल कारोबार की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा प्रयोगशालाओं, आयुध निर्माणी बोर्ड, डीपीएसयू, अकादमिया, स्टार्टअप, उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्रतिष्ठित वैश्विक और भारतीय कंपनियों/ एजेंसियों के साथ कुछ और रणनीतिक साझेदारियों पर काम किया जा रहा है ।

भूतल से आकाश मिसाइल (एसएएम) सिस्टम, आरएफ/ आईआईआर सीकर, वायु रक्षा रेडार (भूतल और नौसेना आधारित), नैविगेशनल कॉम्पलेक्स सिस्टम, अगली पीढ़ी का रात्रि दृश्य उपकरण, गन उन्नयन / नए गन कार्यक्रम, विस्फोटक, गोला-बारूद, इंटीरियल नैविगेशन सिस्टम, हाई पावर लेज़र, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट वेहिकिल (एफआईसीवी), सैटकोर्म टर्मिनल, कंपोसिट उत्पाद, रैल और मेट्रो सोल्युशन, ली-आयन सेल्स, चिकित्सा उपकरण आदि सहित टीओटी का सह-विकास, सह-उत्पाद और विनिर्माण के लिए कुछ उत्पादों और प्रणालियों की पहचान की है तथा सहयोग के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

(ii) <u>संयुक्त उद्यम (मौजूदा/उभरते कारोबारी क्षेत्रों के लिए) -</u>

बीईएल प्रौद्योगिकी की कमियों को दूर करने के लिए और मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए लगातार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम/ विशेष प्रयोजन वाहनों की स्थापना के लिए अवसरों की तलाश कर रही है ।

संयुक्त उद्यम बीईएल-थेल्स सिस्टम लिमिटेड (बीटीएसएल) का गठन बीईएल और थेल्स, फ्रांस के बीच डिजाइन, विकास, विपणन, आपूर्ति और समर्थन करने के लिए और भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए नागरिक और चयनित रक्षा रेडार के उद्देश्य से किया गया है । मूल कंपनी के कार्य संस्कृति और प्रौद्योगिकी/विनिर्माण समर्थन के संगम से लाभ उठाते हुए, जेवी ने मूल संगठनों दोनों के सर्वोत्तम अभ्यासों को आत्मसात किया है और उत्पादों के विकास, मूल्यांकन और अनुकूलन के लिए केंद्र में और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हो सकते हैं। बीटीएसएल वर्तमान में भारतीय हथियार प्रणाली

परियोजनाओं के साथ-साथ वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थेल्स नीदरलैंड के साथ एक मल्टी-टार्गेटिंग रेडार के सह-विकास में लगा हुआ है ।

बीईएल शस्त्र प्रणाली कार्यक्रमों के लिए उत्पाद जीवन चक्र समर्थन प्रदान करने हेतु एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक इज़राइली ओईएम के साथ चर्चा कर रही है।

प्रौद्योगिकी अद्यतन और अनुसंधान एवं विकास चुनौतियां

प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ- रक्षा बलों के लिए उत्पादों और समाधानों को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियां प्राय: आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। प्रतिस्पर्धी बढ़त के साथ समाधान के निर्माण के लिए इन्हें विकसित और लगातार उन्नत करने की जरूरत है।

स्वामित्व प्रौद्योगिकी के लिए लॉक इन- चूंकि दुनिया भर में रक्षा बलों के लिए स्वामित्व प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना अपरिहार्य है, ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकियों और समाधानों के लिए एक ही स्रोत में बंद होना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।

उपाय -

कंपनी भर में सभी उत्पादों और समाधानों के लिए निरंतर उन्नत अंतर्निहित मुख्य प्रौद्योगिकियों की चुनौती को दूर करने के लिए, 3 स्तरीय आर एंड डी संरचना रखी गई है । सबसे ऊपरी स्तर पर, बेंगलुरू और गाज़ियाबाद में स्थित दो केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं (सीआरएल) रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव, एंबेडेड कम्प्यूटिंग सिस्टम, रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग, नेटवर्क सेंट्रिक सॉफ्टवेयर, सेंसर सिग्नल प्रोसेसिंग, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मार्ट कंप्यूटिंग सिस्टम, नेटवर्क और डेटा फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आदि के क्षेत्र में मुख्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए ब्लू स्काई अनुसंधान में लगी हुई हैं । इसके बाद उत्पाद विकास और नवोन्मेष केंद्र (पीडी एंड आईसी) द्वारा कोर प्रौद्योगिकी मॉड्यूल और उत्पादों में डिज़ाइन किया जाता है, जो दूसरी स्तर बनाता है । संबंधित सॉफ्टवेयर मॉड्यूलों के लिए यह बीईएल सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र (बीएसटीसी) द्वारा समर्थित है । तीसरे स्तर पर, सभी रणनीतिक कारोबारी यूनिटों में विकास और इंजीनियरिंग प्रभाग अपनी आवश्यकताओं को समझने के लिए ग्राहकों के साथ संपर्क करते हैं, उन्हें तकनीकी विशिष्टताओं के लिए मैप करते हैं और उच्च स्तरीय, यानी सीआरएल, पीडी एंड आईसी और बीएसटीसी के माध्यम से विकसित प्रमुख प्रौद्योगिकी मॉड्यूल को शामिल करते हुए उत्पादों / समाधानों का विकास करते हैं ।

जहां कहीं भी संभव हो, लॉक-इन से मालिकाना प्रौद्योगिकियों की चुनौती को दूर करने के लिए, कंपनी मानक प्रोटोकॉल के आधार पर प्रौद्योगिकी मॉड्यूल / समाधान विकसित करती है जिसका मूल्यांकन मानक परीक्षण और माप उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है । यहां तक कि जब एक दिया गया प्रौद्योगिकी मॉड्यूल / उत्पाद / समाधान बिल्ट टू स्पेक्स (रक्षा बलों के लिए बनाया गया टैलर) है, तो उन्हें मानक इंटरफेस के साथ विकसित किया जाता है ताकि उन्हें एक बड़े सिस्टम में प्लग और प्ले मॉड्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके । विकसित सॉल्युशन के भीतर भी, मानक इंटरफेस, प्रतिरूपता और मापनीयता सुनिश्चित की जाती है। यह लॉक-इन स्थिति के समक्ष सुरक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विकसित की गई प्रणाली आसानी से बनाए रखी जा सके। इसके अलावा, जहाँ भी एक सबसिस्टम या एक घटक की खरीद की जाती है, इस सबसिस्टम / घटक के लिए कई स्रोत कंपनी को लॉक होने से बचाने के लिए बनाए जाते हैं ।

आर एंड डी पहल और उपलब्धियां

वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्रों में बीईएल द्वारा की गई कुछ नई पहल निम्नलिखित हैं-

- बीईएल ने कई कृत्रिम बुद्धिमता आधारित उत्पादों का विकास शुरू किया है, जिनमें से कुछेक हैं- "ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग", "सोशल नेटवर्क एनालाइसिस", "रोबोटिक सर्विलांस प्लेटफॉर्म", "ह्यूमन फेस रिकॉग्निशन"।
- वायु रक्षा फायर नियंत्रण रेडार है जो मौजूदा फायर कंट्रोल रेडार को प्रतिस्थापित करेगा ।

- लोंग रेंज भूतल से हवा मिसाइल (एलआरएसएम) एक इंडो-इजरायल भूतल से हवा मिसाइल है, जिसे किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए बनाया गया है, और जिसमें विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी-शिप मिसाइल, यूएवी, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कंबेड जेट शामिल हैं। ओडिशा के तट से युद्धपोत से लॉन्ग रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल (एलआरएसएम) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है ।
- बीईएल के वैज्ञानिकों और आर एंड डी इंजीनियरों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं/ सेमिनार/ सम्मेलनों में 71 से अधिक तकनीकी पत्र प्रकाशित किए गए है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, बीईएल ने प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 160 आईपी आवेदनों (पेटेंट/ कॉपीराइट) का आवेदन किया है । वर्ष 2019-20 में बीईएल के तीन पेटेंट को स्वीकृति दी गई है ।

<u>शिक्षाजगतों के सहयोग से कंपनी द्वारा की गई कुछ नई पहलें इस प्रकार हैं-</u>

- नैनो यूएवी (इंसेक्टोकॉप्टर) की डिजाइन और विकास
- जीपीएस अस्वीकृत वातावरण में प्रचालन के लिए स्वायत्त क्वाड रोटर ड्रोन
- सहयोगी स्पेक्ट्रम संवेदन एल्गोरिथम विकास
- सीमा पर प्रयोग होने वाली भाषाओं के लिए स्वचालित वाक पहचान
- गलत कपटपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करने हेतु पायलटों के लिए आवाज की पहचान
- गेम पद्धति आधारित अवरोधन, एआई आधारित मल्टी सेंसर फ्यूजन, यूएवी इमेज/वीडियो का जियो संदर्भ
- छवि विश्लेषण आधारित पहचान, थर्मल इमेज निष्कर्षण और वर्गीकरण, फोटोग्राममेट्री का उपयोग करके लक्ष्य आकार और दूरी, स्थैतिक / गतिशील वस्तु यूएवी की ट्रैकिंग।
- वीडियो स्ट्रीम से मानव/वाहन गतिविधियों के वास्तविक समय का पता लगाने, ट्रैकिंग और वर्गीकरण के लिए एआई मॉडल का विकास

निर्धारित क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान और विकास किया गया उनमें गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ इस प्रकार है-

प्रत्येक वर्ष की तरह, 2019-20 में बीईएल द्वारा कई आरएंडडी परियोजनाएं ली गईं और कई विशिष्ट कारोबारी खंडों / क्षेत्रों में पूरी की गईं । इनमें रेडार और शस्त्र प्रणाली, संप्रेशण प्रणाली, नौसैनिक प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति और वायुयान, एयर सिचुएशनल वारफेयर, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और लेजर प्रणाली और वाणिज्यिक खंड जैसे प्रमुख खंड की परियोजनाएं शामिल हैं । उपर्युक्त कारोबारी खंडों में कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व के प्रमुख हिस्से के रूप में प्राप्त लाभ हैं । स्वदेशी आर एंड डी आमतौर पर कंपनी के 80% से अधिक के कुल कारोबार की ओर जाता है । इसके अलावा, कई प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिनमें से कुछ का आयात प्रतिस्थापन में हुआ है, जिससे आयात बिल में कमी आई है । बीईएल विकसित कुछ समाधानों के परिणामस्वरूप कंपनी को निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं ।

<u>उपकरण और घटक क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों का विवरण-</u>

- बीईएल द्वारा किए गए आर एंड डी परियोजनाएं जो निर्यात आदेशों में हुई हैं, मालदीव के लिए तटीय निगरानी प्रणाली, सेशेल्स के लिए तटीय निगरानी प्रणाली, अर्मेनिया के लिए हथियार लगाने वाले रेडार और गिनी के लिए कॉमनेट हैं ।
- आर एंड डी परियोजनाएँ, जिससे कंपनी (रक्षा और गैर-रक्षा खंड दोनों) को अधिक राजस्व प्राप्त करती हैं, जिसमें एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली, लंबी दूरी की सतह से वायु मिसाइल, मुंबई मोनोरेल के लिए ट्रेन सिम्युलेटर, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए युद्धक्षेत्र चौकसी प्रणाली, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आधारित ऑटो किराया संग्रह गेट, क्लासरूम जैमर्स, एलआईसी एमके III, शिप बॉर्न एसआईजीआईएनटी सिस्टम, एचयूडी एमके I, संयुक्ता अपग्रेड, एसओपी एमके I अपग्रेड, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिसाइल डेटा लिंक यूनिट एमके II, सीडीएमए आधारित बेतार संप्रेषण प्रणाली, इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, डिजिटल फ्लाइट नियंत्रण कंप्यूटर, मल्टी पर्पस वेपन साइट, मल्टी-फंक्शन रेडार और आकाश के लिए कमांड एंड नियंत्रण यूनिट- अगली पीढ़ी, एक्स रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली हैं ।
- प्रौद्योगिकी मॉड्यूल और सबसिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित हुए हैं, जिनके परिणामस्वरूप आयात प्रतिस्थापन डीएफसीसी के लिए डीप ब्रेज़्ड चेसिस हैं, रिपोर्टर रेडार के लिए एक्स-बैंड एलएनए, टीएचडी रेडार के लिए रेडार डेटा प्रोसेसर, रखरखाव और प्रशिक्षण समर्थन उपकरण (एमटीएसडी), थर्मल इमेजर (टीआई) साइट के लिए मध्यम तरंग इंफ्रा-रेड (एमडब्ल्यूआईआर)

ज़ून लैंस, एस बैंड जीएएन 400W डिजिटल डुअल ट्रांस्मिट- रिसीव यूनिट (डीटीआरयू) और ड्यूल रिसीव यूनिट (डीआरयू) के लिए वायु चौकसी रेडार, कॉम्पैक्ट एक्स-बैंड ट्रैकिंग रेडार (सीटीआर), रेडार इंद्रा- II के लिए मल्टी-फंक्शन कंसोल(एमएफसी), कू बैंड सैटेलाइट ऑन द मूव हैं।

(ङ) विविधीकरण/विस्तारण योजनाएँ -

विविधीकरण की रणनीति के रूप में, कंपनी ने वृद्धि के लिए, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में अधिगृहीत शक्ति एवं क्षमताओं का लाभ प्राप्त करने के लिए रक्षा तथा गैर-रक्षा क्षेत्रों में संबद्ध अवसरों की संभावनाओं की तलाश प्रारंभ की है। विगत 4-5 वर्षों में, गैर-रक्षा क्षेत्र में कंपनी ने कुल कारोबार का औसतन (ईवीएम / वीवीपैट के कारण 2018-19 में छूट) लगभग 15-20% है । इस वर्ष कंपनी का गैर-रक्षा क्षेत्र से लगभग 18% कारोबार हुआ है। कंपनी की योजना आने वाले वर्षों में विक्रयावर्त का लगभग 20-25% कारोबारी हिस्सा गैर-रक्षा से बनाए रखने की योजना है।

कंपनी नए बाज़ारों में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने और सतत विकास बनाए रखने के लिए रक्षा और गैर-रक्षा दोनों में कई नए क्षेत्रों में प्रवेश करने और कारोबार करने के लिए निरंतर प्रयास और ध्यान केंद्रित कर रही है । बीईएल द्वारा रक्षा क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किए जाने वाले कुछेक क्षेत्र में शामिल हैं - अगली पीढ़ी की एसएएम सिस्टम्स, एयरबोर्न रेडार, आर्म्स एंड एम्यूनेशन्स एंड एक्सप्लोसिव्स, आरएफ सीकर्स, आईआईआर सीकर्स, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट इंटग्रेशन, नाइट विजन डिवाइस के लिए थर्मल इमेजिंग डिटेक्टर, आईआरएनएसएस आधारित इनर्शियल नैविगेशन प्रणाली, लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले प्रणाली, विमानों और हेलिकॉप्टरों के लिए डायरेक्ट इन्फ्रारेड काउंटर उपाय, कम्पोजिट्स आदि।

गैर-रक्षा में बीईएल द्वारा ध्यान केंद्रित किए जाने वाले कुछ क्षेत्रों में शामिल हैं - एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रेडार, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस लॉन्च वाहन, स्पेस ग्रेड सोलर सेल, सैटेलाइट असेंबली एवं इंटीग्रेशन, रेलवे एंड मेट्रो सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक वाहन (Li-ion सेल, फ्यूल सेल, चार्जिंग स्टेशन आदि), गृहभूमि सुरक्षा और स्मार्ट सिटी कारोबार, स्मार्ट मीटर, स्वास्थ्य रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोविद-19 स्थिति से निपटने के लिए ।

बीईएल ने सफलतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक गोला-बारूद फ़्यूज़, मिसाइल सीकर, हल्के भार वाले कम्पोजिट शेल्टर एंड मास्ट, गृहभूमि सुरक्षा और स्मार्ट सिटी, नेटवर्क एवं साइबर सुरक्षा, रेल एवं मेट्रो सोल्यूशन (रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑटोमैटिक फ़ेयर कलेक्शन और मेट्रो के लिए गेटिंग सिस्टम) इंटेलिजेंट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा भंडारण उत्पाद, सौर ऊर्जा संयंत्र, सेल्स व मॉड्यूल्स, सैटेलाइट असेंबली एवं इंटीग्रेशन, एक्स-रे बैगेज स्कैनर्स (एक्स-बीआईएस) आदि में विविधता लाई है ।

बीईएल मौजूदा भौगोलिक बाजारों के साथ-साथ नए भौगोलिक क्षेत्रों में अपने स्थापित उत्पादों, प्रणाली और सामाधानों के लिए नए ग्राहकों बनाते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार करने का निरंतर प्रयास करती है । बीईएल ने नए कारोबार मॉडल जैसे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी प्रचालित (जीओसीओ मॉडल), ओपेक्स मॉडल आदि में नए ग्राहक खंड बनाते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार में प्रवेश किया है। बीईएल नए ग्राहक खंडों/ भौगोलिक क्षेत्रों, विशेष रूप से निर्यात बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार के साथ-साथ अपने उत्पादों/ समाधानों के अनुकूलन के लिए अपनी दोहरी प्रयोग की प्रौद्योगिकियों का लाभ लेने का प्रयास कर रही है।

बीईएल अपने नए अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यालयों पर अपने उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को नए बाजारों तक बढ़ा रही है और ऑफसेट अवसर भी तलाश रहा है । बीईएल अन्य सार्वजनिक उपक्रमों/ उद्योग कंपनियों के साथ सहभागिता भी साझा कर रहा है ताकि संसाधन साझाकरण के माध्यम से भू स्थानिक पहुंच का विस्तार हो सके।

(च) जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती और स्वदेशीकरण पर विशिष्ट उपाय-

1. जोखिम प्रबंधन –

बीईएल उन कारोबारों में प्रचालन करती है जिनमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों जैसे सक्रिय ग्राहक आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी/ सुरक्षा विचार, अनुसंधान व विकास, उपकरण मूल्यांकन और परीक्षण के लिए लंबी अवधि, प्रतिकूल परिस्थितियों में साइट पर समय पर उत्पाद समर्थन की आवश्यकताएं आदि शामिल हैं।

बड़े पैमाने पर इन जोखिमों को कम करने के लिए, बीईएल ने कंपनी भर में उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा की संस्थापना की है। ईआरएम की तैनाती मंडल की उचित मंजूरी के साथ जारी जोखिम प्रबंधन नीति पर आधारित है।

जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम प्रबंधन का ढांचा, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, ध्यान देने योग्य क्षेत्र, जोखिम चैम्पियनों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ तथा कंपनी के अन्य संबंधित कार्मिकों के बारे में बताया गया है। इस नीति में जोखिम की पहचान, उसका

आंकलन, विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी, बाज़ार, प्रचालन, वित्त, मानव संसाधन, सुरक्षा आदि से जुड़े विभिन्न जोखिमों की प्राथमिकता तय करना और उन्हें कम करने का व्यापक ढांचा भी निर्धारित किया गया है।

बीईएल के जोखिम प्रबंधन ढांचे में तीन स्तरीय संरचना है, शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल (बीओडी) (मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा प्रतिनिधित्व) और कॉर्पोरेट स्तर पर कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) तथा एसबीयू/ यूनिट/ अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में जोखिम प्रबंधन समितियां (यूआरएमसी)।

कंपनी स्तर के जोखिमों की निगरानी सीआरएमसी द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता "कार्यकारी निदेशक" द्वारा की जाती है और महाप्रबंधक स्तर पर कॉर्पोरेट का वरिष्ठ प्रबंधन इसके सदस्य होते हैं।

प्रत्येक यूनिट/एसबीयू/ आर एंड डी केंद्र में जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए यूआरएमसी का गठन किया जाता है। यूनिट जोखिम प्रबंधन समिति (यूआरएमसी) की अध्यक्षता संबंधित एसबीयू/ यूनिट प्रमुख/ आर एंड डी केन्द्र के प्रमुख करते हैं और जिसका समन्वयन संबंधित यूनिट/ आर एंड डी केन्द्र के जोखिम चैम्पियन द्वारा की जाती हैं। यूआरएमसी अपने प्रचालन क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

यूआरएमसी अपने संबंधित परिचालनीय क्षेत्रों में एक सतत गतिविधि के रूप में जोखिम मूल्यांकन करते हैं, और प्रत्येक तिमाही में जोखिमों की एक औपचारिक समीक्षा करते हैं और उसके शमन के उपायों का सुझाव देते हैं। यूआरएमसी आगे की संभावना और प्रभाव के संदर्भ में उनके मूल्यांकन के अनुसार अपने जोखिमों को प्राथमिकता देते हैं और श्रेणी निर्धारित करते हैं। प्रत्येक तिमाही में यूआरएमसी द्वारा सीआरएमसी को शीर्ष जोखिमों की सूचना दी जाती है । सीआरएमसी यूआरएमसी से प्राप्त जोखिम रजिस्टर और कंपनी स्तर के जोखिम का भी विश्लेषण करता है ।

कंपनी-व्यापी प्रभाव वाले जोखिमों की समीक्षा और सलाह की आवश्यकता है, जिन्हें आरएमसी के समक्ष रखा गया है। आरएमसी द्वारा समीक्षा और सिफारिशों के बाद, यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त परिवर्तन या नीतियों और प्रक्रियाओं की शुरूआत के माध्यम से इन जोखिमों को संबोधित किया जाता है । जोखिम, जिसका कंपनी के व्यावसायिक संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है और कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, आगे आरएमसी द्वारा बोर्ड को संदर्भित किया जाता है । बोर्ड जोखिमों की समीक्षा करेगा और उचित शमन उपायों के लिए मंजूरी देगा। इन शमन उपायों को अनुपालन के लिए आरएमसी द्वारा कार्यान्वित और आगे की समीक्षा की जाती है और कार्यान्वयन की स्थिति बोर्ड को रिपोर्ट की जाती है ।

ऐसे जोखिम जिनका प्रमुख परियोजनाओं, निवेश प्रस्तावों आदि में अत्याधिक प्रभाव पड़ सकता हैं, को विस्तृत समीक्षा और विश्लेषण तथा प्रशमन उपायों के लिए सीआरएमसी को भेजा जाता है। प्रमुख परियोजना प्रस्तावों और रणनीतिक महत्व वाले प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते समय उनके प्रस्तावों के भाग के रूप में अनिवार्य रूप में जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट शामिल किया जाता है। इससे अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को सूविचारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी ।

बीईएल में जोखिम कम करने के लिए लागू किए गए कुछ उपायों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु संस्थागत आर एंड डी किसी भी अप्रत्याशित एफई भिन्नताओं को दूर करने के लिए प्रतिरक्षा, योजनाबद्ध विकास दर बनाए रखने के लिए व्यवसाय विविधीकरण, सह-विकास और नए व्यापार के अवसर के लिए सहभागिता, स्वदेशीकरण, व्यापक पूर्तिकर्ता विकास और मूल्यांकन प्रक्रिया आदि शामिल हैं ।

कंपनी में ईआरएम की समान समझ रखने के लिए, सीआरएमसी, यूआरएमसी के सभी नए सदस्यों और अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को निरंतर आधार पर ईआरएम में प्रशिक्षित किया जाता है। कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर ईआरएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक सतत गतिविधि के रूप में बीईएल उत्कृष्टता अकादमी (बीएई), बेंगलूर के कैलेंडर कार्यक्रम में ईआरएम प्रशिक्षण शामिल है ।

बीईएल ने कारोबारी परिवेश में बदलावों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति में संशोधन किया है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संशोधित नीति जारी की जाएगी।

2. लागत कटौती -

सिविल एवं रक्षा दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी वातावरण के प्रवर्धन देखते हुए, बीईएल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागत घटाने की रणनीति अपनाई है। क्रॉस प्रकार्य क्षेत्रों से सदस्यों के साथ सभी इकाइयों में "लागत कटौती" कार्य दल स्थापित किए गए हैं। ये कार्य दल परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें कार्यान्वित करते हैं और लागत कटौती प्राप्त करने

के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लागत कटौती के कार्यकलापों में विनिर्माण तथा विनिर्माण-इतर दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और इसमें कारोबार के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है।

3. **स्वदेशीकरण -**

बीईएल हमेशा से स्वदेशीकरण के प्रयासों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा देश की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास करती है। स्वदेशीकरण गतिविधियों में, 'संस्थागत अनु. व वि., सहयोगात्मक अनु. एवं विकास एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि के साथ संयुक्त विकास शामिल हैं। स्वदेशीकरण पर और अधिक बल देने के लिए कंपनी ने बेंगलूर में एकीकृत अत्याधुनिक एवं नवीनतम कार्पोरेट अनु. व वि. केन्द्र (उत्पाद विकास नवोमेष केंद्र) की स्थापना की है। इन सभी प्रयासों के साथ, वर्ष 2019-20 के दौरान स्वदेशी प्रौद्योगिकी से कारोबार का लगभग 79% हिस्सा सृजित किया गया और हम रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर हुए।

(ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं इसकी पर्याप्तता

बीईएल में आंतरिक नियंत्रण के लिए एक मज़बूत प्रणाली है। इसने सभी वित्तीय और प्रचालन कार्यों को कवर करते हुए खरीद प्रक्रियाओं, उप-अनुबंध प्रक्रियाओं, कार्य अनुबंध प्रक्रियाओं, आईटी और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं, मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं, शक्तियों के उप-प्रतिनिधिमंडल आदि जैसी नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण किया है। इन नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, संचालन की निगरानी, और अनधिकृत उपयोग या हानियों, नियमों के साथ अनुपालन आदि से संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित लेखाकरण नियंत्रण बनाए रखने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। बीईएल ने ऑनलाइन प्रोसेसिंग और खरीद और अन्य प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए फाइल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम (एफएलएम) लागू किया है, जो सूचना/ फाइलों की पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही, सुरक्षा और सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक (भारतीय एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन के लिए लेखा की तैयारी हेतु विस्तृत दिशा- निर्देशों का निरंतर पालन किया जाता है।

बीईएल ने केंद्रीकृत परिनियोजन के साथ कंपनी भर में ईआरपी सिस्टम (एसएपी) को लागू किया है। कारोबारी संव्यवहार में प्राधिकरण सौंपते समय निवारक नियम आधारित जांचों को अंत:स्थापित करते हुए प्रयोक्ता के एक्सेस संबंधी जोखिमों को कम करने के प्राथमिक साधन के रूप में अभिशासन जोखिम और अनुपालन (जीआरसी) एक्सेस नियंत्रण मॉड्यूल को लागू किया गया है।

कर्तव्यों का विभाजन और न्यूनतम विशेषाधिकार के सिद्धांतों के आधार पर प्रयोक्ताओं को प्राधिकरण दिए गए हैं। वित्त, प्रक्रिया से वेतन, आदेश से नकद, सामग्री प्रबंधन, मा.सं. और वेतन पट्टी जैसी कई व्यावसायिक प्रक्रियाओं में प्रणाली में जोखिम नियमों को विन्यासित किया गया है । प्रक्रियाएं नियंत्रणाधीन हैं यह सुनिश्चित करने के लिए जोखिम विश्लेषण अभिलेख नियमित रूप से जारी की जाती है। महत्वपूर्ण संव्यवहार के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के रूप में अतिरिक्त नियंत्रण भी लागू है। भूमिकाओं और प्राधिकरणों में सभी परिवर्तनों के लिए ऑडिट लॉग बनाए हुए हैं।

बीईएल के पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा टीम है जो नियमित और व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जांच और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद हैं। इसके अलावा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर बारीकी से नजर रखने के लिए कंपनी के पास बोर्ड की उप-समिति यथा लेखा नियंत्रण समिति (एसी) है। साथ ही, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीईएल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा (सी एंड ए जी) के अधीन है।

बीईएल की आंतरिक लेखा-परीक्षा टीमें प्रमुख विनिर्माण यूनिटों और कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित हैं जो बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित वार्षिक लेखा-परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखा-परीक्षा करती है। सभी आंतरिक लेखा-परीक्षा दल अपने टीम के प्रमुख को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और लेखा-परीक्षाओं के उत्तर/ कार्रवाई की गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, टीम के प्रमुख आवधिक आधार पर आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुख को लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण मुद्दों का रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। आंतरिक लेखा-परीक्षा के प्रमुख सुधारात्मक कार्यों के लिए विभिन्न स्तरों पर कंपनी के प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और आखिरकार कंपनी की अच्छी तरह से स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की स्थिति को सूचित करते हुए बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार कंपनी के मुख्य गतिविधियों से जुड़े प्रमुख जोखिमों को कम करते हैं।

बीईएल का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नियमित लेखा परीक्षा, प्रणाली समीक्षा, प्रक्रिया समीक्षा, डेटा विश्लेषण आदि के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

और प्रभावशीलता की जांच करता है और कंपनी की कानूनी, नियामक और आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का कार्यनिष्पादन समय-समय पर बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। तेजी से बदल रहे कारोबारी माहौल में कंपनी की प्रचालन को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल की लेखा łक्षीरप-समिति नियमित रूप से लेखाक्षीरप-योजनाओं, महत्वपूर्ण लेखा- परीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और समय-समय पर लेखांकन मानकों और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत करने के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करती है।

कंपनी अपनी सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अनुरूप बनाने के प्रयास जारी रखे हुई है ताकि कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर सुनिश्चित किए जा सकें।

(ग) वित्तीय/प्रचालन निष्पादन -

1. रणनीति और उद्देश्य-

आपकी कंपनी की वित्तीये रणनीति के मुख्य उद्देश्य लाभदायक विकास के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न करना, राशि का पूर्ण प्रतिफल प्रदान करना और शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित करना, उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना और वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं में जोखिम कम करने की अंतर्निर्मित रणनीतियों का निर्माण करना है।

2. निष्पादन की प्रमुख झलकियाँ-

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रचालन से राजस्व	12,92,111	12,08,460
ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा परिशोधन (ई.बी.आई.टी.डी.ए.) से पहले अर्जन	2,73,013	2,86,208
ई.बी.आई.टी.डी.ए. मार्जिन (प्रचालनों से ई.बी.आई.टी.एस.ए. / राजस्व [निवल])	21.13%	23.68%
कर पश्चात् लाभ	1,79,383	1,92,729
वस्तुसूची के दिनों की सं./उत्पादन का मूल्य	117	136
कारोबार से प्राप्तियों के दिनों की सं./ विक्रयावर्त	195	166
चालू अनुपात	1.45	1.52
ऋण इक्विटी अनुपात	0.001	0.004

3. 2019-20 के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण -

- विक्रयावर्त जो वर्ष 2018-19 में रु. 11,78,922 लाख था, वर्ष 2019-20 में लगभग 6.94% बढ़कर रु. 12,60,776 लाख हुआ।
- उत्पादन का मूल्य जो वर्ष 2018-19 में रु. 11,92,142 लाख था, वर्ष 2019-20 में रु. 12,34,833 लाख हुआ। लगभग 3.58%.की बढ़ोत्तरी हुई ।
- प्रति कर्मचारी आवर्त जो वर्ष 2018-19 में रु. 122.65 लाख था, वर्ष 2019-20 में रु. 135.87 लाख हुआ।
- 2018-19 में 16.35% की तुलना में 2019-20 में पीएटी से विक्रयावर्त अनुपात 14.23% है।
- निवल मूल्य 2018-19 के रु. 9,01,891 लाख से बढ़कर 2019-20 में रु. 9,85,294 लाख हुआ।
- निवल मूल्य पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 21.37% की तुलना में 2019-20 के दौरान घटकर 18.21% हुआ।
- प्रति शेयर अर्जन 2018-19 के रु. 7.91 की तुलना में 2019-20 में रु. 7.36 रहा।
- प्रति शेयर पुस्त मूल्य 2018-19 के रु. 37.01 के समक्ष 2019-20 में रु. 40.44 रहा।

(घ) मानव संसाधान विकास

कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि, कंपनी की मानव संसाधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कर्मचारियों के लिए एचआरडी द्वारा नियोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की भूमिकाओं के लिए अपने कौशल में सुधार करना है, अर्थात् वर्तमान भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण और भविष्य के लिए विकास। विभिन्न एचआरडी पहलों के माध्यम से व्यक्तिगत और टीम दोनों स्तर पर हमारे कर्मचारियों के कार्य संबंधित कौशल वृद्धि समग्र विकास और कल्याण सुनिश्चित करती है।

कार्यपालक सक्षमता संवर्धन बास्केट में प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), प्रौद्योगिकी संवर्धन कार्यक्रम (टीईपी) और गुणता संवर्धन कार्यक्रम (क्यूईपी) शामिल हैं जो संस्थागत विशेषज्ञों के साथ ही प्रमुख संस्थानों/ एजेंसियों से संकाय के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं ।

वर्ष 2017 में, बीईएल ने एक विशेष प्रशिक्षण अकादमी, नालंदा- बीईएल उत्कृष्टता अकादमी की स्थापना की। प्रौद्योगिकी, गुणता और व्यवहार और नेतृत्व के विषयों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

यह अकादमी प्रशिक्षण के माध्यम से बीईएल की सभी यूनिटों के कार्यपालकों के लिए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने हेतु वर्तमान भूमिका की जरूरतों को पूरा करने और विकास संबंधी पहलों के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है। प्रशिक्षण और विकास विस्तृत रूप से तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किए गए है -

i) अल्पकालीन कार्यक्रम - रेडार सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग, एरियल डिलीवरी और एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम, आधुनिक रेडार के लिए उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक, भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठि, अनधिकृत ड्रोन का ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन,माइक्रोवेव व आरएफ, स्मार्ट मैटेरियल्स, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स, एडवांस्ड मेटल प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन तकनीक, मेट मैटेरियल्स और अनुप्रयोग, एजील मोबाइल आधारित एंबेडेड एसडब्ल्यू विकास, रक्षा में आईटी क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम। विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों और बीईएल के अन्य संबंधित विषयों में अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

ii) प्रमाणीकरण कार्यक्रम –डीआईएटी, पुणे से ईडब्ल्यू, रेडार, वीएचडीएल, डीएसपी, लैब व्यू प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में वेब आधारित और आवश्यकतानुरूप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (4 महीने की अवधि) । भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा विदेशी व्यापार पर छः महीने की वेब आधारित प्रमाणीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

iii) दीर्घकालिक कार्यक्रम – आवश्यकतानुरूप दो वेब आधारित एम.टेक कार्यक्रम, एक आईआईटी-मद्रास से संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग पर और दूसरा बिट्स-पिलानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ।

अकादमी सिक्स सिग्मा परियोजनाओं की भी सुविधा प्रदान करती है और वर्ष 2019-20 में, 462 सिक्स सिग्मा परियोजनाएं रु. 142 करोड़ की अनुमानित बचत के साथ पूरी की गई। गुणता और परियोजना प्रबंधन की दिशा में, अमेरिकन सोसायटी ऑफ क्वालिटी (एएसक्यू) के सहयोग से सीआरई, सीएमक्यू/ ओई, सीक्यूई, सीएमक्यू/ ओई, सीएसक्यूई और पीएमपी के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई), यूएसए जैसे वैश्विक प्रमाणन कार्यक्रम अकादमी में आयोजित किए जाते हैं।

नेतृत्व के क्षेत्र में, व्यवहार सक्षमता संवर्धन जैसे संरचित विकास कार्यक्रम, परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उन्नत कार्यक्रम, महिला नेतृत्व कार्यशालाएं, आउटबाउंड प्रशिक्षण कार्यक्रम, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन विश्लेषण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों के लिए उच्च प्रभाव के प्रशिक्षण गैर वित्त के लिए वित्त आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए गए हैं।

कंपनी की नई पहलों में केंद्रित विकास सीखने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों के लिए ऑनलाइन विकास केंद्र शामिल हैं।

महाप्रबंधकों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ पहल नीचे दिए गए हैं-

- नए पदोन्नत जीएम के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रमों की शुरूआत ।
- कार्यपालक कोचिंग ।
- मंडल साक्षात्कारों के लिए प्रशिक्षण ।
- वित्तीय रणनीतियाँ तैयार करने के मूल्य पर प्रशिक्षण।
- आरटीआई, पीओएसएच और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं पर जागरूकता कार्यक्रम।
- उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए विदेशी मॉड्यूल शामिल रहते हैं।

यूनिट एचआरडी द्वारा प्रौद्योगिकी, कार्यात्मक क्षेत्र, सामान्य प्रबंधन, व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों जैसे गुणता, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, राजभाषा और व्यावसायिक विशिष्ट विषयों में गैर-कार्यपालकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

बीईएल ने सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। कार्यस्थल के स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों का न केवल कर्मचारी कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि वे कार्यबल की उत्पादकता, समग्र समन्वय और सामंजस्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं।

अनुलग्नक-6

निगमित अभिशासन का प्रतिवेदन

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) का निगमित अभिशासन का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, समुचित प्रकटीकरण, न्यायिक अनुपालन, पारदर्शी निर्णय तथा हित के लिए संघर्षों के निवारण पर आधारित है । कंपनी, निगमित मूल्य व उद्देश्यों का पालन तथा एक निगमित नागरिक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह को महत्ता देती हैं तथा सभी स्तरों पर निरंतर नैतिक व उत्तरदायी नेतृत्व सुनिश्चित करती है। कंपनी ग्राहक संतुष्टि, वित्तीय दूरदर्शिता और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर विश्वास करती है। हमारी निगमित संरचना, व्यापार तथा प्रकटीकरण पद्धतियाँ निगमित अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप संरेखित हैं।

कंपनी अपने सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य संवर्धन की ओर सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए निगमित अभिशासन की मूल अपेक्षाओं से भी अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करती है ।

निदेशक मंडल

संघटन

कंपनी अधिनियम के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक 'सरकारी कंपनी' है यथा 31 मार्च 2020 को इसकी कुल चुकता शेयर पूँजी का 51.14% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति धारित किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 (जिसे यहां इसके बाद 'सूचीकरण विनियम' कहा गया है) के प्रावधान तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी दिशा-निर्देशों (डीपीई के दिशा-निर्देश) के अनुसार, मंडल की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा प्रबंधन एवं नियंत्रण के मंडल के कार्यों को पृथक करने के लिए, बीईएल के निदेशक मंडल के संघटन में कार्यकारी निदेशकों का उचित मिश्रण है जिसका प्रतिनिधित्व सीएमडी सहित कार्यकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नामिती निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक करते हैं । चूँकि अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक होते हैं, मंडल की कुल संख्या में से आधे स्वतंत्र निदेशक हैं ।

31 मार्च, 2020 को बीईएल के निदेशक मंडल में सीएमडी सहित सात पूर्णकालिक कार्यकारी (प्रकार्यात्मक) निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी (गैर-कार्यकारी) निदेशक तथा सात अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशक सम्मिलित हैं ।

31 मार्च 2020 को एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित पांच स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियाँ हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को अधिसूचना भेजी गई है, इन रिक्तियों को भरने का मामला रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

बैठकें तथा मंडल की बैठकों की उपस्थिति

31 मार्च 2020, को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की आठ बैठकें आयोजित की गई और ऐसी किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था । मंडल की बैठकें दिनांक 3 मई 2019, 29 मई 2019, 29 जुलाई 2019, 16 सितंबर 2019, 4 नवंबर 2019, 30 जनवरी 2020 तथा 28 फरवरी 2020 और 31 मार्च 2020 को आयोजित हुईं । यथा 31 मार्च 2020 को मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा अन्य संस्थानों/समितियों में उनके द्वारा निदेशक का पद धारित करने की संख्या के विवरण नीचे दिए गए हैं -

क्रम. सं.	निदेशकगण के नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें सम्मिलित हुए	16 सितं. 2019 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति	निदेशकों के रूप में पदधारित बैठकों की सं.*	सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या#	
						सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशक							
1	श्री एम वी गौतम	08	08	जी हाँ	01	शून्य	शून्य
2	श्री नटराज कृष्णप्पा (30.11.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	05	जी हाँ	-	-	-
3	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	08	07	जी हाँ	03	02	शून्य

क्रम. सं.	निदेशकगण के नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिसमें सम्मिलित हुए	16 सितं. 2019 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति	निदेशकों के रूप में पदधारित बैठकों की सं.*	सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या#	
						सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
4	श्री आर.एन. बग्दलकर (30.05.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	02	02	ला.न.	-	-	-
5	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	08	08	जी हाँ	03	01	02
6	श्री महेश वी	08	08	जी हाँ	03	01	शून्य
7	श्री विनय कुमार कत्याल	08	08	जी हाँ	01	शून्य	शून्य
8	श्री शिवकुमारन के एम (11.06.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	06	06	जी हाँ	01	01	शून्य
9	श्रीमती शिखा गुप्ता (01.12.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	03	03	ला.न.	01	01	शून्य
अंशकालिक सरकारी (गैर-कार्यकारी) निदेशक							
10	डॉ. अमित सहाय	08	08	जी हाँ	01	शून्य	शून्य
11	सुश्री जे मंजुला	08	02	जी हाँ	02	01	शून्य
अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशक							
12	डॉ. भास्कर राममूर्ति (01.12.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	04	जी नहीं	-	-	-
13	डॉ. आर के शेवगांवकर (01.12.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	03	जी हाँ	-	-	-
14	श्रीमती उषा माथुर (22.12.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	04	जी हाँ	-	-	-
15	श्री शरद श्याम सांघी (06.01.2020 को निदेशक पद से निर्गमित)	05	02	जी नहीं	-	-	-
16	श्री मुक्का हरीश बाबू	08	08	जी हाँ	01	शून्य	01
17	श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	08	08	जी हाँ	02	02	शून्य
18	डॉ. विजय शंकर मदान	08	08	जी हाँ	01	शून्य	01
19	श्री सुनील कुमार कोहली (18.07.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त)	06	06	जी हाँ	01	01	शून्य

गैर-कार्यकारी निदेशकों में से किसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान कोई इक्विटी शेयर या परिवर्तनीय उपकरण धारित नहीं किए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान परस्पर निदेशकों में से किसी का कोई संबंध नहीं रहा।

टिप्पणी- * प्राइवेट कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों में निदेशक के पद को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के पद।

सूचीकरण विनियम के विनिमय 26 के अनुसार, सरकारी लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति तथा पणधारक संबंध समिति की अध्यक्षता / सदस्यता पर विचार किया जाता है ।

ऊपर उल्लिखित निदेशक पदों तथा समितियों में धारित पदों की संख्या निदेशकों द्वारा यथा अधिसूचित हैं तथा यह संपुष्ट किया जाता है कि कोई भी निदेशक दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं अथवा जिन कंपनियों में वे निदेशक पद पर कार्यरत हैं, उनमें उन्होंने पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष रूप में कार्य नहीं किया है । कंपनी के कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में और कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में कार्य नहीं करते हैं । कंपनी के कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंध निदेश तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक का पद धारित नहीं करते हैं।

कंपनी में कंपनी पर लागू सभी नियमों, जैसा कि कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, के अनुपालन रिपोर्ट की आवधिक समीक्षा करने में बोर्ड को सक्षम बनाने और अनुपालन न करने के मामलों को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा किए गए जाने वाले उपायों की उचित प्रणाली है। बोर्ड ने कंपनी द्वारा तैयार की गई अनुपालन रिपोर्ट की अर्ध-वार्षिक आधार पर समीक्षा की है।

स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, निदेशक मंडल यह संपुष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशक सूचीकरण विनियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन के निरपेक्ष हैं और किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समापन से पहले इस्तीफा नहीं दिया है।

अन्य सूचीबद्ध स्वत्वों के नाम जहां कंपनी के निदेशक 31 मार्च 2020 तक निदेशक और उनके निदेशक पद श्रेणी के हैं-

क्रम. सं.	निदेशकगण के नाम	सूचीबद्ध स्वत्वों के नाम जिसमें संबंधित निदेशक एक निदेशक हैं	निदेशक पद की श्रेणी
1	श्री एम वी गौतम (डी आई एन- 07628039)	शून्य	लागू नहीं
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम (डी आई एन- 07616518)	शून्य	लागू नहीं
3	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (डी आई एन- 07896084)	शून्य	लागू नहीं
4	श्री महेश वी (डी आई एन- 08130292)	शून्य	लागू नहीं
5	श्री विनय कुमार कत्याल (डी आई एन- 08281078)	शून्य	लागू नहीं
6	श्री शिवकुमारन के एम (डी आई एन- 08473589)	शून्य	लागू नहीं
7	श्रीमती शिखा गुप्ता (डी आई एन- 08597649)	शून्य	लागू नहीं
8	डॉ. अमित सहाय (डी आई एन- 02188330)	शून्य	लागू नहीं
9	सुश्री जे मंजूला (डी आई एन- 07684528)	शून्य	लागू नहीं
10	श्री मुक्का हरीश बाबू (डी आई एन- 07937907)	शून्य	लागू नहीं
11	श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही (डी आई एन- 07595264)	एचएफसीएल लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक
12	डॉ. विजय शंकर मदान (डी आई एन- 00806142)	शून्य	लागू नहीं
13	श्री सुनील कुमार कोहली (डी आई एन- 05321549)	शून्य	लागू नहीं

निदेशक मंडल का कौशल / विशेषज्ञताएँ / समक्षताएँ

बीईएल एक सरकारी कंपनी है और इसके निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति / पुन:नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी से संबंधित कारोबार और कार्य-क्षेत्र में यथा अपेक्षित कौशल / विशेषज्ञताएँ / सक्षमताएँ भारत सरकार द्वारा अभिचिह्नित की जाती हैं और तदनुसार, कंपनी के मंडल में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है।

पदाधिकारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव, कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, प्रचालन, तकनीकी, मानव संसाधन और विपणन की आवश्यकता के अनुसार है। कार्यात्मक निदेशकों की भर्ती के समय, अभ्यर्थियों की रिक्ति और भर्ती की घोषणा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से अभ्यर्थियों के कार्य विवरण, वांछनीय योग्यता और अनुभव सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को भेजे जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभिज्ञता कार्यक्रम

नए स्वतंत्र निदेशक के प्रवेश के समय, कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण के विनियमों तथा अन्य लागू विनियमों के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों के अतिरिक्त, एक निदेशक के रूप में करने हेतु अपेक्षित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के विवरणों के साथ-साथ, उन्हें संबोधित एक स्वागत पत्र भेजा जाता है। निदेशकों से संबंधित प्रकटण लिए जाते हैं और कंपनी का प्रबंधन नए निदेशकों को कंपनी, उसके कामकाज, कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं, कंपनी के विभिन्न प्रभागों और उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, अभिशासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा कंपनी से संबंधित अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराता है। निदेशकों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित मंडल संबंधी पद्धतियों एवं अभिमुखीकरण कार्यकर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रायोजित भी किया जाता है। निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण कंपनी की वेबसाइट के इस वेबलिंक पर प्रकट किए गए हैं – वेबलिंक- http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=2505&LId=1&link=2505

पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाणीकरण

यथा 31 मार्च 2020 को मेसर्स तिरुपाल गोरिगे एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव ने सूचीकरण के विनियमों के तहत यथा अपेक्षित एक प्रमाण-पत्र जारी किया है जिसमें यह संपुष्ट किया गया है कि कंपनी के मंडल के कोई भी निदेशक सेबी/ कार्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने/ निदेशक के पद पर बने रहने से निष्कासित या अयोग्य घोषित नहीं किए गए हैं।

निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 177, सूचीकरण के विनियम 18 तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है । कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में तीन (3) स्वतंत्र निदेशक हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, निदेशक (वित्त), निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स), निदेशक (अन्य यूनिटें) तथा आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख को भी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं । लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक है। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने 16 सितंबर, 2019 को आयोजित कंपनी की 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया। लेखा परीक्षा के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 जिसे सूचीकरण विनियमों के विनियम 18, अनुसूची II भाग-सी और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार पढ़ा जाना है, में विनिर्दिष्टानुसार होगें। वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा समिति की छः (6) बार बैठकें हुई और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था। निदेशक मंडल द्वारा लेखा-परीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा निष्पादित कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित हैं -

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, समुचित और विश्वसनीय हैं;
- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं शर्तों की सिफारिश करना;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना;
- सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के भाग-सी(ए) (4) की अनुसूची II में बताए गए अनुसार उसके विशेष संदर्भ के साथ तिमाही लेखा अपरीक्षित विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट / मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना;
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य-निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना;
- संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या अनुवर्ती संशोधन करना;
- अंतर-निगमित ऋण व निवेश की संवीक्षा करना;
- जहां आवश्यक हो, कंपनी की वचनबद्धता या परिसंपत्तियों का आंकलन करना;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का आंकलन करना;
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के कामकाज की समुचितता की समीक्षा करना जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, उसके कर्मचारियों और विभाग प्रमुख की वरिष्ठता, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग की संरचना और आवृत्ति भी शामिल है;
- किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर आगे की कार्रवाई करना;
- ऐसे मामलों में आंतरिक लेख परीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहाँ महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या विफलता हो और ऐसे मामले के रिपोर्ट मंडल को करना;
- लेखा परीक्षा की प्रकृति और किसी चिंताग्रस्त क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा के बारे में, लेखा परीक्षा शुरु होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा;
- शेयरधारकों और लेनदारों को भुगतान में सारभूत चूक के कारणों पर ध्यान देना (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में);
- सचेतक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना;
- भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता की समीक्षा करना;
- प्रबंधन के विश्लेषण की समीक्षा और वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों का विश्लेलषण करना;
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेनों (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित) के विवरण की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्र / पत्रों की समीक्षा करना;
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- सी एंड ए जी की लेखा परीक्षा के प्रेक्षण की समीक्षा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ;
- मंडल द्वारा समिति को भेजे गए किसी अन्य प्रकार्य को करना ।

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति के संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी के विवरण नीचे दिए गए हैं -

नाम	श्रेणी	31 मार्च 2020 को धारित पद	लेखा परीक्षा समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति -					
			29 मई 2019	29 जुलाई 2019	30 अगस्त 2019	04 नवंबर 2019	30 जनवरी 2020	19 फरवरी 2020
श्री मुक्का हरीश बाबू	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती उषा माथुर (22.12.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. आर के शेवगांवकर (01.12.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री सुनील कुमार कोहली (31.12.2019 को नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓

नामांकन और पारिश्रमिक समिति -

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सूचीकरण विनियमों के विनियमन 19 के अनुरूप की गई है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान चार (4) बार बैठकें की। वर्ष 2019-20 के दौरान समिति के संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी का विवरण नीचे दिया गया है -

नाम	श्रेणी	31 मार्च 2020 को धारित पद	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की आयोजित बैठकों में उपस्थिति			
			16 अप्रैल 2019	28 व 29 नवंबर 2019	29 जनवरी 2020	20 व 21 फरवरी 2020
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓
श्री एम वी गौतम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓
श्री शरद श्याम सांघी (31.12.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	छुट्टी के कारण अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. आर के शेवगांवकर (01.12.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मुक्का हरीश बाबू (31.12.2019 को नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓
डॉ. विजय शंकर मदान (31.12.2019 को नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓

समिति द्वारा निष्पादित कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं -

- कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रपति के निर्देशों / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड को नीति की सिफारिश करना;
- कंपनी के कर्मचारियों के लिए कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन का अनुमोदन करना;
- बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी निदेशकों यानी कार्यकारी निदेशक (ई.डी.) / महाप्रबंधकों (जी.एम.) का चयन करना।

पारिश्रमिक नीति / कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

बीईएल, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण के निदेशकों (सीएमडी सहित कार्यशील निदेशक) की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) / खोज समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं जिसमें नियुक्ति की अवधि, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास की हकदारिता आदि सहित वेतन मान के साथ-साथ नियुक्ति के निबंधन व शर्तें दर्शाई जाती हैं जो कंपनी के संबंधित नियमों के अधीन होते हैं। सीएमडी सहित कार्यशील निदेशकों के वेतनमान रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (पदेन निदेशक के रूप में) रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है और वे किसी पारिश्रमिक/ बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और वे सरकारी निदेशों/ सांविधिक नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित मंडल/समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क के हकदार होते हैं।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति/ पारिश्रमिक तथा अन्य मामले बीईएल के भर्ती नियमों तथा प्रक्रियाएँ द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे समय-समय पर निदेशक मंडल तथा/ या सीएमडी द्वारा जारी किए जाने वाली नीतियों तथा निर्देशों के अधीन होते हैं। के.एम.पी. तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के वेतनमान रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2019 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की विशेष बैठक में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक पूर्णकालिक निदेशक, गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा स्वतंत्र की गई। नियोजन और योगदान का स्तर, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति, विभिन्न भागीदारों की हित सुरक्षा आदि जैसी कुछेक महत्वपूर्ण परिमापियों के आधार पर सीएमडी सहित सभी निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रयोग किया गया। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

(राशि रु. में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन और भत्तें	कार्य-निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन	अन्य सुविधाएं और अनुलब्धियां	कुल
श्री एम वी गौतम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	45,00,092	18,84,339	12,24,620	**76,09,051**
श्री आर एन बग्दलकर (30.05.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	निदेशक (एचआर)	6,50,748	13,91,113	1,84,858	**22,26,719**
श्री नटराज कृष्णप्पा (30.11.2019 को निदेशक पद से निर्गमित)	निदेशक (अन्य यूनिटें)	28,93,750	14,94,810	10,04,957	**53,93,517**
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन)	36,49,171	14,78,444	20,07,448	**71,35,063**
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त)	39,08,391	13,63,710	13,71,084	**66,43,185**
श्री महेश वी	निदेशक (आर एंड डी)	38,26,347	12,70,450	10,74,424	**61,71,221**
श्री विनय कुमार कत्याल	निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स)	32,50,594	10,08,134	17,77,708	**60,36,436**
श्री शिवकुमारन के एम (11.06.2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त)	निदेशक (एचआर)	25,72,973	7,89,897	16,07,284	**49,70,154**
श्रीमती शिखा गुप्ता (01.12.2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त)	निदेशक (अन्य यूनिटें)	12,70,656	7,89,801	9,70,422	**30,30,879**

अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी /गैर-कार्यकारी) निदेशकों को मंडल/समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए पारिश्रमिक या बैठक शुल्क नहीं दिया जाता। अंशकालिक स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशकों को मंडल/समिति की समिति की प्रति बैठक के लिए रु. 20,000 का बैठक शुल्क दिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की प्रदत्त उपस्थिति शुल्क का विवरण दिया गया है:-

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	राशि (रु.)
श्रीमती उषा माथुर	2,40,000
डॉ. भास्कर राममूर्ति	1,40,000
डॉ. आर.के. शेवगांवकर	2,40,000
श्री शरद श्याम सांघी	40,000
श्री मुक्का हरीश बाबू	4,20,000
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	4,20,000
डॉ. विजय शंकर मदान	2,40,000
श्री सुनील कुमार कोहली	2,40,000
कुल	**19,80,000**

कंपनी अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं देती है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया है। बैठक शुल्क तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

पणधारकों की संबंध समिति

पणधारकों की संबंध समिति का संघटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा सूचीबद्ध विनिमय के विनियम 20 के अनुसार है। वर्ष 2019-20 के दौरान पणधारकों की संबंध समिति की संघटन और उक्त समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरण निम्नानुसार हैं-

नाम	श्रेणी	31 मार्च 2020 को धारित पद	29 जनवरी 2020 को आयोजित पणधारकों की संबंध समिति की बैठक में उपस्थिति
श्री विजय शंकर मदान (31.12.2019 को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓
श्री शरद श्याम सांघी (31.12.2019 को अध्यक्ष पद से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	लागू नहीं
श्री आर एन बग्दलकर (30.05.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	निदेशक (एचआर)	-	लागू नहीं
श्री के एम शिवकुमारन (11.06.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (एचआर)	सदस्य	✓
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.12.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (वित्त)	सदस्य	✓
श्रीमती शिखा गुप्ता (01.12.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (अ.यू.)	सदस्य	✓

अधिनियम की धारा 178 तथा विनियम 20 के भाग डी अनुसूची II प्रावधान के अनुसार पणधारकों की संबंध समिति के विचारार्थ विषय निर्धारित किए जाते हैं।

शेयरधारकों से शिकायतें प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें, जो मुख्य रूप से लाभांश के भुगतान तथा वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित थीं, वर्ष के दौरान निपटाई गई। 31 मार्च 2020 को कोई शिकायत लंबित नहीं थी। 2019-20 (सेबी स्कोर) के दौरान निवेशकों की शिकायतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटाई गई शिकायतों की सं.	लंबित शिकायतों की सं.
03	03	कोई नहीं

अनुपालन अधिकारी

श्री एस.श्रीनिवास, कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं । उनका संपर्क विवरण इस प्रकार हैं -

श्री एस.श्रीनिवास
कंपनी सचिव
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय, आउटर रिंग रोड,
नागवारा, बेंगलूरु - 560045
दूरभाष: 080-25039266, टेली फ़ैक्स: 080 – 25039266,
ईमेल : secretary@bel.co.in

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों तथा डीपीई दिशा-निदेशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति गठित की गई है ।

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय में वर्तमान सीएसआर और निर्वहनीय नीति की समीक्षा करना और इसे अधिक व्यापक बनाना शामिल है ताकि कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII तथा समय-समय पर जारी किए जाने वाले डीपीई के दिशा-निदेशों में निर्दिष्टानुसार हों। समिति के कुछ महत्वपूर्ण विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं -

- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति और कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करना और बोर्ड को इनकी सिफारिश करना;
- किए गए कार्यों पर होने वाले खर्च की राशि संस्तुत करना;
- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में कंपनी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना;
- कंपनी द्वारा प्रचालित कारोबार से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव पर बाहरी और स्वतंत्र निरीक्षण व मार्गदर्शन प्रदान करना;
- समय-समय पर कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करना।

वर्ष 2019-20 को सीएसआर समिति का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरण नीचे दिया गया है –

सदस्य का नाम	श्रेणी	31 मार्च 2020 को धारित पद	इन तारीखों को आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति	
			18 जुलाई 2019	29 जनवरी 2020
श्री एम वी गौतम	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓
श्री नटराज कृष्णप्पा (30.11.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	निदेशक (अन्य यूनिटें)	-	✓	लागू नहीं
श्री आर एन बग्दलकर (30.05.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	निदेशक (एच. आर.)	-	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री उषा माथुर (22.12.2019 को सदस्यता से निर्गमित)	स्वतंत्र निदेशक	-	✓	लागू नहीं
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	✓	✓
श्री सुरेन्द्र सिंह सिरोही	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓

सदस्य का नाम	श्रेणी	31 मार्च 2020 को धारित पद	इन तारीखों को आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति	
			18 जुलाई 2019	29 जनवरी 2020
श्री शिवकुमारन के एम (11.06.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (एच. आर.)	सदस्य	✓	✓
श्रीमती शिखा गुप्ता (01.12.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (अन्य यूनिटें)	सदस्य	लागू नहीं	✓
श्री मुक्का हरीश बाबू (31.12.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	लागू नहीं	✓

कंपनी ने उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाते हुए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं निर्वहनीयता नीति अपनाई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शिक्षा और पर्यावरण धारणीयता को बढ़ाने के क्षेत्र में सीएसआर के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए।

जोखिम प्रबंध समिति

सूचीकरण विनियम 2015 के विनिमय 21 की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों के बहुमत से जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है । बोर्ड 'जोखिम प्रबंध समिति' द्वारा जोखिम प्रबंध की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करते हैं, जिसमें आंतरिक निगमित जोखिम प्रबंध समिति द्वारा अभिचिह्नित जोखिमों का परीक्षण किया जाता है, कंपनी में जोखिम प्रबंध की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है और जोखिम को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन एवं उसकी प्रभावशीलता की मानीटरी और समीक्षाएँ की जाती हैं। जोखिम प्रबंध नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com में डाली गई है। जोखिम प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट के भाग के रूप में जोखिम प्रबंध प्रक्रिया पर एक आलेख प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंध समिति का संघटन और उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की सहभागिता के विवरण इस प्रकार हैं –

सदस्य का नाम	श्रेणी	31 मार्च 2020 को धारित पद	17 अक्तूबर 2019 को आयोजित आर.एम.सी. की बैठक में उपस्थिति
श्रीमती आनंदी रामलिंगम (31.12.2019 को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)	निदेशक (अन्य यूनिटें)	अध्यक्ष	✓
श्री नटराज कृष्णप्पा (30.11.2019 को अध्यक्षता एवं सदस्यता से निर्गमित)	निदेशक (विपणन)	-	✓
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	✓
श्री विनय कुमार कत्याल	निदेशक (बेगलूरु काम्प्लेक्स)	सदस्य	✓
श्रीमती शिखा गुप्ता (01.12.2019 को सदस्य के रूप में नियुक्त)	निदेशक (अन्य यूनिटें)	सदस्य	लागू नहीं
श्रीमती हेमलता के	जीएम (रणनीति योजना)	सदस्य	✓

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 26 नवंबर 2019 को अन्य बातों के साथ निम्न बातों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई-

i. गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा समग्र रूप से मंडल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा ;

ii. कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की राय लेते हुए, कंपनी के अध्यक्ष का कार्य-निष्पादन की समीक्षा;

iii. कंपनी के प्रबंधन तथा मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणता, सामग्री और समय-सीमाएं, जो मंडल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और औचित्यपूर्ण ढंग से करने के लिए आवश्यक हो।

उक्त बैठक में डॉ. भास्कर राममूर्ति, श्री शरद सांघी को छोड़कर कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

अन्य गैर- आज्ञापक समितियाँ

मंडल की निम्नलिखित उप-समितियाँ गठित की गई -

अनुसंधान व विकास समिति

महत्व पूर्ण अनुसंधान, विकास एवं इंजीनियरिंग के प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए अनु. व वि. समिति गठित की गई है जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (अनु. व वि.) शामिल हैं ।

पूँजी निवेश समिति

महत्वपूर्ण पूँजी निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने हेतु पूँजी निवेश समिति गठित की गई है जिसमें दो स्वतंत्र निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (बेंगलूर कॉम्पलेक्स) और निदेशक (अन्य यूनिटें) शामिल हैं।

शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण, पारेषण, अनुलिपि प्रमाण-पत्र आदि पर विचार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (अन्य यूनिटें) को शामिल करते हुए शेयर अंतरण समिति गठित की गई है ।

कंपनी सचिव ऊपर उल्लिखित मंडल की सभी समितियों के सचिव हैं।

आचार संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के 17(5) के विनिमय तथा डीपीई दिशा-निदेशों के अधीन सभी बोर्ड सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबारी आचार संहिता निर्धारित की है । यह कारोबारी आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में अपलोड की गई है । 31 मार्च 2020 को मंडल के सभी सदस्य, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने इस कारोबारी आचार संहिता के अनुपालन की संपुष्टि की है । इस रिपोर्ट के साथ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा के साथ संलग्न है ।

भेदिया व्यापार की रोकथाम तथा उचित प्रकटण की संहिता

दिनांक 31 दिसंबर 2018 को अधिसूचित सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) यथा संशोधित विनियम, 2018 तथा उसके बाद दिनांक 21 जनवरी, 2019 को अधिसूचित सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम में किए गए संशोधन के अनुसार कंपनी में भेदिया व्यापार के विनियम, निगरानी तथा रिपोर्टिंग की संशोधित आचार संहिता और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित अप्रकाशित कीमत संवेदन सूचना के उचित प्रकटण की प्रक्रिया (जिसे यहाँ इसके बाद संहिता कहा गया है) विद्यमान है । यह संहिता सभी पदनामित व्यक्तियों जिनमें उनके नसदीकी रिश्तेदार भी सामिल है, जिन्हें कीमत संवेदन सूचना प्राप्त हो सकती है और सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में यथा उल्लिखित अन्य व्यक्तियों पर लागू होती है। कंपनी सचिव इस संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में डाला गया है ।

सहायक कंपनियाँ

यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी की कोई महत्वपूर्ण असूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी नहीं है। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के साथ सहायक कंपनियों के लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है, जिसमें सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष मंडल की बैठक का कार्यवृत, कंपनी की असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के महत्वपूर्ण लेन-देन और व्यवस्थाओं की रिपोर्ट रखी जाती है। महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर नीति तैयार की गई है और इसे कंपनी की वेबसाइट- http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&LId=1&link=527 पर उपलब्ध कराया गया है।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्ध विनियम और डीपीई दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार, इस रिपोर्ट में सीईओ और सीएफओ प्रमाण-पत्र उपलब्ध किए गए हैं।

राष्ट्रपति के निदेश एवं दिशा-निर्देश

कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षक स्टाफ़ का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से देय था। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 द्वारा मंडल स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के वेतन पुनरीक्षण पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तदुपरांत, बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा मंडल से दिनांक 01.01.2017 से लागू होने वाले वेतन पुनरीक्षण का अनुमोदन मांगा गया। बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने पर, डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। तदनुसार, मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 10.11.2017 से लागू करते हुए राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए। राष्ट्रपति के निर्देश जारी करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.01.2017 से लागू करते हुए वेतन पुनरीक्षण कार्यान्वित किया गया।

शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा का समाधान

सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 के तारतम्य में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और कुल स्वीकृत पूँजी तथा कुल जारी व सूचीबद्ध पूँजी के समाधान हेतु कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ कुल निर्धारित पूंजी के समाधान के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूंजी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन(आरएससीएआर) का समाधान प्राप्त करती है। आरएससीएआर में यह संपुष्टि की जाती है कि कुल जारी/ प्रदत्त पूँजी पूंजी वास्तविक रूप में कुल शेयरों की संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल में धारित डीमैटरियलीकृत शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। आरएससीएआर स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई व एनएसई) को अग्रेषित की जाती है ।

डीपीई श्रेणीकरण

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिया जाने वाला डीपीई दिशा-निर्देश बताया गया है कि सीपीएसई को दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। डीपीई ने बीईएल को वर्ष 2018-19 के लिए “उत्कृष्ट” के रूप में वर्गीकृत किया है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि खाते को अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 जिसे निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई.ई.पी.एफ.) प्राधिकारी (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (‘नियम’) यथा संशोधित के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, कंपनी को सात वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद सभी अदत्त एवं दावा न किए गए लाभांश को केन्द्र सरकार द्वारा संस्थापित आई.ई.पी.एफ. को अंतरित करना है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार, ऐसे शेयर जिनके संबंध में लाभांश अदा नहीं किया गया है या शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए दावा नहीं किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने आई.ई.पी.एफ. को अदत्त लाभांश खाते से रु. 1,25,290.80 राशि अंतरित की है। वर्ष 2012-13 के लिए अदावी/ अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2020-21 में आई.ई.पी.एफ. को अंतरित किया जाना है। आईईपीएफ को वर्ष के दौरान अंतरित राशि में “आरटीए, जारीकर्ता कंपनियाँ और जारी करने वाले बैंकर के दिशा-निर्देशों को सशक्त बनाना और उद्योग के मानकों को बनाए रखना” पर सेबी के परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2018 के अनुसार कालातीत वारंट/ डीडी को रद्द करने के कारण प्राप्त बैंक क्रेडिट भी शामिल हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.in में एक पृथक पृष्ठ में “निवेशक” शीर्ष के अधीन लाभांश भुगतान तथा अदत्त लाभांश के दावा करने संबंधी मार्गदर्शी सूचना के विवरण दिए हैं । शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त/ अदावी लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए दावा प्रारूप का उपयोग करें। आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ आईईपीएफ की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

सामान्य निकाय की बैठकें

(क) स्थान और समय, जहां पिछले तीन एजीएम आयोजित किए गए थे- अंतिम तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	स्थान	तारीख और समय
2016-17	दि कलिंग हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूर - 560001	20 सितंबर 2017 दोपहर 03:30 बजे
2017-18	दि कलिंग हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूर - 560001	25 सितंबर 2018 दोपहर 03:30 बजे
2018-19	दि कलिंग हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूर - 560001	16 सितंबर 2019 दोपहर 03:30 बजे

(ख) क्या पिछले तीन एजीएम में कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था- 25 सितंबर 2018 को आयोजित 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक और 16 सितंबर 2019 को आयोजित 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक में संस्था के बहिर्नियम में उद्देश्य खंड के परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया।

(ग) क्या डाक मतपत्र के माध्यम से पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का विवरण - वर्ष 2019-20 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया ।

(घ) डाक मतपत्र का संचालन करने वाला व्यक्ति - लागू नहीं ।

(ङ) क्या डाक म पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव है- वर्तमान में, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) डाकमत पत्र की प्रक्रिया- लागू नहीं।

संप्रेषण के माध्यम

कंपनी की त्रैमासिक (लेखा अपरीक्षित) और वार्षिक (लेखा परीक्षित) वित्तीय परिणामों को सूचीकरण विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और बीएसई सूचीबद्ध केन्द्र पर अपलोड किए गए है। वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। वित्तीय परिणाम दि इकनोमिक टाइम्स (अंग्रेजी), प्रजावाणी एंड विजय कर्नाटक (कन्नड़) और जनसत्ता और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर पोस्ट किए गए हैं। सूचीकरण की अपेक्षाओं के संदर्भ में, कंपनी के पास निवेशकों की शिकायतों को निपटान के लिए एक निर्दिष्ट ईमेल आईडी यानी secretary@bel.co.in है।

कंपनी विनियम 30 जिसे सेबी के विनियमों की अनुसूची III के भाग-क के साथ पढ़ा जाना है और जिसमें कंपनी के कार्य-निष्पादन/कामकाज पर या अन्य कीमत संवेदन सूचना पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण सूचना भी शामिल है, के तहत प्रकट करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाएँ स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट करती है। अधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ तथा संस्थागत निवेशकों/ विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतीकरण कंपनी की वेबसाइट पर डाले गए हैं।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

वार्षिक सामान्य बैठक

तारीख : 30 सितंबर 2020

समय : 10:00 बजे (आई एस टी)

स्थान : कंपनी एमसीए परिपत्र दिनांक 05 मई 2020 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है और इस प्रकार एजीएम के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की 66वीं एजीएम की सूचना देखें।

वित्तीय कैलेन्डर 2020-21

वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021
पहली तिमाही के परिणाम	:	जुलाई 2020 के अंत तक
दूसरी तिमाही के परिणाम	:	अक्तूबर 2020 के अंत तक
तीसरी तिमाही के परिणाम	:	जनवरी 2021 के अंत तक
वार्षिक लेखा परीक्षित परिणाम	:	मई 2021 के अंत तक
वार्षिक सामान्य बैठक	:	अगस्त/सितंबर 2021

पुस्त बंदी

17 सितंबर 2020 से 20 सितंबर 2020 (दोनों दिन सहित)

लाभांश भुगतान की तारीख

घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंज का सूचीकरण

बीईएल के शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं-

(1) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, फीरोज जीजीबॉय टॉवर्स,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

(2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई – 400 051

कंपनी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों को दिया गया स्टॉक कोड और कंपनी के इक्विटी शेयरों के डीमैट लेन-देन के लिए निक्षेपागारों द्वारा निर्दिष्ट आईएसआईएन नंबर नीचे दिए गए हैं:-

स्टॉक एक्सचेंज	**स्टॉक कोड**
बीएसई लि.	500049
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीईएल
आईएसआईएन	INE263A01024
सीआईएन	L32309KA1954GOI000787

निक्षेपागारों को अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए दोनों निक्षेपागारों नामत: एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक अभिरक्षा का भुगतान किया है ।

बाजार कीमत संबंधी आंकड़े

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में कंपनी के शेयरों के उच्च/ निम्न बाजार मूल्यों के विवरण निम्नानुसार है।

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक बीएसई की तुलना में बीएसई सेंसेक्स पर बीईएल शेयर मूल्य ।

माह	बीएसई सेंसेक्स समापन	बीईएल शेयर मूल्य			लेनदेन किए गए शेयरों की सं.	विक्रयावर्त (रु. लाख में)
		उच्च (रु. में)	निम्न (रु. में)	समापन (रु. में)		
अप्रैल 2019	39032	102.40	85.40	87.10	13278290.00	12630.42
मई 2019	39714	117.45	85.65	111.55	17760936.00	18356.32
जून 2019	39395	116.60	104.90	112.45	10204261.00	11310.36
जुलाई 2019	37481	115.45	92.20	102.65	14798756.00	15135.39
अगस्त 2019	37333	106.35	91.25	102.85	12843617.00	12544.89
सितंबर 2019	38667	115.60	100.50	108.55	17374973.00	18893.21
अक्तूबर 2019	40129	122.00	103.60	118.15	10816643.00	12020.14
नवंबर 2019	40794	122.15	102.30	103.05	11507853.00	12976.04
दिसंबर 2019	41254	104.95	96.70	100.10	6550598.00	6600.48
जनवरी 2020	40723	109.00	90.00	90.65	11543676.00	11520.53
फरवरी 2020	38297	91.60	72.95	74.00	8957105.00	7495.38
मार्च 2020	29468	80.40	56.10	74.35	11589837.00	8070.92

वर्ष 2019-20 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की समापन स्थिति के साथ बीएसई पर कंपनी के शेयर मूल्य के समापन कोटेशन की तुलना निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया गया है -

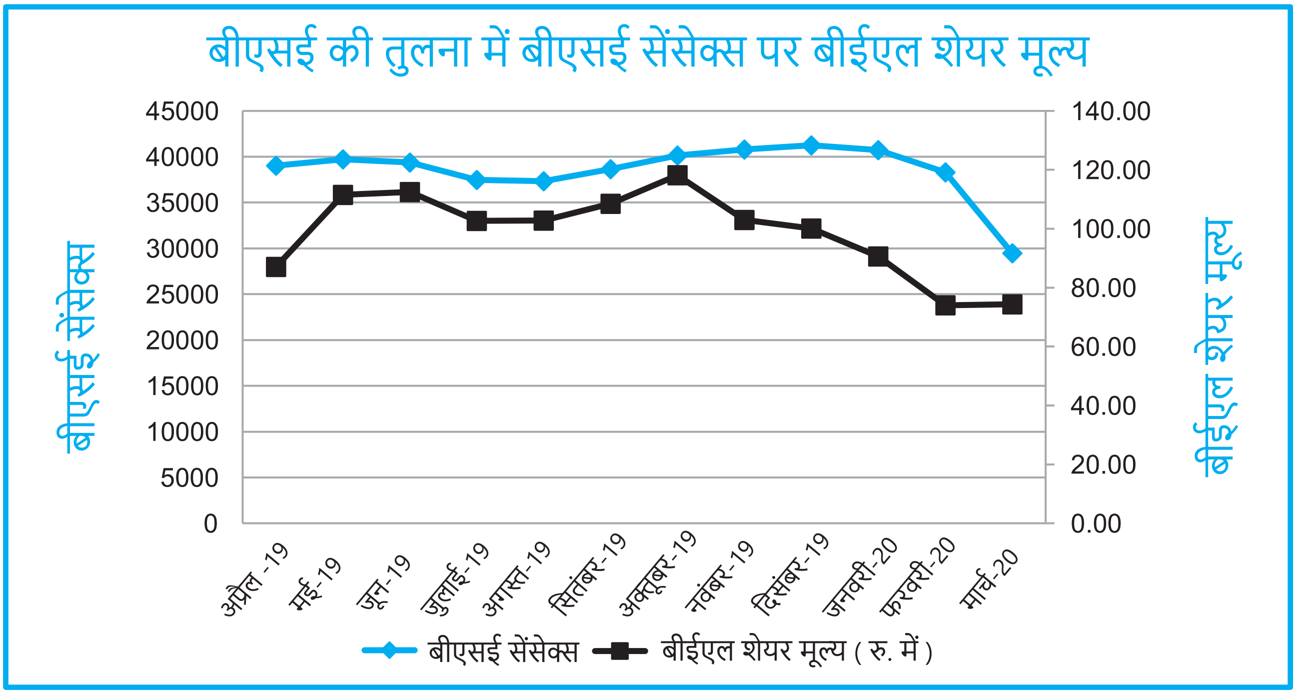

अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक एनएसई की तुलना में एनएसई निफ्टी पर बीईएल शेयर मूल्य ।

माह	एनएसई निफ्टी समापन	बीईएल शेयर मूल्य उच्च (रु. में)	निम्न (रु. में)	समापन (रु. में)	लेनदेन किए गए शेयरों की संख्या	विक्रयावर्त (रु. लाख में)
अप्रैल 2019	11748	102.20	85.30	87.15	222548021	210365.33
मई 2019	11923	117.75	85.60	111.65	277104428	285347.38
जून 2019	11789	116.60	104.95	112.50	183418240	203830.54
जुलाई 2019	11118	115.45	92.15	102.70	304242102	311010.93
अगस्त 2019	11023	106.35	91.20	102.90	229415901	224202.96
सितंबर 2019	11474	115.65	100.40	108.30	221057883	240184.35
अक्तूबर 2019	11877	122.10	103.50	118.15	176326369	198384.66
नवंबर 2019	12056	122.10	102.25	103.10	172129968	190072.39
दिसंबर 2019	12168	105.00	96.55	100.05	144776100	145299.43
जनवरी 2020	11962	109.00	89.90	90.65	286988510	285312.37
फरवरी 2020	11202	91.70	72.85	73.95	257139760	215759.33
मार्च 2020	8598	80.15	56.00	74.45	321347170	224034.17

वर्ष 2019-20 के दौरान एनएसई की समापन स्थिति के साथ एनएसई निफ्टी पर कंपनी के शेयर मूल्य के समापन कोटेशन की तुलना निम्नलिखित ग्राफ द्वारा प्रस्तुत है -

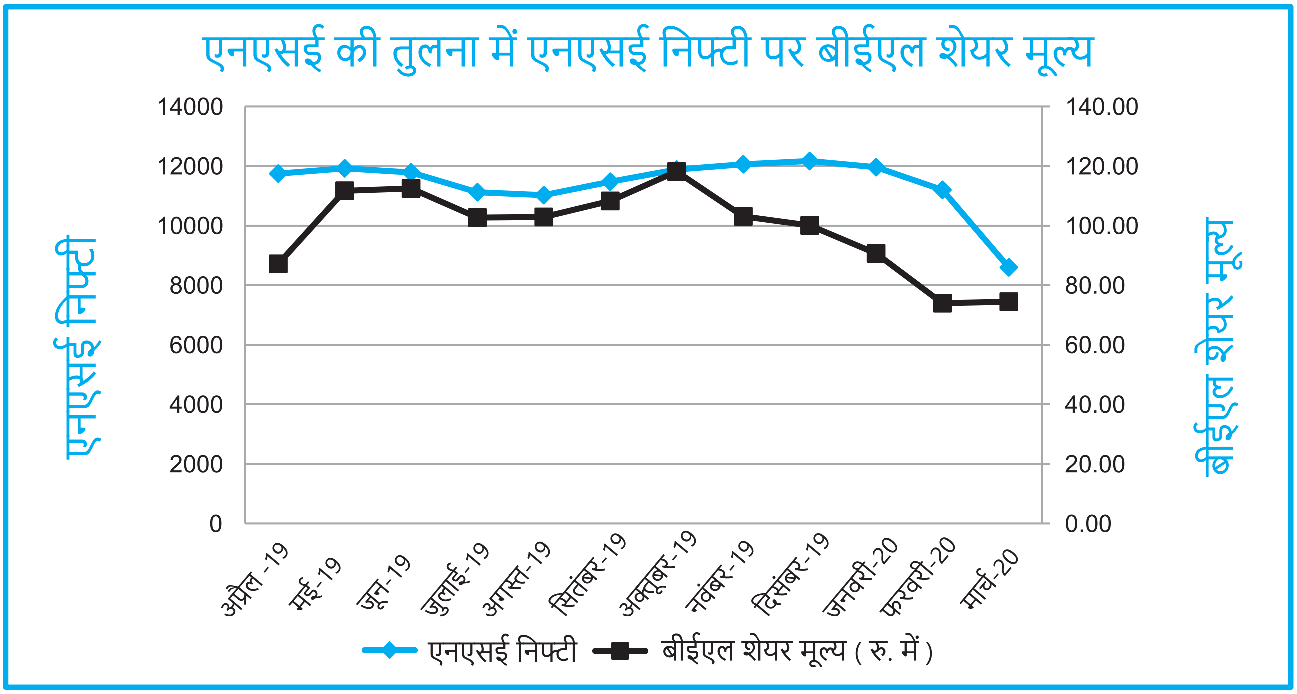

पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., बेंगलूर जो सेबी में पंजीकृत श्रेणी-I पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट हैं, कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर.टी.ए.) [सेबी पंजी सं. INR000000544] हैं। सभी शेयर अंतरण/ प्रेषण/ विभाजन / समेकन/ प्रतिलिपि शेयरों के निर्गमीकरण/ अनुलिपि प्रमाण-पत्र/ पता-परिवर्तन के अनुरोध के साथ डीमटेरियल/ रीमटेरियल करने के अनुरोध तथा शेयर से संबंधित मामले तथा लाभांश संबंधी सभी प्रश्नों, शिकायतों को अग्रेषित करने के लिए आरटीए का पता नीचे दिया गया है -

इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड,
नं. 30, रमणा रेसिडेंसी, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड,
मल्लेश्वरम, बेंगलूर– 560 003,
फोन- Telephone: 080-23460815/16/17/18
फैक्स- 080 23460819, ई-मेल -irg@integratedindia.in

शेयर अंतरण प्रणाली

शेयरों का लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में सरल और तेजी से होता है। ब्रोकर से बिक्री/ खरीद लेनदेन की संपुष्टि के बाद, शेयरधारकों को निक्षेपागार सहभागी से लेन-देन के लिए नामे और जमा करने के अनुरोध सहित संपर्क करना चाहिए। निक्षेपागार सहभागी खाते को अद्यतन करते हुए लेन-देन को पूरा करने की व्यवस्था तुरंत करेंगे। अंतरण को पंजीकृत करने के लिए कंपनी या कंपनी के आरटीए को अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

यथा संशोधित, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40(1) के संदर्भ में, 01 अप्रैल 2019 के प्रभाव से, प्रतिभूतियों के पारेषण या अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर प्रतिभूतियों को केवल डीमैटरियलीकृत रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बहरहाल, शेयरधारकों को शेयर वास्तविक रूप में धारित करने से वंचित नहीं किया जाता है। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने धारिता को डीमैटरियलीकृत रूप में बदलने पर विचार करें।

यथा 31 मार्च 2020 को श्रेणी- वार शेयरधारक -

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	केन्द्रीय सरकार	1	1,24,59,73,978	51.14
2	म्यूच्युअल फ़ंड / यू टी आई	138	61,17,84,589	25.11
3	वित्तीय संस्थाएँ / बैंक	9	90,64,397	0.37
4	वैकल्पिक निवेश फंड	2	72,000	0.00
5	बीमा कंपनियाँ	43	11,51,31,839	4.73
6	विदेशी संस्थागत निवेशक	210	26,08,90,412	10.71
7	निगमित निकाय	1,311	2,97,21,981	1.22
8	व्यक्ति	2,78,461	13,74,91,751	5.64
9	न्यास	46	1,00,03,511	0.41
10	एन.आर.आई.	6,026	92,93,446	0.38
11	विदेशी व्यक्ति	1	506	0.00
12	निकासी सदस्य	380	71,54,656	0.29
13	एल.एल.पी.	2	257	0.00
14	निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	1	9,320	0.00
15	अन्य श्रेणी	1	300	0.00
	कुल	**2,86,632**	**2,43,65,92,943**	**100.00**

यथा 31 मार्च 2020 को 10 सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1	रिलायंस कैप्टिल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड- ए/सी रिलायंस स्माल कैप फंड	11,91,98,287	4.89
2	एचडीएफसी ट्रस्टी कं. लि. ए/सी एचडीएफसी हाईब्रिड इक्विटी	11,84,41,457	4.86
3	कोटक बैलेन्सड एडवानटेज फंड	7,97,37,270	3.27
4	मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड	7,93,18,234	3.26
5	भारतीय जीवन बीमा निगम	6,39,96,584	2.63
6	आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एकाउन्ट	5,49,50,589	2.25

क्रम. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
7	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड	4,43,47,127	1.82
8	एसबीआई कैप्टिल प्रोटेक्शन ऑरिऐंटेड फंड –सिरीज ए (प्लान 1)	3,52,39,315	1.45
9	फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड एकाउन्ट फ्रैंकलिन इंडिया	2,32,23,665	0.95
10	एचडीअएफ़सी लाइफ इंश्यूरेन्श कंपनी लिमिटेड-शेयरहोल्डर सॉल्वेन्सी मार्जिन एकाउंट	2,10,07,208	0.86

यथा 31 मार्च, 2020 को शेयरधारिता का संवितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
500 तक	2,33,706	81.54	3,08,47,925	1.27
501 - 1000	25,431	8.87	1,95,25,458	0.80
1001 - 2000	15,961	5.57	2,27,95,322	0.94
2001 - 3000	4,009	1.40	1,00,59,842	0.41
3001 - 4000	2,256	0.79	78,54,976	0.32
4001 - 5000	1,210	0.42	56,11,688	0.23
5001 - 10,000	2,205	0.77	1,56,04,109	0.64
10001 तथा उससे ऊपर	1,854	0.65	2,32,42,93,623	95.39
कुल	**2,86,632**	**100.00**	**2,43,65,92,943**	**100.00**

शेयरों का डिमटिरीयलीकरण और चलनिधि

एनएसई और बीएसई पर कंपनी के शेयरों का अनिवार्य रूप से डिमटिरीयली रूप में लेन-देन किया जाता हैं । यथा 31 मार्च 2020 तक, कंपनी के कुल इक्विटी शेयर के 99.99% निवेशकों द्वारा एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डिमटिरीयलीकृत रूप में धारित किए गए हैं। निक्षेपागार प्रणाली के तहत, कंपनी शेयरों को आवंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN) INE263A01024 है।

कंपनी के शेयर अति चलनिधि हैं और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सक्रियता के साथ लेन-देन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विक्रयावर्त के आंकड़े नीचे दिए गए हैं-

विवरण	बीएसई	एनएसई	कुल
लेन-देन किए गए शेयरों की सं.	14,72,26,545	279,64,94,452	294,37,20,997
मूल्य (लाख रु. में)	1,47,554	27,33,804	28,81,358

बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव-

कंपनी ने गत वर्षों में कोई जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय विलेख जारी नहीं किए हैं अत: यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी के पास कोई बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या कोई परिवर्तनीय विलेख नहीं है।

वस्तु कीमत जोखिम या विदेशी एक्सचेंज जोखिम तथा प्रतिरक्षा गतिविधियां - वार्षिक रिपोर्ट में लेखा के नोट नं. 34 में विवरणों का प्रकटण किया गया है।

संयंत्र स्थल -

1. जालहल्ली पोस्ट,
   बेंगलूर -560013 (कर्नाटक)
2. साइट IV, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
   भारत नगर पोस्ट,
   गाजियाबाद - 201010 (उत्तर प्रदेश)
3. प्लाट नं.405, औद्योगिक क्षेत्र,
   फेस III, पंचकूला - 134113 (हरियाणा)
4. बलभद्रपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल,
   कोटद्वार - 246149, (उत्तराखंड)
5. प्लाट नं.एल -1, एम. आई. डी. सी. औद्योगिक क्षेत्र,
   नवी मुंबई - 410208 (महाराष्ट्र)
6. एन डी ए रोड, पाषाण,
   पुणे - 411021 (महाराष्ट्र)
7. औद्योगिक क्षेत्र, नाचारम,
   हैदराबाद - 500076 (तेलंगाना)
8. पोस्ट बाक्स नं.26, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग,
   मचिलिपट्टणम -521001 (आंध्र प्रदेश)
9. पोस्ट बाक्स नं. 981, नंदम्बाक्कम,
   चेन्नै - 600 089 (तमिलनाडु)

पत्राचार का पता

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
सीआईएन: L32309KA1954GOI000787
पंजीकृत कार्यालय एवं कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045
फोन - (080) 25039300 फ़ैक्स - (080) 25039233
ई-मेल : secretary@bel.co.in
वेबसाइट : www.bel-india.in

क्रेडिट श्रेणीकरण

आईसीआरए ने 2020-21 के लिए कंपनी की निम्नलिखित क्रेडिट श्रेणीकरण को पुनःसंपुष्ट किया है –

(i) रु. 500 करोड़ की निधि आधारित क्रेडिट सीमा तथा रु. 100 करोड़ की निधि आधारित सीमा (मीयादी ऋण) और रु. 200 करोड़ (अनाबंटित) की अतिरिक्त निधि आधारित सीमा के लिए [आईसीआरए] एएए (जिसे आईसीआरए ट्रिपल ए कहा जाता है) का दीर्घकालीन श्रेणीकरण

(ii) रु. 3,500 करोड़ की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा क्रेडिट के लिए [आईसीआरए] ए1+ (जिसे आईसीआरए ए-वन प्लस कहा जाता है) का अल्पकालीन श्रेणीकरण

(iii) रु. 5 करोड के वाणिज्यिक कागज़ातों (सी.पी.) के लिए [आईसीआरए] ए1+ (जिसे आईसीआरए ए- वन प्लस कहा जाता है) का अल्पकालीन श्रेणीकरण

दीर्घकालीन श्रेणीकरण का दृष्टिकोण 'स्थिर' है । ये श्रेणीकरण दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन में उच्चतम क्रेडिट गुणता दर्शाते हैं। इन वर्गों में श्रेणीकृत विलेखों में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन में निम्नतम क्रेडिट जोखिम होता है । ये श्रेणीकरण (i) और (ii) 10 फरवरी, 2021 तक तथा (iii) 9 फरवरी, 2021 तक वैध हैं ।

अन्य प्रकटण -

(क) कंपनी ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण ऐसा कोई संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिसका समग्र रूप से कंपनी के हितों पर कोई संभावित संघर्ष होता हो। वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन कारोबारी के सामान्य कामकाज के दौरान और द्विपक्षी लाभ आधार पर किए गए जिन्हें लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। तथापि संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेनों को वार्षिक प्रतिवेदन में लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 31 में प्रकट किया गया है। संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है जिसे http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&LId=1&link=527 में देखा जा सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध स्वत्व द्वारा गैर-अनुपालनात्मक, जुर्माना, स्टॉक एक्सचेंज या मंडल या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध स्वत्वों पर अधिरोपित प्रतिषेधों अथवा पूँजी बाज़ार से संबंधित अन्य मामले;

सूचीकरण के विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, एनएसई और बीएसई ने एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न कर पाने के लिए एनएसई और बीएसई ने 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 536,900 और 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 3,59,900 (जीएसटी सहित) लगाया है जिसे मंडल के समक्ष रखा गया है। मंडल ने सुझाव दिया कि एनएसई और बीएसई को डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीईएल द्वारा अनुसरित निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाए कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते बीईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसलिए, एनएसई और बीएसई द्वारा बीईएल पर लगाए गए जुर्माने से छूट प्रदान की जाए। तदुनसार, बीएसई और एनएसई को उत्तर भेजा गया और कोई जुर्माने की राशि अदा नहीं की गई।

(ग) कंपनी ने सतर्कता प्रणाली स्थापित की है और अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की कारोबारी आचार संहिता और नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में निदेशकों और कर्मचारियों को रिपोर्ट करने हेतु सचेतक नीति को अपनाया है। सचेतक व्यवस्था द्वारा अपने सरोकार को बताने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति की कार्यवाही के बारे में सूचना प्रदान करने से मना नहीं किया जाता है। यह सचेतक नीति कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर उपलब्ध है।

(घ) वर्ष 2019-20 के दौरान, निदेशक मंडल ने इसकी समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशें, जो आज्ञापक रूप से अपेक्षित थीं, को स्वीकार किया।

(ङ) कंपनी ने सूचीकरण विनियमों के विनियम 32 (7ए) में विनिर्दिष्टानुसार, अधिमान आबंटन या अर्हताप्राप्त संस्थानों के प्लेसमेंट द्वारा कोई निधि नहीं जुटाया है।

(च) सांविधिक लेखा परीक्षकों को तथा इसके स्वत्व के नेटवर्क में आने वाले सभी फर्मों/नेटवर्क स्वत्वों, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक वर्ष के दौरान भाग बने थे, को कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकन आधार पर, प्रदत्त सभी

सेवाओं के लिए अदा किए गए कुल शुल्क के विवरण नीचे दिए गए हैं –

विवरण	राशि (रु. लाख में)
लेखा परीक्षा शुल्क	21
कर लेखा परीक्षा शुल्क	4
अन्य सेवाएँ	6
व्ययों की प्रतिपूर्ति	10
कुल	**41**

(छ) वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित दाखिल की गई शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों तथा लंबित शिकायतों के विवरण मंडल के प्रतिवेदन के अनुलग्नक कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(ज) ऐसे खर्च जो इसके प्रत्यक्ष कारोबार या कारोबार के लिए आकस्मिक थे, इसके कर्मचारियों/पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण के लिए खर्च किए गए, इसके कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए, को छोड़कर खर्च की ऐसी कोई मद नहीं थी जिसे लेखा बहियों नामें किया गया।

(झ) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए किए गए खर्च कंपनी के नियमों के तहत यथा स्वीकार्य, वेतन, भत्ते, अनुलब्धि, अनुलाभ तथा बैठक शुल्क की प्रकृति के हैं। कोई अन्य खर्च जो निजी प्रकृति के हैं, निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए उपगत नहीं किए गए।

(ञ) कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालयीन खर्च और उसमें वृद्धि का कारण, यदि कोई हो -

प्रशासनिक एवं कार्यालयीन खर्च पिछले वर्ष के 3.60% के समक्ष वर्ष 2019-20 में कुल खर्च का 3.07% रहा ।

गैर-अनुपालन का विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत् गठित है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। बहरहाल, सूचीकरण विनियम की अपेक्षाओं के अनुसार एक स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार को सूचना दी गई है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बीईएल के सभी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति जिसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं और ए.सी.सी. द्वारा अनुमोदित होते हैं, में समय लगता है जो कंपनी के नियंत्रण से परे है।

विवेकाधीन गैर-आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन

सूचीबद्ध विनियमों की गैर-अनिवार्य संस्तुति के अनुपालन की स्थिति नीचे दी गई है –

- कंपनी में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (कार्यकारी) का पद है तथा कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है ।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण करने की प्रक्रिया अधिक सशक्त है तथा इसका विवरण "संप्रेषण के माध्यम" के तहत दिया गया है।
- कंपनी के वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा मत के साथ प्रकट किए जाते हैं।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोर्ट करते हैं तथा लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य हैं।

अनुपालन

कंपनी ने मंडल के निदेशकों के गठन को छोड़कर सूचीकरण विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियमन 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं (बी) से (आई) का विधिवत अनुपालन किया है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों और सरकार को कार्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रही है। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अंतर्गत अपेक्षानुसार, कंपनी द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

कारोबारी आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन संबंधी घोषणा

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 अधीन संगत प्रावधान तथा केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निदेशों के अनुवर्तन में, कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बोर्ड के सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार संहिता व आचार नीति के अनुपालन को संपुष्ट किया है ।

मंडल के लिए व उसकी ओर से

बेंगलूर
29 जून 2020

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निगमित अभिशासन पर सेबी (सूचीकरण का दायित्व एवं प्रकटण संबंधी आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के प्रयोजन व डीपीई के दिशा-निदेशों के तहत यथा अपेक्षित सीईओ एवं सीएफओ द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रतिष्ठा में,
निदेशक मंडल,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि –

(क) हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा विश्वास और जानकारी है -

(i) इन परिणामों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को विलोपित नहीं किया गया है या ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो।

(ii) ये परिणाम समग्र रूप से कंपनी के कामकाज की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं और विद्यमान भारतीय लेखांकन मानक, लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन में हैं ।

(ख) जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण के संस्थापन व अनुरक्षण का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन एवं अभिकल्प की त्रुटियों की सूचना लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन को दी है और उक्त त्रुटियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाया है या उसके लिए प्रस्ताव रखा है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा प्रबंधन को निम्न सूचनाएँ दी हैं-

(i) अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ii) अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन; तथा

(iii) धोखाधड़ी, यदि कोई हो, की कोई महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में तथा जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है, के शामिल होने की हमे जानकारी है।

कोशी एलेक्जाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

एम. वी. गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

बेंगलूरु
29 जून, 2020

निगमित अभिशासन पर लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्य,

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण के दायित्व एवं प्रकटण की आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और अनुसूची V के अनुच्छेद ग और घ तथा केन्द्र सरकार के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड('कंपनी') द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है ।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में सूचीकरण विनियम में निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा प्रक्रियाओं का अभिकल्प, समाविष्टि और अनुरक्षण शामिल होती है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन का परीक्षण करने तक सीमित है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, न उन पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विशेष प्रयोजन की रिपोर्टों या प्रमाण-पत्रों पर जारी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, कंपनी के संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया है। इस मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यकता होती है कि हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें। हमने ऐसी फर्मों के गुणता नियंत्रण के मानकों की लागू संबंधित आवश्यकताओं का पालन किया है जो लेखा परीक्षा करती हैं और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना तथा अन्य आश्वासनों तथा संबंधित सेवा नियोजनों की समीक्षा करती हैं।

विचार

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने यथा लागू सूचीकरण विनिमयों के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों तथा अनुसूची V के अनुच्छेद ग तथा घ की शर्तों का पालन किया है। बहरहाल, कंपनी को सूचीकरण विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त संख्या में नियुक्त करना है जो कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के इष्टतम संयोजन के प्रति विनियम 17(1)(बी) के अनुपालन में नहीं है। सूचना दी गई है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और उक्त निदेशकों की रिक्तियों का भरा जाना भी नियुक्तकर्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार के पास लंबित है।

हमारा विचार है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहारिकता का आश्वासन है और न ही ऐसी दक्षता या प्रभावशीलता है जिससे प्रबंधन कंपनी का कामकाज संचालित करता है।

प्रयोग पर प्रतिबंध

यह प्रमाण-पत्र उक्त विनियमों का पालन करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए जारी किया जाता है, किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं।

कृते सूरी एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार
एफआरएन – 004283एस

बेंगलूरु
29 जून 2020

नटराजन वी.
साझेदार
सदस्यता संख्या - 223118
यू.डी.आई.एन.: 20223118AAAABM4829

अनुलग्नक -7

निर्वहनीयता रिपोर्ट

आपकी कंपनी अपने विभिन्न कारोबारी प्रचालनों और गतिविधियों के ज़रिए योजनाबद्ध तरीके से पर्यावरणीय प्रबंधन और सतत विकास कार्यक्रमों के निर्वहन द्वारा निर्वहनीय विकास के आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक दायित्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में इसने जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा के उपयोग सहित संसाधन प्रबंधन और निर्वहनीय विकास के क्षेत्रों में पर्याप्त संस्थागत विशेषज्ञता हासिल की है। कंपनी का प्रयास है कि वह इस विशेषज्ञता को और विकसित करें और अपने कारोबारी प्रचालनों और गतिविधियों में सतत विकास पहलों को आगे बढ़ाएं। इस उद्देश्य को पूरा करने और भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सतत विकास की दिशा में एक नीति तैयार की है। बीईएल की सतत विकास नीति की मुख्य विशेषताएं उनकी वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं - www.bel-india.in

कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन और निर्वहनीय विकास प्रयास विशेषताएं निम्न अनुच्छेदों में किए गए हैं।

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी दीर्घकालीक स्वच्छता और हरित पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ अपने प्रचालन में निर्वहनीयता को एकीकृत कर रही है। हम सतत विकास की तलाश कर रहे हैं और स्वच्छ तथा हरित वातावरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी बीईएल यूनिटें पर्यावरणीय हितैषी प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दृढ़ता से विश्वास करती हैं कि पर्यावरणीय निर्वहनीयता आर्थिक रूप से व्यवहार्य और विश्वसनीय उत्पादों के डिजाइन में परिणामित होती है। बीईएल डीपीई के दिशा-निर्देशानुसार उद्देश्य निर्धारित करती है, डिजाइन से निपटान तक उत्पादों के पर्यावरणीय निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सफल प्रौद्योगिकी के लिए अतिरिक्त दृष्टिकोण अपनाई जाती है। बीईएल की सभी यूनिटों में वर्षा जल संचयन, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट के उत्पादन में कमी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। बीईएल पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के प्रति निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपलब्ध स्पष्ट अवसरों के आगे की संभावनाएं देखती है।

स्वच्छतर प्रौद्योगिकी

स्वच्छतर प्रौद्योगिकी की अवधारणा जिसमें प्रदूषण पैदा करने पर रोक लगाई जाती है उत्पादन की प्रक्रिया में कार्यान्वित की जाती है । इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वच्छतर प्रौद्योगिकियां शुरू करने के संबंध में निरंतर सुधार की खोज हमेशा जारी है। इन प्रयासों से बड़ी मात्रा में प्रदूषक उत्पादन के सृजन में कमी आई है। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग निरंतर ऐसे घटकों और प्रक्रियाओं की तलाश करते हैं जो अत्यधिक पर्यावरण हितैषी हैं। कॉर्पोरेट मानकीकरण विभाग ने पर्यावरण-अनुकूल सामग्री, घटकों और विनिर्माण प्रक्रियाओं से संबंधित कई दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं जो पूरे कंपनी में उपयोग किए जाने वाले अविकल्पों में प्रयुक्त होते हैं। कॉर्पोरेट मानकीकरण विभाग ने यूरोपीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय निर्देशों के अनुरूप कई आरओएचएस (कुछेक हानिकारक पदार्थों का प्रतिबंध) की मानकीकरण और कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए आरओएचएस अनुपालन वाले 44 नए मानक पेश किए गए है और 88 मौजूदा मानकों को संशोधित किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक/ मैकेनिकल घटकों और कच्चे माल जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल घटकों और कच्चे माल के क्षेत्र में, 14 प्रक्रिया मानकों (नए और पुनरीक्षण) को एक खंड में सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलू में दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते हुए प्रकाशित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक/ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल घटकों और कच्चे माल के क्षेत्रों में कुल 606 आरओएचएस अनुरूप मानकों को पेश किए गए हैं।

बीईएल का विश्वास है कि प्रदूषण निवारण का कार्य स्रोत से ही शुरू होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, बीईएल की मौजूदा प्रक्रियाओं में कई सुधार और संशोधन के प्रयास किए गए हैं। पीसीबी विनिर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में कई आरओएचएस अनुपालन प्रक्रियाओं की शुरूआत की गई है। मैत्रिपूर्ण निम्न धूएं वाले हैलोजन केबल्स, निम्न वीओसी धातु परिष्करण प्रचालन (पॉली यूरेथेन) और ट्राइव्लेन्ट क्रोमियम आधारित क्रोमेट रूपांतरण कोटिंग कुछ इनमें से उल्लिखनीय है। फास्टनरों और स्क्रूस के लिए आरओएचएस के अनुरूप कैडमियम प्लेनटिंग को स्थानापित करने के संबंध में तकनीकी श्रृंखला के दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। इससे बीईएल भर में डी एंड ई और गुणता के विभिन्न इंजीनियरों के बीच आरओएचएस अनुरूप विकल्पों पर जागरूकता फैलाने और अनुपालन में सहायता मिलती है।

निर्वहनीय विकास पहल

बीईएल ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित की है। मुख्यत: ध्यान बिजली, पानी की बचत करने और हरियाली को बढ़ाने और इस दिशा में किए गए कई अन्य पहलों के इर्द गिर्द दिया जाता है। बीईएल की सभी यूनिटों के विभिन्न इमारतों के रूफ टॉप में ग्रिड कनेक्टेनड 3340 kWp सौर पीवी बिजली संयंत्रों के साथ कैप्टिव खपत के साथ कर्नाटक राज्य के दावणगेरे और हासन में कुल 13.9 मे.वा. क्षमता के पवन उत्पादन विद्युत संयंत्र के साथ स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र बीईएल

की सभी यूनिटों की ऊर्जा खपत का लगभग 6.83% योगदान प्रदान करता है। पूरी कंपनी के लिए सभी नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 53% है। पवन और सौर के माध्यम से अक्षय ऊर्जा (हरित ऊर्जा) का सृजन ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में जारी होने को कम करता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कैप्टिव खपत ऊर्जा के लिए कर्नाटक राज्य के दावणगारे और हासन में स्थापित पवन ऊर्जा विद्युत संयंत्रों से लगभग 247.8 लाख यूनिट की विद्युतीय ऊर्जा बनाई गई और 23102 मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन से बचा जा सका। बीईएल ने ऊर्जा कुशल रेट्रोफिट एलईडी लाइट्स, डीएएलआई (डिजिटली एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस) लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, स्काई लाइट पाइप डे लाइट हार्वेस्टिंग, कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट को कम करने के क्षेत्रों में निर्वहनीय विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। सभी नई इमारतों में ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को शामिल किया गया है और भविष्य में आगे बनने वाली सभी की इमारतों को एकीकृत आवास मूल्यांकन (गृहा) रेटिंग अनुपालन के लिए ग्रीन रेटिंग मिलने जा रही है।

वायु में उत्सर्जन

प्रक्रियाओं से उत्पन्न वायु उत्सर्जन उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। इन प्रक्रियाओं से उत्पन्न उत्सर्जन को अवशोषित के लिए पेंट बूथ और प्लेटिंग बाथ हल्के वैक्युथम दबाव में प्रचालित किए जाते हैं। गैसीय प्रक्रिया उत्सर्जन जारी करने से पहले प्रक्रिया उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए गीले पेंट बूथ और गीले स्क्रबर्स का उपयोग किया जाता है। पेंट बूथ के उत्सर्जन से बचने के लिए गीले पेंट बूथ और सूखे फिल्टर आधारित पेंट बूथ उपयोग में लाए जाते हैं। उत्सर्जन के परिणाम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विनियमों के तहत हैं। ये परिणाम कारखाने के भीतर विभिन्न स्थानों में मापी जाने वाली परिवेशी वायु गुणता के प्रमाण हैं। प्लेटिंग बाथ के लिए प्रदान किए जाने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के अलावा, वर्क स्टेशन सक सोल्ड्र फ़्यूम में सक्शन फ़िल्टर भी प्रदान किए जाते हैं। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए कुशलता से सभी प्रचालन किए जाते हैं।

जल प्रदूषण

विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट जल को स्रोत पर ही अलग किया जाता है और प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने के लिए उपचारित किया जाता है। यह विलगित उपचार उत्पन्न अपशिष्ट जल की प्रकृति के लिए बहुत विशिष्ट होता है और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम रासायनिक खपत के साथ विषरहित होता है। बीईएल इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अपशिष्ट जल को पुन: प्रयोज्य मानकों के अनुरूप उपचारित करता है और उत्पादन प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए इसे पुनर्नवीनीकरण करता है। इसी प्रकार, उत्पादित घरेलू अपशिष्ट पानी का बागवानी के उद्देश्यों के लिए उपचार और पुनर्चक्रण किया जाता है। दोहरी प्लम्बिंग प्रणाली सभी नए भवनों के डिजाइन का हिस्सा है। हाल में उद्घाटित 5-स्टार गृहा श्रेणी की बीईएल उत्कृष्टता अकादमी और सी-प्रकार के आवासीय क्वार्टर में दोहरी प्लम्बिंग प्रणाली प्रदान की गई है। उपचारित सीवेज का पुन: उपयोग करने के अलावा बीईएल बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स बागवानी प्रयोजनों के लिए बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) से 1 एमएलडी तृतीयक उपचारित वाहित मल प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा 1 एमएलडी ताजे पानी का उपयोग टाला जा रहा है। इसके अलावा 10 एमएलडी के सार्वजनिक सीवर को साफ करने की एक और महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की गई है और स्थानीय बेंगलूर झील का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है। इसके 2 एमएलडी का उपयोग बीईएल बागवानी और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों की बचत और भूजल का पुनर्भरण होगा।

हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

हानिकारक अपशिष्ट के निपटने और उसके प्रबंधन के लिए कटौती, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के सिद्धांत अपनाए जाते हैं। अपशिष्ट जल की विषाक्तता को दूर करने की प्रक्रिया में कम मात्रा में हानिकारक कीचड़ उत्पन्न करने वाले उचित रसायनों को मिलाकर और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाकर हानिकारक अपशिष्ट के सृजन को प्रक्रिया स्तर पर ही कम कर दिया जाता है। चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर और फेरेस सल्फेट के साथन पर सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का इस्तेमाल करने से हानिकारक कीचड़ की मात्रा कम करने में मदद मिली है । इसके अलावा, साइनाइड मुक्त जस्ता प्लेटिंग और तांबा प्रक्रियाओं का उपयोग, जोखिमी कीचड़ को बड़े पैमाने में कम करने में मदद मिलती है। पैदा हुए हानिकारक अपशिष्ट का उपचार वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है । भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हानिकारक अपशिष्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष, संरक्षित स्थान का निर्माण कर एक प्रणाली की स्थापना की है। बीईएल ने भूमि भराव ठोस हानिकारक अपशिष्ट के निपटारे के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "उपचार, संग्रहण और निपटान सुविधा" प्रचालकों के साथ करार किया है । पुनर्नवीनीकरण कचरे वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिए जाते हैं। यह प्रणाली हानिकारक अपशिष्टों के कारण होने वाले प्रदूषण को प्रभावी रूप से रोकती है ।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन

उत्पादों के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट को विनिर्माता के रूप में वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुन:प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को सौंपे जाते हैं । जीवन काल समाप्ति वाले ई-अपशिष्ट जैसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स मदें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुन:प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए सौंपे जाते

हैं। जीवन काल समाप्ति वाले ई-अपशिष्ट उत्पाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के रूप में वापस लिया जाता है। उत्पाद को नष्ट करने के बाद, ई-अपशिष्ट को वैज्ञानिक नियंत्रण और पुनर्चक्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेंसियों को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उपयोग की समाप्ति के बाद प्रयोक्ताओं को ई-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए हैंडलिंग और निपटान दिशा-निर्देश प्रदान किए जाता है।

बायोमेडिकल अपशिष्ट

बीईएल अस्पताल और चिकित्सा केंद्रों में उत्पन्न होने वाले बायोमेडिकल अपशिष्ट नियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक रूप से एकत्रित कर उसका निपटान किया जाता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

बीईएल ने स्रोत पर उत्पन्न अपशिष्ट को अलग करने की प्रणाली स्थापित की है, जिसमें ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक उपचार और निपटान की सुविधा उपलब्ध है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को ऑर्गेनिक अपशिष्ट कनवर्टर में खाद में बदला जाता है; इसे जैव-मिथेनीकरण संयंत्र के उपयोग के अलावा नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए शुरू किया गया है। नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन समस्या के वैज्ञानिक निपटान के साथ-साथ खाद्य अपशिष्ट के निपटन के लिए 2.0 टन के एनेरोबिक आधारित जैव-गैस संयंत्र उपलब्ध है जो खाना पकाने में 45 किलोग्राम/ प्रति दिन के बराबर पीएनजी की बचत के रूप में परिणामित हुई है। खाद्य अपशिष्ट और हरित अपशिष्ट को खाद में बदलने के 1.0 टन प्रति दिन की क्षमता वाले ऑर्गेनिक अपशिष्ट कनवर्टर संस्थापित किया गया। बेंगलूर में उचित संस्थापित ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा में प्रसंस्करण के लिए भूमि भराव योग्य अपशिष्ट भेजे जा रहे हैं।

जल प्रबंधन

जल लेखा परीक्षा के परिणाम के माध्यम से जल संरक्षण उपाय प्राप्त किए गए हैं। जल संरक्षण के लिए, मांग-आधारित जल आपूर्ति स्वचालन, बोरहोल पंपिंग स्वचालन, पानी की टंकी स्तर नियंत्रक, कुशल बर्तन धोने की प्रणाली तथा हवा मिश्रण के साथ जल का उपयोग जैसी कई जल संरक्षण परियोजनाएं लागू की गई हैं। इन जल संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्येक वर्ष जल की खपत में लगातार कमी आई है। वर्षा जल संग्रह और अभिनव बोरहोल रिचार्जिंग हमें सतह अपवाह जल एकत्र करने और भूजल पुनर्भरण में सक्षम बनाती है। बेंगलूरु यूनिट में बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन जलाशय में लगभग 234 मिलियन लीटरों की वार्षिक उपज के साथ 170 मिलियन लीटर की क्षमता है। रूफ़ टॉप वर्षा जल संग्रहण ने पिछले वर्ष में 650 m3 वर्षा जल एकत्र किया था जिसका उपयोग सीधे आरओ पानी के सृजन के लिए किया गया। सभी यूनिटों में वर्षा जल रिचार्जिंग की सुविधा है। इसके अलावा वर्षा जल संग्रह और पुन: उपयोग की सुविधाएं भी तैयार की गई हैं।

ऑन साइट आपातकालीन योजना और प्रणालियां

आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाएं संयंत्र स्तर और कार्यस्थल स्तर पर मौजूद हैं, जिन्हें जोखिम मूल्यांकन, जोखिम कम करना और आपातकालीन प्रतिक्रिया को कवर करने वाली बहु-अनुशासनात्मक कार्य टीम के एकीकरण के साथ संस्थागत किया गया है। आपातकालीन योजना पर मॉक ड्रिल समय-समय पर व्यक्तिगत रणनीतिक व्यापार समूहों द्वारा निम्न के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है-

- कार्य-बल एवं मरम्मत समूह
- अग्नि शमन दल
- सुरक्षा दल
- परिवहन दल
- प्राथमिक चिकित्सा एवं मेडिकल समूह

और घटनाओं का अनुक्रम छद्म कवायद अभ्यास में सुधार के लिए दर्ज किया जाता है जबकि संगठन के उच्च अधिकारियों द्वारा योजना की निगरानी की जाती है।

घटना नियंत्रक दुर्घटना स्थल पर जाते हैं और बचाव टीमों के साथ समन्वय करते हैं और घटना के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कदम उठाते हैं, यदि कोई हो।

स्टॉक प्राप्ति की बैठकों से प्राप्त जानकारी से सुधारात्मक कार्रवाई के उपाय किए जाते हैं।

पारिस्थितिकीय निर्वहनीयता

पारिस्थितिक निर्वहनीयता और हरियाली की हमारी यात्रा बीईएल के प्रवेश द्वार से ही प्रारंभ हो जाती है। इस क्षेत्र में पौधों की लगभग 200 विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती हैं जो कि विभिन्न पक्षियों और अन्य जीवों को आवास देते हुए अपने फल और फूलों द्वारा समर्थन प्रदान करती है। हमारे 685 एकड़ के हरित परिसर में, हम लगभग 4,90,000 वर्ग मीटर के लॉन और 25000 मीटर और 1,39,600 से अधिक पेड़ों की देखभाल करते हैं।

धूल को कम करने, गर्मी को अवशोषित करने, कम कार्बन सिंक और ताजा ऑक्सीजन उत्सर्जन में हरी कालीन मदद करता है। 200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ हरा वृक्षारोपण कंपनी की वनीकरण के प्रति वचनबद्धता का प्रतीक है।

बीईएल के बीजी कॉमप्लेक्स ने पिछले वर्ष 7 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने का एक नया कदम उठाया, जिन्हें अन्यथा काट दिया जाता। ये प्रत्यारोपित पेड़ बहुत ही अच्छी तरह बढ़ते हैं। बीईएल ने पिछले वर्ष वनीकरण कार्यक्रम के दौरान लगभग 1500 पेड़ लगाए। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान बीईएल बेंगलूर कॉमप्लेक्स की साफ-सफाई और वनीकरण किया गया । अगले वर्ष हमने और 1500 पेड़ लगाने की योजना बनाई है।

अनुलग्नक -8

कारोबारी दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर)

खंड क - कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L32309KA1954GOI000787
2.	कंपनी का नाम	:	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	:	आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु- 560045
4.	वेबसाइट	:	www.bel-india.in
5.	ई-मेल आई डी	:	secretary@bel.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	:	2019-20
7.	जिसमें कंपनी संचालित होती है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)	:	रेडार - 26515 संचार एवं C4I प्रणालियाँ -26303 इलेक्ट्रो ऑप्टिक - 26700

8. तीन मुख्य उत्पाद / सेवाएं जो कंपनी तैयार करती है / प्रदान करती है, की सूची दें (तुलन-पत्र के अनुसार) -

   i. रेडार

   ii. संचार एवं C4I प्रणालियाँ

   iii. इलेक्ट्रो-ऑप्टिक

9. कुल स्थानों की संख्या जहां कंपनी के कारोबार कार्यकलाप होते है -

   I. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (मुख्य 5 के विवरण दें) -

   समुद्रपार कार्यालय: 05 यानी न्यूयार्क (यूएसए), सिंगापूर, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका एवं ओमान।

   II. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या -

   विनिर्माणी यूनिटें - 09 यानी बेंगलूरु (कर्नाटक), गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश), पंचकूला (हरियाणा), कोटद्वार (उत्तराखंड), पुणे एवं नवी मुंबई (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना) एवं मछिलीपट्टणम (आंध्र प्रदेश) एवं चेन्नै (तमिलनाडु) ।

   क्षेत्रीय / विपणन कार्यालय - नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं विशाखपट्टणम ।

10. कंपनी द्वारा सेवा प्रदत्त बाज़ार – स्थानीय/ राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय - राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

खंड ख - कंपनी के वित्तीय विवरण -

1.	चुकता पूंजी	:	रु. 24,366 लाख
2.	कुल विक्रयावर्त	:	रु. 12,60,776 लाख
3.	कर पश्चात् कुल लाभ	:	रु. 1,79,383 लाख

4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (अलग से रखी राशि सहित)	:	कंपनी द्वारा ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभों का 2% । सीएसआर गतिविधियों के लिए अनुलग्नक-2 प्रतिवेदन देखें।
5.	मद सं.4 से संबंधित व्यय की गतिविधियों की सूची	:	(सीएसआर गतिविधियों के लिए अनुलग्नक-2 देखें।)

खंड ग - अन्य विवरण -

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?

   जी, हाँ

   i. बीईएल ऑप्ट्रोनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे ।

   ii. बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड, बेंगलूर ।

2. क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी के बी.आर. पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या उल्लिखित करें ।

   जी नहीं।

3. कोई अन्य स्वत्व/स्वत्वों (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है, क्या कंपनी की बी.आर. पहल में भाग लेते है? यदि हां, तो ऐसे स्वत्वों/ संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक

कंपनी में आउटसोर्सिंग गतिविधि सुव्यवस्थित स्थापित प्रक्रिया द्वारा संचालित है। चूंकि गुणता, वितरण और लागत महत्वपूर्ण है, दोषपूर्ण मुक्त पूर्तिकर्ताओं के चयन और स्थापना के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। पूर्तिकर्ता मूल्यांकन समिति की गतिविधियों में क्षमताओं और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन, गुणता मान्यता, पर्यावरण प्रमाणन, विक्रेताओं की ग्राहक सूची, बैंकरों के विवरण, विक्रेताओं के प्रमाण पत्र जैसे आईएसओ प्रमाणन और अन्य वैधानिक कर पंजीकरण आदि के साथ उनके पंजीकरण शामिल हैं। केवल वे पूर्तिकर्ता जो इन शर्तों को पूरा करते है, को कंपनी के अनुमोदित विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, क्रय आदेश के मानक निबंधन एवं शर्तों में संरक्षा, हैंडलिंग और पर्यावरण का स्पष्ट रूप से समावेश हैं। कंपनी ने आगे पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं सुनिश्चित करने के लिए ई-खरीद, सत्यनिष्ठा संधि आदि शुरू की है। पूर्तिकर्ता रेटिंग प्रणाली के आधार पर गुणता, लागत, वितरण और निष्पादन के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। संक्षेप में, एवीडी में उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं के बहुमत (60% से अधिक) व्यावसायिक जिम्मेदारी के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

कंपनी की पर्यावरण नीतियाँ क्रय आदेश और कार्य आदेश द्वारा पूर्तिकर्ताओं तथा विक्रेताओं को सूचित की जाती हैं। पर्यावरण जागरूकता तथा नीति संबंधी आवश्यकताओं की सूचना अनुपालन हेतु वार्षिक पूर्तिकर्ता सम्मेलन में दी जाती है।

खंड घ – बी.आर. सूचना

1. बी.आर. के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण-

क) बी.आर. नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

- डीआईएन : 08473589
- नाम : श्री शिवकुमारन के एम
- पदनाम : निदेशक (मानव संसाधन)

ख) बी.आर. प्रमुख के विवरण

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन (यदि लागू हो तो)	08473589
2.	नाम	श्री शिवकुमारन के एम
3.	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
4.	टेलिफोन नंबर	080-25039205
5.	ई-मेल आईडी	shivakumarankm@bel.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजीएस के अनुसार) बी.आर. नीति/नीतियां (हां/ नहीं में उत्तर दें) –

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास..... की नीति/नीतियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या नीतियां संबंधित पणधारकों के परामर्श से बनाई जाती है?	सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए, गहन आंतरिक परामर्श के बाद नीति सूचीबद्ध की गई।								
3	क्या नीति कोई राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है? यदि हां तो विवरण दें?	नीति सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए »बी.आर. रिपोर्ट «और कारोबारी मामलों के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर कार्पोरेट मामलों के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देश मंत्रालय के सेबी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।								
4	क्या यह नीति मंडल द्वारा अनुमोदित है? यदि हां,तो क्या वह एमडी/स्वामी/सीईओ/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नीति और कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के रूप में जारी की गई। जी, हां। (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से फाइल अनुमोदन प्राप्त है)								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/ अधिकारियों की निर्धारित समिति है?	मंडल अपनी विभिन्न समितियों द्वारा इन नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की देखरेख करती है, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट की भाग बनने वाली कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में बताया गया है।								
6	नीति के ऑनलाइन प्रेक्षण का लिंक सूचित करें।	नीतियां कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है- http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=527&LId=1&link=527								
7	क्या सभी आंतरिक एवं बाह्य पणघारकों को नीति की अधिकारिक सूचना दी गई है?	जी, हाँ								
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत संरचना है?	जी, हाँ								
9	संबंधित नीति/नीतियों पर पणधारकों के शिकायतों के निवारण हेतु क्या कंपनी में शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है?	जी, हाँ								
10	क्या इस नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने किसी आंतरिक/ बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र अंकेक्षण/ मूल्यांकन कार्य किया है?	जी, हाँ								

2क. यदि क्रमांक 1 में किसी भी नीति के लिए उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें। (दो विकल्प तक टिक करें)।

क्र. स.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने नीतियों को समझा नहीं है	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्धारित सिद्धांतों के लिए नीतियां बनाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके									
3.	कंपनी में कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय या जनशक्ति संसाधन नहीं है।									
4.	इसे अगले 6 माह में पूरा करने की योजना बनाई गई है।									
5.	इसे अगले एक वर्ष में पूरा करने की योजना बनाई गई है।									
6.	कोई अन्य कारण (स्पष्ट करें)									

3. बी.आर. से संबंधित अभिशासन -

- सूचित करें कि किस अवधि में निदेशक मंडल, मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के बी.आर. निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। 3 माह के भीतर, 3-6 माह में, वार्षिक रूप में, एक वर्ष से अधिक?

  मंडल के निदेशकों/ समितियों द्वारा सीएसआर और निर्वहनीयता नीति, निवारण नीति, निषेध और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, सचेतक नीति, व्यापार आचरण संहिता और मंडल के सदस्यों के लिए नैतिकता, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन, आचार संहिता तथा विनियमों का उचित प्रकटण, बीईएल प्रतिभूतियों की निगरानी, रिपोर्टिंग और भेदिया व्यापार, संबंधित पक्षकार संव्यहार नीति, जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

- क्या कंपनी बी.आर. या निर्वहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

  जी, हाँ। कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में बी.आर. रिपोर्ट और निर्वहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है और इसे वेबसाइट http://www.bel-india.in/ContentPage.aspx?MId=17&CId=427&LId=1&link=427 में पोस्ट करती है।

खंड ङ – सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या नैतिक शास्त्र, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में केवल कंपनी को शामिल किया गया है? हाँ/नहीं। क्या इसमें समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्य शामिल है?

   जी, हाँ, नीति में कंपनी को शामिल किया गया है । इसके अलावा, कंपनी ने रु. 300 लाख से अधिक के सभी आदेश/ ठेकों के लिए सभी पूर्तिकर्ता/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ सेवा प्रदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा संधि करार अपनायी है । यह संधि मुख्यतः उत्तरव्यापी पूर्तिकर्ता/ बोलीदाताओं और प्रमुख (बीईएल) के बीच दोनों ओर के अधिकारियों/व्यक्तियों को ठेके के किसी भी पहलु/ किसी भी दशा में कोई भी भ्रष्ट आचरण का सहारा न लेने लिए वचनबद्ध करते हुए एक अनुबंध को परिकल्पित करता है। केवल वह विक्रेता/बोली लगाने वाले जो मूल कंपनी के साथ इस प्रकार के समझौते के लिए वचनबद्ध होते है को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम माना जाएगा। किसी भी ठेके के लिए सत्यनिष्ठा संधि, यह बोलियों को आमंत्रित करने की दशा से ठेके की अंतिम समापन तक प्रचालन में होगा। इसके किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराया जा सकता है और भविष्य के कारोबार से वर्जित कर सकता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में पणधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतुष्टिपूर्वक हल किया गया है? यदि है, तो लगभग 50 शब्द तक विवरण प्रदान करें ।

   कंपनी में, ग्राहक संतुष्टि स्तर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। तदनुसार, उत्पाद समर्थन मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के कई पहल किए गए हैं। सभी समर्थन संबंधित मुद्दों का निवारण करने के लिए उत्पाद समर्थन निगरानी समूहों की स्थापना कंपनी भर में की गई है। शिकायत निवारण पर प्रगति की निगरानी हेतु थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए अपर महाप्रबंधक/वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर पर समर्पित वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी ने ग्राहक के शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना को समर्थन प्रदान करने के लिए 10 क्षेत्रीय उत्पाद सहायता केंद्र और भारतीय नौसेना को समर्थन प्रदान करने के लिए 7 स्थानों पर वाटर फ्रन्ट सपोर्ट सेन्टर खोले हैं। ये सहायता केंद्र अपने संबंधित प्रचालनीय क्षेत्रों में ग्राहकों के संपर्क के एकल बिंदु हैं, जिससे ग्राहकों और कंपनी की विनिर्माणी यूनिटों के बीच बेहतर और शीघ्र समन्वय स्थापित होता है। ऑन-लाइन शिकायतों के निवारण के लिए बेंगलूर में ग्राहक समन्वय कक्ष स्थापित किया गया है। यह सुविधा इंटरनेट से जुड़े एसएपी के सीआरएम मॉड्यूल सहित टोल फ्री बीएसएनएल/ एमटीएनएल नंबर के साथ लैस है। हमारे ग्राहक ग्राहक समन्वय सेल में लॉग-इन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, सीआरएम मॉड्यूल पंजीकृत शिकायत के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जनित करके ग्राहकों को ऑनलाइन शिकायत पर प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। प्रकोष्ठ शीर्ष प्रबंधन के लिए शिकायतों के सारांश पर मासिक रिपोर्ट तैयार करता है। नीचे दी गई टेबल में निपटाई गई शिकायत आंकड़ों के विवरण दिए गए हैं-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के शिकायतों का सारांश

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
132052	11559 (87.5%)	1646 (12.5%)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी को सेबी (स्कोर्स) में शेयरधारकों से 03 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है।

सिद्धांत 2

1. अपने उत्पादों या सेवाओं में से ऐसे 3 तक सूचीबद्ध करें जिनके अभिकल्प में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और / या अवसर शामिल हैं।

   निम्न उत्पाद सामाजिक / पर्यावरण चिंताओं को दूर करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं -

   i. स्मार्ट सिटी परियोजना

   ii. दिल्ली सीसी टीवी

   iii. रियल-टाइम ट्रेन इंफोरमेशन सिस्टम (आरटीआईएस)

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए उपयोग किए गए संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें, उत्पाद के प्रति इकाई (वैकल्पिक) -

   i. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष के बाद से स्रोतण / उत्पादन / वितरण के दौरान कटौती?

   ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, पानी) हासिल की गई कटौती?

   बीईएल की विनिर्माण प्रक्रिया निरंतर नहीं है और इसमें उत्पाद बनाने के लिए बहु इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर एकीकरण किया जाता है। उत्पादन एकीकृत सर्किट (आईसी) से रेडार आदि के निर्माण तक भिन्न होता है। इसलिए उत्पाद विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, यह विद्युत ऊर्जा उपभोग में मापा जाता है।

3. क्या कंपनी के पास निर्वहनीय स्रोतण (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं?

   यदि हां, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से स्रोत किया गया था? इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।

   कंपनी ने स्थायी स्रोतण और पारस्परिक दीर्घकालिक अनुलाभ के लिए कंपनी की स्वीकृत पूर्तिकर्ता निर्देशिका (ए.वी.डी.) में शामिल करने के लिए पूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु सख्त चयन तंत्र-प्रणाली स्थापित किए हैं। एमएसएमई और स्टार्ट अप को भी प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी गुणता, लागत और वितरण सहित विभिन्न मापदंडों पर नियमित रूप से अपने निष्पादन की निगरानी कर पूर्तिकर्ताओं को प्रतिक्रिया प्रदान करती है। कंपनी की छवि, नैतिकता और पारदर्शी व्यवसाय प्रथाओं, पूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध आदि सुनिश्चित करते हैं कि अधिकांश मदे निर्वहनीयता से प्राप्त किए जाते हैं। एमएसएमई बैठक भी आयोजित की जाती है और निर्वहनीय आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी निर्वहनीयता स्रोजतण के भाग के रूप में सभी पूर्तिकर्ताओं को गुणता प्रणाली मानक ISO9000 और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक ISO14001 के अनुपालन के लिए जोर देती है और प्रोत्साहित करती है।

4. क्या कंपनी ने उनके आस-पास के समुदायों समेत स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाएं है?

   जी हाँ, कंपनी रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों/ प्रणालियों के अभिकल्प, विनिर्माण आपूर्ति में लगी है जो मुख्य रूप से रक्षा और चयनित गैर-रक्षा बाज़ारों की आवश्यकताओं के लिए है। कुल कारोबार का लगभग एक तिहाई स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों से सृजित होता है। स्थानीय पूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाने के लिए, भारत भर में बीईएल की विभिन्न यूनिटें संबंधित यूनिट के स्थलों के पूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए निरंतर पूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम में लगी हुई है।

   इसके अलावा, बीईएल, बेंगलूरु, में स्थित बीईएल की औद्योगिक संपदा में छोटे उद्यमियों के स्वामित्व वाली 16 सहायक यूनिटें भी हैं। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक यूनिटें स्थापित की गई। ये यूनिटें एमएसएमई द्वारा प्रमाणित हैं। सहायक यूनिटों द्वारा उत्पादित उत्पादों में कास्टिंग्स, यांत्रिक पुर्जे, असेंबली, कॉइल एंड ट्रांसफॉर्मर, रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, औद्योगिक टेलरिंग, ऊर्जा आपूर्ति और यूपीएस, रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, शीट धातु उत्पाद, सोलर उत्पाद स्टेनलेस स्टील अनुकूलित उत्पाद और ट्राफिक सिग्नल सिस्टम शामिल हैं।

   इन सेवाओं में उन्नत वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की असेंबली और परीक्षण, सीएनसी मशीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण, पेंटिंग और कोटिंग, उत्पाद सुधार और शीट धातु निर्माण शामिल हैं। डिजाइन सेवाओं में शामिल हैं - संचार, उपकरण, कंपोजिट, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण, मशीन डिजाइन, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, शीट धातु उत्पाद, सेल्टंर और मैनपैक, सोलर उत्पाद, उपकरण और जिग्स आदि।

यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत भर में मानक घटकों, सामग्रियों और उप-अनुबंध वस्तुओं के लिए कंपनी अद्यतन उत्पन्न करती है और एमएसई सहित स्वीकृत विक्रेता निर्देशिका (एवीडी) का अनुरक्षण भी करती है। यह छोटे और स्थानीय पूर्तिकर्ताओं के लिए कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप होने की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार करके कंपनी के अनुमोदित विक्रेता के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। संबंधित स्थानीय विक्रेताओं से वस्तुओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एवीडी का सभी यूनिटों / एसबीयू द्वारा उपयोग किया जाता है।

पूर्तिकर्ताओं को उनकी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करने हेतु विक्रेता रेटिंग तंत्र के माध्यम से गुणता और सुपुर्दगी रेटिंग सहित उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा कंपनी मूल्यांकन के लिए क्षमता और सामर्थ्य सहित विभिन्न मानकों पर कड़े मानदंड अपनाती है। पारस्परिक लाभ के लिए उपरोक्त से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों को कंपनी की वार्षिक पूर्तिकर्ता बैठक के दौरान हल किया जाता है। बीईएल एमएसएमई पूर्तिकर्ताओं के लिए सहयोग के रूप में नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम (समस्या समाधान तकनीक, जीरो डिफेक्ट, 5एस, लीन, 6 सिग्मा, क्यूएमएस, आईएसओ 9001/14001 आदि) आयोजित करती है। बीईएल ने स्वदेशीकरण प्रयासों के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारों के रूप में एमएसएमई सहित देशी पूर्तिकर्ताओं को नियुक्त कर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया की जगह ली है। इसके अलावा, सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कंपनी स्टार्ट अप को भी सहयोग प्रदान करती है।

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और रद्दी को पुन:चक्रण करने के लिए तंत्र है? यदि हां, तो उत्पादों और रद्दी के पुन:चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग से <5%, 5-10%,> 10%)। इसके अलावा, विवरण प्रदान करें ।

कंपनी अपने उत्पादों का पुन:चक्रण नहीं करती है चूंकि इसके अधिकांश उत्पाद रणनीतिक / राष्ट्रीय सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। एक बार ग्राहकों को उत्पाद सौंप दिए जाने के बाद वे कंपनी को वापस नहीं किए जाते हैं । हालांकि, जो जीवन समाप्त उत्पादों / अप्रचलित उत्पादों को वापस करने के इच्छुक हैं,उन ग्राहकों को दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। कंपनी ने उत्पाद/ उपकरण के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट के निपटारे के लिए प्राधिकृत पुन:चक्रण / धारकों के माध्यम से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण अनुमोदित एजेंसियों को चैनलनाइजकृत करने के लिए सुव्यवस्थित तंत्र बनाया है। धातु रद्दी, उपयोग किया गया तेल, सॉल्वेंट्स और कॉपर बेरिंग एट्चेंट्स, कागज़,प्लास्टिक आदि पूर्णत: (100%) पुन:चक्रण और मरम्मत के लिए प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है। पेपर, प्लास्टिक को पुन:चक्रण चालकों को दिया जाता है। इसके अलावा, बायो-मेथेनाइजेशन संयंत्र में बायो-गैस के उत्पादन के लिए खाद्य अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग खाना पकाने के हल्के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता था। विनिर्माण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल को उपचारित किया जाता है और उत्पादन और बागवानी उद्देश्यों के लिए पुन: चक्रित किया जाता है।

सिद्धांत 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें : 9,279
2. कृपया संविदाधीन/ अस्थायी/ आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें : 4,440
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें : 1,991
4. कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या को सूचित करें : 216
5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है? : जी, हाँ
6. कितने प्रतिशत के स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है? : 95.12%
7. कृपया विगत वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बलात् श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन-उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या सूचित करें –

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय 2019-20 वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	31 मार्च 2020 को लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रमिक/ बलात् श्रम/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	02	02
3.	भेदभावपूर्ण नियोजन	शून्य	शून्य

8. नीचे उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष संरक्षा तथा कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

क्र. सं.	श्रेणी	संरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का %	कौशल उन्नयन पर प्रशिक्षित व्यक्तियों का %
1.	स्थायी कर्मचारी	22%	85%
2.	स्थायी महिला कर्मचारी	20%	83%
3.	अनियत/अस्थायी/ संविदाधीन कर्मचारी	60%	12%
4.	दिव्यांग कर्मचारी	16%	85%

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य पणधारकों को आकलन किया है? : जी, हाँ

2. उपरोक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले पणधारकों की पहचान की है? : जी, हाँ
   i. अ.जा./ अ.ज.जा. कर्मचारी
   ii. दिव्यांग कर्मचारी
   iii. महिला कर्मचारी

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले पणधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है, तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए विशेष पहल – अनु.जा./ अनु.ज.जा. कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबंधन ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर डिप्लोमा/आईटीआई प्रमाणित पाठ्यक्रम सहित डिप्लोमा प्रमाणित पाठ्यक्रम से पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की है ।

अनु.जा./ अनु.ज.जा. कर्मचारियों के बच्चे जिनका माता-पिता द्वारा अपर्याप्त देखभाल हो और अपने घर में अध्ययन करने के लिए उचित सुविधाएं नहीं हो उनकी उन्नति के लिए एक अध्ययन सुविधा केंद्र शुरू किया गया। प्रबंधन द्वारा कक्षाओं, फर्नीचर, पुस्तकालय, आदि जैसी सुविधाओं के साथ एक नए भवन का निर्माण किया गया।

इसके अलावा अनु.जा./ अनु.ज.जा. कर्मचारियों को उनके वार्ड समेत प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए कोचिंग जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष पहल - बीईएल अपनी महिला कर्मचारियों को "सार्वजनिक क्षेत्र में महिला" नामक मंच के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने, महिला कर्मचारियों के बीच बातचीत और विचारों और समस्याओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। यह मंच महिला कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने और संगठन के भीतर स्वस्थ कार्य परिवेश बनाने की दिशा में भी काम करता है।

बीईएल महिला कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता लाने संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अन्य अस्पतालों के समन्वय से नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाती है। इसके अलावा, पोषण, आहार, जीवन शैली प्रबंधन इत्यादि पर जागरूकता बढ़ाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष पहल - बीईएल विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष भत्ता और सुविधाएं प्रदान करता है जिनमें मुफ्त परिवहन, कंपनी परिवहन का उपयोग न करने वालों के लिए वाहन भत्ता शामिल है, संचलन के लिए कारखाने के भीतर विशेष रैंप, जहां भी आवश्यक हो, विशेष शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए अनुग्रह समय और काम की जगह तक वाहन लेने के लिए अनुमति दी गई है। अस्थि दिव्यांग, श्रवण और दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए श्रवण सहायक उपकरण, कैलिपर, एल्यूमीनियम फोल्डिंग स्टिक आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सिद्धांत 5

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य को भी शामिल करती है?

   मानव अधिकारों को बीईएल में उपयोग की जाने वाली सभी नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निहित किया गया है। मानव अधिकार कंपनी के सभी नीतियां, परस्पर विचार विमर्श एवं आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के साथ वाणिज्यिक संबंध (समूह/ संयुक्त) की मौलिक प्राथमिकता है। इस प्रकार मानवाधिकारों का सम्मान करना बीईएल की सभी कारोबारी प्रक्रियाओं का एक अचूक पहलू है और इसमें बीईएल की कारोबारी गतिविधियों के पूरे क्षेत्र शामिल होते हैं।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने पणधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से कितने प्रतिशत को हल किया गया था?

   वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए शिकायतों का सार-

पंजीकृत शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
13205	11559 (87.5%)	1646 (12.5%)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी को 03 शिकायतें प्राप्त हुई और उन सभी को सफलतापूर्वक निपटा लिया गया है।

सिद्धांत 6

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन/ अन्य लोगों तक विस्तारित की गई है।

   यह केवल कंपनी को शामिल करती है। इसके अलावा, कंपनी के उत्पादों के उपयोग के दौरान पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन में ग्राहक जागरूकता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कारोबारी भागीदारों / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अभिकल्प से निपटान तक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2. क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की रणनीति/ पहल हैं? हाँ/ नहीं।

   जी, हाँ। कंपनी जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा संरक्षण उपायों और पवन व सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों जैसे अक्षय ऊर्जा उत्पादन के स्वामित्व वाली कंपनी के मामलों का निपटान करती है। एनर्जी एफेसिन्टर वाले चिलर्स और मोटर्स, डिजिटली एड्रेसेबल लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डे लाइट हार्वेस्टिंग जैसी ऊर्जा संरक्षण पहल लागू किए जाते हैं। ऊर्जा उत्पादन और कैप्टिव खपत के लिए पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने पर बल देती है। कंपनी व्यापक रूप से संस्थालगत रूप से बनाए गए ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर रूफ टॉप ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा दे रही है। कंपनी का लक्ष्य शून्य नेट ग्रिड ऊर्जा चरण को प्राप्त करना है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है? हाँ/ नहीं।

   जी हाँ। यह ISO14001-2015 मानकों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है। संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की जाती है और उसका समाधान किया जाता है। इसके कार्यान्वयन के अनुपालन और प्रभावकारिता की जांच के लिए नियमित तौर पर आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा भी आयोजित की जाती है।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

   जी, हाँ। कर्नाटक राज्य के दावणगेरे में 2.5 मेगावाट और 8.4 मेगावाट और हसन में 3 मेगावाट क्षमता वाली पवन चक्की के माध्यम से वायु ऊर्जा (हरित ऊर्जा) का उत्पादन ।

   वर्ष 2019-20 के दौरान दावणगेरे और हसन, कार्बन क्रेडिट अर्जित आदि में पवन ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त विद्युत ऊर्जा का विवरण और इनके आरंभ से संचयी नीचे दिए गए हैं-

दावणगेरे 2.5 MW पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र (0.5 MW X 5 नग)

क. 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन	:	33,77,025 KW घंटे
ख. 2019-20 के दौरान कुल चक्की ऊर्जा	:	30,48,163 KW घंटे
ग. CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्ष के 3,060 टन
घ. कार्बन क्रेडिट	:	15,856 सीईआर
ङ. प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	4,20,85,226 KW घंटे
च. संचयी CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्ष के 45,115 टन

हासन 3.0 MW पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र (1.5 MW X 2 नग)

क. 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन	:	53,12,100 KW घंटे
ख. 2019-20 के दौरान कुल चक्की ऊर्जा	:	48,09,957 KW घंटे

ग. CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्ष के 4,824 टन
घ. कार्बन क्रेडिट	:	यूएनएफसीसी में पंजीकृत
ङ. प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	5,79,59,524 KW घंटे
च. संचयी CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्ष के 67,291 टन

दावणगेरे 8.4 MW पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र (2.1MW X 4 नग)

क. 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन	:	1,85,42,400 KW घंटे
ख. 2019-20 के दौरान कुल चक्की ऊर्जा	:	1,69,22,372 KW घंटे
ग. CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्ष के 16,968 टन
घ. कार्बन क्रेडिट	:	यूएनएफसीसी के साथ पंजीकृत किया जाना है
ङ. प्रारंभ से ऊर्जा संचयी	:	6,62,57,774 KW घंटे
च. संचयी CO_2 उत्सर्जन में कमी	:	CO_2 समकक्ष के 71,414 टन

उपर्युक्त उल्लिखित परियोजना के लिए, आवधिक पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए कोई पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया संबंधित वेब पेज का हाइपरलिंक दें ।

   जी हाँ । प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्माणी प्रक्रियाओं में स्वच्छतर प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने हमेशा प्रदूषण की जड़ के निवारण पर अधिक ध्यान दिया है। ऐसा प्रयास करते समय, विद्यमान प्रक्रियाओं में अनेक सुधार और संशोधन किए गए हैं। कुछेक हानिकारक पदार्थ (RoHS) अनुरूप प्रक्रियाओं के अनेक प्रतिबंधों को पीसीबी विनिर्माण और धातु परिष्करण प्रक्रियाओं में कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण धातु जैसे कम धुआं उत्सर्जित करने वाले हैलोजन केबल, कम वीओसी धातु परिष्करण प्राचलन (पॉली यूरेथीन), सायनाइड मुक्त सिल्वर, जस्ता और तांबे की प्लेटिंग, त्रि-संयोजकता क्रोमियम आधारित क्रोमेट रूपांतरण विलेपन को इस्तेमाल में लाया गया है। फास्टनर और स्क्रू के लिए RoHS अनुरूप कैडमियम प्लेटिंग विकल्पों पर एक तकनीकी दस्तावेज जारी किया गया है। इससे पूरे बीईएल में विभिन्न डी एंड ई और गुणता अभियंताओं के बीच RoHS अनुरूप विकल्पों पर जागरूकता पैदा करने और उनका पालन करने में मदद मिलती है। नौसैनिक प्रणाली के इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप में सायनाइड मुक्त सिल्वर, जस्ता और तांबे की प्लेटिंग शुरु की गई। बेंगलूरु कॉम्पलेक्स यूनिट में उत्पादन हेतु पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का इस्तेमाल शुरु किया गया।

   बीईएल को 13.9 मे.वॉ. पवन शक्ति संयंत्र और 3340 kWp का ग्रिड इंटरेक्टिव रूफ़ टॉप सोलार पीवी शक्ति संयंत्र प्राप्त है। 2019-20 के दौरान पवन ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त कुल हरित ऊर्जा 247.8 लाख इकाई रही और 23102 मी.टन CO_2 के उत्सर्जन से बचा जा सका । सौर शक्ति संयंत्र से बीईएल की सभी यूनिटों की बिजली की खपत में लगभग 6.83% का योगदान मिला। संपूर्ण कंपनी के लिए समग्र नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 53% रहा। इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण के अन्य उपाय जैसे ऊर्जा दक्ष रेट्रोफिट एलईडी लाइटें, डीएएलआई (डिज़िटली एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस) लाइटिंग नियंत्रण प्रणाली, दिन के प्रकाश के संग्रहण के लिए स्काई लाइट पाइप, इस्तेमाल आधारित लाइटिंग, बीएलडीसी पंखे, स्टार श्रेणी के ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में लाए गए।

   सभी नई इमारतों में और भविष्य में बनने वाली सभी इमारतों में हरित भवन की अवधारणा अपनाने से ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हेबिटॉट असेसमेंट (गृहा) श्रेणी का अनुपालन किया जाएगा।

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर हैं?

   जी, हाँ। इसकी बारीकी से निगरानी और रिपोर्ट की जा रही है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओं / कानूनी नोटिसों की संख्या लंबित है (अर्थात संतुष्टिपूर्वक समाधान नहीं किया गया है) -

   शून्य, कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन और अनुपाल का अच्छा रिकॉर्ड है।

सिद्धांत 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख का नाम दें-

क. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)

ख. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

ग. भारत के वाणिज्य और उद्योग के एसोसिएटेड चैंबर (एसोचैम)

घ. सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक सुधार या प्रगति के लिए वकालत/ पक्ष-प्रचार की है? हाँ/नहीं; यदि हां, व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स- शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)।

जी, हाँ । जब भी नीति दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं, तब सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नीतियों पर हमारे विचार को प्रकट करने के लिए संगोष्ठियों / कार्यशालाओं में भी भाग लिया जाता है।

सिद्धांत 8

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहलों / परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है? यदि हाँ इसका विवरण दें।

जी,हाँ। कंपनी "अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रयास" के पोषित मूल्यों को आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 को विभिन्न स्पष्टीकरणों, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संशोधनों के साथ सीएसआर और स्थिरता नीति के रूप में तैयार किया है। सीएसआर कार्यक्रम/ पहल/ परियोजनाएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-सातवीं के अनुरूप की गई हैं, जो सीएसआर और निर्वहनीय नीति में विधिवत शामिल है और हमारे सभी कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत है ।

कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सीएसआर पहल व्यापक रूप से निम्न क्षेत्रों में हैं-

- स्कूली शिक्षा
- स्वास्थ्य देखभाल और निवारण स्वास्थ्य देखभाल
- साफ-सफाई
- व्यावसायिक कौशल विकास
- ग्रामीण विकास
- पर्यावरणीय निर्वहनीयता

सामुदायिक विकास के लिए केंद्रित सीएसआर कार्यक्रमों/ परियोजनाओं के रणनीतिक, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना तैयार की गई है ।

2. क्या कार्यक्रम/ परियोजनाएं संस्थागत टीम/ स्वयं के फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?

कंपनी में सीएसआर पहल संस्थागत टीम द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?

कंपनी की यूनिट स्थित संस्थागत टीमें सीएसआर परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए आवधिक रूप से प्रभाव आंकलन करती हैं । इसके अलावा, मंडल की सीएसआर समिति आवधिक रूप से कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण और समीक्षा करने, कंपनी द्वारा कार्यान्विक सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आंकलन करने के लिए संबंधित सभी पणधारकों के साथ बातचीत करने के लिए सीएसआर परियोजना स्थलों का दौरा करती है ।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- आईएनआर में राशि और परियोजनाओं के ब्योरे दें??

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों / परियोजनाओं पर रु. 4,310.36 लाख राशि आबंटित की गई थी । वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रम सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट यानी अनुलग्नक - 2 में दिए गए हैं।

5. क्या आपने इन समुदाय विकास पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गए हैं, सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं? कृपया बताएँ ।

(i) कंपनी ने सामुदायिक विकास की ओर केंद्रित सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया स्थापित की है। किसी भी प्रकार का सीएसआर मध्यवर्तन विभिन्न प्रकार्यों की संस्थागत टीम के मूल्यांकन की आवश्यकता के साथ शुरू किया जाता है। आवश्यकताओं को समुदाय

के साथ विचार कर और स्थानीय प्रशासन के परामर्श से प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, पहचान की गई सीएसआर परियोजनाओं की संवीक्षा की जाती है और कार्पोरेट शीर्षस्त समिति द्वारा चयनित की जाती है और प्रबंधन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कार्यान्वयन के दौरान, समुदाय/ स्थानीय प्रशासन के विचार प्राप्त किए जाते हैं और सुधार पर विचार किया जाता है, इस प्रकार, समुदाय द्वारा सीएसआर परियोजना को सफलतापूर्वक अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है।

(ii) बीईएल ने मणिपुर और मिज़ोरम में समावेशी और सतत विकास मध्यवर्तन करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कदम रखा है । इसके अलावा, बीईएल ने स्कूली बच्चों को समय पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा के लिए भोजन वितरण वैन प्रदान किया । सीएसआर की ऐसी परियोजनाएं जो उद्योग और शिक्षा जगत में कमियों को दूर करने के लिए, युवाओं के कौशल को बढ़ावा देती हैं, कौशल भारत के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं।

सिद्धांत 9

1. वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है।

   यथा 31 मार्च 2020 तक कुल 1646 शिकायतें लंबित हैं । यह पंजीकृत कुल शिकायतों का 12.5% प्रतिशत है। ग्राहक शिकायत का निपटान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी दोषों का निवारण इस प्रकार से करती है कि उपकरण का निष्क्रिय समय कम से कम हो । हमारी उत्पाद समर्थन टीम उत्पादों के स्थान के बहुत करीब स्थित हैं और कम समय में पहुंचने में सक्षम होंगे । 01 अप्रैल 2020 तक कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है ।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य हद तक या उससे अधिक प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

   बीईएल रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है, उत्पाद की जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। इसलिए, कोई उत्पाद जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी पणधारक द्वारा दायर कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

   इस वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 और पिछले पांच वर्षों से पणधारक द्वारा दायर कंपनी के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

4. क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि की पहल की है?

   जी, हाँ। समय-समय पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है और संतुष्टि स्तर में सुधार के लिए सर्वेक्षण के परिणाम का उपयोग किया जाएगा।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हम यह संशोधित रिपोर्ट स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विशेष मामला पैरा के संबंध में भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुपालन में जारी कर रहे हैं। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की यह रिपोर्ट दिनांक 29 जून 2020 को जारी हमारी रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

स्टैंडलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** ("कंपनी") के साथ के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और मछलीपट्टनम में स्थित कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित समाप्त वर्ष की विवरणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सबसे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कामकाज और उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह की स्थिति के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सच्चा और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते है।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (एस.ए.) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के *स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों* खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाएँ जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, अत: हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विशेष मामला

1. हम कंपनी के कारोबारी प्रचालनों पर कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप के प्रभाव के लिए वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 30 (17) पर ध्यान आकृष्ट करते हैं जो कुछेक ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो अनिश्चित हैं और जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

2. हम कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप से किए गए लॉकडाउन के कारण प्रतिधारित बिक्री की पहचान के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30 (14) पर ध्यान आकृष्ट करते हैं और उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्ण रूप से विचार किया गया और उन पर हमारी राय निर्धारित करने में, हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले लेखा-परीक्षा के प्रमुख मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है-

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
1.	भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों की संविदा से राजस्व के प्रति राजस्व तथा संबंधित शेषों के अभिचिह्नन, मापन, प्रस्तुति और प्रकटण की सटीकता । इस मानक में सुस्पष्ट कार्य-निष्पादन देयताओं की पहचान, प्रत्येक अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता के लिए लेनदेन कीमत का निर्धारण, समय के दौरान या किसी निश्चित समय ऐसी कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त निर्णयों का आंकलन शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस मानक में संविदा को प्राप्त करने या उसे पूरा करने में उपगत लागत की राशि को अभिचिह्नित करने में प्रयुक्त निर्णय और वे अवधियाँ भी शामिल होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कार्य-निष्पादन की देयताएँ पूरी की जाती हैं। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 23 देखें और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	<u>**लेखा परीक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं**</u> हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रणों तथा इस मानक के अनुप्रयोग के संबंध में उनकी प्रचालनीय प्रभावशीलता की पहचान शामिल है। हमने ऐसे लेनदेनों की सारभूत जाँच भी की है। (i) चालू संविदाओं और नए संविदाओं के नमूने का चयन किया और कार्य-निष्पादन देयताओं की पहचान की और उसकी तुलना कंपनी द्वारा अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता के साथ की। (ii) संविदा में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किए जाने पर अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता हेतु लेनदेन कीमत के आबंटन के आधार का सत्यापन किया। (iii) कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने के आधार की पहचान की गई और उसकी तुलना कंपनी द्वारा समय के दौरान या किसी निश्चित समय पर कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने में प्रयुक्त निर्णयों के साथ की गई। (iv) वचनबद्ध माल या सेवाओं के लिए कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने हेतु विचार किए गए उचित साक्ष्यों का सत्यापन किया गया। (v) ऐसी संविदाओं के संबंध में जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना समय पर निर्भर है, हमने राजस्व को अभिचिह्नित करने क लिए कंपनी द्वारा अभिचिह्नित विधि का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी विधियाँ कार्य-निष्पादन देयता की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त हैं। (vi) ऐसी लागतों की पहचान करने के लिए कंपनी द्वारा प्रयुक्त निर्णयों का सत्यापन किया जो संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने में उपगत हुई और जिस अवधि में ऐसी लागतों को परिशोधित किया जाएगा। (vii) शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के पास उपलब्ध योजना की समीक्षा की जिन्हें ऐसी अवधियों से संबंधित प्रकटण तैयार करने हेतु ग्राहक के आदेश में निर्धारित सुपुर्दगी शर्तों के आधार पर अभिचिह्नित किया गया जिनमें शेष पूरी न की गई या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयताएँ रिपोर्टिंग तिथि के बाद पूरी की जानी हैं।
2.	दुर्वह संविदाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान। ऐसी संविदाएँ जो दुर्वह बन गई हैं, के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी करने हेतु अपरिहार्य लागतों का प्राक्कलन करना महत्वपूर्ण है। इस प्राक्कलन में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में अपरिहार्य लागतों का अनुमान लगाने की अंतर्निहित सीमा है।	<u>**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ**</u> हमने दुर्वह संविदाओं तथा ऐसी संविदाओं को पूरा करने की लागत की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन से पूछताछ की है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
	(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 23 देखें)	(i) चालू और मौजूदा संविदा के नमूने चुने और ऐसी संविदा को पूरा करने में उपगत लागत और प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और दुर्वह संविदाओं के लिए साथ ही, अपरिहार्य लागतों के प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) दुर्वह संविदाओं के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए अपरिहार्य लागतें तय करने के आधार का प्राक्कलन करने के लिए उपलब्ध आंतरित नियंत्रणों का सत्यापन किया और उन्हें समझा। (iv) कार्य-निष्पादन को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (v) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (vi) जुर्माने के संबंध में शेष कार्य-निष्पादन देयताओं के प्रति संविदा में संभावित कटौतियों का सत्यापन किया। (vii) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।
3.	समय के दौरान कार्य-निष्पादन देयता को पूरा करने की अनुमानित लागत के संबंध में महत्वपूर्ण प्राक्कलन किए गए । इस प्राक्कलन में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने की लागत का अनुमान लगाने की निश्चितता की अंतर्निहित सीमा है। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** हमने ऐसी संविदाओं की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन से पूछताछ की है जहाँ समय के दौरान कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी की गई हैं। (i) चालू और मौजूदा संविदा के नमूने चुने और उपगत लागत तथा प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और साथ ही संविदा को पूरा करने के लिए किए गए प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) कार्य-निष्पादन को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (iv) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (v) प्रबंधन के साथ चर्चा की और इस बात का विश्लेषण किया कि प्राक्कलित लागत ऐसे कार्यों के लिए है जो कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए लंबित हैं। (vi) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
4.	क) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ ग्राहकों को माल का प्रेषण नहीं किया जा सका, वहाँ नियंत्रण के अंतरण का निर्धारण । (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	(i) सुनिश्चित किया कि उचित साक्ष्य को देखते हुए क्या माल की डिज़ाइन और निर्माण ग्राहकों के विनिर्देशों के अनुरूप किया गया। (ii) नियंत्रण के अंतरण के मूल्यांकन के लिए माल हेतु ग्राहक की स्वीकृति का सत्यापन किया। (iii) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ माल का प्रेषण और सुपुर्दगी नहीं की जा सकी, वहाँ माल को रोक रखने के लिए ग्राहक द्वारा कंपनी को किए गए अनुरोध का सत्यापन किया । (iv) सुनिश्चित किया कि क्या माल को कंपनी द्वारा विनियोजित किया गया। (v) इस बात का सत्यापन किया कि क्या लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, जहाँ संभव हो, माल को बाद में प्रेषित किया गया।
	ख) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ पूर्तिकर्ता के परिसर से भेजा गया माल ग्राहक के स्थल तक नहीं पहुँच सका और ऐसी संविदाएँ जहाँ कार्य-निष्पादन देयता समय पर पूरी की गई, के संबंध में उपगत लागत का निर्धारण। (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	(i) ऐसे माल की सूची प्राप्त की जिन्हें लॉकडाउन की अवधि से पहले भेजा गया परंतु जो ग्राहक के स्थल तक नहीं पहुँचा। (ii) माल भेजने संबंधी सहायक साक्ष्यों का सत्यापन किया। (iii) कंपनी द्वारा माल की स्वीकृति का सत्यापन किया। (iv) इस बात का सत्यापन किया कि लॉक डाउन समाप्त होने के बाद, जहां संभव हो, ग्राहक के स्थल पर माल प्राप्त किया गया। (v) सत्यापन किया कि ऐसी संविदाएँ जहाँ कार्य-निष्पादन देयता समय के दौरान पूरी की गई, के संबंध में राजस्व के परिकलन के प्रयोजनार्थ, उपगत लागत पर उचित रूप से विचार किया गया।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है जिसमें इसके अनुलग्नक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उन पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वास्तविक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताया गया है या नहीं।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य जानकारी में वास्तविक रूप से गलत कथन दिए गए हैं तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करनी होगी। इस संबंध में हम कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों का उत्तरदायित्व

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्राप्तियों की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने और उनका पता

लगाने; उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करने; उचित और दूरदर्शी निर्णय लेने और अनुमान लगाने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने और बनाए रखने जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, जो सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं, चाहे कपट या त्रुटि से क्यों न हों, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा अभिलेख रखना भी शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों, जो लागू हो, का प्रकटण करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन का आशय कंपनी को परिसमाप्त करना न हो या कामकाज बंद करना न हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्णत: महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, और अपने विचार के समर्थन में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।

औचित्यपूर्ण आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा विद्यमान होने पर हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से महत्वपूर्ण माने जाने पर, वे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हमने पेशेवर निर्णय लिया है और संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखा है। हमने -

- कपट या त्रुटि, डिज़ाइन के कारण इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिमों की पहचान भी की है और उनका आंकलन भी किया है और ऐसे जोखिमों को कम करने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ पूरी की है और हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है। कपट के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि कपटपूर्ण कार्य में मिली-भगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत-बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल होता है।
- परिस्थितियों के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को समझा भी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटणों की औचित्यता का भी मूल्यांकन किया है।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का भी निष्कर्ष निकाला है और लेखा परीक्षा से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, चाहे कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो या न हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण निश्चितता है, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटणों के लिए अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होगा या यदि ऐसे प्रकटण समुचित नहीं हैं तो अपने विचार में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। बहरहाल, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखना समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन भी किया है और इस बात का भी मूल्यांकन किया है कि क्या ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को उस तरह से दर्शाते हैं कि उनका उचित प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथनों की मात्रा की महत्ता होती है जो वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से इसकी संभावना बनाते हैं कि इन वित्तीय विवरणों का उचित ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हमने (i) अपनी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी अभिचिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का आंकलन करने में प्रमात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की किसी उल्लेखनीय कमी सहित, लेखा परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के उल्लेखनीय परिणामों के योजित कार्यक्षेत्र और समय के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों से बातचीत की है।

हमने गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को ऐसे विवरण भी प्रदान किए हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता संबंधी संगत नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन में बनाया है और उन्हें ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता से उचित ढंग से संबद्ध माना जा सकता है और जहाँ लागू हो, संबंधित बचाव किए गए हैं।

गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को बताए गए मामलों में से, हमने ऐसे मामलों को लिया जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। इन मामलों का वर्णन हमने अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किया है जब तक कि ऐसे मामले का प्रकटण कानून या विनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह तय करते हैं कि मामले की सूचना हमारी रिपोर्ट में दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचना के लोक हित अनुलाभ से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

हमने इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार तय करने में शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित 6 शाखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

अन्य मामले

1. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल छ: शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को रु. 7,15,674 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4,76,833 लाख के कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत किए गए हैं और जहाँ तक वे इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटणों से संबंधित हैं, हमारे विचार ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर एकमात्र रूप से आधारित हैं।

   उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

2. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित यूनिटों के संबंध में, जिनकी रिपोर्ट पर हम विश्वास करते हैं, हमने पाया कि गाज़ियाबाद और कोटद्वार यूनिटों के शाखा लेखा परीक्षकों ने अपने विचार को संशोधित किए बिना इस बात पर ज़ोर दिया है कि संविदाओं में लेनदेन की कीमत निर्धारित करने में निर्णीत हर्जाना अंतर्निहित है और यह परिवर्ती प्रतिफल का भाग बनेगा और इसका प्रावधान करने के स्थान पर राजस्व से इसे घटाने की आवश्यकता है। हमने इस पर विचार किया और पाया कि इन यूनिटों में अनुसरित लेखांकन उपचार कंपनी की लेखा नीति और अन्य यूनिटों में अनुसरित नीति के अनुसार है ।

   उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("ऑर्डर") में की गई अपेक्षा अनुसार, अनुलग्नक-क में हमने लागू सीमा तक आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में बताई गई आवश्यकता अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि-

   क) हमने ऐसी सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किया जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   ख) हमारे विचार से, जहाँ तक खाता बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, कंपनी ने कानून द्वारा यथा आवश्यक, उचित लेखा बहियाँ रखी हैं। बेंगलूरु कॉम्पलेक्स, हैदराबाद और चेन्नै यूनिटों तथा कार्पोरेट कार्यालय के खातों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई जबकि गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और मछिलिपट्टणम यूनिटों की लेखा परीक्षा संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। हमारी रिपोर्ट तैयार करते

समय इन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमने विचार किया। न्यू यॉर्क, सिंगापुर और अन्य कार्यालयों के मामले में, जिनका दौरा हमने नहीं किया, उक्त कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ / अभिलेख का सत्यापन किया गया और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ उन्हें समुचित पाया गया।

ग) अधिनियम की धारा 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट (गाज़ियाबाद, पंचकूला, कोटद्वार, पुणे, नवी मुंबई और मछिलिपट्टणम यूनिटों के संबंध में) हमें भेजी गई और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उस पर उचित रूप से विचार किया गया।

घ) इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी तथा नकदी प्राप्ति विवरणी कंपनी की लेखा बहियों और कार्यालय जिनका दौरा हमने नहीं किया, से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं ।

ङ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।

च) चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखे।

ज) कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में -

चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अनुसूची V के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा अनिवार्य बनाए गए अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार -

i. कंपनी ने 31 मार्च 2020 के अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(8) देखें।

ii. कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 21 देखें। कंपनी में कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(15) देखें।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि में कोई विलंब नहीं किया गया।

3. अधिनियम की धारा 143(5) में की गई अपेक्षा अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उन पर की गई कार्रवाई और "अनुलग्नक-ग" में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव पर विचार किया है।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन. - 20223118AAAABN4977

बेंगलूरु
19 अगस्त, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -

i) क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक विवरण और परिस्थितियाँ सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए सामान्य रूप से उचित अभिलेख रखे हैं।

ख) हमें बताए गए अनुसार और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, प्रबंधन ने सामान्य रूप से अपने वास्तविक सत्यापन के चरणबद्ध प्रोग्राम के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के एक हिस्से का वास्तविक सत्यापन किया है जिसे कंपनी के आकार और उसकी अचल परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए समुचित माना गया है । इस प्रोग्राम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और वर्ष के दौरान विसंगति, यदि कोई हो, ऐसे सत्यापन पर उचित ढंग से निपटा गया । हमें दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।

ग) हमें बताए गए अनुसार और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, अचल संपत्तियों के हक विलेख कंपनी के नाम पर है सिवाय उनके जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 1(xv) (D),(F),(H) और टिप्पणी सं. 3(xiii)(A) में उल्लिखित हैं।

ii) कंपनी द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची (तृतीय पक्षकारों के पास मौजूद स्टॉक और मार्गस्थ सामग्री को छोड़कर) का वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमें सूचित किया गया है कि ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई । ऐसे सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों के संबंध में लेखा बहियों में उचित प्रावधान किया गया है।

उप-ठेकेदारों के पास मौजूद सामग्री के संबंध में, सामान्य रूप से पुष्टिकरण प्राप्त किया जाता है और लेखा बहियों में उनका समाधान किया जाता है। बहरहाल, ऐसी मदों के मामले में जिनके लिए कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, कंपनी ने लेखा बहियों में उनका समुचित प्रावधान किया है।

iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज सहायक कंपनी को गैर-जमानती ऋण प्रदान किया है । कंपनी अधिनियम की धारा 189 में रखे गए रजिस्टर में शामिल फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है।

क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा पूरी की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारा विचार है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अपनी सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के निबंधन व शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची वर्णित है और चुकौती नियमित है।

ग) अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज सहायक कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है।

iv) चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी ने चालू वर्ष में सार्वजनिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। हमें सूचित किया गया कि कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया ।

सभी जमा राशियाँ परिपक्व हो गई हैं उनका निपटान कर दिया गया है सिवाय रु. 36.95 लाख के, जिसमें से रु. 36.50 लाख को लोकायुक्त, बेंगलूरु के गारनिशी आदेश के अनुसार रोक रखा गया है और शेष रु. 0.45 लाख हालांकि परिपक्व हो गया है, कानूनी मामलों के कारण अदत्त है।

vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (d) के तहत लागत अभिलेख रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्णित कंपनी (लागत अभिलेख व लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तारतम्य में कंपनी द्वारा रखी गई लागत संबंधी सामग्री, श्रम व अन्य मदों से संबंधित लेखा बहियों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा विचार है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत लेखे और अभिलेख बनाए और रखे गए हैं। बहरहाल, वे सटीक या संपूर्ण हैं यह निर्धारित करने की दृष्टि से हमने लागत अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

vii) क) लेखा बहियों के हमारे परीक्षण और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे विचार से कंपनी भविष्य निधि, आय कर, माल व सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा उपयुक्त प्राधिकरणों पर लागू अन्य सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा करने में नियमित है। 31 मार्च 2020 को कोई अविवादित सांविधिक देय राशि उनके प्रदेय होने की तारीख से छ: महीनों से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और हमें दिए गए अभिलेखों के अनुसार, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर तथा अन्य कर जिन्हें विवाद के कारण 31 मार्च, 2020 को जमा नहीं किया गया, इस प्रकार हैं -

सांविधि का नाम	**देय राशि की प्रकृति**	**वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है**	**राशि (रु. लाख में)**	**फोरम जहाँ विवाद लंबित है**
आय कर अधिनियम	कर निर्धारण आदेशों के अनुसार अस्वीकृतियाँ	2008-09, 2009-10, 2011-12 से 2013-14, 2015-16 और 2016-17	2566.21	आय कर आयुक्त (अपील)
वित्त अधिनियम का अध्याय V, 1994	बिक्री कर	2005-06 से 2008-09, 2011-12, 2014-15 और 2015-16	1149.40	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
वित्त अधिनियम का अध्याय V, 1994	बिक्री कर	2010-11 से 2017-18	565.05	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2015-16	427.80	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	मोडवैट क्रेडिट तथा उत्पाद शुल्क	1991-92	29.69	आयुक्त अपील
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क पर ब्याज	2011-12 और 2012-13	243.87	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएटी)
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2012-13	25.45	सीमा शुल्क आयुक्त
बिक्री कर अधिनियम, बिहार	बिहार बिक्री कर के तहत विवादित कर	1995-96 से 1997-98	66.44	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), चिरकुंडा, बिहार
वित्त अधिनियम 1994	माल व बिक्री कर	30 जून, 2017 तक	60.93	अधीक्षक रेंज 34, मंडल VII, गाज़ियाबाद, उ.प्र.

सांविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	राशि (रु. लाख में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम	बिक्री कर	2009-10	21.66	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नामपल्ली, हैदराबाद
तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	2007-08 से 2009-10	48.00	तमिलनाडु बिक्री कर अपीलीय ट्रिब्यूनल
रिक्त भूमि कर	रिक्त भूमि कर	1998-99 से 2003-04	10.35	निदेशक, नगर पंचायत निदेशालय, चेन्नै
शहरी भूमि कर	शहरी भूमि कर	1984-85 से 2002-03	41.44	प्रधान आयुक्त एवं भूमि सुधार आयुक्त
ई.एस.आई. अधिनियम,1948	ई.एस.आई. अंशदान, ब्याज व लागत वसूली	1992-1993, 1998-2001	30.43	माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश
ई.एस.आई. अधिनियम,1948	विलंबित जमा के लिए ब्याज व क्षतिपूर्ति	2000-01	3.52	माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब व हरियाणा, चंडीगढ़
उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	व्यापार कर व ब्याज	2001-02	220.08	माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल
स्थानीय निकाय कर	स्थानीय निकाय कर	2016-17	41.43	सहायक आयुक्त, पनवेल नगर पालिका
बिक्री कर	बिक्री कर	2008-09	58.85	राजस्थान कर बोर्ड
कुल विवादित राशि			**5610.60**	
विरोध लंबित अंतिम आदेशों के तहत अदा की गई कुल राशि			**634.36**	

viii) लेखा बहियों के हमारे परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को देय राशि की चुकौती में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।

ix) जहाँ तक हमारी जानकारी है हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए मीयादी ऋण प्रथम दृष्टया कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे प्रयोजन के लिए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे और कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) द्वारा कोई धनराशि नहीं जुटाया है।

x) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा कंपनी की निधियों के दुर्विनियोजन द्वारा कंपनी के साथ रु. 999.72 लाख की धोखाधड़ी के बारे में नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान पता चला है। यह धोखाधड़ी दिसंबर 2013 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान की गई थी। उक्त राशि में से रु. 63.23 लाख की वसूली कर ली गई है। कंपनी ने रु. 936.49 लाख (रु. 999.72 लाख – रु. 63.23 लाख) की शेष राशि को लेनदारी और लंबित वसूली के रूप में निर्धारित किया है जिसे लाभ व हानि के विवरण में संदिग्ध के रूप में प्रावधान किया गया है। कंपनी ने इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई शुरु की है और जाँच-पड़ताल प्रगति में है। संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(21) देखें।

xi) चूँकि कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम की धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा अनिवार्य बनाए गए प्रबंधकीय पारिश्रमिक के वितरण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, उक्त आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

xiii) कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188, जहाँ लागू हैं, के अनुसार हैं और ऐसे लेनदेनों के विवरण लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण व आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्रों का कोई अधिमान आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए, उक्त आदेश का खंड 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई नकद-इतर लेनदेन नहीं किया है, इसलिए, उक्त आदेश का खंड 3 (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन. - 20223118AAAABN4977

बेंगलूरु
19 अगस्त, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में उक्त तारीख को **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी के कारोबार को उचित और प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से किए जा रहे थे जिनमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी (मार्गदर्शी टिप्पणी) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत वर्णित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है जो जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यक बनाया गया है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उनकी प्रचालनीय दक्षता शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समय प्राप्त करना, इस बात के जोखिम का आंकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी थी और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनीय प्रभावशीलता का जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार चयनित प्रक्रियाएं जिनमें वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम का आंकलन, चाहे धोखाधड़ी से हो या त्रुटि से हो, शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में अपनी लेखा परीक्षा का विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अभिकल्पित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो -

(1) ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है जो औचित्यपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और न्यायोचित ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय

विवरणों को तैयार करना अनुमत करने हेतु यथा आवश्यक दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्च कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं जिनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विकसित होने का पूर्वानुमान ऐसे जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर क्षीण हो सकता है।

विचार

वर्ष के दौरान, नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता लगाया गया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 30(21) देखें) जिसके अनुसार कंपनी द्वारा अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रण संस्थापित किए गए हैं।

हमारे विचार में, जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित अनुसार कंपनी द्वारा संस्थापित अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रणों सहित) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन. - 20223118AAAABN4977

बेंगलूरु
19 अगस्त, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जाँचे गए क्षेत्रों को दर्शाने वाले निर्देश

क्र.सं.	निर्देश / उप-निर्देश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी में आई.टी. सिस्टम द्वारा सभी लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय विहितार्थ, के साथ-साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर आई.टी. सिस्टम से बाहर के लेखा लेनदेनों की प्रक्रिया करने के विहितार्थ, यदि कोई हो, बताएँ।	जी हाँ। कंपनी में आई.टी. सिस्टम द्वारा दैनंदिन आधार पर सभी लेखा लेनदेनों की प्रक्रिया पूरी की जाती है।	कुछ नहीं
2	क्या ऋण की चुकौती करने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या कंपनी को ऋणदाता द्वारा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि का अधित्याग किया गया / बट्टे खाते में डाला गया? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताएँ।	अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, मौजूदा ऋण की कोई पुन:संरचना नहीं की गई (या) ऋण की चुकौती करने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि का अधित्याग नहीं किया गया / बट्टे खाते में नहीं डाला गया।	कुछ नहीं
3	क्या केंद्रीय /राज्य एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों का लागू निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन किया गया / उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची दें।	जी हाँ। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों की विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का उचित लेखांकन किया गया और जिस प्रयोजन के लिए उन्हें प्राप्त किया गया, उनके लिए उनका उपयोग किया गया।	कुछ नहीं

इस पृष्ठ को सोद्देश्य खाली छोड़ा गया है

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं./No.: Insp./BEL Accs(2019-20)/2020-21/163

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूरु - 560 001.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/DATE : 28 August 2020

To
Shri M V Gowtama,
Chairman and Managing Director,
M/s. Bharat Electronics Limited,
PO Nagavara, Outer Ring Road
Bengaluru – 560 045.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Standalone and Consolidated financial statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2020.

I forward "**Comments**" Certificates of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Companies Act, 2013 on the Standalone and Consolidated Financial Statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2020.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013; and

(iii) Placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication to the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar V.M.)
Dy. Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bengaluru - 560 001

दू.भा/Phone : 2226 7646 / 2226 1168
E-mail : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स/Fax : 080-2226 2491

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट

सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को वर्ष की समाप्ति पर कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह मैसर्स **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु** के लिए वित्तीय विवरण तैयार करे। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर जोकि ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार धारा 143 (10) के अनुसार विहित हैं, इन वित्तीय वक्तव्यों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा दि. 19 अगस्त 2020 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है जो उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट दि. 29 जून 2020 को अधिक्रमित करती है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैसर्स **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु** के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। इस पूरक लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रूप से अंजाम दिया गया है जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की काम करने वाले कागजात तक पहुंच के बिना और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं :	

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>

<u>**लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**</u>

लाभ और हानि का विवरण

संचालन से राजस्व

नोट नं. 23 - ₹12,921.11 करोड़

</td><td></td></tr>
<tr><td>

टिप्पणी संख्या I - कंपनी के संचालन से राजस्व में बिल एंड होल्ड सेल्स के रूप में ₹ 225.12[1] करोड़ शामिल हैं जो तीन विदेशी डिलीवरी के आधार पर हैं जो कोविड-19 की लॉजिस्टिक समस्याओं को देखते हुए ग्राहकों द्वारा आपूर्ति स्थगित करने हेतु भेजे गए पत्रों के आधार पर है। यह भारतीय ए.एस. 115 (पैरा 38) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक निम्नलिखित कारणों से एक समय पर प्रदर्शन के बिंदु संतुष्ट नहीं थे :

- बीईएल के पास भुगतान का वर्तमान अधिकार नहीं था,
- ग्राहक के पास माल का कानूनी शीर्षक नहीं है,
- साइट पर वितरण के अनुबंध की शर्तों के कारण स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार ग्राहकों को नहीं दिया गया।

तीनों आदेशों में, ग्राहकों जिन्होने उत्पादों का नियंत्रण प्राप्त किया है, उनके लिए शर्तों का पालन नहीं किया गया है, जो बिल और होल्ड व्यवस्था में शर्त है (115 के भारतीय ए.एस. पैरा B81)। *ऐसी बिक्री पर आई.सी.ए.आई.[2] का स्पष्टीकरण बताता है कि यदि विक्रेता जिस अवधि में माल उसके पास होता है इस दौरान माल पर भंडारण और बीमा की लागत भुगतान कर रहा है तो ग्राहक को नियंत्रण नहीं दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि उन स्थितियों में नियंत्रण केवल तभी स्थानांतरित किया जाता है जहां उत्पाद ग्राहक की साइट पर पहुंचाया जाता है। बिल एंड होल्ड आधार पर राजस्व लगाना उचित नहीं होगा।*

उक्त बिक्री आईसीएआई स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है क्योंकि जब तक माल गंतव्य पर वितरित किया जाता है तब तक बीमा और भंडारण की लागत बीईएल द्वारा वहन की जाती है।

इस प्रकार पूर्वोक्त बिक्री भारतीय ए.एस. 115 और आई.सी.ए.आई. स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹225.12 करोड़ के राजस्व का अधिविवरण हुआ है साथ ही ₹90.06 करोड़ की सीमा तक के लाभ और ₹135.06 करोड़ की सीमा तक तैयार माल का कम विवरण हुआ है ।

</td><td>

"एक समय पर किसी बिंदु पर प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने के लिए" मानदंड के अंतर्गत ₹ 225.12 करोड़ के राजस्व को मान्यता दी गई है । भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 में निर्दिष्ट मुख्य मापदंड (पैरा 33 के साथ पढ़ें) वह समय जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है इसका निर्धारण उस समय से किया जाता है जब "ग्राहक एसेट का नियंत्रण प्राप्त करता है"। आगे भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (ई) को पैरा B81 से B83 तक के साथ पढ़ें, जिसके अनुसार "ग्राहक के नियंत्रण प्राप्त करने" के निर्धारण का एक मापदंड ग्राहक की आइटम स्वीकृति है।

तीनों डिलीवरी के संबंध में, ग्राहक के निरीक्षण के बाद (अनुबंध के अनुसार) इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया गया, और वस्तुओं को बिना शर्त अनुबंध के रूप में 31 मार्च 2020 को विनियोजित किया गया है।

इसके अलावा, आइटम ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और अनुबंध के बिना शर्त विनियोग पर ग्राहक केवल उपयोग का निर्देशन करने और एसेट के शेष सभी लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

चूंकि वस्तुएँ ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए थे, लेकिन महामारी की स्थिति (कोविड-19) के कारण नहीं भेजे जा सकते थे, राजस्व को बिल और होल्ड के आधार पर मान्यता दी गई, जो महामारी की स्थिति में सुधार होने तक आइटम को रखने के लिए ग्राहक द्वारा जारी "धारण पत्र" के आधार पर है।

आईसीएआई ने स्पष्ट किया कि "जहां माल तैयार है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की स्थितियों के कारण नहीं भेजा जा सका, तो राजस्व को मान्यता दी जा सकती है यदि बिल और होल्ड के मानदंड मिलते हैं"।

मान्य विक्रय के संबंध में पैरा B81 में, "बिल एंड होल्ड सेल्स" के रूप में संतुष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

मापदंड	कैसे प्राप्त किया
बिल एंड होल्ड व्यवस्था का पर्याप्त कारण होना चाहिए।	ग्राहक के कोविड-19 के कारण सामान को रखने के अनुरोध के आधार पर वस्तुएँ बीईएल द्वारा रखा गया था।

</td></tr>
</table>

[1] ₹ 180.21 करोड़ + ₹ 43.44 करोड़ + ₹ 1.47 करोड़

[2] भारतीय एएस पर आईसीएआई कोविद 19 एफएक्यू

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>उत्पाद की अलग से पहचान होनी चाहिए कि वह ग्राहक की संपत्ति है।</td><td>ग्राहक द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया गया और स्वीकृति दी गई और बिना शर्त के अनुबंध में ग्राहक कि संपत्ति के के रूप में विनियोजित है।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।</td><td>ग्राहक द्वारा निरीक्षण और स्वीकृत वस्तुएं प्रेषण के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राहक के अनुरोध के आधार पर रखी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>इकाई उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकती या इसे किसी और ग्राहक को नहीं दे सकती।</td><td>कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे दूसरे ग्राहक को देने की क्षमता नहीं है क्योंकि वस्तुओं का निर्माण ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और बिना शर्त विनियोजित अनुबंध के रूप में था</td></tr>
</table>
पैरा 38 (ए) से 38 (ई) "नियंत्रण का हस्तांतरण" के लिए विभिन्न संकेतक निर्दिष्ट करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी मानदंड पूरा किया जाना चाहिए जब तक प्राथमिक मानदंड, "नियंत्रण का हस्तांतरण" पूरा है।
बिल और होल्ड विक्रय व्यवस्था के कारण कंपनी (या ग्राहक द्वारा अनुरोध पर) कोई अलग बीमा या भंडारण लागत नहीं ली जाती है।
इसके अलावा, भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (सी) में मान्य है कि बिल और होल्ड व्यवस्था में कंपनी उस एसेट का, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है, भौतिक अधिकार रख सकती है।
तीनों मामलों में बिक्री को दृढ़ आदेशों की मान्यता है और ग्राहक द्वारा डिलीवरी लेने में कोई अनिश्चितता नहीं है या कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की मान्य बिक्री के अनुरूप है।
उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मान्य बिक्री भारतीय ए.एस. और कंपनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>

टिप्पणी संख्या II - कंपनी के संचालन से राजस्व में ₹140.36 करोड़ शामिल हैं जो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) से संबंधित तीन अनुबंधों से प्राप्त राजस्व के रूप में कंपनी द्वारा मान्य हैं। उपरोक्त के लिए अनुबंध की शर्तें 'गंतव्य - एमडीएल, मुंबई' के लिए हैं। उपरोक्त बिक्री से संबंधित सामग्री अभी तक नहीं भेजी गई है। कंपनी ने विक्रय की गणना एमडीएल द्वारा 23 मार्च 2020 को जारी किए गए प्रतिधारण पत्र के और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निरीक्षण नोट के आधार पर की है।

चूंकि ग्राहक ने अनुबंध के जोखिम और पुरस्कार के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन नहीं किया है और कंपनी द्वारा बिलिंग स्वीकार नहीं की, बिल और होल्ड के तहत लेखांकन सही नहीं है और भारतीय ए.एस. 115 आवश्यकता का उल्लंघन है। कंपनी ने भी राजस्व से संबंधित है लेखा नीति सं. 5 (ए) (iii) (बी) सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है (एक समय में प्रदर्शन दायित्व)। ग्राहक द्वारा उत्पादों का नियंत्रण प्राप्त करने की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जो एक बिल और होल्ड व्यवस्था में पूर्व अपेक्षित हैं (भारतीय ए.एस. 115 पैरा बी 81)।

इसके अलावा, आईसीएआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण (एफएक्यू 28), ऐसी बिक्री पर कोविड महामारी पर विचार करना बताता है कि *यदि विक्रेता माल रखने की अवधि के दौरान भंडारण और बीमा की लागत के लिए भुगतान कर रहा है तो ग्राहक को नियंत्रण नहीं प्रदान किया जाता है। यह ये भी बताता है कि उन स्थितियों में जहां नियंत्रण केवल तभी स्थानांतरित किया जाता है जब उत्पाद ग्राहक की साइट पर आपूर्ति किया जाता है तो यह उचित नहीं होगा कि बिल और होल्ड आधार पर राजस्व गणना की जाए।*

एमडीएल के साथ सभी तीन अनुबंधों में, माल के गंतव्य पर पहुँचने तक बीमा और भंडारण की लागत बीईएल द्वारा वहन की गई और चूंकि ग्राहकों की साइट पर माल नहीं पहुंचाया गया था, इसलिए नियंत्रण स्थानांतरण नहीं किया गया ।

</td><td>

"एक समय के भीतर किसी बिंदु पर संतुष्ट होने के लिए प्रदर्शन दायित्व का मानदंड" के अंतर्गत ₹140.36 करोड़ के राजस्व को मान्यता दी गई है। भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (पैरा 33 के साथ पढ़ें) में निर्दिष्ट मुख्य मापदंड एक समय में उस बिंदु के निर्धारण के लिए, जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है तो इसका निर्धारण उस समय से किया जाता है जब "ग्राहक एसेट का नियंत्रण प्राप्त करता है"। आगे भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (ई) को पैरा B81 से B83 तक के साथ पढ़ें, जिसके अनुसार "ग्राहक के नियंत्रण प्राप्त करने" के निर्धारण का एक मापदंड ग्राहक की आइटम स्वीकृति है।

ग्राहक ने निरीक्षण के बाद (अनुबंध के अनुसार) इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया और वस्तुओं को बिना शर्त अनुबंध के रूप में 31 मार्च 2020 को विनियोजित किया गया है।

यह आइटम ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और अनुबंध के बिना शर्त विनियोजन पर ग्राहक केवल उपयोग का निर्देशन करने और एसेट के शेष सभी लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

चूंकि आइटम ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए थे, लेकिन महामारी की स्थिति (कोविड-19) के कारण नहीं भेजे जा सकते थे, राजस्व को बिल और होल्ड के आधार पर मान्यता दी गई, जो महामारी की स्थिति में सुधार होने तक आइटम को रखने के लिए ग्राहक द्वारा जारी "धारण पत्र" के आधार पर है।

आईसीएआई ने स्पष्ट किया कि "जहां माल तैयार है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की स्थितियों के कारण नहीं भेजा जा सका, यदि बिल और होल्ड के मानदंड मिलते हैं तो राजस्व को मान्यता दी जा सकती है"।

मान्य विक्रय के संबंध में पैरा B81 में, "बिल एंड होल्ड सेल्स" के रूप में संतुष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>बिल एंड होल्ड व्यवस्था का पर्याप्त कारण होना चाहिए।</td><td>ग्राहक के कोविड-19 के कारण सामान को रखने के अनुरोध के आधार पर आइटम बीईएल द्वारा रखा गया था।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद की अलग से पहचान होनी चाहिए कि वह ग्राहक की संपत्ति है।</td><td>ग्राहक द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया गया और स्वीकृति दी गई और बिना शर्त के अनुबंध में ग्राहक कि संपत्ति के के रूप में विनियोजित है।</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>इस प्रकार पूर्वोक्त बिक्री भारतीय ए.एस. 115 और आईसीएआई स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹140.36 करोड़ के राजस्व का अधिविवरण हुआ है साथ ही ₹92.64 करोड़ की सीमा तक के लाभ और ₹47.72 करोड़ की सीमा तक तैयार माल का कम विवरण हुआ है ।</td><td>
<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>उत्पाद ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।</td><td>ग्राहक द्वारा निरीक्षण और स्वीकृत वस्तुएं प्रेषण के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राहक के अनुरोध के आधार पर रखी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>इकाई उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकती या इसे किसी और ग्राहक को नहीं दे सकती।</td><td>कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे दूसरे ग्राहक को देने की क्षमता नहीं है क्योंकि वस्तुओं का निर्माण ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और बिना शर्त विनियोजित अनुबंध के रूप में था।</td></tr>
</table>
पैरा 38 (ए) से 38 (ई) "नियंत्रण का हस्तांतरण" के लिए विभिन्न संकेतक निर्दिष्ट करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी मानदंड पूरा किया जाना चाहिए जब तक प्राथमिक मानदंड, "नियंत्रण का हस्तांतरण" पूरा है।
बिल और होल्ड विक्रय व्यवस्था के कारण कंपनी (या ग्राहक द्वारा अनुरोध पर) कोई अलग बीमा या भंडारण लागत नहीं ली जाती है।
इसके अलावा, भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (सी) में मान्य है कि बिल और होल्ड व्यवस्था में कंपनी उस एसेट का, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है, भौतिक अधिकार रख सकती है।
बिक्री दृढ़ आदेशों के आधार पर मान्य है और ग्राहक द्वारा डिलीवरी लेने में कोई अनिश्चितता नहीं है या कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की मान्य बिक्री के अनुरूप है।
उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मान्य बिक्री भारतीय ए.एस. इंडस्ट्रीज़ एएस और कंपनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।
</td></tr>
<tr><td>टिप्पणी संख्या III - कंपनी के संचालन से राजस्व में ₹68.66 करोड़ शामिल हैं जो रक्षा मंत्रालय (ग्राहक) से संबंधित दो अनुबंधों से प्राप्त राजस्व के रूप में कंपनी द्वारा मान्य हैं। उपरोक्त के लिए अनुबंध की शर्तें बेंगलुरु, और परेषिती, परियोजना निदेशक, शिप बिल्डिंग सेंटर, विशाखापत्तनम' के लिए ग्राहक प्राधिकृत एजेंसी के निरीक्षण के पूर्ण होने पर विनिर्दिष्ट हैं। अनुबंधित मूली इंस्टालेशन सहित हैं।</td><td>"एक समय के भीतर किसी बिंदु पर संतुष्ट होने के लिए प्रदर्शन दायित्व का मानदंड" के अंतर्गत ₹68.66 करोड़ के राजस्व को मान्यता दी गई है। भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (पैरा 33 के साथ पढ़ें) में निर्दिष्ट मुख्य मापदंड एक समय में उस बिंदु के निर्धारण के लिए, जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है तो इसका निर्धारण उस समय से किया जाता है जब "ग्राहक एसेट का नियंत्रण प्राप्त करता है"। आगे भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (ई) को पैरा B81 से B83 तक के साथ पढ़ें, जिसके अनुसार "ग्राहक के नियंत्रण प्राप्त करने" के निर्धारण का एक मापदंड ग्राहक की आइटम स्वीकृति है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr>
<td>
परीक्षण, पैकिंग और बीमा से परेषिती साइट तक हार्बर स्वीकृति परीक्षण (एच.ए.टी.) और सागर स्वीकृति परीक्षण (एस.ए.टी.)। कंपनी ने ग्राहक प्रतिनिधि द्वारा 9 अप्रैल 2020 को जारी एक ईमेल के आधार पर जिसमें फैक्टरी स्वीकृति टेस्ट (एफ.ए.टी.) के पूरा होने का संकेत है, उसके आधार पर राजस्व की गणना की है। हालांकि उपरोक्त राजस्व से संबंधित सामग्री विवरण युक्त निरीक्षण नोट्स निरीक्षण एजेंसी द्वारा 16 जून 2020 को जारी किया गया जिसमें निरीक्षण का संचालन 11 मार्च 2020 से 16 जून 2020 तक होने के संकेत हैं। चूंकि उपर्युक्त अनुबंधों से संबंधित उपकरणों का निरीक्षण और स्वीकृति कार्य 31 मार्च 2020 तक पूरा नहीं हुआ, ₹68.66 करोड़ तक की सीमा का राजस्व का लेखा-जोखा सही और कंपनी की लेखा नीति संख्या 5 (ए) (iii) (बी) के विरुद्द है। ग्राहक के उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त करने की शर्त भी पूरी नहीं हुई है जो बिल और होल्ड व्यवस्था (भारतीय ए.एस. 115) में पूर्व अपेक्षित है।
आईसीएआई द्वारा ऐसी बिक्री पर स्पष्टीकरण बताता है कि यदि विक्रेता माल रखने की अवधि के दौरान भंडारण और बीमा की लागत के लिए भुगतान कर रहा है तो ग्राहक को नियंत्रण नहीं प्रदान किया जाता है। यह ये भी बताता है कि उन स्थितियों में जहां नियंत्रण केवल तभी स्थानांतरित किया जाता है जब उत्पाद ग्राहक की साइट पर आपूर्ति किया जाता है तो यह उचित नहीं होगा कि बिल और होल्ड आधार पर राजस्व गणना की जाए।
दोनों मामलों में, माल के गंतव्य स्थल (कंसाइनी साइट) पर पहुँचने तक बीमा और भंडारण की लागत बीईएल द्वारा वहन की गई और चूकि माल ग्राहक साइट पर नहीं पहुंचाया गया था, इसलिए नियंत्रण स्थानांतरण नहीं किया गया ।
इस प्रकार पूर्वोक्त बिक्री भारतीय ए.एस. 115 और आई.सी.ए.आई. स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹68.66 करोड़ की सीमा तक के राजस्व का अधिविवरण हुआ है साथ ही ₹36.51 करोड़ की सीमा तक के लाभ का अधिविवरण और ₹32.15 करोड़ की सीमा तक तैयार माल का कम विवरण हुआ है ।
</td>
<td>
ग्राहक ने निरीक्षण के बाद (अनुबंध के अनुसार) इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया और वस्तुओं को बिना शर्त अनुबंध के रूप में 31 मार्च 2020 को विनियोजित किया गया है।
ग्राहक स्वीकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि ग्राहक नामांकित तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, अर्थात् चीफ क्वालिटी एशुरेंस इस्टेब्लिशमेंट (युद्धपोत उपकरण), बेंगलूरु ने 29 फरवरी 2020 को अपना निरीक्षण पूरा किया और ग्राहक द्वारा प्रख्यापित फैक्ट्री स्वीकार्यता परीक्षण (FAT), को ग्राहक ने 24 मार्च 2020 को पूरा किया।
यह आइटम ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और अनुबंध के बिना शर्त विनियोजन पर केवल ग्राहक उपयोग का निर्देशन करने और एसेट के शेष सभी लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है।
ग्राहक के निर्देश के संदर्भ के आधार पर आइटम कंपनी में रखे गए।
मान्य विक्रय के संबंध में पैरा B81 में, "बिल एंड होल्ड सेल्स" के रूप में संतुष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>बिल एंड होल्ड व्यवस्था का पर्याप्त कारण होना चाहिए।</td><td>ग्राहक के अनुरोध के संदर्भ के आधार पर आइटम बीईएल द्वारा रखे गए।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद की अलग से पहचान होनी चाहिए कि वह ग्राहक की संपत्ति है।</td><td>ग्राहक द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया गया और स्वीकृति दी गई और बिना शर्त के अनुबंध में ग्राहक कि संपत्ति के के रूप में विनियोजित है।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।</td><td>ग्राहक द्वारा निरीक्षण और स्वीकृत वस्तुएं प्रेषण के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राहक के अनुरोध के आधार पर रखी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>इकाई उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकती या इसे किसी और ग्राहक को नहीं दे सकती।</td><td>कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे दूसरे ग्राहक को देने की क्षमता नहीं है क्योंकि वस्तुओं का निर्माण ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और बिना शर्त विनियोजित अनुबंध के रूप में था।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
	पैरा 38 (ए) से 38 (ई) "नियंत्रण का हस्तांतरण" के लिए विभिन्न संकेतक निर्दिष्ट करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी मानदंड पूरा किया जाना चाहिए जब तक प्राथमिक मानदंड, "नियंत्रण का हस्तांतरण" पूरा है। बिल और होल्ड विक्रय व्यवस्था के कारण कंपनी (या ग्राहक द्वारा अनुरोध पर) कोई अलग बीमा या भंडारण लागत नहीं ली जाती है। इसके अलावा, भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (सी) में मान्य है कि बिल और होल्ड व्यवस्था में कंपनी उस एसेट का, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है, भौतिक अधिकार रख सकती है। बिक्री दृढ़ आदेशों के आधार पर मान्य है और ग्राहक द्वारा डिलीवरी लेने में कोई अनिश्चितता नहीं है या कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की मान्य बिक्री के अनुरूप है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मान्य बिक्री भारतीय ए.एस. और कंपनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।

कृते
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

संतोष कुमार
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

बेंगलुरु
28 अगस्त 2020

कृते
निदेशक मंडल

एम वी गौतम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बेंगलुरु
7 सितम्बर 2020

तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	2,49,663	2,05,984
(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	19,944	27,507
(ग) निवेश संपत्ति	3	9	10
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	2,297	2,446
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	48,343	44,629
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	1,16,167	1,01,927
(ii) व्यापार प्राप्य	7	-	-
(iii) ऋण	8	3,309	4,005
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,845	2,805
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	49,740	47,120
(ज) वस्तुसूचियाँ	11	5,255	4,114
(झ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	12	34,078	25,550
		5,31,650	**4,66,097**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	11	3,91,020	4,41,365
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	7	6,73,291	5,36,921
(ii) नकद और नकद समतुल्य	13	1,55,622	72,193
(iii) बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]	14	148	16,205
(iv) ऋण	8	3,262	3,282
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,903	3,567
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	27,989	24,503
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	6,05,224	4,82,211
		18,59,459	**15,80,247**
कुल परिसंपत्तियाँ		**23,91,109**	**20,46,344**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	24,366	24,366
(ख) अन्य इक्विटी		9,60,928	8,77,525
		9,85,294	**9,01,891**

तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
देयताएं			
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	6,889	6,164
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	**18**	-	-
(ii) व्यापार प्रदेय	**19**		
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; तथा		-	-
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		20	26
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	4,934	3,029
(ग) प्रावधान	**21**	1,16,057	92,143
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	**22**	112	475
		1,28,012	**1,01,837**
(2) चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	422	245
(ख) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार प्रदेय	**19**		
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; तथा		6,478	4,543
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		2,35,997	1,38,958
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	83,195	1,03,631
(ग) अन्य चालू देयताएँ	**22**	9,20,175	7,49,420
(घ) प्रावधान	**21**	31,536	45,819
(ङ) चालू कर देयताएँ (निवल)	**15**	-	-
		12,77,803	**10,42,616**
कुल इक्विटी और देयताएं		**23,91,109**	**20,46,344**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।
हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

लाभ व हानि का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	23	12,92,111	12,08,460
II	अन्य आय	24	10,194	16,954
III	**कुल आय (I + II)**		**13,02,305**	**12,25,414**
IV	**व्यय**			
	क खपत सामग्री की लागत		5,86,825	5,28,634
	ख भंडार और खपत पुर्जों की लागत		2,651	3,453
	ग व्यापारगत स्टॉक की खपत		95,097	75,906
	घ तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियाँ में परिवर्तन	25	25,943	(13,220)
	ङ कर्मचारी अनुलाभ व्यय	26	2,05,749	1,87,905
	च वित्त लागत	27	326	1,221
	छ मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	34,964	31,622
	ज अन्य व्यय	29	1,02,833	1,39,574
	कुल व्यय [क से ज]		**10,54,388**	**9,55,095**
V	**असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (III - IV)**		**2,47,917**	**2,70,319**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ(V - VI)**		**2,47,917**	**2,70,319**
VIII	**कर व्यय**	10		
	- चालू कर		75,637	79,749
	- पूर्व के वर्षों का कर		(3,995)	(67)
	- आस्थगित कर		(3,108)	(2,092)
	कराधान का कुल प्रावधान		**68,534**	**77,590**
IX	**वर्ष का लाभ (VII - VIII)**		**1,79,383**	**1,92,729**
X	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के बाद पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनर्मापन		(5,864)	(6,183)
	- अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी विलेख		2	2
	- इन मदों से संबंधित आय कर		2,048	2,160
	कुल अन्य व्यापक आय /(हानि) (निवल कर)		**(3,814)**	**(4,021)**
XI	**वर्ष की कुल व्यापक आय (IX + X)**		**1,75,569**	**1,88,708**
	[जिसमें वर्ष का लाभ तथा अन्य व्यापक आय शामिल है]			
XII	**प्रति शेयर अर्जन (आईएनआर 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)-**	30(1)		
	(1) मूल [आईएनआर में]		**7.36**	**7.91**
	(2) परिवर्तित [आईएनआर में]		**7.36**	**7.91**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।
हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रु. लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

	टिप्पणी सं.	राशि
यथा 1 अप्रैल 2018 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- शेयर जारी करना	16	-
- शेयरों की पुनर्खरीद		-
31 मार्च 2019 को शेष		24,366

	टिप्पणी सं.	राशि
1 अप्रैल 2019 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- शेयर जारी करना	16	-
- शेयरों की पुनर्खरीद		-
31 मार्च 2020 को शेष		24,366

ख. अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष				अन्य प्रारक्षण		कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *	
1 अप्रैल 2018 को शेष		**4,669**	**1,868**	**2,79,546**	**4,76,928**	**3**	**(11,279)**	**7,51,735**
वर्ष का लाभ		-	-	-	1,92,729	-	-	1,92,729
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	2	(4,023)	(4,021)
कुल		4,669	1,868	2,79,546	6,69,657	5	(15,302)	9,40,443
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	30(16)	-	-	-	(1,232)	-	-	(1,232)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	40,000	(40,000)	-	-	-
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन								
लाभांश	16	-	-	-	(51,168)	-	-	(51,168)
लाभांश वितरण कर	16	-	-	-	(10,518)	-	-	(10,518)
शेयर जारी करना	16	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष		**4,669**	**1,868**	**3,19,546**	**5,66,739**	**5**	**(15,302)**	**8,77,525**

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष				अन्य प्रारक्षण		कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *	
1 अप्रैल 2019 को शेष		**4,669**	**1,868**	**3,19,546**	**5,66,739**	**5**	**(15,302)**	**8,77,525**
वर्ष का लाभ		-	-	-	1,79,383	-	-	1,79,383
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-		2	(3,816)	(3,814)
कुल		4,669	1,868	3,19,546	7,46,122	7	(19,118)	10,53,094
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	30(16)	-	-	-	(1,193)	-	-	(1,193)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	40,000	(40,000)	-	-	-
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन								
लाभांश	16	-	-	-	(75,534)	-	-	(75,534)
लाभांश वितरण कर	16	-	-	-	(15,439)	-	-	(15,439)
शेयर जारी करना	16	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष		**4,669**	**1,868**	**3,59,546**	**6,13,956**	**7**	**(19,118)**	**9,60,928**

* टिप्पणी 16 (ख) देखें

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति-		
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ	2,47,917	2,70,319
इनके लिए समायोजन -		
मूल्यहृास एवं परिशोधन व्यय	34,964	31,622
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान	-	3,707
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ जिन्हें प्रभारित किया गया	-	1,745
चालूगत पूँजी कार्य की अनर्जनकता का प्रावधान	-	124
प्रभारित संविदा लागत	1,247	3,348
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	3,117	2,311
सरकारी अनुदान से अंतरण	(660)	(195)
ब्याज की आय	(6,496)	(3,201)
लाभांश आय	(426)	(9,706)
पट्टे की देयता पर ब्याज	28	-
वित्त लागत	298	1,221
सहायक कंपनी को ऋण का उचित मूल्यांकन	(2)	(21)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(21)	(27)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालनीय लाभ	**2,79,966**	**3,01,247**
निम्नलिखित में वृद्धि / (कमी) -		
व्यापार प्राप्य	(1,36,370)	(31,971)
ऋण	716	14
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	624	2,060
अन्य परिसंपत्तियाँ	(1,32,788)	(1,29,708)
वस्तुसूचियाँ	49,204	28,433
व्यापार देय	98,968	3,415
अय वित्तीय देयताएँ	(8,636)	14,935
अन्य देयताएँ	1,70,392	31,379
प्रावधान	3,768	5,734
चालू कर परिसंपत्तियाँ	(15,748)	(2,251)
प्रचालनों से जनित नकद	**3,10,096**	**2,23,287**
अदा किया गया आय कर (निवल)	(56,843)	(76,691)
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	**2,53,253**	**1,46,596**
असाधारण मदें	-	-
प्रचालनीय कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	**2,53,253**	**1,46,596**

नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(74,284)	(73,785)
घटाएँ - अनुदान की प्राप्ति	1,562	3,220
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद (निवल)*	(72,722)	(70,565)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्ति	86	27
मियादी जमा तथा अन्य बैंक शेष से वृद्धि / (कमी)	16,057	(16,157)
सहायक कंपनियों और एसोसिएट में इक्विटी निवेश	(2,833)	(1,450)
अन्य में निवेश	(11,403)	(10,139)
प्राप्त ब्याज	6,496	3,201
प्राप्त लाभांश	426	9,706
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(63,893)**	**(85,377)**
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
उधार से प्राप्ति / चुकौती (निवल)	(2,501)	(3,332)
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च	(5,042)	(3,666)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(97,930)	(54,629)
पट्टे की देयताओं का चुकौती	(132)	-
पट्टे की देयता पर ब्याज	(28)	-
वित्त लागत	(298)	(1,221)
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(1,05,931)**	**(62,848)**
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	**83,429**	**(1,629)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**72,193**	**73,822**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**1,55,622**	**72,193**

* टिप्पणी 30 (19) देखें

नोट- वित्त संबंधी कार्यकलापों के कारण देयताओं के संबंध में निर्धारित नकद-इतर परिवर्तन कुछ नहीं (कुछ नहीं)।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 1 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व की भूमि	12,908	803	-	13,711	-	-	-	-	13,711	12,908
सड़क और पुलिया	1,750	441	-	2,191	174	107	-	281	1,910	1,576
इमारतें	56,500	19,632	7	76,125	6,216	2,637	4	8,849	67,276	50,284
संस्थापनाएँ	3,662	574	1	4,235	1,598	405	1	2,002	2,233	2,064
संयंत्र और मशीनरी	1,15,041	22,929	(24)	1,37,994	37,696	13,882	(22)	51,600	86,394	77,345
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	50,342	7,811	268	57,885	22,321	7,850	224	29,947	27,938	27,953
अनु. व वि. लैब के उपकरण	38,746	4,460	9	43,197	16,353	6,886	9	23,230	19,967	22,393
वाहन	671	97	55	713	341	124	44	421	292	330
कार्यालयीन उपकरण	9,595	945	36	10,504	4,601	1,565	31	6,135	4,369	5,062
फर्नीचर, फिक्सर तथा अन्य उपकरण	7,935	791	10	8,716	3,121	951	7	4,065	4,651	4,814
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	-	-	65	56	9	-	65	-	9
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
इमारतों का पट्टा*	-	447	47	400	-	145	25	120	280	-
पट्टाधारित भूमि	1,275	20,204	776	20,703	29	39	7	61	20,642	1,246
कुल	**2,98,490**	**79,134**	**1,185**	**3,76,439**	**92,506**	**34,600**	**330**	**1,26,776**	**2,49,663**	**2,05,984**
पिछले वर्ष	**2,21,566**	**76,978**	**54**	**2,98,490**	**61,125**	**31,391**	**10**	**92,506**	**2,05,984**	**1,60,441**

*भवनों के पट्टों के परिवर्धन में दिनांक01.04.2019 को भारतीय एएस 116 अपनाने के फलस्वरूप रु. 365 शामिल है ।

i. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 2,072.87 एकड़ (2,064.43 एकड़) और पट्टाधारित भूमि में 948.20 एकड़ (296.62 एकड़) शामिल हैं । वर्ष के दौरान पूर्ण स्वामित्व की भूमि को अंतरित निवेश संपत्ति कुछ नहीं (रु.463) [परम अंक को दर्शाता है] है ।

ii. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 7. 21 एकड़ (7.21 एकड़) व्यावसायिक / धार्मिक संगठनों को पट्टाधारित एवं उनके कब्ज़े में शामिल है ।

iii. वर्ष के दौरान आर एंड डी परिसंपंत्तियों के संबंध में किए गए परिवर्धनों में ये शामिल हैं-

क. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला / उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र की परिसंपत्तियों के संबंध में रु. 1,019 (रु. 12,096) नैसर्गिक कोड शीर्ष के तहत परिकलित किया गया है ।

ख. पुणे यूनिट की परिसंपत्तियो के संबंध में रु. 14 (रु. 94) नैसर्गिक कोड शीर्ष के तहत परिकलित किया गया है ।

iv. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्य में रु. 1,026 (रु. 1,026) मूल्य की पीओएस मशीनें शामिल हैं जो हरियाणा सरकार (प्रचालित पट्टा) के नियंत्रण में हैं।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

v. **स्थल पुन:स्थापन बाध्यता**

पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों के संबंध में स्थल पुन:स्थापन बाध्यता के लिए टिप्पणी 21 देखें । संयंत्र और मशीनरी के सकल ब्लॉक मूल्य में पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों से संबंधित रु. 2,062 (रु. 1,232) की स्थल पुन:स्थापन बाध्यता शामिल है ।

vi. **संविदाजन्य प्रतिबद्धताएं**

बकाया संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30(6) देखें।

vii. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

viii. **परिसंपत्तियाँ के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है ।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
भवन	20-40
सड़क और पुलिया	20-40
संस्थापना	10
संयंत्र एवं मशीनरी	5-25
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5-7
वाहन	4-5
कार्यालयीन उपकरण	5-7
फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण	6-10
अनु. व वि. लैब के उपकरण	5

ix. **मूल्यह्रास / परिशोधन**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

पट्टे की परिसंपत्तियों को उनके प्राक्कलित जीवकाल या उनकी संबंधित पट्टा अवधि, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

x. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास/परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है। अन्य परिसंपत्तियाँ के लागत के भाग के रूप में निर्धारित मूल्यह्रास राशि कुछ नहीं (कुछ नहीं) है ।

xi. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

टिप्पणी 30 (4) देखें।

xii. **तृतीय पक्षों से प्रतिपूर्ति**

रु. 109 (कुछ नहीं)

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

xiii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के संबंध में टिप्पणी 12 देखें ।

xiv. कुछ यूनिटों में सरकार से निशुल्क अधिग्रहित भूमि का परिकलन भारतीय एएस 101 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है ।

xv. **पंजीकरण लंबित मुकदमेबाजी आदि का विवरण,**

क. मल्लापुर, हैदराबाद में 5.60 एकड़ भूमि (5.60 एकड़) के अधिकार/ बिक्री विलेख का निष्पादन तथा इस संबंध में आंध्र प्रदेश औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा बीईएल की हैदराबाद यूनिट को आवंटित भूमि के वास्तविक अधिकार को सौंपे जाने का कार्य लंबित होने के कारण तथा यह मामला मुकदमेबाज़ी के तहत होने के कारण, लेखा पुस्तकों में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । एपीआईआईसी को अदा की गई रु. 65 (रु. 65) की राशि का भुगतान पूँजीगत अग्रिमों में शामिल किया गया है ।

ख. देवनहल्ली, बेंगलूरु में स्थित 31.15 एकड़ की भूमि के संबंध में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) से वास्तविक कब्जा प्राप्त किया गया तथा रु. 7,856 की पट्टाधारित भूमि के तहत पूँजीकृत है । पट्टा करार की शर्तों के अनुसार, परियोजना को सफलतापूर्व शुरु करने के लिए इसे पूर्णस्वामित्व में बदल दिया जाएगा । इसका पंजीकरण लंबित होने के कारण लेखा बहियों में इसके पंजीकरण तथा अन्य लागतों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. रक्षा अधिकारियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर, बीईएल को आवंटित भूमि पर निर्मित संपत्तियां जो बीईएल के कब्जे में है, हैदराबाद यूनिट की स्थापना के संबंधित शीर्षों के तहत पूँजीकरण किया गया । उपयुक्त अधिकारियों द्वारा निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के कारण, 25.11 एकड़ (25.11 एकड़) की भूमि की लागत को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है ।

घ. इब्राहिपटनम में एपीआईआईआईसी / टीएसआईआईसी द्वारा आवंटित 122.82 एकड़ (122.82 एकड़) भूमि जिसका कब्जा दिया गया है जिसका बिक्री विलेख लंबित है ।

ङ. 22.375 एकड़ (22.375 एकड़) की भूमि जो ऊपर उल्लिखित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का भाग है, के लिए दिनांक 31.01.2015 को टीएसआईआईसी से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद द्वारा की गई डिक्री की क्षतिपूर्ति राशि का 50% के रूप में रु. 256 (रु. 256) की डिमांड प्राप्त हुई है। यह डिमांड विवाद के अधीन है, इसलिए, लेखा बहियों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

च. 1.22 एकड़ (1.22 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व की भूमि जो 1.24 एकड़ (1.24 एकड़) भूमि सौंपने के एवज में सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आबंटित की गई थी, मुकदमेबाज़ी के अधीन है ।

छ. कंपनी ने तीन स्थलों में पवन चक्की जनरेटर स्थापित किए हैं । पवन चक्की जनरेटर-I को वर्ष 2006-07 में पट्टे की भूमि में पूँजीकृत किया गया। इस पट्टे का अग्रिम किराया कुछ नहीं है और भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। पवन चक्की जनरेटर – II को रु. 36 के पट्टे का अग्रिम किराया अदा करते हुए पट्टाधारित भूमि पर वर्ष 2007-08 में पूँजीकृत किया गया । भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है।

ज. 0.30 एकड़ (0.30 एकड़) की भूमि से संबंधित अधिकार विलेख मुकदमेबाज़ी के अधीन है। इस संबंध में दो मामले लंबित हैं ।

झ. पठानकोठ में अधिग्रहित 8.93 एकड़ पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ञ. वर्ष के दौरान बठिंडा में 6.20 एकड़ की भूमि पूर्ण स्वामित्व भूमि में परिवर्तित कर दिया गया । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ट. अनंतपूर जिले, आंध्र प्रदेश में 913.99 एकड़ (913.99 एकड़) की भूमि की बिक्री विलेख को अंतिम रूप देना लंबित है ।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ठ. वर्ष के दौरान बूटिबोरी, नागपुर में अधिग्रहित 197.68 एकड़ की पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

xvi. कंपनी ने ओ.एफ.बी. मेडक, तेलंगाणा, इटारसी, बोलांगीर और एच.वी.एफ. आवड़ी, जीसीएफ जबलपुर, वीएफजे जबलपुर, हज़्रतपुर, मुरादनगर, नलंदा में प्रत्येक संयंत्र के लिए वार्षिक पट्टा किराया के रूप में आई.ए.आर. 1 का नाममात्र मूल्य अदा करते हुए पट्टे की भूमि पर सौर शक्ति संयंत्र स्थापित किया है । उपयोग का अधिकार के रूप में पूँजीकृत 3 मे.वा. हस्सन और 8.4 मे.वा. देवंगरे पवन चक्की संयंत्रों के लिए पूर्वदत्त किराए का भुगतान किया ।

xvii. पूर्ण स्वामित्व भूमि में 2.2 एकड़ (कुछ नहीं) भूमि के अलावा, रक्षा उपकरणों का सुदूर संप्रेषण परीक्षण सुविधा के लिए गुडिबंदे तालूक, चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक में खरीदी गई भूमि शामिल है ।

xviii. कार्मिक क्वार्टस के प्रति रु. 484 (समायोजित ब्याज की आय) की उधार लागत पूँजीकृत किया है । पूँजीकरण दर प्रति वर्ष 6.47% है।

xix. कंपनी द्वारा जोधपुर में 5.94 एकड़ की पट्टाधारित भूमि अधिग्रहित किया गया ।

xx. कंपनी को आग में संपत्ति के नुकसान के लिए बीमा दावा के माध्यम से रु. 109 की राशि प्राप्त हुई है, जिसका निवल पुस्तक मूल्य रु. 43 है ।

		यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 2				
पूँजीगत चालू कार्य				
सिविल निर्माण कार्य	9,532		12,375	
संयंत्र एवं मशीनरी	4,170		10,136	
अन्य	3,550		4,278	
मार्गस्थ पूँजीगत मदें	2,816		842	
		20,068		**27,631**
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान		(124)		(124)
		19,944		**27,507**

i. सिविल निर्माण में मुख्यत: उत्पादन संबंधी इमारत, अनु. व वि. इमारत और कर्मचारियों के क्वार्टर शामिल हैं।

ii. निर्माणाधीन कर्मचारियों के क्वार्टर के संबंध में उधार की लागत रु. 490 (रु. 798) [ब्याज की निवल आय] को पूँजीगत चालू कार्य में शामिल किया गया है। पूँजीकरण की दर 6.74% प्रतिवर्ष है।

iii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टिप्पणी 30 (6) देखें।

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए अदा किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के लिए टिप्पणी 12 देखें।

v. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

निर्माणीधीन भवन वहनीय मूल्य रु. 124 (रु. 124) का काम पिछले तीन वर्षों से रोक दिया गया है क्योंकि जिस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया था, उसने यह काम बंद कर दिया है और उसके बाद से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है । कंपनी ने ठेकेदार को अदा की गई राशि वसूल करने के लिए कानूनी दावा दाखिल किया है। इसलिए, रु. 124 (124) की राशि ह्रासमान दर्शाई गई है । टिप्पणी 30 (4) देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 3

निवेश संपत्ति

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पूर्ण स्वामित्व की भूमि*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इमारतें	14	-	-	14	4	1	-	5	9	10
कुल	**14**	**-**	**-**	**14**	**4**	**1**	**-**	**5**	**9**	**10**
पिछले वर्ष	**14**	**-**	**-**	**14**	**3**	**1**	**-**	**4**	**10**	**11**

* पूर्ण स्वामित्व की भूमि में आईएनआर 3,830 (आईएनआर 3,925) [समग्र अंक] शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है ।

i. **लाभ व हानि के विवरण में दर्शित राशि**

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
क. किराए की आय	186	162
ख. किराए की आय प्रदान करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
ग. उपर्युक्त को छोड़कर प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
घ. मूल्यह्रास	(1)	(1)
ङ. निवेश संपत्ति से लाभ	185	161

ii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (6) देखें।

iii. **निवेश संपत्तियों का अंकित मूल्य**

	यथा 31 मार्च 2020	**यथा 31 मार्च 2019**
भूमि	2,256	2,300
इमारत	895	902

iv. भूमि जिसमें बेंगलूरु में 1.48 एकड़ (1.53 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि शामिल है।

v. **अंकित मूल्य का प्राक्कलन**

कंपनी ने निवेश संपत्ति के स्थान में समान संपत्तियों के सरकारी मार्गदर्शन मूल्य (नगरपालिका मूल्य) के आधार पर निवेश संपत्ति के अंकित मूल्य का प्राक्कलन किया है । निवेश संपत्तियों के सभी परिणामी अंकित मूल्य प्राक्कलन स्तर 2 में शामिल किए गए हैं ।

vi. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

vii. **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
इमारत	40

viii. **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। मूल्यह्रास की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ix. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है।

x. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

चूँकि निवेश संपत्ति का अंकित मूल्य उसके वहनीय मूल्य से अधिक है, ह्रास का कोई संकेत नहीं है।

xi. **निवेश की गई संपत्ति से धनप्राप्ति पर प्रतिबंध**

भूमि भारत सरकार द्वारा आबंटित की गई है।

xii. **संबंधित पक्षकार के लेन-देन**

निवेश संपत्ति में सहायक कंपनी बीईएल थालेस सिस्टम लि. को निरस्त योग्य प्रचालनीय पट्टे के तहत दी गई 0.31 एकड़ (0.31 एकड़) की इमारत और भूमि शामिल है। कृपया टिप्पणी 31 देखें।

xiii. **पंजीकरण, लंबित मुकदमों आदि के विवरण**

कुछ नहीं (कुछ नहीं)

xiv. वर्ष के दौरान, निवेश संपत्ति से आईएनआर 95 [वास्तविक अंक दर्शाएं] (कुछ नहीं) को पूर्णस्वामित्व भूमि पर स्थ्नंतरित किया जाता है ।

टिप्पणी 4

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल वहनीय राशि				परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
सॉफ्टवेयर लाइसेंस/ इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	285	-	-	285	210	45	-	255	30	75
अन्य (विकास लागत)	2,531	214	-	2,745	160	318	-	478	2,267	2,371
कुल	**2,816**	**214**	**-**	**3,030**	**370**	**363**	**-**	**733**	**2,297**	**2,446**
पिछले वर्ष	**397**	**2,419**	**-**	**2,816**	**140**	**230**	**-**	**370**	**2,446**	**257**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

ii. **प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल**

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
साफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	3
अन्य (विकास लागत)	4/10/15

iii. **परिशोधन**

परिशोधन की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। परिशोधन की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

iv. **परिशोधन के गणना की विधि**

परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में निर्धारित किया गया है।

v. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (6) देखें।

vi. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

टिप्पणी 30 (4) देखें।

vii. परिसंपत्तियों के अधिकार पर प्रतिबंध करार की शर्तें द्वारा नियंत्रित होता है।

viii. अवधि के दौरान व्यय माने गए अनुसंधान व विकास व्यय की कुल राशि के लिए टिप्पणी 30 (7) देखें।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 5		
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
आंतरिक रूप से विकसित*	48,343	48,336
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान	-	(3,707)
	48,343	**44,629**

* अन्य विकास एजेंसियों को किए गए वित्त-पोषण सहित।

i. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (6) देखें।

ii. **परिसंपत्तियों की ह्रास -**

इन परिसंपत्तियों के संबंध में रु. 3,707 (रु. 1,746) को बट्टे खाते में डाला गया जहाँ कंपनी ने अपनी ओर से विकास कार्य बंद कर दिए और कंपनी के आंकलन के अनुसार ग्राहक से आदेश प्राप्त करने की संभावना निश्चित नहीं है और ग्राहक की ओर से इसके लिए कोई आश्वासन / प्रतिबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 6		
निवेश		
सहायक कंपनी को दिए गए ऋण का उचित मूल्यांकन		
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे	213	211
(I) इक्विटी विलेखों में निवेश (अनुद्धृत)		
(क) सहायक कंपनी (लागत पर)		
(i) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे		
प्रत्येक आई.एन.आर.100 पूर्ण चुकता के 8,386,259 (7,220,543) इक्विटी शेयर	16,607	13,774
(ii) बीईएल – थालेस सिस्टम्स लिमिटेड,बेंगलूरु		
प्रत्येक आई.एन.आर.100 पूर्ण चुकता के 4,263,538 (4,263,538) इक्विटी शेयर	4,264	4,264
(ख) संबंद्ध कंपनी (लागत पर)		
(i) जीई-बीई प्राइवेट लि., बेंगलूरु		
प्रत्येक आई.एन.आर.10 पूर्ण चुकता के 2,600,000 (2,600,000) इक्विटी शेयर	260	260
(ग) अन्य (एफवीओसीआई पर)(नीचे दी गई टिप्पणी v देखें)		
(i) मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि., हैदराबाद		
प्रत्येक आई.एन.आर. 1000 पूर्ण चुकता के 500 (500) इक्विटी शेयर	11	9
(ii) डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु		
प्रत्येक आई.एन.आर. 1000 पूर्ण चुकता के 50 (कुछ नहीं) इक्विटी शेयर	1	1
(II) अन्य निवेश (अनुद्धृत)		
(क) कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेश (लागत पर) *		
कफ़ परेड पर्सीपोलिस प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 40 (40) शेयर	-	-
सुखसागर प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव, सोसाइटी, मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) शेयर	-	-
श्री सप्तरत्न कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) शेयर	-	-
दालामल पार्क कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 5 (5) शेयर	-	-
चंद्रलोक कोऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि., पुणे		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 30 (30) शेयर	-	-
(ख) अन्य (एफवीटीपीएल पर)		
भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी ii देखें)	94,811	83,408
	1,16,167	**1,01,927**

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) [समग्र अंक] जिसे पूर्णांकित किया गया। यह हाउसिंग सोसाइटियों में उनके उप-नियमों के अनुसार अर्जित शेयर का मूल्य दर्शाते हैं।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i.

		2019-2020	2018-2019
क.	उद्धृत निवेशों का कुल मूल्य और उनका बाज़ार मूल्य	-	-
ख.	अनुद्धृत निवेशों का कुल मूल्य	1,16,167	1,01,927
ग.	निवेश के मूल्य में ह्रास की कुल राशि	-	-

ii. कंपनी ने अपने छुट्टी नकदीकरण और "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) देयताओं को क्रमश: एलआईसी की न्यू ग्रूप लीव एनकैशमेंट प्लान और न्यू ग्रूप सुपरएन्युएशन कैश एक्यूमिलेशन प्लान में निवेश किया है [टिप्पणी 21 देखें] ।

iii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iv. मे. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डी.आई.ओ.) में इक्विटी पूँजी के लिए आईएनआर 50,000 [समग्र अंक] की राशि का अंशदान दिया गया है। डी.आई.ओ. को रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 (बीईएल : 50%; एचएएल : 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार 'लाभरहित' कंपनी के रूप में 10 अगस्त, 2017 को निगमित किया गया । इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रारंभिक कॉर्पस निधि में अंशदान के लिए लेखा बहियों में रु. 5,000 की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से रु. 4000 (रु. 4,500) की राशि विवरण के लिए लंबित है।

v. क. कंपनी ने एफवीओसीआई में मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. तथा डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है क्योंकि ये इक्विटी शेयर ऐसे निवेश को दर्शाते हैं जो रणनीतिक प्रयोजन से लंबे समय तक धारित करने के लिए आशयित हैं। निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि के आधार पर निवेश का अंकित मूल्य इस प्रकार है -

विवरण	31 मार्च 2019 को अंकित मूल्य	2019-2020 के दौरान निर्धारित लाभांश आय	31 मार्च 2019 को अंकित मूल्य	2018-2019 के दौरान निर्धारित लाभांश आय
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि.में निवेश	11	-	9	-
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु में निवेश	1	-	1	-

ख. कंपनी ने इन निवेशों पर अब तक कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

ग. 2019-2020, के दौरान कोई रणनीतिक निवेश को निपटाया नहीं गया और इन निवेशों के संबंध में इक्विटी में कोई संचित लब्धि या हानि अंतरित नहीं की गई।

vi. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 7		
व्यापार प्राप्य		
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
व्यापार प्राप्य	134,855	126,565
घटाएँ - प्रावधान*	(134,855)	(126,565)
उप कुल (क)	-	-
चालू		
रक्षित, जिन्हें खरा माना गया	498	469
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया	672,793	536,452
उप कुल (ख)	**673,291**	**536,921**
कुल (क+ख)	**673,291**	**536,921**

* इसमें प्राप्य जो क्रेडिट ह्रासमान हैं, से संबंधित रु.339 (रु.339) शामिल है ।

i. **भुगतान के निबंधन**

क. अधिकांश संविदाओं में, मदों की सुपुर्दगी पर भुगतान (प्राप्त अग्रिम, यदि कोई हो, का निवल) देय है। बहरहाल, कुछ संविदाओं में देयों का एक हिस्सा (सामान्यत: 5% से 10%) अतिरिक्त कार्य-निष्पादन देयता की संतुष्टि से जुड़ा है जैसे संस्थापना एवं कार्यारंभ संबंधी कार्यों को पूरा करना आदि। टर्नकी संविदाओं के संबंध में, भुगतान (निवल अग्रिम, यदि कोई हो) निर्दिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने से जुड़ा होता है।

ख. ग्राहक से प्राप्त प्रगामी भुगतानों सहित अग्रिम को संविदा की देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और संबंधित कार्य-निष्पादन देयता के समापन पर समायोजित किया जाता है। प्राप्त शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. संविदा में अन्य कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के साथ भुगतान को जोड़ने के कारण पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में ग्राहकों द्वारा रोक रखी गई राशि को संविदा परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 30 के अनुरुप किया गया है।

iv. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 8		
ऋण		
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	2,501	2,010
कर्मचारियों को ऋण	696	702
संबंधित पक्षकारों को ऋण*	112	1,293
	3,309	**4,005**
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
सुरक्षा जमा	81	75
घटाएँ - प्रावधान	(81)	(75)
	-	-
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	1	1
घटाएँ - प्रावधान	(1)	(1)
	-	-
अन्य को ऋण	132	132
घटाएँ -प्रावधान**	(132)	(132)
	-	-
उप कुल (क)	**3,309**	**4,005**
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	1,567	1,453
संबंधित पक्षकारों को ऋण ***	1,528	1,660
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	167	169
उप कुल (ख)	**3,262**	**3,282**
कुल (क+ख)	**6,571**	**7,287**

* वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया अधिकतम राशि रु. 2,953 (रु. 4,220)

** इसमें ऐसे ऋणों से संबंधित रु.132 (रु.132) शामिल है जो क्रेडिट ह्रासमान हैं।

*** उपचित ब्याज शामिल है ।

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 30 के अनुरुप किया गया है।

iii. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 9		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	77	37
अन्य परिसंपत्तियाँ	2,768	2,768
	2,845	**2,805**
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
अन्य को दिए गए अग्रिम	12	12
घटाएँ - प्रावधान	(12)	(12)
	-	-
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	966	31
घटाएँ – प्रावधान*	(966)	(31)
	-	-
अन्य परिसंपत्तियाँ	74	74
घटाएँ - प्रावधान	(74)	(74)
	-	-
उप कुल (क)	**2,845**	**2,805**
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	178	130
अन्य को दिए गए अग्रिम	2	3
प्रोद्भूत ब्याज परंतु मीयादी जमा पर देय नहीं	26	95
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	979	712
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,718	2,627
उप कुल (ख)	**2,903**	**3,567**
कुल (क+ख)	**5,748**	**6,372**

* टिप्पणी 30(21) देखें

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 30 के अनुरुप किया गया है।

iii. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iv. आईएनआर 14,306 [समग्र अंक] की निवल वहनीय राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं और निपटान के लिए लंबित हैं, के संबंध में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 10		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	84,685	80,483
आस्थगित कर देयताएँ	(34,945)	(33,363)
	49,740	**47,120**

i. **लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित आय**

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
1	**आय कर के व्यय -**		
	- चालू अवधि	75,637	79,749
	- पूर्व के वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	(3,995)	(67)
2	**आस्थगित कर -**		
	- अस्थायी अंतरों का उद्गम और व्युत्क्रमण	(3,108)	(2,092)
3	**आस्थगित कर के कुल व्यय (अनुलाभ)**	(3,108)	(2,092)
4	**आय कर के व्यय**	68,534	77,590

ii. **अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर**

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
		कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर
1	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता/ (परिसंपत्ति) का पुन:मापन	(5,864)	(2,049)	(3,815)	(6,183)	(2,161)	(4,022)
2	अन्य द्वारा इक्विटी विलेख व्यापक आय	2	1	1	2	1	1
	कुल	**(5,862)**	**(2,048)**	**(3,814)**	**(6,181)**	**(2,160)**	**(4,021)**

iii. **इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित आय कर**

इक्विटी 31 मार्च 2020 को और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिचिह्नत कोई आय कर नहीं है।

iv. **प्रभावी कर दरों का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	दर	राशि	दर	राशि
कर पूर्व लाभ		**247,917**		**270,319**
कंपनी की घरेलू कर दर का इस्तेमाल करते हुए कर	34.94%	86,632	34.94%	94,460
प्रभाव				
अनुसंधान एवं विकास व्ययों पर अतिरिक्त कटौती का प्रभाव	-5.72%	(14,181)	-5.15%	(13,930)
छूट प्राप्त आय	-0.06%	(149)	-1.25%	(3,392)

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	दर	राशि	दर	राशि
कर प्रोत्साहन	-0.37%	(914)	-0.20%	(554)
पिछले वर्षो से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	-1.61%	(3,995)	-0.02%	(67)
गैर-कटौती योग्य व्यय	0.41%	1,017	0.42%	1,143
अन्य	0.05%	124	-0.03%	(70)
प्रभावी कर दर	**27.64%**	**68,534**	**28.70%**	**77,590**

v. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) और देयताएँ निम्नलिखित के कारण हैं -**

क्र. सं.	विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयताएँ		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ	
		यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
1 .	व्यापार प्राप्य	(14,528)	(13,627)	-	-	(14,528)	(13,627)
2 .	वस्तुसूची	(14,954)	(14,860)	-	-	(14,954)	(14,860)
3 .	प्रावधान अन्य	(17,908)	(21,429)	-	-	(17,908)	(21,429)
4 .	कर्मचारी अनुलाभ	(34,916)	(28,182)	699	-	(34,217)	(28,182)
5 .	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	166	136	166	136
6 .	आस्थगित राजस्व	(373)	(373)	-	-	(373)	(373)
7 .	अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-	1	1	1	1
8 .	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	-	26,790	26,657	26,790	26,657
9 .	आईसीडीएस समायोजन	-	-	-	-	-	-
10 .	इक्विटी निवेश	-	-	2	1	2	1
11 .	अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	10	10	10	10
12 .	ह्रास का प्रावधान	(2,006)	(2,012)	-	-	(2,006)	(2,012)
13 .	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	7,277	6,558	7,277	6,558
14 .	**कुल**	**(84,685)**	**(80,483)**	**34,945**	**33,363**	**(49,740)**	**(47,120)**
15 .	(परिसंपत्ति)/ देयता का पृथक्करण	34,945	33,363	(34,945)	(33,363)	-	-
	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/ देयता	**(49,740)**	**(47,120)**	**-**	**-**	**(49,740)**	**(47,120)**

vi. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) एवं देयताओं का संचलन**

क्रम. सं.	विवरण	यथा 1 अप्रैल, 2019 को शेष	2019-2020 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019-2020 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31 मार्च 2020 को शेष
1 .	व्यापार प्राप्य	(13,627)	(901)	-	(14,528)
2 .	वस्तुसूची	(14,860)	(94)	-	(14,954)
3 .	अन्य प्रावधान	(21,429)	3,521	-	(17,908)
4 .	कर्मचारी अनुलाभ	(28,182)	(6,523)	488	(34,217)

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

क्रम. सं.	विवरण	यथा 1 अप्रैल, 2019 को शेष	2019-2020 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019-2020 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31 मार्च 2020 को शेष
5 .	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	136	30	-	166
6 .	आस्थगित राजस्व	(373)	-	-	(373)
7 .	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	-	-	1
8 .	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	26,657	134	-	26,790
9 .	आईसीडीएस समायोजन	-	-	-	-
10 .	इक्विटी निवेश	1	-	1	2
11 .	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	-	-	10
12 .	ह्रास का प्रावधान	(2,012)	6	-	(2,006)
13 .	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6,558	719	-	7,277
	कुल	**(47,120)**	**(3,108)**	**489**	**(49,740)**

क्रम. सं.	विवरण	यथा 1 अप्रैल, 2018 को शेष	2018-2019 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2018-2019 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31 मार्च 2019 को शेष
1 .	व्यापार प्राप्य	(11,255)	(2,372)	-	(13,627)
2 .	वस्तुसूची	(11,658)	(3,202)	-	(14,860)
3 .	अन्य प्रावधान	(17,949)	(3,480)	-	(21,429)
4 .	कर्मचारी अनुलाभ	(22,567)	(3,703)	(1,912)	(28,182)
5 .	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(203)	339	-	136
6 .	आस्थगित राजस्व	(373)	-	-	(373)
7 .	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	-	-	1
8 .	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	16,904	9,753	-	26,657
9 .	आईसीडीएस समायोजन	(197)	197	-	-
10 .	इक्विटी निवेश	1	-	1	1
11 .	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	-	-	10
12 .	ह्रास का प्रावधान	-	(2,012)	-	(2,012)
13 .	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4,169	2,388	-	6,558
	कुल	**(43,117)**	**(2,092)**	**(1,911)**	**(47,120)**

vii. **अनिर्धारित आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ -**

ऐसे कोई अस्थायी अंतर नहीं हैं जिनमें 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताओं को निर्धारित किया गया।

viii. **आगे ले जाई गई कर की हानि -**

ऐसे कोई कर की हानि नहीं हैं जिसे 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/देयताओं को निर्धारित किया गया।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 11		
वस्तुसूचियाँ		
गैर चालू		
कच्चा माल और घटक	47,542	46,003
जोड़ें – मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	108	118
घटाएँ - प्रावधान	(42,501)	(42,113)
	5,149	**4,008**
व्यापारगत स्टॉक	54	113
जोड़ें – मार्गस्थ व्यापारगत स्टॉक	-	1
घटाएँ - प्रावधान	(54)	(114)
	-	-
भंडार व पुर्जे	264	282
घटाएँ - प्रावधान	(198)	(227)
	66	**55**
खुले औजार	119	124
घटाएँ - प्रावधान	(79)	(73)
	40	**51**
उप कुल (क)	**5,255**	**4,114**
चालू		
कच्चा माल और घटक	2,12,633	2,44,115
जोड़ें - मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	22,771	12,578
	2,35,404	**2,56,693**
चालू कार्य	1,26,787	1,54,137
तैयार माल	21,632	19,440
जोड़ें – मार्गस्थ तैयार माल	2,514	3,186
	24,146	**22,626**
व्यापारगत स्टॉक	971	3,332
जोड़ें – मार्गस्थ व्यापारगत स्टॉक	38	987
	1,009	**4,319**
भंडार व पुर्जे	2,531	2,358
जोड़ें – मार्गस्थ भंडार व पुर्जे	69	-
	2,600	**2,358**
खुले औजार	880	926
जोड़ें – मार्गस्थ खुले औजार	1	-
	881	**926**
निपटान की रद्दी	193	306
उप कुल (ख)	**3,91,020**	**4,41,365**
कुल (क+ख)	**3,96,275**	**4,45,479**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. कच्चे माल और घटकों में रु. 9,643 (रु. 7,612) शामिल हैं जो उप-ठेकेदारों के पास धारित माल है जिसमें रु. 367 (रु.284) का माल पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है । रु. 367 (रु. 284) के समक्ष, रु.366 (रु. 284) की राशि का प्रावधान किया गया है ।

ii. **वर्ष की स्टॉक सत्यापन विसंगतियाँ इस प्रकार हैं -**

रु. 1,294 (रु. 649) की कमी और रु. 412 (रु. 514) का अधिशेष । समाधान के लंबित होने पर, रु. 887 (रु. 74) की राशि का प्रावधान किया गया है।

iii. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कंपनी की लेखा नीति सं. 18 के अनुसार किया गया है।

iv. क. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने 05.11.2007 से 31.03.2012 की सत्यापन अवधि के लिए 2.5 मे.वॉ. बीईएल ग्रिड कनेक्टेड पवन शक्ति परियोजना, दावणगेरे जिला, कर्नाटक के लिए, पूर्व के वर्षों के दौरान 15,856 (15,856) टन CO2EQ कार्बन क्रेडिट मंजूर किया है। इन कार्बन क्रेडिट को रु.2 (रु. 2) के मूल्य पर तैयार माल के तहत शामिल किया जाता है। सी.ई.आर. को आईसीएआई द्वारा जारी सीईआर संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा यथा अपेक्षित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

ख. प्रमाणीकरण के तहत सीईआर – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

ग. वर्ष के दौरान उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों का मूल्यह्रास और प्रचालन -

विवरण	2019-2020	2018-2019
i. मूल्यह्रास	273	266
ii. उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों की प्रचालनीय लागत	203	169
कुल	**476**	**435**

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

vi. **लाभ व हानि का विवरण में दर्शित राशि**

वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य में बट्टे खाते में डालने की राशि रु. 5,067 (रु. 10,351) है, को लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया गया।

vii. वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों को बट्टे खाते में डालने का रु. 3,389 (कुछ नहीं) का व्युत्क्रमण किया गया जिन्हें पिछले वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाया गया ।

viii. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

वस्तुसूची का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 18के अनुरूप किया गया है।

ix. रु. 3,319 (रु. 19,921) राशि की सामग्री को ग्राहक के परिसर में वास्तविक रूप से देखा गया ।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 12		
अन्य परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू		
पूँजीगत अग्रिम	620	23,303
घटाएँ - प्रावधान	-	-
	620	**23,303**
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
क्रय के लिए अग्रिम	2,761	2,957
घटाएँ - प्रावधान	(2,761)	(2,957)
	-	-
संविदा परिसंपत्ति	10,226	9,153
घटाएँ - प्रावधान	(10,226)	(9,153)
	-	-
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	350	419
घटाएँ - प्रावधान	(277)	(275)
	73	**144**
पूर्वदत्त व्यय	81	17
प्राप्त दावे - क्रय	569	991
घटाएँ - प्रावधान	(569)	(991)
	-	-
संविदा की लागत	33,304	1,931
अन्य - परिसंपत्तियाँ	29	248
घटाएँ - प्रावधान	(29)	(93)
	-	**155**
उप कुल (क)	**34,078**	**25,550**
चालू		
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	710	2,501
क्रय के लिए दिए गए अग्रिम	1,36,977	1,52,960
संविदा परिसंपत्ति	4,27,168	2,88,512
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष *	26,451	17,362
पूर्वदत्त व्यय	3,876	3,236
पूर्वदत्त कर	6,761	11,030
प्राप्त दावे - क्रय	2,072	3,355
अन्य - परिसंपत्तियाँ	1,209	3,255
उप कुल (ख)	**6,05,224**	**4,82,211**
कुल (क+ख)	**6,39,302**	**5,07,761**

* माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में निर्णय लंबित होने के कारण, रु. 1,497 का जीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का उपयोग किया जाना लंबित है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 13 के अनुरूप किया गया है।

ii. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

iii. **संविदा परिसंपत्तियों की ह्रास**

संविदा परिसंपत्तियों की ह्रास रु. 1,073 (रु. 2,505).

iv. **उचित मूल्य का मापन**

	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
संविदा परिसंपत्ति	-	-	4,27,168	-	-	2,88,512

v. संविदा की लागत का अंतिम शेष ग्राहकों से रु. 4,659 (रु. 1,931) की संविदा प्राप्त करने की लागत दर्शाता है तथा संविदा पूरा करने की लागत रु. 28,645 (कुछ नहीं) है ।

vi. **संविदा के परिशोधन और ह्रास की लागत**

संविदा के परिशोधन की लागत संविदा की लागत रु. 6,163 (कुछ नहीं) से अपेक्षित अनुलाभ की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। निर्धारित संविदा परिशोधन और ह्रास की लागत कुछ नहीं (कुछ नहीं) हैं।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 13		
नकद व नकद समतुल्य		
बैंकों के पास शेष	35,620	58,190
हस्तस्थ नकद	2	3
मीयादी जमा	1,20,000	14,000
	1,55,622	**72,193**

i. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। तीन महीनों से अधिक परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को बैंक शेष में शामिल किया गया है। टिप्पणी 14 देखें।

ii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. नकद व नकद समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 14		
बैंक शेष [उक्त (ii) के अलावा]		
मीयादी जमा	-	9,100
अदत्त लाभांश खाता	148	7,105
	148	**16,205**

i. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. कंपनी ने ऐसा कोई मीयादी जमा नहीं किया है जिसकी मूल परिपक्वता अवधि बाहर महीनों से अधिक है।

iii. बैंक शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 15		
चालू कर संपत्तियाँ (निवल)		
आय कर का अग्रिम भुगतान	27,989	24,503
	27,989	**24,503**
चालू कर देयता (निवल)		
कराधान का प्रावधान	-	-
	-	-

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 16		
क. **इक्विटी शेयर पूँजी**		
i. **अधिकृत पूँजी**		
आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 2,50,00,00,000 (2,500,000,000) इक्विटी शेयर	25,000	25,000
ii. **जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता पूँजी**		
आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 2,43,65,92,943 (2,43,65,92,943) इक्विटी शेयर	24,366	24,366

iii. **अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	243,65,92,943	24,366	243,65,92,943	24,366
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाएँ – वर्ष के दौरान पुन:खरीद किए गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	243,65,92,943	24,366	243,65,92,943	24,366

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iv. **कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर**

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
भारत सरकार	124,59,73,978	51.14%	143,33,26,432	58.83%

v. **पिछले 5 वर्षों के दौरान बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित इक्विटी शेयर -

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
शेयरों की संख्या	-	16,00,00,000	-	22,33,62,793	-

vi. **पिछले 5 वर्षों के दौरान पुन:खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

पुन:खरीदे गए इक्विटी शेयर -

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
शेयरों की संख्या	-	-	1,66,37,207	2,03,97,780	-

vii. पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी ने संविदा के अनुसार नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्ण चुकता शेयर आबंटित नहीं किया है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
viii. विकल्प के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर तथा शेयर / विनिवेश की बिक्री की संविदाएँ/प्रतिबद्धताएँ	-	-
ix. अदत्त कॉल का कुल मूल्य (कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों सहित)	-	-
x. जब्त शेयर	-	-

xi. **प्रत्येक वर्ग के शेयर से संबद्ध निबंधन, अधिकार, अधिमानता और प्रतिबंध**

क. कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर नामत: इक्विटी शेयर हैं।

ख. इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर एक मत के हकदार होंगे और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान कर सकेंगे।

ग. प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

घ. कंपनी के समापन पर, इक्विटी शेयरधारक नियमों के अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ, यदि कोई हो, के वसूल किए जाने वाले मूल्य के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

xii. क. **अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश**

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2018-2019 और वित्तीय वर्ष 2017-2018 के क्रमश: अंतिम लाभांश	41,422	9,746
वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के क्रमश: अंतरिम लाभांश	34,112	41,422
लाभांश वितरण कर	15,439	10,518

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ख. **प्रारक्षणों की प्रकृति और उद्देश्य**

क. **पूँजीगत प्रारक्षण**

पूँजी प्रारक्षण प्रतिधारित अर्जन से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो कंपनी द्वारा अर्जित पूँजीगत लाभ के समतुल्य राशि होती है। इस प्रारक्षण का पयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ख. **पूँजी मोचन प्रारक्षण**

पूँजी मोचन प्रारक्षण सामान्य प्रारक्षण से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो पुन:खरीद किए गए शेयरों के अंकित मूल्य के समतुल्य राशि होती है। इस प्रारक्षण का पयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ग. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) द्वारा इक्विटी निवेश**

कंपनी ने अन्य व्यापक आय में कुछेक इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को दर्शाने का विकल्प लिया है। उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रारक्षण में संचित होता है। जब कभी निवेश को न दर्शाने का विकल्प लिया जाता है, संचित राशि को प्रतिधारित अर्जन को अंतरित कर दिया जाता है।

घ. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

अन्य व्यापक आय ऐसी लब्धियाँ और हानियाँ होती हैं जिनकी वसूली अभी नहीं हुई है और जिन्हें लाभ व हानि के विवरण में शामिल नहीं किया गया है। इसमें मुख्य रूप से निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति (निवल कर) का पुनर्मापन शामिल किया जाता है।

	यथा 31 मार्च 2020	**यथा 31 मार्च 2019**
चिप्पणी 17		
आस्थगित आय		
गैर चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	6,889	6,164
उप कुल(क)	**6,889**	**6,164**
चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	422	245
उप कुल(ख)	**422**	**245**
कुल(क+ख)	**7,311**	**6,409**

i. प्रस्तुतीकरण की विधि के लिए लेखा नीति 16 देखें		
ii. सरकारी अनुदान की उपयोगिता की प्रकृति		
क. राजस्व खर्च	-	-
ख. पूँजीगत खर्च		
i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	7,311	6,409
iii. अन्य प्रकार की सरकारी सहायता जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है	-	-
iv. सरकारी अनुदान से संबद्ध पूरी न की गई शर्तों के विवरण	-	-
v. सरकारी अनुदान से संबद्ध आकस्मिकताएँ	-	-
vi. प्राप्त उक्त अनुदान सौर शक्ति संयंत्रो के लिए व्यवहार्यता कमी के वित्त-पोषण, रूफ़ टॉप सौर प्रणालियों तथा ज़ेडएनएस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-शिप) संशोधित सहायता को दर्शाते हैं।		

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 18		
उधार		
गैर चालू		
रक्षित		
अन्य उधार	-	-
बैंकों से मीयादी ऋण	-	-
	-	**-**

i. **बैंकों से मीयादी ऋण**

विवरण	2019-2020	2018-2019
तुलन-पत्र की तारीख में कुल देयता	833	3363
घटाएँ – दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वता *	833	3334
घटाएँ – मीयादी ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	29
गैर चालू उधार	-	-

* टिप्पणी 20 में दर्शित

ii. **सुरक्षा की प्रकृति-**

टिप्पणी 35 देखें ।

iii. **चुकौती के निबंधन -**

जून 2017 से प्रारंभ होने वाली तिमाही और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तक 12 तिमाही किस्तों में चुकौती योग्य।

iv. **ब्याज दर -**

आरबीआई / एसबीआई के दिशा निर्देशों और कंपनी की जोखिम श्रेणी के आधार पर और संशोधन के अधीन, 7.90% प्रति वर्ष ।

v. **तुलन-पत्र की तारीख में चूक की अवधि और राशि –**

कुछ नहीं

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 19		
व्यापार देय		
गैर चालू		
अन्य	20	26
उप कुल(क)	**20**	**26**
चालू		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	6,478	4,543
- अन्य	2,35,997	1,38,958
उप कुल(ख)	**2,42,475**	**1,43,501**
कुल(क+ख)	**2,42,495**	**1,43,527**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय संबंधी सूचना नीचे दी गई है -

विवरण	2019-2020	2018-2019
क. उस पर देय मूलधन और ब्याज जो 31 मार्च को अदत्त थे -		
मूलधन *	6,748	4,654
ब्याज	7	1
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा अदा किया गया ब्याज और 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि -		
मूलधन	-	-
ब्याज	1	3
ग. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्युत्क्रमित ब्याज **		2
घ. विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदेय ब्याज (जिसका भुगतान तो किया गया लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परंतु अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		-
ङ. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के अंत में प्रोद्भूत एवं अदत्त ब्याज		3
च. ब्याज जो बाद के वर्षों में भी देय और प्रदेय तब तक बना रहा जब तक उपरोक्तानुसार ब्याज की देय राशियाँ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती करने योग्य खर्च के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को वास्तविक रूप से अदा नहीं कर दी गई।		1

* इसमें टिप्पणी 20 में दर्शित राशि शामिल है।

** अवधि के दौरान कुछ नहीं (रु.2) का प्रावधान जो पिछले वर्ष में किया गया था, व्युत्क्रमित किया गया क्योंकि अनुवर्ती सत्यापन के दौरान यह राशि देय नहीं पाई गई।

ii. यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं, जहाँ तक उन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में निर्धारित किया जा सका, के संबंध में दी गई है और इस बारे में लेखा परीक्षकों द्वारा उत्तर दिया गया है।

iii. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iv. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

v. व्यापार देय के संबंध में मुद्रा तथा चलनिधि के जोखिम के प्रति कंपनी का एक्सपोज़र टिप्पणी 34 में प्रकट किया गया है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 20		
अन्य वित्तीय देयताएँ		
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	4,751	3,029
अन्य पट्टेदारी देयताएँ	183	-
उप कुल(क)	**4,934**	**3,029**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
चालू		
सुरक्षा जमा	17,598	10,235
दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्व राशियाँ *	833	3,334
दीर्घकालीन ऋण पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज *	-	29
व्यापार देय पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज **	7	3
अन्य व्यापार देय	13,805	13,600
अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	37	37
अदत्त लाभांश	148	7,105
सूक्ष्म व लघु उद्यम को देय गैर-व्यापार देय **	270	111
बकाया व्यय	49,443	67,512
अन्य पट्टाधारित देयताएँ	114	-
अन्य देयताएँ	940	1,665
उप कुल(ख)	**83,195**	**103,631**
कुल (क+ख)	**88,129**	**106,660**
तुलन-पत्र की तारीख को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि	कुछ नहीं	(कुछ नहीं)

* (टिप्पणी 18 देखें)

** (टिप्पणी 19 देखें)

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 21		
प्रावधान		
गैर चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	32,584	24,730
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	56,604	51,359
भविष्य निधि ब्याज देयता	603	-
अन्य		
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	109	218
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	24,043	14,551
स्थल पुन:स्थापन बाध्यता का प्रावधान	2,114	1,285
उप कुल(क)	**116,057**	**92,143**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
उपदान*	1,602	(1,055)
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	3,115	2,417
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	4,301	4,266
भविष्य निधि ब्याज देयता	1,231	-
अन्य		
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	19,732	34,631
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	1,555	5,560
उप कुल(ख)	**31,536**	**45,819**
कुल(क+ख)	**1,47,593**	**1,37,962**

* बाध्यता पर योजित परिसंपत्ति का अतिरिक्त दर्शाता है।

i. **2019-2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन**

	कार्य-निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन बाध्यता
1 अप्रैल को	49,182	5,779	1,285
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	23,612	4,176	829
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (नीचे की टिप्पणी v देखें)	-	-	-
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशि	29,019	8,291	-
31 मार्च को	**43,775**	**1,664**	**2,114**

2018-2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन

	कार्य-निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन बाध्यता
1 अप्रैल को	39,915	9,824	519
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	32,408	2,249	766
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि(नीचे की टिप्पणी v देखें)	-	-	-
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशि	23,141	6,295	-
31 मार्च को	**49,182**	**5,778**	**1,285**

ii. **वारंटियों का प्रावधान – कंपनी की लेखा नीति 20 के अनुसार।**

ऐसे उत्पादों के संबंध में वारंटियों का प्रावधान किया जाता है जिनकी सामान्य वारंटी अवधि बकाया होती है। चूँकि वारंटी प्रावधान की अवधि उत्पाद-दर-उत्पाद अलग भिन्न होती है, वारंटी अवधि की औसत अवधि के आधार पर रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) स्तर पर प्रावधान किया जाता है। संभावित व्ययों की प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान का मापन वारंटी की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iii. **स्थल पुन:स्थापन का प्रावधान – कंपनी की लेखा नीति 23 के अनुसार**

पट्टादाता के साथ किए गए पट्टा करार के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, कंपनी को भूमि उसकी मूल स्थिति में वापस करना है। तदनुसार, स्थल पुन:स्थापन देयता का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

इस प्रावधान का मापन पुन:स्थापन की लागत के सर्वोत्तम प्राक्कलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iv. **दुर्वह संविदाओं का प्रावधान - कंपनी की लेखा नीति सं. 23 के अनुसार।**

कंपनी द्वारा की गई कुछेक संविदाओं के संबंध में, यह अपेक्षा की जाती है कि संविदा को पूरी करने की संभावित लागत संविदा के समक्ष प्राप्त / प्राप्य राजस्व से अधिक होगी। ऐसे मामलों में, संभावित हानियों का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस प्रावधान का मापन संभावित हानि की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

v. प्रारंभिक प्रावधान को नामे की गई राशि

vi. वारंटी की लागत के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्ष के समक्ष रु. 13,937 (रु. 7,606) की राशि नामें की गई । स्थल पुन:स्थापन की देयता के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्षक के समक्ष कुछ नहीं राशि (कुछ नहीं) नामे की गई ।

vii. ऐसी बिक्री के संबंध में कार्य-निष्पादन वारंटी देयता, जहाँ पूर्तिकर्ता की दुतरफा वारंटी उपलब्ध है, पूर्तिकर्ता द्वारा चूक करने की स्थिति में संभावित देयता यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की जाती और इसका महत्वपूर्ण होना अपेक्षित नहीं है ।

viii. पिछले वर्षों के दौरान, ईवीएम और वीवीपैट परियोजना से संबंधित वारंटी प्रावधान प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान पर किया गया था क्योंकि सामान्य क्रम में इसकी प्रवृत्ति निर्धारित नहीं थी । हालाँकि चालू वर्ष के दौरान चूंकि वास्तविक व्यय प्रबंधन के अनमान से कम था इसलिए तदनुसार अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिया गया है ।

(क). नियोजन पश्चात् कर्मचारी अनुलाभ देयता

(i). उपदान -

कंपनी भारत में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार कर्मचारियों को उपदान प्रदान करती है। कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक उपदान योजना है जो वित्त-पोषित योजना है। प्रत्येक वर्ष कंपनी निधि देयताओं पर परिसंपत्तियों की कमी की सीमा तक इस उपदान ट्रस्ट में निधि विप्रेषित करती है जो बीमांकक मूल्यांकन द्वारा तय की जाती है। इस उपदान योजना के अनुसार, कंपनी में कम से कम पाँच वर्षों की सतत् सेवा प्रदान करने के बाद सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को देय होता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छ: महीनों की अवधि से अधिक भाग के लिए, कंपनी अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर पंद्रह दिन के वेतन की दर से कर्मचारी को उपदान का भुगतान करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है -

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	63,187	61,412
	चालू सेवा लागत	1,713	1,672
	ब्याज की लागत	4,654	4,531
	विगत सेवा लागत	-	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(4,870)	(5,442)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयता में वित्तीय मान्यताओं का परिवर्तन - हानि / (लब्धि)	5,957	316
	योजित देयता में अनुभव समायोजन - हानि / (लब्धि)	663	698
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**71,304**	**63,187**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	64,322	64,945
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4,970	4,803
	अंशदान	6,000	0
	अदा किए गए अनुलाभ	(4,870)	(5,442)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	(720)	16
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**69,702**	**64,322**
	निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**1,602**	**(1,135)**
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव - वर्ष के प्रारंभ में	**-**	**366**
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव - वर्ष के अंत में	**-**	**(286)**
	निवल निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**1,602**	**(1,055)**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	चालू सेवा लागत	1,713	1,672
	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता पर निवल ब्याज	(317)	(273)
	विगत सेवा लागत	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	1,396	1,399
iv)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) -**		
	योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	6,621	1,014
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर - (लब्धि) / हानि	721	(16)
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	(81)	(286)
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	7,261	712
v)	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ -**		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	71,304	63,187
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	69,702	64,322
	वित्त पोषण की स्थिति [(अधिशेष) / कमी]	**1,602**	**(1,135)**
	परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव - वर्ष के प्रारंभ में	**-**	**366**
	परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव - वर्ष के अंत में	**-**	**(286)**
	तुलन-पत्र के अनुसार 31 मार्च को वर्ष की देयता / (परिसंपत्ति)	**1,602**	**(1,055)**
vi)	**योजित परिसंपत्तियाँ**		
	योजित परिसंपत्तियों के वर्ग इस प्रकार हैं -		
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.12%	1.58%
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.22%	1.36%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	-	1.40%
	बीमाकर्ता के पास निवेश	98.65%	95.20%
	अन्य (बैंक शेष)	0.01%	0.46%

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
vii)	**बीमांकक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	प्रतिपूरक स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	6.65%	7.66%
	अनुमानित औसत भावी कार्यशील जीवन	15.90	16.40
viii)	**अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन -**		
	तुलन-पत्र के बाद शुरु होने वाली वार्षिक अवधि के दौरान उपदान के लिए अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन रु. 1,602 (कुछ नहीं) है।		
ix)	**संवेदनशीलता विश्लेषण -**		
	बट्टे की दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.15%	8.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(3,069)	(2,548)
	बट्टे की दर (0.50% संचलन) में कमी	6.15%	7.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	3,329	2,750
	वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.50%	7.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	1,049	1,015
	वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में कमी	6.50%	6.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(1,133)	(1,080)

अतिरिक्त प्रकटण -

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकिक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

iii. उपदान निर्धारित अनुलाभ देयता का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है -

वर्ष	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष 1	3,091	3,028
वर्ष 2	9,288	8,145
वर्ष 3	6,450	5,971
वर्ष 4	7,031	6,108
वर्ष 5	8,038	6,662
अगले 5 वर्ष	33,363	34,540

(ii). बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) -

कंपनी में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) है जो गैर-वित्त पोषित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुलाभ ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध होते हैं जो स्वयं और जिनकी पत्नी/पति मात्र इसके सदस्य बनते हैं। कंपनी अंत:रोगी उपचार के लिए बीमा रक्षा लेती है। वार्षिक बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त, कंपनी चिकित्सा लागत का 60% और बाह्यरोगी उपचार के लिए नैदानिक परीक्षणों का 75% लागत वहन करती है और विशेष बीमारियों के इलाज के लिए, कंपनी बीमा रक्षा के अलावा इलाज की पूरी लागत वहन करती है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है -

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य (पीवीओ)	55,625	44,872
	चालू सेवा लागत	2,909	2,365
	ब्याज की लागत	4,278	3,464
	अदा किए गए अनुलाभ	447	(10)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	गैर-योजित देयता पर वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन - हानि / (लब्धि)	7,333	3,621
	गैर-योजित देयता पर अनुभव समायोजन - हानि / (लब्धि)	(9,687)	1,313
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**60,905**	**55,625**
ii)	**गैर-योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (प्रतिपूर्ति के अधिकार) -**		
	वर्ष के प्रारंभ में गैर-योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	55,908	47,579
	गैर-योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4,283	3,867
	अंशदान	3,836	8,876
	अदा किए गए अनुलाभ	(3,836)	(3,876)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित गैर-योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	(352)	(537)
	अवधि के अंत में गैर-योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**59,839**	**55,909**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	2,909	2,365
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर ब्याज	4,278	3,464
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय [व्यय - कुछ नहीं (रु. 547), प्रावधान - रु. 7,187 (रु. 5,282)]	**7,187**	**5,829**
iv)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) -**		
	गैर-योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(2,353)	4,934
	गैर-योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	352	537
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	**(2,001)**	**5,471**
v)	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ -**		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	60,905	55,625
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्त-पोषण की स्थिति	(60,905)	(55,625)
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	**60,905**	**55,625**
	अगले बारह महीनों में प्रदेय के लिए अपेक्षित	4,301	4,266
	अगले बारह महीनों के बाद प्रदेय के लिए अपेक्षित	56,604	51,359

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
vi)	**बीमांकक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	चिकित्सा स्फीति दर	6.00%	6.00%
	पलायन दर	1.00%	1.00%
vii)	**सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव -**		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	1,098	982
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	9,313	7,599
	सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु कमी -		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	(884)	(804)
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	(7,423)	(6,220)
viii)	**संवेदनशीलता विश्लेषण -**		
	बट्टे की दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	7.15%	8.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(3,836)	(3,177)
	बट्टे की दर में (0.50% संचलन) कमी	6.15%	7.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	4,304	3,533
	चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	6.50%	6.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	4,350	3,603
	चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) कमी	5.50%	5.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(4,579)	(3,261)

अतिरिक्त प्रकटण -

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

iii. बीईआरईसीएचएस का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है -

वर्ष	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष 1	2,985	3,003
वर्ष 2	3,149	3,173
वर्ष 3	3,320	3,352
वर्ष 4	3,501	3,543
वर्ष 5	3,678	3,732
अगले 5 वर्ष	20,906	21,444

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि [ब्याज में कमी] -

कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंध कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी इस ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति देय प्रबंधन का अंशदान देती है।

कंपनी द्वारा दिए गए अंशदान और ब्याज में कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी अनुलाभ व्यय के तहत लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है। भविष्य निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा मान्यताओं के आधार पर, ब्याज की लागत में कमी हुई है क्योंकि इस निधि के अपेक्षित भावी अर्जन का वर्तमान मूल्य भविष्य निधि ट्रस्ट के ब्याज की अपक्षित गारंटीयुक्त दर के आधार पर वैयक्तिक सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि से कम है।

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	2,66,296	2,31,115
	चालू सेवा लागत	11,500	34,793
	ब्याज की लागत	20,793	16,957
	विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
	विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	बीमांकिक (लब्धि) / हानि	1,335	6,352
	अदा किए गए अनुलाभ	(29,210)	(22,921)
	अंशदान	29,354	
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**3,00,068**	**2,66,296**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,69,156	2,35,924
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	21,012	18,698
	अंशदान*	40,746	35,456
	अदा किए गए अनुलाभ	(29,210)	(22,921)
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लब्धि / (हानि)	(2,060)	1,999
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2,99,644**	**2,69,156**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	11,500	34,793
	ब्याज की लागत	20,793	16,957
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	(21,012)	(18,698)
	अवधि में निर्धारित निवल बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	4,353
	विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
	विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	**11,281**	**37,405**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
iv)	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ -**		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	3,00,068	2,66,296
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,99,644	2,69,156
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	179	-
	अंतर	**603**	**(2,860)**
	अनिर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता	**603**	**-**
v)	**चालू अवधि की राशि -**		
	देयता का वर्तमान मूल्य	3,00,068	2,66,296
	योजित परिसंपत्तियाँ	2,99,644	2,69,156
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	179	-
	अधिशेष / (कमी)	(603)	2,860
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि) / लब्धि	(1,259)	(6,342)
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि) / लब्धि	(2,060)	1,999
vi)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन: मापन) -**		
	योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	1,335	-
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर - (लब्धि) / हानि	2,060	-
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	(2,792)	-
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	603	-
vii)	**यथा 31 मार्च को परिसंपत्तियों का वर्ग -**		
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	44.68%/61.00%	43.73%/50.74%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	36.72%/21.10%	39.24%/34.01%
	म्युच्युअल फंड	4.36%/1.50%	5.01%/1.75%
	अन्य	13.27%/12.00%	11.90%/11.76%
	अरक्षित, उद्यम से वसूल किए गए अनुसार**	0.38%/4.30%	0.12%/1.74%
	2019-20 के दौरान ट्रस्ट द्वारा उपगत निवल हानि समाप्त करने के लिए कार्पोरेट से वसूली योग्य राशि	0.59%/0.10%	
	कुल	**100%/100%**	**100%/100%**
vii)	**बीमांकिक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.80%/8.90%	8.30%/8.75%

***नोट** - इसमें चालू वर्ष के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट की ब्याज की कमी की ओर रु. 1,231 शामिल है जिसका प्रावधान किया गया।

**** नोट** - निवेश का अरक्षित (मूलधन) हिस्सा जो रु. 5,740 (रु. 2,050) बनता है, को ट्रस्ट ने गैर-निष्पादनीय निवेश माना है और इस राशि को चूक की स्थिति में उद्यम से वसूल की जाने वाली राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार इसका प्रावधान किया गया है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ख. दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति -

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति योजना है जो गैर वित्त-पोषित योजना है। कंपनी के कर्मचारी दी प्रकार की दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ लेने के हकदार होते हैं - कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और आधे वेतन की छुट्टी (एच.एल.) और गैर-कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और बीमारी छुट्टी (एस.एल.)। इस योजना में अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त न की गई छुट्टी (कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एच.एल. और गैर-कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एस.एल.) के समक्ष कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान होता है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और बीमांकक द्वारा दी गई प्रकटण रिपोर्ट में दिए गए अनुसार, योजना के लिए तुलन-पत्र में निर्धारित राशि के विवरण दिए गए हैं -

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय [2019-20 नकदीकृत छुट्टी - रु. 1,073, प्रावधान - रु. 8,552] [2018-19 नकदीकृत छुट्टी - रु. 773, प्रावधान - रु. 6,423]	9,625	7,196
ii)	**तुलन-पत्र में निर्धारित की जाने वाली राशियाँ -**		
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता [बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	**35,699**	**27,147**
iii)	**बीमांकिक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	क्षतिपूरण स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
iv)	विगत अनुभव के आधार पर, कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि अगले 12 महीनों में सभी कर्मचारी प्रोद्भूत छुट्टी की पूर्ण राशि लेंगे या इसका भुगतान करने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित राशियाँ ऐसी छुट्टी को दर्शाते हैं जिसे अगले 12 महीनों के भीतर / 12 महीनों के बाद लिया जाएगा या भुगतान किया जाएगा।		
	चालू छुट्टी की देयता अगले 12 महीनों में निपटाना अपेक्षित है	3,115	2,417
	12 महीनों के बाद निपटाने के लिए अपेक्षि छुट्टी की देयता	32,584	24,730
	कुल	**35,699**	**27,147**

ग. पेंशन योजना

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित अंशदान पेंशन अनुलाभ योजना है जिसमें इस प्रयोजनार्थ स्थापित ट्रस्ट में वार्षिक आधार पर अंशदान दिया जाता है।

इस योजना के तहत अनुलाभ इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

i) निर्धारित अनुलाभ योजना (यानी उपदान और बीईआरईसीएचएस) के कारण पैदा होने वाले विशिष्ट या असाधारण जोखिमों का व्याख्यात्मक वर्णन

निर्धारित अनुलाभ योजनाओं से संबंधित विशिष्ट जोखिम इस प्रकार हैं -

दो रिपोर्टिंग अवधियों के बीच दीर्घकालीन सरकारी बांड दर में संचलन बट्टे की दर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप देयताओं का वर्तमान मूल्य प्रभावित होगा। वित्तीय वर्ष में वास्तविक अनुभव के समक्ष मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उच्चतर / निम्नतर वेतन वृद्धि / अनुलाभ का जोखिम। बहरहाल, दोनों प्रकार की जोखिमों को नियमित आधार यानी वार्षिक रूप से कम किया जाता है क्योंकि अद्यतन मान्यताओं के आधार पर ये मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के बाद किए जाते हैं।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ii) किसी परिसंपत्ति - देयता की मेल करने वाली रणनीति का व्याख्यात्मक वर्णन।

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की समर्थक परिसंपत्तियाँ मुख्यत: बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ होती हैं। इसलिए, इस योजना के लिए परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियों को कार्यान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी की सीमित लोचता होती है।

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना गैर-वित्त पोषित योजना है। इसलिए, परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियाँ इस योजना के लिए संगत नहीं हैं।

iii) वित्त-पोषण की व्यवस्थाओं और वित्त-पोषण की नीति का वर्णन।

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की योजित परिसंपत्तियों का 98.65% (95.20%) बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित परिसंपत्तियाँ होती हैं और योजित परिसंपत्तियों का 1.34% (2.94%) निवेश केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाता है। इस निधि का वार्षिक अंशदान आम तौर पर अनुलाभ देयताओं के पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट किए गए अनुसार, कमी के समतुल्य तय किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना [बीईआरईसीएचएस] गैर-वित्त पोषित योजना है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 22		
अन्य देयताएँ		
गैर चालू		
आस्थगित राजस्व - ग्राहक अनुदान	112	475
उप कुल (क)	**112**	**475**
चालू		
आस्थगित राजस्व - ग्राहक अनुदान	363	389
संविदा की देयता		
आस्थगित राजस्व	3,615	4,212
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	8,81,121	7,31,685
सांविधिक देयताएँ	31,288	10,762
अन्य	3,788	2,372
उप कुल (ख)	**9,20,175**	**7,49,420**
कुल(क+ख)	**9,20,287**	**7,49,895**

i. **संबंधित पक्षकार प्रकटण**

संबंधित पक्षकार प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

ii. **संविदा की देयताएं**

वर्ष के दौरान अभिचिन्हित राजस्व में से संविदा की देयता प्रारंभिक शेष के समक्ष रु.1,63,517 (रु. 2,11,035) की राशि समायोजित की गई है ।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 23				
प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री	11,27,264		10,56,569	
सेवाओं से आय	1,33,512		1,22,353	
		12,60,776		11,78,922
अन्य प्रचालनीय राजस्व				
रद्दी की बिक्री		542		498
परिवहन की रसीदें		390		376
किराए की रसीदें		707		627
कैन्टीन की रसीदें		1,233		1,143
संग्रहित बिजली प्रभार		203		191
संग्रहित जल प्रभार		54		59
आहरित प्रावधान				
- दुर्वह संविदाएँ (निवल)	4,114		4,046	
- संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाना	4,302		6,854	
- वस्तुसूची	6,620		5,278	
- ऋण व अग्रिम	304		198	
- कार्य-निष्पादन वारंटी	5,407		-	
- अन्य*	93		-	
		20,840		16,376
शुल्क वापसी सहित सरकारी अनुदान		787		664
ग्राहक के अनुदान		389		411
विविध		6,190		9,193
		12,92,111		**12,08,460**

* इसमें कर्मचारियों से प्राप्य राशि की वसूली के प्रति रु. 33 शामिल है । टिप्पणी 30(21) देखें।

i. **ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के भिन्न-भिन्न आंकड़े (2019-2020)**

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	9,20,430	1,01,806	72,553	32,475	11,27,264
सेवाओं से आय	99,730	29,488	1,682	2,612	1,33,512
कुल	**10,20,160**	**1,31,294**	**74,235**	**35,087**	**12,60,776**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के भिन्न-भिन्न आंकड़े (2018-2019)

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	6,95,337	3,41,694	6,065	13,473	10,56,569
सेवाओं से आय	1,04,865	16,234	908	346	122,353
कुल	**8,00,202**	**3,57,928**	**6,973**	**13,819**	**11,78,922**

ii. **लाभ व हानि के विवरण में संविदा के मूल्य सहित निर्धारित राजस्व का समाधान**

विवरण	2019-2020		2018-2019	
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार राजस्व				
उत्पादों की बिक्री	11,27,264		10,56,569	
सेवाओं से आय	1,33,512		1,22,353	
कुल (क)		**12,60,776**		**11,78,922**
संविदा के मूल्य में समायोजन जोड़ें / (घटाएँ)				
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के दावे	(16,830)		(3,647)	
मूल्य पुनरीक्षण	-		5,073	
दी गई छूट और रिबेट	71		190	
अन्य	(10,769)		(914)	
कुल समायोजन (ख)		**(27,528)**		**702**
संविदा मूल्य (क+ख)		**12,33,248**		**11,79,624**

कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना

क. अधिकांश संविदाओं में, कार्य-निष्पादन की देयता ऐसे "समय-बिंदु" में पूरी की जाती है जो प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने से निर्धारित होती है। इसके लिए विचार किया गया एक प्रमुख संसूचक उल्लेखनीय जोखिम का अंतरण और ग्राहकों का पारितोषिक है जो इन्को की शर्तों पर आधारित होता है। जहाँ संविदा में एक से अधिक कार्य-निष्पादन देयताएँ होती हैं तो कार्य-निष्पादन देयता पूरी करने का समय-बिंदु तय करने के लिए भारतीय ए.एस. 115 में निर्दिष्ट मानदंड लागू किया जाता है।

ख. "बिल एंड होल्ड" व्यवस्था में, कार्य-निष्पादन देयता संविदा में माल के निस्शर्त विनियोजन पर पूरी की जाती है। सामान्य रूप से, अभिरक्षा सेवा के लिए कोई देयता नहीं होती।

ग. ग्राहक के साथ की गई संविदा में आम तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होता और ग्राहक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान तथा / या प्रतिधारित राशि संविदा के दोनों पक्षकारों की रक्षा करने के आशय से रखी जाती है।

घ. परिवर्ती प्रतिफल में प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव खंड के समक्ष प्राप्य / प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। इसके संबंध में निर्धारित राजस्व की राशि संविदा में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के आधार पर तय की जाती है। इस राशि को ग्राहक का दावा प्रोद्भू होने / स्वीकार करने पर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ङ. कंपनी के कुल कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है।

च. ग्राहकों के साथ की गई संविदा में सामान्य रूप से वापसी / धन-वापसी का खंड नहीं होता है।

छ. प्रदान की गई वारंटियाँ मुख्य रूप से कार्य-निष्पादन वारंटी की प्रकृति की होती हैं।

ज. कंपनी ऐसी संविदाओं के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से निविष्टि विधि का उपयोग करती है जिनमें कार्य-निष्पादन देयता एक समयावधि में पूरी की जाती है। राजस्व निर्धारित करने के लिए, समापन प्रतिशत विधि अपनाई जाती है जिसमें निर्धारित किए जाने वाले राजस्व की प्रमात्रा तय करने के लिए संविदा की कीमत में कुल प्राक्कलित लागत में उपगत वास्तविक लागत का प्रतिशत लागू किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

झ. ग्राहकों के साथ की गई संविदा (ए.एम.सी. को छोड़कर) जिसके संबंध में राजस्व एक समयावधि में निर्धारित की गई है, में सामान्य रूप से विभिन्न प्रकृति के अनेक कार्यकलाप शामिल होते हैं जैसे भवन निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना, उपकरण और सिस्टम की नेटवर्किंग आदि। इसके कारण, किए गए कार्य (यानी उत्पादन) की मात्रा को विश्वसनीय रूप से वास्तविक परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि, निविष्टि विधि के अंतर्गत, इन विविध कार्यकलापों के संबंध में उपगत लागत प्राप्त की जा सकती है और समापन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आने वाली लागत (जिसका प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है) के कुल प्राक्कलित लागत से इसकी तुलना की जा सकती है। ए.एम.सी. संविदाओं के मामले में, राजस्व निर्धारित करने के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरी करने के लिए समय अंतराल मानदंड होता है।

ञ. "समय-बिंदु" पर पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए, यह तय करने के लिए कि क्या ग्राहक ने "परिसंपत्ति पर नियंत्रण" प्राप्त किया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का उपयोग किया जाता है -

- उल्लेखनीय जोखिम और परितोष का अंतरण
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- संस्थान ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- संस्थान का परिसंपत्ति का भुगतान करने का वर्तमान अधिकार है

ट. लेनदेन की कीमत का निर्धारण सामान्य रूप से ग्रहाक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है। अनेक देयताओं के संबंध में लेनदेन की कीमत का आबंटन सापेक्ष स्टैंडअलोन बिक्री कीमत पर आधारित होता है।

ठ. चालू / पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद-रहित प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया / दिया गया।

पिछली अवधियों में पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता में से वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में रु. 7,725 (रु. 2,974) (निवल) की राशि निर्धारित की गई।

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
टिप्पणी 24		
अन्य आय		
स्टाफ़/ आयकर वापसी / अन्य से ब्याज की आय*	2,552	2,684
दीर्घकालीन निवेश से आय (लाभांश)**	426	9,706
मीयादी जमा पर ब्याज की आय	6,496	3,201
पीपीई की बिक्री पर लाभ	21	27
किराए की आय - निवेश संपत्ति	186	162
विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि	-	908
विविध (व्यय का निवल)	513	266
	10,194	**16,954**

* संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें ।

**सहायक एवं संबद्ध कंपनियों से लागत पर निर्धारित आय को दर्शाता है।

i. विदेशी मुद्रा के लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और उसके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच ऐसे लेनदेन से होने वाले उतार-चढ़ाव की दर के कारण विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 25				
तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियों में परिवर्तन				
चालू कार्य -				
- अंतिम वस्तुसूची	1,26,787		1,54,137	
- प्रारंभिक वस्तुसूची	1,54,137		1,40,949	
तैयार माल -		**27,350**		**(13,188)**
- अंतिम वस्तुसूची	24,146		22,626	
- प्रारंभिक वस्तुसूची	22,626		22,691	
रद्दी -		**(1,520)**		**65**
- अंतिम वस्तुसूची	193		306	
- प्रारंभिक वस्तुसूची	306		209	
		113		**(97)**
		25,943		**(13,220)**

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 26				
कर्मचारी अनुलाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी और बोनस / अनुग्रह राशि		1,63,657		1,49,656
सेवानिवृत्ति अनुलाभ व्यय				
-उपदान	1,396		1,399	
-भविष्य निधि और पेंशन निधियों में अंशदान	12,319		10,571	
-बीईएल अधिवार्षिता (पेंशन) योजना में प्रबंधन का अंशदान	5,536		5,379	
-बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना का प्रावधान	7,187		5,282	
		26,438		22,631
कल्याण संबंधी व्यय * [वेतन रु. 1,101 (रु. 1,165), पी.एफ. अंशदान रु.100 (रु.101) सहित हैं।]		15,654		15,618
		2,05,749		**1,87,905**

* टिप्पणी 21 (ए)(iii) देखें, तदनुसार रु. 3,690 (रु. 2,050) का प्रावधान किया गया।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक के लिए टिप्पणी 31 देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 27				
वित्त संबंधी लागत				
ब्याज व्यय				
-सूक्ष्म व लघु उद्यों को देय राशि पर ब्याज	5		1	
-पट्टे की देयता पर ब्याज व्यय	28		-	
-आय कर पर ब्याज	-		1,130	
-ब्याज के अन्य व्यय	263		68	
		296		1,199
अन्य उधार की लागत				
ऋण प्रसंस्करण प्रभार		30		22
		326		**1,221**

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 28		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास / परिशोधन	34,416	31,382
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	1	1
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	363	230
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	184	9
	34,964	**31,622**

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 29				
अन्य व्यय				
बिजली और ईंधन*		3,457		3,701
जल प्रभार		431		382
रॉयल्टी और तकनीकी सहायता		257		867
किराया		2,279		2,465
दर व कर		847		531
बीमा		1,133		1,041
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
-लेखा परीक्षा शुल्क	18		18	
-कर लेखा परीक्षा शुल्क	4		4	
-अन्य सेवाएँ (प्रमाणीकरण शुल्क)	6		5	
-व्ययों की प्रतिपूर्ति	10		6	
		38		33
लागत लेखा परीक्षा शुल्क		4		4
मरम्मत और रख-रखाव				
-इमारतें	2,174		1,989	
-संयंत्र और मशीनरी	1,205		1,212	
-अन्य	7,629		7,194	
		11,008		10,395

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार		396		308
मुद्रण व लेखन-सामग्री		443		462
विज्ञापन व प्रचार		740		1,393
यात्रा व्यय		11,575		13,808
वैन / टैक्सी का भाड़ा प्रभार		1,297		1,558
पैकिंग और अग्रेषण		3,806		2,946
अशोध्य ऋण व अग्रिम जिन्हें बट्टे खाते में डाला गया	23,041		14,074	
घटाएँ – प्रावधान को प्रभारित	(22,899)		(13,909)	
		142		165
अप्रचलन / अप्रयुक्त सामग्री का प्रावधान		7,153		14,711
संदिग्ध ऋण, एलडी, ग्राहक के दावों और अस्वीकृतियों का प्रावधान		36,185		33,268
संदिग्ध अग्रिमों, दावों का प्रावधान		172		3,255
विदेशी मुद्रा विनिमय की हानि		1,674		-
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान (निवल) **		-		9,267
अप्रचलन और अप्रयुक्तता के कारण कच्चे माल, भंडार और घटकों को बट्टा खाते में डालना	229		289	
घटाएँ – प्रावधान को प्रभारित	(229)		(269)	
		-		20
अन्य प्रावधान***		-		124
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान		-		3,707
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों को बट्टा खाते में डालना		-		1,745
प्रभारित संविदा लागत		1,247		3,348
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		2,912		2,142
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेसन में अंशदान		-		5,000
अन्य				
-अन्य विविध प्रत्यक्ष खर्च	10,749		18,004	
-बिक्री पश्चात सेवा	297		913	
-टेलीफ़ोन	1,043		997	
-संगोष्ठियों और पाठ्यक्रमों पर खर्च	867		817	
-अन्य बिक्री व्यय	1,288		748	
-विविध	4,729		4,718	
		18,973		**26,197**
घटाएँ - पूँजीगत कार्यों के लिए आबंटित खर्च		(3,336)		(3,269)
		1,02,833		**1,39,574**

* पैदा की गई पवन ऊर्जा जिसे समायोजित किया गया

** टिप्पणी 21 देखें

*** वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुछ नहीं के अन्य प्रावधानों में रु. 936 शामिल है जो कर्मचारी से वसूली योग्य है और इस वसूली के लिए रु. 936 का प्रावधान किया गया। टिप्पणी 30(21) देखें।

i. विदेशी मुद्रा के लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और उसके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच ऐसे लेनदेन से होने वाले उतार-चढ़ाव की दर के कारण विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि ।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 30

लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ

1. प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

	विवरण	2019-20	2018-19
क	**सतत् प्रचालनों से**		
	प्रति शेयर मूल अर्जन [आईएनआर]	7.36	7.91
	प्रति शेयर परिवर्तित अर्जन [आईएनआर]	7.36	7.91
ख	प्रति शेयर मूल व परिवर्तित अर्जन में न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त राशि	1,79,383	1,92,729
ग	प्रति शेयर मूल व परिवर्तित अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	243,65,92,943	243,65,92,943

2. अनुपालन का विवरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय ए.एस.) [कंपनी अधिनियम ("एक्ट") की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाना है, में यथा अधिसूचित] और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधान के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

31 मार्च 2016 तक के और इस तारीख के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए थे।

3. प्रचालनीय चक्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की अपेक्षाओं के अनुसार, रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) / यूनिट स्तर, जो लागू हो, में प्रचालनीय चक्र तय किया गया है।

4. परिसंपत्तियों की अनर्जकता

कंपनी ने नकद सृजक यूनिट (सीजीयू) मानी गई प्रत्येक भौगोलिक सम्मिश्रित निर्माणी यूनिट की परिसंपत्तियों की अनर्जकता के सूचकों का विश्लेषण किया है। आंतरिक और बाहरी कारकों के आंकलन के आधार पर, अनर्जकता के प्रावधान के रूप में रु. 124 (रु. 3,831) की राशि का प्रावधान किया गया है।

5. अल्पकालीन उधार

क. कंपनी को संघीय बैंकों (एसबीई अग्रणी बैंक) द्वारा रु. 400,000 की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इस मंजूर सीमा में रु. 50,000 की निधि आधारित सीमा और रु. 3,50,000 की गैर निधि आधारित सीमा शामिल है।

ख. निधि आधारित सीमा पर देय ब्याज दर एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर से जुड़ी है। [31.03.2020 को देय ब्याज दर 7.90 % प्रति वर्ष (8.55%) है].

ग. प्रयुक्त राशि की चुकौती मांग पर की जाती है। यथा 31.03.2020 को यह उपयोगिता कुछ नहीं (कुछ नहीं) है।

घ. उक्त मंजूरी सीमा कंपनी की चालू परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित है (टिप्पणी 35 देखें)

6. संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. संविदाओं की प्राक्कलित राशि जो पूँजी खाते में निष्पादित की जानी है और 31 मार्च को जिनका प्रावधान नहीं किया गया है		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	50,403	28,873
निवेश संपत्ति	-	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	1,856	2,787

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ख. निवेश संपत्ति की मरम्मत और रख-रखाव तथा वर्धन के लिए संविदाजन्य प्रतिबद्धता	-	-
ग. 31 मार्च को अन्य प्रतिबद्धताएँ यानी निरस्त न करने योग्य संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ (यानी जिसे निरस्त करने से संबंधित अनुलाभ के लिए अनुपातरहित जुर्माना लगाया जाएगा)	-	-

7. अनुसंधान व विकास पर किया गया खर्च -

कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अनुसंधान व विकास पर किए गए खर्च को संबंधित प्राकृतिक वर्गीकरण में शामिल किया गया है, इस प्रकार है -

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यय		
सामग्री	22,848	20,601
कर्मचारी पारिश्रमिक और अनुलाभ	53,715	47,669
मूल्यह्रास	8,712	6,575
अन्य	12,647	13,821
सकल खर्च	**97,922**	**88,666**

नोट - उक्त खर्च में रु. 3,684 (रु. 8,276) शामिल है जिसे प्रभारित नहीं किया गया है।

8. आकस्मिक देयताएँ -

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	1,04,614	23,767
बकाया साख पत्र	89,238	38,106
अन्य	2,945	4,428
ग्राहक के अनिष्पादित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो चुकी है, में 31 मर्च तक का अनंतिम निर्णीत हर्जाना	24,846	34,397

9. आकस्मिक परिसंपत्ति -

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कुछ नहीं	-	-

10. शेषों का पुष्टीकरण

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, अग्रिम और जमा राशियों के संबंध में शेषों के पुष्टीकरण के अनुरोध पत्र भेजे गए हैं। जिन मामलों में उत्तर प्राप्त हुए हैं, समाधान प्रगति में है और जहाँ आवश्यक समझा गया, प्रावधान / समायोजन किए गए हैं।

11. श्रम विवाद

श्रम मामलों के संबंध में, चूँकि ऐसे मामलों पर अधिनिर्णय अभी किया जाना है, देयता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। बहरहाल, ऐसी देयता का महत्वपूर्ण होना अपेक्षित नहीं है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

12. पट्टा

भारतीय ए.एस. 116 को अपनाना

1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी करते हुए कंपनी ने संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय ए.एस. 116 "पट्टे" को अपनाया है, इसलिए, तुलनात्मक सूचना दोबारा नहीं बताई जा रही है। इस मानक को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

क) पट्टाकर्ता के रूप में -

i) भावी प्राप्त न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	399	339
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं	486	594
पाँच वर्षों से अधिक	2,910	1

ii) कंपनी ने 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि के लिए हरियाणा सरकार को प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनों को पट्टे पर दिया है।

कंपनी ने रद्द न करने योग्य प्रचालनीय पट्टे के तहत विभिन्न संगठनों को भूमि का कुछ हिस्सा पट्टे पर दिया है। पट्टे की अवधि वर्ष 1967 से 2077 तक की है। पट्टों की विभिन्न शर्तें, वृद्धि खंड, पट्टा नवीकरण अधिकार आदि है। नवीकरण पर, पट्टे की शर्त दोबारा वार्ता कर तय की जाती हैं।

कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में कोई आय निर्धारित नहीं की है।

ख) पट्टेदार के रूप में -

कंपनी में ऐसे पट्टे हैं जिन्हें भारतीय ए.एस. 17 लागू करते हुए वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ऐसे पट्टों के लिए, भारतीय ए.एस. 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में उपयोग के अधिकार की राशि की वहनीय राशि, भारतीय ए.एस. 17 को लागू करते हुए मापे गए अनुसार संक्रमण की तारीख पर पट्टे की वहनीय राशि है। तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से रु. 1,275 की राशि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वर्गीकृत की गई ।

संक्रमण पर, कंपनी पट्टे की समाप्त न हुई अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार को दर्शाते हुए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार निर्धारित करती है।

उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को इसमें निर्धारित किया जाता है -

क) पूर्वदत्त किराए की वहनीय राशि जब कोई भावी पट्टा भुगतान देय नहीं होता है; या

ख) वहनीय राशि तथा वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया गया। तदनुसार, उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति रु. 365 है और पट्टे की संबंधित देयता रु. 365 निर्धारित की गई। इन परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय ए.एस. 116 को लागू करने पर, व्ययों की प्रकृति को पट्टे के किराए से उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की मूल्यह्रास लागत में और पट्टे की देयता पर प्रोद्भूत ब्याज की वित्त लागत में पुन:वर्गीकृत किया गया ।

कंपनी द्वारा दर्ज उक्त पट्टे की संविदाएँ सौर परियोजना द्वारा बिजली पैदा करने और कारोबारी प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए पट्टे पर ली गई भूमि से संबंधित हैं। इन परिसंपत्तियों का निपटान करना कंपनी के लिए प्रतिबंधित है।

देय भावी न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	31 मार्च 2020 को
एक वर्ष से अधिक नहीं;	134
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं;	193
पाँच वर्षों से अधिक	-

पट्टे की देयताओं की संविदाजन्य नकदी प्राप्ति का परिपक्वता विश्लेषण टिप्पणी 34 में दिया गया है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

13. खंडवार रिपोर्टिंग

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित, द्वारा खंडवार रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता से रक्षा उत्पाद में लगी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

14. प्रतिधारण बिक्री

कोविद-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण, माल का वास्तविक संचलन संभव नहीं था और माल को ग्राहक के अनुरोध और जोखिम पर कंपनी में रखा गया। वर्ष के कुल कारोबार में शामिल प्रतिधारण बिक्री का मूल्य रु. 1,77,962 (रु. 14,139) है।

उक्त में से, कारखाना बाह्य बिक्री का मूल्य रु. 29,959 (रु. 4,456) है।

15. विदेशी मुद्रा विनिमय के एक्सपोज़र

"विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सपोज़र" के प्रकटण की आवश्यकता बताते हुए आईसीएआई की घोषणा के अनुसार, 31 मार्च 2020 को प्रमुख मुद्रा-वार एक्सपोज़र नीचे दिए गए हैं। [विदेशी मुद्राएँ लाख में दर्शाई गई हैं] (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं) ।

मुद्रा	देय		प्राप्य / संविदा परिसंपत्ति		आकस्मिक देयता*	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए के समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए के समतुल्य	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए के समतुल्य
USD	1,609	1,22,848	267	19,891	980	74,812
	(659)	(46,179)	(52)	(3,555)	(383)	(26,834)
EURO	139	11,753	6	451	91	7,711
	(154)	(12,229)	(3)	(250)	(104)	(8,273)
GBP	14	1,300	-	-	12	1,142
	(23)	(2,095)	-	-	(2)	(195)
JYEN	136	96	-	-	17	12
	(45)	(29)	-	-	-	-
CHF	22	1,785	-	-	-	-
	(41)	(2,921)	-	-	(2)	(125)
अन्य	41	230	-	600	-	-
	(1)	(517)	-	(846)	-	(14)
कुल (रु.)		**1,38,012**		**20,942**		**83,677**
		(63,970)		**(4,651)**		**(35,441)**
उक्त में से ग्राहकों से विनिमय दर उतार-चढ़ाव खंड द्वारा शामिल राशि		83,644		-		4,298
		(30,416)		-		(8,299)

* इसमें बकाया साख पत्रों और पूँजीगत प्रतिबद्धताओं से संबंधित एक्सपोज़र शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने दृढ़ प्रतिबद्धताओं के संबंध में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव की रक्षा करने के लिए वायदा संविदा किया है। 31.03.2020 को कोई बकाया वायदा संविदा नहीं है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

16 सीएसआर खर्च संबंधी प्रकटण

क. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि रु. 4,310 (रु. 3,543) है।

ख. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खर्च की गई राशि -

क्र. सं.	विवरण	नकद में	नकद में अदा किया जाना बाकी	कुल	खर्च न की गई राशि का विनियोजन	सीएसआर का सकल योग
i)	किसी परिसंपत्ति पर निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-
ii)	उक्त (i) के अलावा प्रयोजन	3,117	-	3,117	1,193	4,310
		(2,291)	(20)	(2,311)	(1,232)	(3,543)

उक्त खर्च में रु. 205 (रु. 169) का सीएसआर प्रशासनिक ऊपरीव्यय शामिल है जिसे कर्मचारी अनुलाभ व्यय के तहत समूहित किया गया है।

ग. सीएसआर प्रावधान का संचलन

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
i	1 अप्रैल को	4,217	4,360
ii	वर्ष के दौरान निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान*	1,193	1,232
iii	घटाएँ - वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	1,925	1,375
iv	घटाएँ - वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित राशि	-	-
v	31 मार्च को	3,485	4,217

* इसमें सीएसआर निधियों से अर्जित ब्याज का प्रावधान कुछ नहीं (कुछ नहीं) शामिल है |

17. कोविद -19 का प्रभाव

कोरोना वायरस (कोविद-19) महामारी के वैश्विक और भारत में प्रकोप से अत्यधिक व्यवधान पैदा हो रहा है और अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा है। कंपनी ने अपने कारोबारी प्रचालनों में इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इसकी समीक्षा तथा भावी आर्थिक परिस्थितियों के चालू संसूचकों के आधार पर, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी ने वस्तुसूचियों की वहनीय राशि, लेनदारी, अन्य परिसंपत्तियों तथा संविदा पूरा करने/ संविदाजन्य देयताओं को पूरा न करने के जुर्माने हेतु लागत प्राक्कलनों के पुनरीक्षण पर कोविद-19 महामारी के संभावित प्रभावों पर विचार किया है।

कंपनी के प्रमुख ग्राहक भारतीय रक्षा सेवाओं से हैं। चूँकि आपूर्तियाँ पक्के और नियत आदेश पर आधारित होती हैं, इस महामारी का कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, चूँकि प्राप्त प्रमुख राशि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सरकारी और सरकार से संबंधित निकायों से है, कंपनी आशा करती है कि इन शेषों की वसूली की जा सकती है।

भावी प्रचालनीय एवं वित्त कार्य-निष्पादन पर कोविद-19 का प्रभाव कुछेक बातों पर निर्भर करेगा जिनमें इस प्रकोप की अवधि और फैलाव, कर्मचारियों, पूर्तिकर्ताओं पर इसका भावी प्रभाव जो पूरी तरह अनिश्चित है और इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चूँकि कंपनी के भावी प्रचालनीय एवं वित्त कार्य-निष्पादन पर कोविद-19 का प्रभाव, यदि कोई हो, इस संबंध में प्रबंधन के प्राक्कलनों से अलग होगा, कंपनी भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की गहन निगरानी करती रहेगी ।

18. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित न किया गया लाभांश

निदेशकों ने प्रति शेयर आईएनआर 1.40 (आईएनआर 1.70) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। [परम अंक दर्शाता है].

प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर है और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो इसके कारण लगभग रु. 34,112 का नकदी बहिर्वाह होगा।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

19. कंपनी ने बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद में कटौती के रूप में निवेश संबंधी कार्यकलापों में प्रचालनीय कार्यकलापों से अनुदान का प्राप्ति को पुन:वर्गीकृत किया है।

20. शेष कार्य-निष्पादन देयता का मूल्य (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

ग्राहकों की संविदाओं से अनिर्धारित राजस्व जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया है या पूरा नहीं किया गया है (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अनिष्पादित आदेश का मूल्य	51,97,318	16,18,470	16,46,795	10,10,343	9,21,710

विशेष रूप से प्रमुख आदेश रक्षा से प्राप्त होते हैं जिनकी उत्पादन-पूर्व अवधि लंबी होती है। कंपनी पूरी न की गई (या आंशिक रूप से पूरी न की गई) कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में कंपनी 3 से 5 वर्षों की अवधि में राजस्व को अभिचिह्नित करने की आशा करती है।

21. वर्ष के दौरान, नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ रु. 1,000 की धोखाधड़ी की घटना का पता चला है। उक्त राशि में से, रु. 64 की वसूली की गई और शेष रु. 936 की राशि को लेनदारी के रूप में निर्धारित किया गया, वसूली के लंबित होने के कारण, इसे लाभ व हानि के विवरण में संदिग्ध माना गया है। कंपनी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है और जाँच प्रगति में है।

22. रु. 25 (रु. 50) की राशि रक्षा उत्पादन के आई.टी. प्रभाग को अंशदान में दी गई है जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और रक्षा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों सहित रक्षा उत्पादन विभाग में आई.टी. संबंधी पहल को कार्यान्वित करने के लिए एचएएल के एक प्रभाग के रूप में तैयार किया गया है।

23. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

24. वित्तीय विवरणों के सभी आंकड़ों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

25. स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को दिनांक 29 जून 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

टिप्पणी 31
संबंधित पक्षकार के लेनदेन

क. **सहायक कंपनियाँ और एसोसिएट**

निकाय का नाम	कारोबार का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		नियंत्रण-रहित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य कार्यकलाप
		यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप) - सहायक कंपनी	भारत	100%	100%	-	-	इमेज इंटेन्सीफायर ट्यूबों का निर्माण व आपूर्ति
बीईएल - थालेस सिस्टम्स लि. - सहायक कंपनी	भारत	74%	74%	26%	26%	रक्षा व नागरी रेडारों का अभिकल्प, विकास, आपूर्ति और समर्थन
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन - एसोसिएट	भारत	50%	50%	50%	50%	रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करना
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड - एसोसिएट	भारत	26%	26%	-	-	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ख. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण**

i. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम**

श्री एम वी गौतम, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक [विपणन]
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक [वित्त] व सीएफओ
श्री महेश वी, निदेशक [आर एंड डी]
श्री विनय कुमार कत्याल, निदेशक [बेंगलूरु कॉमप्लेक्स]
श्री शिवकुमारन के एम, निदेशक [एच.आर.] 11.06.2019 से
श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक [अन्य यूनिटें] 01.12.2019 से
श्री नटराज कृष्णप्पा, निदेशक [अन्य यूनिटें] 30.11.2019 तक
श्री बग्दलकर आर एन, निदेशक [एच.आर.] 30.05.2019 तक
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव

ii. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी अनुलाभ	445	358
नियोजन के बाद के अनुलाभ	14	12
दीर्घकालिक कर्मचारी अनुलाभ	63	52
सेवा समाप्ति अनुलाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**522**	**422**

ग. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन इस प्रकार हैं (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं) -**

विवरण	सहायक कंपनी		एसोसिएट		कुल योग
	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप)	बीईएल-थालेस सिस्टम्स लि.	जीई बीई प्राइवेट लि.	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	
माल की खरीद	566	2,379	-	-	**2,945**
	(3,695)	-	-	-	**(3,695)**
माल की बिक्री	-	586	2,519	-	**3,105**
	-	(30)	(2,477)	-	**(2,507)**
प्राप्त सेवाएँ	-	522	-	-	**522**
	-	(614)	-	-	**(614)**
प्रदान की गई सेवाएँ	-	842	-	-	**842**
	(1)	(111)	-	-	**(112)**
प्राप्त किराया (पट्टा)	-	41	-	-	**41**
	-	(39)	-	-	**(39)**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	सहायक कंपनी		एसोसिएट		कुल योग
	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि. (बेलॉप)	बीईएल-थालेस सिस्टम्स लि.	जीई बीई प्राइवेट लि.	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	
ब्याज की आय	356	-	-	-	**356**
	(486)	-	-	-	**(486)**
निवेश पर लाभांश आय	426	-	-	-	**426**
	(346)	-	(9,360)	-	**(9,706)**
वितरित ऋण	320	-	-	-	**320**
	(817)	-	-	-	**(817)**
शेयरों की खरीद	2,833	-	-	-	**2,833**
	(1,449)	-	-	-	**(1,449)**
वर्ष के दौरान अंशदान	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	(5,000)	**(5,000)**
व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-	-	-	**-**
	-	-	-	(3)	**(3)**
31.03.2020 को बकाया ऋण (ब्याज सहित)*	1,653	-	-	-	**1,653**
	(2,987)	-	-	-	**(2,987)**
31.03.2020 को बकाया व्यापार प्राप्य	238	400	-	-	**638**
	(377)	(137)	-	-	**(514)**
31.03.2020 को बकाया व्यापार प्राप्य	-	950	691	-	**1,641**
	(1)	-	(764)	-	**(765)**
31.03.2020 को इक्विटी में निवेश	16,819	4,264	260	1	**21,344**
	(13,985)	(4,264)	(260)	(1)	**(18,510)**
31.03.2020 को बकाया खरीद के अग्रिम	-	-	-	-	**-**
	(3,836)	-	-	-	**(3,836)**
31.03.2020 को बकाया बिक्री के अग्रिम	-	-	-	-	**-**
	-	-	(6)	-	**(6)**
31.03.2020 को बकाया अंशदान	-	-	-	4,000	**4,000**
	-	-	-	(4,500)	**(4,500)**

निदेशकों का बैठक शुल्क -

गैर कार्यकारी निदेशकों को अदा किया गया बैठक शुल्क 31 मार्च 2020 को रु. 20 और 31 मार्च 2019 को रु. 15 है।

घ. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर हैं। सहायक कंपनी (बेलॉप) को दिए गए ऋण के संबंध में नीचे दी गई टिप्पणी "छ" देखें।

ङ. सभी बकाया शेष अरक्षित हैं। सभी बकाया शेष (ऋण के अलावा) अगले 6 महीनों के भीतर नकद में चुकौती योग्य हैं। ऋणों के बकाया शेष के लिए नीचे दी गई टिप्पणी "छ" देखें।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

च. कंपनी ने एक्सडी-4 II ट्यूबों के टीओटी के लिए भुगतान करने के लिए बेलॉप को रु. 10,416 [रु.26,040 में से रु.15,624 घटाकर] की राशि का अस्थायी रूप से वित्त-पोषण करने के लिए अप्रैल, 2013 में बेलॉप के साथ एक करार किया था, जिसकी शेष राशि की रसीद रक्षा मंत्रालय से लंबित है। 31.03.2020 को, बेलॉप को रु. 9,851 (रु. 9,851) की राशि बेलॉप को अदा की गई जिसमें से रु. 7,109 (रु. 7,109) की राशि रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुई है। रु. 2,742 (रु. 2,742) की शेष राशि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - गैर-चालू के तहत दिखाई गई है (टिप्पणी 9 देखें)। इस करार के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 181 (रु. 221) की राशि निधि लागत के लिए बेलॉप से प्राप्त हुई है।

छ. **संबंधित पक्षकारों को ऋण**

1. कंपनी ने रु. 5,000 की अधिकतम सीमा तक बेलॉप की कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं को अस्थायी रूप से पूरी करने के लिए जुलाई 2015 में बेलॉप के साथ एक करार किया था जो 31.03.2016 तक पूरी तरह वितरित कर दिया गया और 31.03.2020 को कोई राशि बकाया नहीं है।
2. कंपनी ने रु. 4,600 का मीयादी ऋण प्रदान करने के लिए अगस्त 2016 में बेलॉप के साथ एक करार किया था जिसमें से रु. 2,668 की राशि 31.03.2020 को वितरित कर दी गई और 31.03.2020 को रु. 1,653 (ब्याज सहित) की राशि बकाया है।
   i) मूलधन की राशि अगस्त 2019 से 36 किस्तों में चुकता की जाएगी।
   ii) बीईएल की जमा राशि पर आय की बीईएल की दर पर, मासिक आधार पर बकाया ऋण राशि पर या भारत सरकार के बांड पर प्राप्त होने वाली ब्याज दर, इनमें से जो भी अधिक होगा, ब्याज प्रभारित किया जाएगा।
3. * बकाया ऋण में बाज़ार दर से नीचे पर सहायक कंपनी (बेलॉप) को दिए गए ऋण के कारण समायोजित रु. 13 (रु. 34) शामिल नहीं है।

ज. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रबंधन की संविदाएँ

बीईएल के दो अधिकारियों को बेलॉप (सहायक कंपनी) में और आठ अधिकारियों को बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) में तैनात किया गया और वर्ष के दौरान उनके वेतन तथा अन्य भत्ते नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार क्रमश: बेलॉप और बीईएल-थालेस सिस्टम्स लि. द्वारा अदा किए गए।

झ. सरकार और सरकार संबंधी निकायों के साथ लेनदेन

चूँकि बीईएल रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, कंपनी ने सरकार और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विवरणों को प्रकटण करने से छूट प्राप्त की है।

बहरहाल, भारतीय ए.एस. 24 के तहत यथा अपेक्षित, निम्नलिखित लेनदेन वैयक्तिक रूप से उल्लेखनीय हैं -

रु. 40,612 (रु. 31,364) की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लाभांश के रूप में अदा की गई। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 91% (98%), व्यापार प्राप्य का लगभग 97% (95%) और ग्राहकों के अग्रिम का लगभग 99% (98%) सरकार और सरकार संबंधी निकायों से संबंधित है।

ञ. बेलॉप से संबंधित निवेश में ऋण का उचित मूल्यांकन शामिल है।

ट. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, 10 अप्रैल 2017 को लाभ रहित कंपनी के रूप में डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) की स्थापना रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य का वित्त पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 (बीईएल: 50%; एचएएल: 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ की गई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 32

एसोसिएट में हित

निकाय का नाम		जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड
कारोबार का स्थान / निगमन का स्थान		भारत
स्वामित्व हित का %		26%
संबंध		एसोसिएट
वहनीय राशि	2019-20	16,216
	2018-19	(13,024)

एसोसिएट में निवेश का उचित मूल्य प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी अनुद्धृत है।

जीई बीई प्राइवेट लि. चिकित्सा यंत्रों का निर्माण करती है और उसके उत्पाद बीईएल बेंगलूरु कॉमप्लेक्स के कंपोनेंट एसबीयू और बीईएल पुणे यूनिट के कारोबारी खंड में मदद करते हैं।

जीई बीई प्राइवेट लि. में कंपनी के हित की वहनीय राशि (लेखा परीक्षित)

संक्षिप्त तुलन-पत्र	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	22,736	20,269
चालू परिसंपत्तियाँ		
नकद और नकद समतुल्य	338	761
अन्य परिसंपत्तियाँ	63,655	48,241
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**63,993**	**49,002**
कुल परिसंपत्तियाँ	**86,729**	**69,271**
गैर-चालू देयताएँ		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	56	-
अन्य देयताएँ	1,010	1,006
कुल गैर-चालू देयताएँ	**1,066**	**1,006**
चालु देयताएँ		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	1,176	551
अन्य देयताएँ	22,117	17,622
कुल चालू देयताएँ	**23,293**	**18,173**
कुल देयताएँ	**24,359**	**19,179**
निवल परिसंपत्तियाँ	**62,370**	**50,092**
निवल परिसंपत्तियों में कंपनी का अंश	**16,216**	**13,024**

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

लाभ व हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	1,21,366	1,09,420
ब्याज की आय	1,541	3,523
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	3,112	2,716
ब्याज व्यय	41	117
आय कर संबंधी व्यय	4,011	8,343
वर्ष का लाभ	12,369	14,862
अन्य व्यापक आय	(91)	(56)
कुल व्यापक आय	12,278	14,806
कंपनी का लाभ में हिस्सा	3,216	3,864
कंपनी का लाभ में निवल हिस्सा	3,216	3,864
ओसीआई में कंपनी का हिस्सा	(24)	(15)
कुल व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा	3,192	3,849

कंपनी ने कुछ नहीं (रु. 9,360) का लाभांश प्राप्त किया है ।

वहनीय राशियों का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियाँ	**13,024**	**20,458**
वर्ष का लाभ	3,216	3,864
अन्य व्यापक आय	(24)	(15)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	-	11,283
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ	**16,216**	**13,024**

एसोसिएट संबंधी प्रतिबद्धताएँ एवं आकस्मिक देयताएँ -

विवरण	जीई बीई प्राइवेट लि.	
	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ	268	320
अन्य प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	831	803

निकाय का नाम		डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
कारोबार का स्थान / निगमन का स्थान		भारत
स्वामित्व हित का %		50%
संबंध		एसोसिएट
वहनीय राशि	2019-20	1
	2018-19	1

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 33

वित्तीय विलेख - उचित मूल्य मापन

1. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

निम्नलिखित टेबल वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहनीय राशि और उचित मूल्य दर्शाता है -

	विवरण	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
I	**निवेश**						
i	इक्विटी विलेख - मना एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्रा. लि.	-	11	-	-	9	-
ii	इक्विटी विलेख - डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	-	1	-	-	1	-
iii	अन्य निवेश						
क.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश (छुट्टी नकदीकरण और बीईआरईसीएचएस के लिए)	94,811		-	83,408	-	-
	उप कुल	**94,811**	**12**	-	**83,408**	**10**	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें उचित मूल्य में नहीं मापा गया							
II	व्यापार प्राप्य	-	-	6,73,291	-	-	5,36,921
III	**ऋण**						
क	प्रतिभूति जमा	-	-	4,068	-	-	3,463
ख	संबंधित पक्षकारों को ऋण	-	-	1,640	-	-	2,953
ग	कर्मचारियों को ऋण	-	-	863	-		871
घ	अन्य को ऋण	-	-	-		-	-
IV	नकद और नकद समतुल्य	-	-	1,55,622	-	-	72,193
V	अन्य बैंक शेष	-	-	148	-	-	16,205
VI	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**						
क	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	178	-	-	130
ख	अन्य को अग्रिम	-	-	2	-	-	3
ग	गैर-व्यापार प्राप्य	-	-	1,056	-		749
घ	प्रोद्भूत ब्याज परंतु जो मीयादी जमा पर देय नहीं है	-	-	26	-	-	95
ङ	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	4,486	-	-	5,395
	अन्य निवेश						
क	को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, हाउसिंग सोसाइटियों आदि में निवेश*	-	-	-	-	-	-
ख	सहायक कंपनियों में निवेश	-	-	21,084	-	-	18,249
ग	एसोसिएट में निवेश	-	-	260	-	-	260
	उप कुल	-	-	**8,62,724**	-	-	**6,57,487**
	कुल	**94,811**	**12**	**8,62,724**	**83,408**	**10**	**6,57,487**

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) [परम अंक दर्शाता है] जिसे पूर्णांकित किया गया।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण		यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयताएँ							
कुल		-	-	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ जिन्हें उचित मूल्य पर मापा नहीं गया							
I	उधार	-	-	-	-	-	-
II	व्यापार देय	-	-	2,42,495	-	-	1,43,527
III	**अन्य वित्तीय देयताएँ**						
क	प्रतिभूति जमा	-	-	22,349	-	-	13,264
ख	दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्वता	-	-	833	-	-	3,334
ग	मीयादी ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-	-	-	-	29
घ	व्यापार देय पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-	7	-	-	3
ङ	अन्य व्यापार देय	-	-	13,805	-	-	13,600
च	अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	-	-	37	-	-	37
छ	अदत्त लाभांश	-	-	148	-	-	7,105
ज	सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बकाया गैर व्यापार देय	-	-	270	-	-	111
झ	बकाया व्यय	-	-	49,443	-	-	67,512
ञ	पट्टे की अन्य देयता	-	-	297	-	-	-
ट	अन्य देयताएँ	-	-	940	-	-	1,665
	कुल	**-**	**-**	**3,30,624**	**-**	**-**	**2,50,187**

2. उचित मूल्य का पदानुक्रम

वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य मापन, जहाँ लागू हो, के लिए प्रयुक्त पदानुक्रम स्तर नीचे दिए गए हैं -

विवरण		टिप्पणी	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
I	**उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य मापन**							
क	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
i	FVPL में वित्तीय निवेश	6	-	94,811	-	-	83,408	-
ii	FVOCI में वित्तीय निवेश - अनुद्धृत	6	-	-	12	-	-	10
II	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया**		किसी अलग उचित मूल्य का प्रकटण नहीं किया गया है क्योंकि इन परिसंपत्तियों और देयताओं का वहनीय मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है।					

स्तर 1: स्तर 1 के पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापित वित्तीय विलेख शामिल हैं।

स्तर 2: ऐसे वित्तीय विलेख जिनका लेनदेन सक्रिय बज़ार में नहीं किया गया है, का उचित मूल्य ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर तय किया जाता है जो प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों का उपयोग अधिकतम करते हैं और निकाय के विशिष्ट प्राक्कलनों पर कम से कम निर्भर होते हैं।

स्तर 3: यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं होती हैं तो विलेख को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामलों में ऐसा किया जाता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

3 उचित मूल्य तय करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

क. एलआईसी निवेश - (स्तर 2)

एलआईसी की योजना के मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित

ख. मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. - (स्तर 3)

बीईएल ने मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. जो कि गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश किया है। मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. में निवेश की कंपनी की लागत केवल रु. 5 (रु. 163 की जारी शेयर पूँजी में से) है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

ग. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) - (स्तर 3)

बीईएल ने डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार एक 'लाभरहित कंपनी' है और जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करना है, की इक्विटी पूँजी में अंशदान किया है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

टिप्पणी 34

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i) जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीतियाँ

कंपनी में वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाज़ार का जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज की दरों और कीमत जोखिम में उतार-चढ़ाव) बना रहता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन संरचना की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होगी। मंडल ने इस प्रयोजनार्थ एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना दी गई है और वित्त तथा प्रचालन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, वरीयता और उपचार की व्यापक संरचना दी गई है।

कंपनी में एक केंद्रीकृत निधि विभाग है जो मंडल द्वारा तैयार की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तीय जोखिमों को कम करने के उचित उपाय करता है। बचाव संबंधी व्यवहार बाहरी विशेषज्ञ के सलाह से उपयुक्त कौशल और अनुभव रखने वाली टीम द्वारा किए जाते हैं। कंपनी सट्टा बाज़ार में व्यापार नहीं करती।

ii) बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा दरों के रूप में बाजार मूल्य में परिवर्तन करता है, ब्याज दरें कंपनी की आय या वित्तीय साधनों की इसकी होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करेगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न को अनुकूलित करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

कंपनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दर आंदोलनों में बदलाव के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं (मुद्रा जोखिम और ब्याज जोखिम पर नीचे के नोट देखें)।

iii) मुद्रा जोखिम

बीईएल विदेशी मुद्रा संचालन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम खासकर अमेरिकी डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीस येन जैसे विदेशी मुद्राओं में खरीदी और बिक्री से संबंधित होता है इसका खुलासा करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मुद्रा मानी जाती है जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आई.एन.आर.) नहीं है ।

कम्पनी के पास जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वित एक बोर्ड अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जो इस जोखिम के लिए कंपनी के जोखिम को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन नीति खुली विदेशी मुद्रा जोखिम के 50% तक

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

बचाव व्यवस्था की सिफारिश करती है। हालांकि बचाव व्यवस्था में प्रवेश करने का निर्णय प्रासंगिक डेटा आदानों के आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बाहरी विशेषज्ञ सलाहकार की सलाह दी जाती है।

कंपनी का निर्यात आय ज्यादातर एक निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में प्रेषण द्वारा महसूस होता है, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, जिससे निर्यात पर मुद्रा जोखिम को कम किया जा सकता है। लगभग 7% (10%) वार्षिक विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का आयात संबंधित ग्राहक संविदा में विनिमय दर भिन्नता (ईआरवी) खंड द्वारा कवर नहीं किया गया है और इसलिए यह मुद्रा जोखिम के लिए खुला होता है। इन आयातों को मामले दर मामले के आधार पर नीति और जोखिम को कवर करने के लिए उचित निर्णय मामले के आधार पर मानदंड किया जाता है। जहां भी जरूरत हो, कंपनी की मुद्रा जोखिम नीति आगे की आवश्यकता के मुताबिक जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था संविदा का समर्थन करती है।

यथा 31 मार्च 2020 को, कोई बकाया वायदा संविदा नहीं है।

प्रमुख मुद्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु कंपनी एक्सपोज़र नीचे दिए गए है -

विवरण	यथा 31 मार्च 2020					यथा 31 मार्च 2019				
	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen
व्यापार प्रदेय	1,609	139	14	22	136	659	154	23	41	45
व्यापार प्राप्य / संविदा संपत्ति	267	6	-	-	-	52	3	-	-	-
निवल एक्सपोज़र	1,342	133	14	22	136	607	151	23	41	45

iv) विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विनिमय दर में होने वाले लाभ या हानियों की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में निहित वित्तीय साधनों से होती है । प्रमुख मुद्राओं के संबंध में संवेदनशीलता की विविधता नीचे दी गई है । यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील लगातार बने रहते हैं।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
USD – 5% बढ़ोत्तरी	5,122	2,127
USD – 5% कमी	(5,122)	(2,127)
EURO – 5% बढ़ोत्तरी	564	600
EURO – 5% कमी	(564)	(600)
GBP – 5% बढ़ोत्तरी	65	105
GBP – 5% कमी	(65)	(105)
CHF – 5% बढ़ोत्तरी	89	146
CHF – 5% कमी	(89)	(146)
J Yen – 5% बढ़ोत्तरी	5	1
J Yen – 5% कमी	(5)	(1)

v) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यों में होने वाले बदलावों का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है ताकि बाजार में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की वजह से चलायमान ब्याज वाले उपकरणों के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

vi) परिवर्तनीय दर उधार

कंपनी को 31.03.2017 को रु. 10,000 का टर्म लोन स्वीकृत किया गया है [31 मार्च 2020 को बकाया राशि रु. 833 (रु. 3,334)] है। इस ऋण पर देय ब्याज एसबीआई की न्यूनतम वाणिज्यिक उधार दर पर आधारित है - एमसीएलआर [एसबीआई वार्षिक आधार पर वसूल किए गए ब्याज को वापस लेने के लिए पात्र है]। यदि ब्याज दर 1% बढ़ जाती है और रु. 8 की बचत नकदी प्राप्ति के रूप में हो जाती है तो रु. 8 की नकदी का अतिरिक्त बहिर्वाह होगा यदि ब्याज दर 1% कम हो जाती है। हालांकि लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्याज घटक पूँजीकृत है क्योंकि उधार पूँजीगत व्यय की ओर है।

इसके अलावा कंपनी को रु. 4,00,000 की कार्यशील पूँजी की सीमा को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत सीमा में निधि आधारित सीमा रु. 50,000 रुपये और गैर-आधारित आधार सीमा रु. 3,50,000 शामिल हैं। वर्ष के दौरान रु. 50,000 की निधि आधारित सीमा का उपयोग नहीं किया गया है [31 मार्च 2020 तक बकाया शून्य है (31 मार्च 2019 शून्य है)]। नॉनफंड आधारित सीमा के संबंध में 31.03.2020 को बकाया राशि रु. 3,14,236 (रु. 1,88,007) है। यह ब्याज एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर के आधार पर देय है। चूंकि ऋण लेना शून्य है, इसलिए ब्याज दरों में संभावित बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

vii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम के संबंध में कंपनी का निवेश नगण्य है क्योंकि इसके औचित्य निवेश (सहायक व सहयोगी के अलावा) नगण्य है।

viii) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी को वित्तीय देनदारियों से जुड़ी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, नकदी और अन्य वित्तीय संपत्ति या जोखिम के जरिये कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना होगा। चलनिधि जोखिम के लिए कंपनी का अनावरण बहुत कम है क्योंकि इसमें एक विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां बनाए रखता है। जब आवश्यक हो वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा और अल्पकालिक उधार की प्रकृति में अपनी चालू कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं और विकास की जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

कंपनी अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करती है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न नकदी प्रवाहों के माध्यम से जो कि राजकोष द्वारा मुख्य बिन्दु पर निगरानी रखी जाती है। विभिन्न ऑपरेटिंग यूनिटों से नकद पूर्वानुमान के रोलिंग की एक स्थापित प्रक्रिया है जो देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह को अंकित करने का आधार बनाती है।

नीचे दी गई तालिका में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण किया गया है, जो उनके संविदा संबंधी परिपक्वता पर आधारित हैं। दर्शित राशि संविदात्मक और रियायती नकदी प्रवाह है।

यथा 31 मार्च 2020

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्रदेय	2,27,244	11,553	3,678	20	-	-	2,42,495
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	833			-	-	-	833
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	7	-	-	-	-	-	7
पट्टी की देयता	35	31	48	90	89	4	297
अन्य वित्तीय देयताएँ	71,546	1,782	8,913	4,707	44	-	86,992

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

यथा 31 मार्च 2019

विवरण	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्रदेय	1,36,081	5,113	2,307	26	-	-	1,43,527
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	833	834	1,667	-	-	-	3,334
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	1	-	2	-	-	-	3
अन्य वित्तीय देयताएँ	88,565	1,651	10,078	3,029	-	-	1,03,323

31 मार्च 2020 को कंपनी में कोई बकाया व्युत्पन्नी नहीं है।

ix) **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम ऐसे जोखिम को दर्शाता है जिससे कारण प्रति-पक्षकार द्वारा अपने संविदा संबंधी दायित्वों पर चूक करने के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है । ग्राहकों से ऋण जोखिम, बैंकों के साथ नकदी और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

कंपनी के ऋण जोखिम को जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा एक कॉरपोरेट स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसने अपने ग्राहकों और अन्य प्राप्तियों के लिए क्रेडिट नीति मानदंडों की स्थापना की है। व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण मात्रा सरकारी / सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की वजह से होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियों के साथ जुड़े क्रेडिट जोखिम नहीं मिलता है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्तियों के मामले में, आम तौर पर बिक्री ग्राहक द्वारा स्थापित साख-पत्र के आधार पर किया जाता है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलों में, ग्राहक की शोधन क्षमता का आकलन करने के बाद और ऋण योग्यता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारणों से बाजार की स्थितियों के आधार पर ग्राहकों के ऋण को बढ़ाया जाता है। अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी के प्रतिकूल किए जाते हैं जो इस तरह के भुगतान से जुड़े क्रेडिट जोखिम को सुरक्षित रखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर नुकसान हानि (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों के लिए उगाही योग्य निर्णीत हर्जाने को दर्शाते हैं) संविदा के नियमों आदि कारकों और अन्य संकेतकों के बाद किया गया है।

बैंकों के साथ नकद और नकद समकक्ष 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ अल्पकालिक जमा के रूप में हैं। कंपनी की एक अच्छी तरह से संरचित जोखिम निवारण नीति है जिसके तहत प्रत्येक बैंक के लिए अपनी कुल मूल्य और कमाई क्षमता के आधार पर निर्धारित सीमाएं हैं, जो कि आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती हैं। कंपनी ने जमाओं पर बैंकों से चूक के कारण किसी भी प्रकार की हानि नहीं की है ।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण जोखिम नगण्य है क्योंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग / पक्षकारों के कारण होते हैं।.

बेलॉप (100% सहयाक कंपनी) से (यथा 31.03.2020 को) रु. 1,653 (रु. 2,987) का ऋण बकाया है। सहायक कंपनी अपनी देय राशि (ब्याज और मूलधन) के पुनर्भुगतान में नियमित रूप से रही है और ऋण राशि की चुकाने के संदर्भ में कोई ऋण जोखिम नहीं है।

x) **पूँजी प्रबंधन**

कंपनी का पूँजी प्रबंधन का उद्देश्य शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए एक मजबूत पूँजी आधार बनाए रखना है और कंपनी की क्षमता बढ़ती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करना है। कंपनी के पास ऋण के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, लेकिन यह उचित समय पर इस विकल्प का लाभ उठाने और इष्टतम पूँजी संरचना को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

कंपनी के पास एक अच्छी तरह से निर्धारित लाभांश वितरण नीति है जो भविष्य के विकास और शेयर धारकों के धन को बढ़ाने के लिए अधिशेष के लाभांश और प्रतिधारण के भुगतान के लिए रूपरेखा तैयार करती है। कंपनी ने क्वार्टर के निर्माण के लिए बैंक से रु.10,000 की राशि उधार ली है। [31 मार्च 2020 तक बकाया राशि रु. 833 (रु. 3,334)] [टिप्पणी 18 और 20 देखें]। कंपनी को बैंकों के साथ उधार की सीमा को रु. 4,00,000 की मंजूरी दी गई है।

गियरिंग अनुपात -

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
निवल ऋण	833	3,334
कुल इक्विटी	9,85,294	9,01,889
निवल ऋण से इक्विटी का अनुपात	0.001:1	0.004:1

टिप्पणी 35

सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ

मियादी ऋण एवं चालू पूँजी उधार राशियाँ के लिए सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ का स्वीकृत राशि -

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
(i) वस्तुसूचियाँ	3,91,020	4,41,365
(ii) व्यापार प्राप्य	6,73,291	5,36,921
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	1,55,620	72,190
(iv) बैंक शेष [उपर्युक्त (iii) के अलावा]	-	9,100
(v) ऋण	3,262	3,282
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,903	3,567
(vii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	5,94,587	4,67,945
सुरक्षा हेतु गिरवी कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**18,20,683**	**15,34,370**

उधार राशियाँ के विवरण हेतु टिप्पणी 18 एवं 20 देखें ।

टिप्पणी 36

महत्वपूर्ण प्राक्कलन और फैसले

वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन ने कुछ निर्णय, प्राक्कलन और धारणाएं बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की मात्रा को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधनों को भविष्य में मान्यता प्राप्त है।

लेखा नीतियों को कार्यान्वित करते समय लिए गए फैसले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसके तहत सामग्री समायोजन में जिसके परिणामस्वरूप होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है -

i. **अनुसंधान और विकास व्यय - लेखा नीति सं. 10 (टिप्पणी संख्या 5 एवं 12 देखें)**

लागत नहीं प्रतिबद्धता नहीं (एनसीएनसी) परियोजनाओं और संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास संबंधी व्यय जो कि विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूरण नहीं किए जाते हैं, परियोजना के पूरा होने तक आगे किए जा रहे हैं।

लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ii. **निर्धारित लाभ दायित्व का अनुमान - मुख्य बीमांकिक मान्यताएं - (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

iii. **वारंटी दावों के प्रावधान का आकलन (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

वारंटी प्रावधान गणना में प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण के आधार पर औसत वारंटी लागत का आकलन शामिल है। यदि विविध अनुमान लगाया जाए, तो यह उसी मान्य व्यय को प्रभावित करेगा।

iv. **राजस्व का अभिचिह्नन - (टिप्पणी संख्या 23 देखें)**

पूर्णता विधि का प्रतिशत संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागतों के वास्तविक लागत के आधार पर पूरा होने के चरण का अनुमान लगाता है। अगर विविध अनुमान लगाए जाए, तो यह उसी संबंधित राजस्व को प्रभावित करेगा।

v **अमूर्त परिसंपत्तियाँ - (टिप्पणी संख्या 4 और 5 देखें)**

अन्य अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में आगे की गई राशि को भविष्य के आर्थिक लाभों की निश्चितता के संबंध में प्रतिवर्ष हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

vi **पट्टा (टिप्पणी 1 देखें)**

यदि भारतीय ए.एस. 116 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई करार पट्टे के रूप में योग्य बनता है तो कंपनी इसका मूल्यांकन करती है। पट्टे की पहचान करना निर्णायक होता है। कंपनी पट्टे के निबंधन (प्रत्याशित नवीकरणों सहित) और लागू बट्टा दर का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

बट्टे की दर सामान्य रूप से मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे की वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

टिप्पणी 37

आयकर के उपचार की अनिश्चितता

कंपनी में आय कर अधिनियम, 1961 के तहत आंकलन प्रक्रियाओं को पूरा करने पर उत्पन्न होने वाली मांगों के समक्ष आय कर प्राधिकारियों के साथ विवाद चल रहे हैं। ये विवाद ऊर्जा बचत डिवाइसों पर किए गए मूल्यह्रास के दावे, निर्णीत हर्जाने का प्रावधान तथा पूँजीगत परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा की हानि जैसे कुछेक व्ययों की अस्वीकृतियों के कारण हैं। ये मामले कर प्राधिकारियों के फोरम में लंबित हैं।

कंपनी ने उक्त लंबित विवादों का मूल्यांकन किया है और यह आशा करती है कि अंतिम समाधान में निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा और इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी 38

हाल में की गई लेखांकन घोषणाएँ

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) विद्यमान मानकों के लिए नए मानक या संशोधन अधिसूचित किए हैं। ऐसी कोई नई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

भारतीय लेखा मानक स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

साथ में दिए गए वित्तीय विवरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरण हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सार्वजनिक कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भारत में दो निर्धारणप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। पंजीकृत कार्यालय और कंपनी का व्यवसाय का मुख्य स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में स्थित है ।

कंपनी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करती है। रक्षा क्षेत्र के अलावा, कंपनी असैनिक बाजार में भी सीमित स्तर तक मौजूद है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है अनिवार्य भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनियों के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015], लागू नियमों का पालन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को भी लागू किया गया है ।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अनुमान और पूर्वानुमान लगाए जिसका विवरण की तारीख पर रिपोर्ट कि गए परिसंपत्तियों और देनदारियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं रिपोर्ट किए गए रजस्व और व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि इस तरह के अनुमान उचित और विवेकपूर्ण आधार पर सभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में निर्धारित किए गए हैं जिनमें परिणामों का पता लगाया जाता है ।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्न ऐतिहासिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है-

- व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो
- वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जो उचित मूल्य पर मापा जाने योग्य हैं
- निर्धारित लाभ संपत्ति / दायित्व को योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

4. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी का कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है ।

5. राजस्व का निर्धारण

क. ग्राहकों के साथ ठेका से राजस्व

i. राजस्व को तब निर्धारित किया जाता जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध माल या सेवाओं (जैसे परिसंपत्ति) को अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन की देयता को पूरी करती है ।

ii. **समय के साथ कार्य नदाष्पनि-देयता को पूरा करना।**

क. राजस्व को ऐसे समय के दौरान निर्धारित किया जाता है जहाँ उस कार्य-निष्पादन आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में निम्न से कोई भी एक मानदंड के अनुसरण में माल एवं सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण समय-समय पर हो रहा हो-

- कंपनी के कार्य-निष्पादन से ग्राहक को एक साथ अनुलाभ प्राप्त करने और उनका उपभोग करने का हक मिलता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से किसी परिसंपत्ति को तैयार किया जाता है या बढ़ाया जाता है जिसे ग्राहक ऐसा करते समय ग्राहक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ परिसंपत्ति तैयार नहीं की जाती और कंपनी को यथातिथि पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय हक होता है।

ख. कार्य-निष्पादन आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में की हुई प्रगति रिपोर्ट तिथि तक संविदा पर हुई वास्तविक लागत और संविदा को पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागत के बीच औसत के आधार पर किया जाता है। यदि कार्य-निष्पादन आवश्यकता के परिणाम का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जहा संभव है कि लागत की वसूली हो जाएगी, वहा राजस्व को प्रदत्त लागत की सीमा तक निर्धारित होगी ।

ग. एएमसी संविदाओं के मामले में जहाँ समय विस्तारण कार्य-निष्पादन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक मापदंड होता है, राजस्व को निर्गत पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

iii. **समय के किसी भी अवस्था में निष्पादन आवश्यकता को पूर्ण करना।**

क. उन मामलों में जहाँ समय के साथ नियंत्रण का स्थानांतरण नहीं हो पाता, कंपनी कार्य-निष्पादन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले समय राजस्व निर्धरण के लिए चयनित करेगा ।

ख. कार्य-निष्पादन देयताओं को पूर्ण तब माना जाएगा जब ग्राहक परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रण का स्थापांतरण के सूचक निम्नानुसार है-

- कंपनी ने परिसंपत्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण किया है।
- कंपनी के पास परिसंपत्ति का न्यायिक अधिकार है।
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है।
- जब कंपनी को परिसंपत्ति पर भुगतान के लिए वर्तमान अधिकार है।
- ग्राहक के पास संपत्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल हैं। संविदाओं के इनको-शर्तो के आधार पर महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

कारखाना बाह्य संविदा- कारखाना बाह्य संविदाओं के मामले में, राजस्व तब निर्धारित किया जाता है, जब आवश्यक पूर्व निरीक्षण यदि आवश्यक हो और स्वीकृति के बाद बिना शर्त के सामान कॉन्ट्रैक्ट के लिए विनियोजित किए जाते है ।

एफ.ओ.आर. संविदाएँ- एफ.ओ.आर. संविदाओं के मामले में, राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है, जब माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति यदि निर्धारित हो के बाद वाहक को खरीददार तक ट्रांसमिशन के लिए सौंप दिया जाता है, और गंतव्य संविदाओं के मामले में, अगर लेखांकन अवधि के भीतर सामान गंतव्य तक पहुंचने की उचित उम्मीद है।

ग. बिल और होल्ड की बिक्री

बिल और होल्ड की बिक्री को तब निर्धारण दी जाती है जप निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है-

- बिल और होल्ड बिक्री का कारण है
- उत्पाद का स्वामित्व ग्राहक के पास होने के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है
- उत्पाद वर्तमान में ग्राहक को भौतिक हस्तांतरण के लिए तैयार है
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या किसी अन्य ग्राहक को निर्देशित करने की क्षमता नहीं है।

iv. मापन

क. राजस्व कार्य नदाष्पनि-आवश्यकताओं के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य के हिसाब से निर्धारित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

मूल्य वृद्धि और ईआरवी के मामले में, जहां ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त विचार को निर्धारित और अनुमोदित किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक(ओं) से पुष्टि प्राप्त होने पर निर्धारण प्राप्त है ।

ख. जहां ठेका कई निष्पादन दायित्वों को शामिल करते हैं, कंपनी संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है।

बंडल संविदा - ऐसी बंडल संविदा के मामले में, जहां स्थापना और कमीशनिंग या किसी अन्य अलग से निर्धारित किए जाने वाले घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं है, कंपनी अलग-अलग निर्धारण योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापना, कमिशनिंग आदि) के लेन देन के लिए निर्धारण मानदंड लागू करती है और इन घटकों को स्टैंडेलोन बिक्री दर के आधार पर राजस्व आबंटित करती है।

एकाधिक तत्व – ऐसे मामलों में जहाँ संस्थापना और कार्यारंभ अथवा कोई अलग से निर्धारित किए जाने वाला घटक निर्दिष्ट किया गया है जिसकी कीमत पर अलग से सहमति हुई है, तो कंपनी ऐसे लेनदेन के अलग से निर्धारित किए जाने योग्य घटक (माल की बिक्री तथा संस्थापना एवं कार्यारंभ आदि) पर अभिचिह्नन का मानदंड लागू करती है और ऐसे अलग घटकों की स्टैंडअलोन बिक्री कीमत के आधार पर उनके लिए राजस्व आबंटित करती है।

ग. अगर स्टैंड-अलोन बिक्री दर उपलब्ध नहीं है तो कंपनी स्टैंड-अलोन बिक्री दर का अनुमान लगाता है।

v. **जुर्माना**

संविदा में निर्दिष्ट जुर्माने (सुपुर्दगी में देरी के लिए निर्णीत हर्जाने सहित) को लेनदेन की कीमत दर का एक अंतर्निहित हिस्सा नहीं माना जाता यदि उसकी उगाही ग्राहक के समीक्षाधीन हो।

vi. **महत्वपूर्ण वित्तीय घटक**

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन की दिशा में प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि उद्देश्य संविदा में शामिल पार्टियों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य संविदाओं के लिए, मामला आधार महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के अस्तित्व की समीक्षा की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है -

i. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है ।

ii. **लाभांश आय**

कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

iii. **किराये की आय**

प्रचालनीय पट्टों से होने वाली किराये की आय का आंकलन पट्टे की अवधि पर एक सीधी रेखा के आधार पर होता है, जब तक भाड़े में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं होती है या अन्यथा उचित होती है।

iv. **ड्यूटी कमियां**

निर्यात पर ड्यूटी की कमी के दावों को उन्हें प्राथमिकता देते हुए हिसाब में लिया जाता है।

v. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे ऊपर विशिष्ट रूप से नहीं बताया गया है, को प्रोदभूत आधार निर्धारित किया जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत में से कम संचित मूल्यह्रास और संचयी अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है । इस उद्देश्य के लिए लागत में परिसंपत्ति को उसके स्थान और स्थिति में लाने के लिए सभी विशेष लागत शामिल किए जाते हैं। यदि तत्संबंधी प्रावधान के लिए निर्धारण मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो परिसंपत्ति का इसके उपयोग के बाद समाप्त करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया गया है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आशयित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत कार्य-प्रगति के रूप में प्रकट की जाती है।

पूंजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण संविदा, साइट पर प्राप्त एवं स्वीकृत पूंजी और पारगमन एवं निरीक्षण में पूंजीगत सामान शामिल है।

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) और जिससे महत्वपूर्ण भविष्य आर्थिक लाभ अपेक्षित है का उपयोग के लिए तैयार होने

के बाद उसकी लागत को लेखा पुस्तकों में एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख तक वांछित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति को “विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति” के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पूरे किए गए विकास कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है।

विकासाधीन कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को “विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लिए बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और प्रत्यक्ष व्यय जैसे सामग्री लागत, कर्मचारी लागत आदि के लिए खर्च किए गए व्यय शामिल है।

8. मूल्यह्रास / परिशोधन

संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। कंपनी, तकनीकी आकलन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची II में निर्धारित उपयुक्त जीवन से अलग अनुमानित जीवन से अधिक अलग अलग इमारतों, संयंत्रों और उपकरणों और अन्य परिसंपत्ति वर्गों की कुछ वस्तुओं को कम करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के निष्पक्ष अनुमान को प्रतिबिंबित करते हैं जिन पर संपत्ति का इस्तेमाल होने की संभावना है।

जहाँ परिसंपत्ति के किसी भाग लागत उस परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए उल्लेखनीय होती है और उस भाग का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का अलग से निर्धारण किया जाता है और उल्लेखनीय भाग को उसके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां अपने व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन से सीधी रेखा के आधार पर परिमाण की जाती हैं, जो उस तिथि से होती हैं, जो वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समय-समय पर की जाती है।

9. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं प्रारंभ में निर्धारित किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु निपटान पर या इसके उपयोग व निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाने पर उनके निपटान के लिए निर्धारित है । निपटान से लाभ या हानि विवरण (जिसे परिसंपत्ति निपटान राशि और उसकी वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि विवरण में निपटान के बाद शामिल किया गया है।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

(i) अनुसंधान गतिविधि पर व्यय को उसके खर्चे की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

(ii) विकास व्यय (ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए गए विशिष्ट विकास-से-बिक्री संविदा और विकास संबंधी परियोजनाओं के अलावा), खर्च किए जाने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। विकास-सह-बिक्री संविदाओं और विकास संबंधी परियोजनाएं जो, ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए जाते हैं पर विकास संबंधी व्यय, अन्य बिक्री संविदाओं के समान माने जाते हैं।

संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास व्यय, जो विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं किए गए हैं आगे ले जाया जाते है जहां कंपनी को उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है और अग्रेनीत राशि, यदि कोई हो, को ग्राहक द्वारा आदेश के लिए किसी प्रतिबद्धता के बिना परियोजना को बंद करने की घोषना पर शुल्क लिया जाता है।

(iii) अन्य विकास कार्यों से संबंधित व्यय (बाहरी एजेंसियों के सहयोग के साथ संयुक् विकास कार्य सहित) जहा अनुसंधान परिणाम एवं अन्य ज्ञान) को नये एवं उन्नत उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए उपयोग किया गया हो को अमूर्त संपत्ति के रूप में निर्धारण दिया जाता है यदि आईएनडी एएस38 में दिए निर्धारण मानदंडों के अनुरूप हो और जब यह उम्मीद किया जाता है कि विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी एवं वानिज्यक रूप में उपयोगी होगा, कंपनी के पास इसको पूर्ण रूप से विकसित कर इस अमूर्त संपत्ति को उपयोग करने या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन है और वह उत्पाद या प्रक्रिया से पारस्परिक लाभ होने की संभावना है।

(iv) ग्राहक से उद्धरण के लिए अनुरोध के आधारपरक लागत न प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परीक्षणों में भाग लेने के लिए विकास संबंधी परियोजनाओं पर किए गए खर्च परीक्षणों के समापन तक आगे किए जाते हैं और प्राप्त होने वाले आदेशों पर परिशोधित कर दिए जाएंगे।

यदि ग्राहक का आदेश तुरंत प्राप्त नहीं होने वाला है –

- यदि उसके प्रयोग से अतिरिक्त आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित हो तो राशि पूँजीकृत कर दी जाती है, या
- ग्राहक / अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आदेश देने की किसी प्रतिबद्धता के बिना परियोजना बंद किए जाने पर राशि प्रभारित की जाती है।

11. तकनीकी जानकारियों पर व्यय

तकनीकी जानकारी पर किए गए खर्च को ऐसे खर्च के उपगत होने पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि वह पृथक रूप से स्वयं या अन्य परिसंपत्तियों / व्ययों के संयोजन से एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित करने के लिए अर्ह नहीं बन जाता है ।

12. निवेश संपत्ति

निवेश परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद निवेश परिसंपत्तियों को लागत कम संचित अवमूल्यन और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

13. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई परिसंपत्ति कमजोर होने के कोई संकेत है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसे माना जाता है जो परिसंपत्ति या नकद-पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य कम उसके निपटान लागत और उपयोग के दौरान उसके मूल्य से जो भी अधिक हो। एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए पुनर्प्राप्ति योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूह से उत्पन्न नकदी प्रवाह से अधिकतर स्वतंत्र नहीं है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को कमजोर माना जाता है और इसको वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग के दौरान मूल्य का आंकलन करने में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उस समय प्रचलित बाज़ार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करने वाले, राशि का मूल्य और परिसंपत्ति के विशेष जोखिम के साथ उसका उचित मूल्य कम निपटान लागत निर्धारित कर पूर्व कर छूट दरों का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य को भुनाये जाते है।

ह्रास के प्रावधान को तब व्युत्क्रमित किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) की अनुमानित सेवा क्षमता में उस संपत्ति के लिए हानि का आखिरी बार निर्धारित तारीख के बाद हुई पुनर्मूल्यांकन से यह निर्धारित हो कि उपयोग या बिक्री से उसके मूल्य में वृद्धि हुई है।

14. पट्टे

पट्टेदार के रूप में कंपनी-

तृतीय पक्षकारों की संविदाएँ जिनसे कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करती हैं, उन्हें भारतीय ए.एस. 116 - पट्टे के अनुसार हिसाब में लिया जाता है, यदि लेखा मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे होते हों।

अल्पकालिक पट्टों से संबद्ध पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों के भुगतान को पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर या अन्य क्रमबद्ध आधार, जो लागू हो, पर व्ययों के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ की तारीख पर, "प्रयोग का अधिकार" मूल्य को पट्टे के बकाया मूल्य के वर्तमान मूल्य तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने या हटाने तथा जिसे संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, की किसी प्रारंभिक प्रत्यक्ष

लागत या प्राक्कलित लागत, यदि कोई हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

पट्टे की देयता उस राशि के लिए सृजित की जाती है जो पट्टे के बकाया भुगतान के वर्तमान मूल्य के समतुल्य हो और उसे उधार के रूप में दर्शाया जाता है। परिणामी मापन, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग कर किया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ताकि इससे प्रत्येक अवधि के लिए देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर आवधिक दर प्राप्त हो सके।

प्रयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि पर और सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि पर किया जाता है ।

पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग कर भुनाया जाता है यदि इसकी दर निर्धारित की जा सकती हो या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया जाता है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हों।

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी-

पट्टों को भारतीय ए.एस. 116 - पट्टे में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंडों के आधार पर प्रचालन लागत या वित्त लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्तीय पट्टा -

प्रारंभ की तारीख में, "पट्टे में निवल निवेश" के समतुल्य राशि लेनदारी के रूप में दर्शाई जाती है। "पट्टे में निवल निवेश" के मूल्य का मापन करने के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित लेनदारी और वित्त आय के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है ताकि पट्टे में निवल निवेश पर प्राप्ति की स्थिर आवधिक दर दर्शाई जा सके।

परिसंपत्ति की जाँच विनिर्धारण और भारतीय ए.एस. 109 – वित्तीय विलेख के अनुसार अनर्जकता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की जाती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरा किया जाता हो।

ख) प्रचालनीय पट्टा -

कंपनी प्रचालनीय पट्टों के पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा आधार या किसी दूसरे क्रमबद्ध आधार, यदि आवश्यक हो, पर आय के रूप में निर्धारित करती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरा किया जाता हो।

15. उधार की लागत

उधार की लागतें प्रत्यक्ष रूप से ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जिसमें उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की सारभूत अवधि आवश्यक रूप से लगती है या बिक्री को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है । उधार की सामान्य लागतों को उस परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर का उपयोग करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों में पूँजीकृत किया जाता है । पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधार को छोड़कर, सामान्य उधार बकाया पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होती है । उधार की अन्य सभी लागतों के व्यय उस अवधि में किए जाते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं । उधार की लागतों में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती है जो एक निकाय निधियों के उधार के संबंध में उपगत करता है । उधार की लागत में विनिमय के ऐसे अंतर भी शामिल होते हैं जहाँ तक उन्हें उधार की लागतों का समायोजन माना जाता है ।

16. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरू में निर्धारित आय के रूप में निर्धारित है।

अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को संबंधित परिसंपत्ति का ह्रास मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदानों

तक सीमित करते हुए लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को कुल मंजूर लागत और वित्त-पोषण के अनुपात अनुमान के अनुसार व्यय और सरकारी अनुदान तक सीमित रखते हुए वहित लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. संयुक्त उद्यम और एसोसिएट में निवेश

कम्पनी अपने सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में अपने हितों को लागत के अनुसार अलग-अलग वित्तीय विवरण में दर्शाता है।

18. वस्तुसूचियां

प्रयोज्य रद्दी को छोड़कर कंपनी के सभी वस्तु सूचियां मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मूल्यित किए जाते है। रद्दी अनुमानित निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। सामग्री की लागत का भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करते हुए पता लगाया जाता है।

कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उपयुक्त उपरी प्रभार शामिल हैं।

वस्तु सूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

19. आय कर

आयकर में मौजूदा और स्थगित कर शामिल हैं।

(i) वर्तमान आय कर

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियां कराधान प्रधिकारियों से अपेक्षित वसूली की या भुगतान की राशि पर मापे जाते है। राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कर की दरें और कर कानून उन रिपोर्टिंग तारीखों पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे निर्धारित वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में निर्धारित है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर और उनकी आगे लाई गई राशि के साथ तुलन-पत्र विधि का उपयोग करते हुए प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाते हुए और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है जहाँ तक कि इस बात की संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20. वारंटियों के लिए प्रावधान

निष्पादन की गारंटी और प्रति सामान / बेची गई वस्तुओं की मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

21. विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कंपनी द्वारा अपने संबंधित मुद्रा विनिमय दरों पर लेन-देन को पहले निर्धारण के लिए उत्तीर्ण करने के लिए दर्ज किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर में विदेशी मुद्राओं में निहित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों का अनुवाद किया जाता है मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर होने वाले अंतर लाभ और हानि विवरण में निर्धारित किए जाते हैं। गैर-मौद्रिक आइटम जो कि विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, प्रारंभिक लेन-देन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करते हुए अनुवाद किया जाता है।

22. कर्मचारी हितलाभ

(i) संबंधित सेवाओं को प्रतिपादन के लिए पूरी तरह से बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी हितलाभ अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनमे मुख्य रूप से शामिल हैं (ए) मजदूरी और वेतन; (बी) अनुपस्थिति की अल्पकालिक मुआवजे; (सी) लाभ-भाजन, प्रोत्साहन और बोनस और (घ) गैर-मौद्रिक लाभ जैसे कि चिकित्सा देखभाल, सब्सिडी वाले परिवहन, कैंटीन

सुविधाएं आदि, जो कि बट्टारहित आधार पर निर्धारित है और संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान निर्धारित है।

(ii) दीर्घकालीन प्रतिपूरक अमुपस्थितियाँ जैसे कि वार्षिक छुट्टी, बिमारी छुट्टी और आधा वेतन छुट्टी निर्धारित वार्षिक दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित आधार के आधार पर निर्धारित होता है, जो अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हैं और तुलन-पत्र में निहित प्रावधान का।

(iii) कर्मचारियों को उपदान और कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान के लिए देयता के रूप में निर्धारित की जाती है, जो कि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर है और इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत अनुमोदित ट्रस्ट में वित्तपोषित योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जिसके लिए भविष्य निधि के मामले में मासिक योगदान दिया जाता है और उपदान के मामले में एकमुश्त योगदान होता है।

(iv) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) के तहत वृद्धिशील दायित्व, प्रति वर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमित वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसके लिए प्रदान किया जाता है।

(v) प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत में कर्मचारियों के संदर्भ में वर्ष के लिए बीमांकिक देयता निर्धारित की जाती है।

(vi) बीमांकिक लाभ और हानि और योजना की परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न और संपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर), अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत निर्धारित है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय की गणना की गई छूट दर लागू करने के लिए, निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के लिए, निर्धारित अवधि के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निवल निर्धारित देयता (संपत्ति) वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निवल ब्याज व्यय और निर्धारित लाभ योजना से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि विवरण में निर्धारित किए जाते हैं। जब किसी योजना का लाभ बदल जाता है या जब कोई योजना कम हो जाती है, तो पिछली सेवा से संबंधित लाभ में परिणामी परिवर्तन या कटौती पर लाभ या हानि लाभ और हानि विवरण में तुरंत निर्धारित की जाती है।

(vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान होने पर आय पर राजस्व को निर्धारित किया जाता है।

(viii) निर्धारित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना और अधिशेष पेंशन योजना संचालित करती है जिन्हें निर्धारित योगदान योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं के लिए, कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर स्वतंत्र रूप से संचालित निधि में योगदान देती है। इन योगदानों को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है। कंपनी की देनदारी इन योजनाओं में दिए गए अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

23. प्रावधान

क. प्रावधान

पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को निर्धारण दी जाती है, यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह को दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है दायित्व की राशि जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में निर्धारित है, लेकिन केवल जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

निर्माण संविदाओं के अलावा अन्य कई संविदा के लिए प्रावधान किया जाता है, जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। प्रावधान ठेका समाप्त होने की उम्मीद की लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और संविदा के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है। प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी

परिसंपत्तियों पर किसी प्रकार की अनर्जक हानि को निर्धारित करती है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो पूर्व-कर की चालू दर जो उपयुक्त होने पर देयता विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, का उपयोग करते हुए प्रावधान भुनाए जाते हैं। जब भुनाए जाने का उपयोग किया जाता है तो समय अंतराल के कारण प्रावधान में हुई वृद्धि को वित्त लागत के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ख. आकस्मिक देयताएं / संपत्ति

आकस्मिक देनदारियों / परिसंपत्तियों को प्रबंधन की जानकारी तक वित्तीय विवरण के टिप्पण के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

24. नकद प्राप्ति विवरण

नकद प्राप्ति का विवरण आईएनडी एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधियों के अनुसार तैयार किया गया है।

25. उचित मूल्य मापन

कंपनी कुछ वित्तीय साधनों को जैसे व्युत्पत्तियों और अन्य वस्तुओं को अपने वित्तीय विवरणों में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य पर ही मापन करता है।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियों जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए जाते हैं जो पूरे के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमत (बिना समायोजित)।

स्तर 2 स्तर 1 में प्रस्तावित मूल्यों को छोड़कर अन्य निवेश जो कि संपत्ति या देयताओं के लिए सीधे दरों के रूप में या अप्रत्यक्ष से दरों से व्युत्पन्न के रूप में देखी जा सकती है।

स्तर 3 - संपत्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों या देनदारियों और परिसंपत्तियों या दायित्व की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है।

26. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) प्रारंभिक अभिचिह्न और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती हैं वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से दर्ज नहीं किया जाता है, लेनदेन की लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है जो परिसंपत्ति की लागत में शामिल होती है।

(ii) बाद के मापन

बाद के माप के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-

- परिशोधित लागत पर मापा गया ऋण विलेख, ,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया ऋण विलेख,
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया ऋण विलेख, व्युत्पन्नी और इक्विटी विलेख,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी विलेख।

(iii) विनिर्धारण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा अस्वीकृत हो जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है।

(iv) व्यापार और अन्य प्राप्य

प्राप्य प्रारम्भ में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाता है। यदि ऐसा कोई संकेत हो कि उन परिसंपत्तियों को कमजोर किया जा सकता है, तो हानि के लिए उनकी समीक्षा की जाती हैं।

27. वायदा संविदा

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव करने के लिए वायदा मुद्रा संविदाओं जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय साधनों की शुरुआत उस तारीख को उचित मूल्य पर की जाती है जिस पर एक व्युत्पन्न संविदा दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्नी को वित्तीय संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देनदारियों के रूप में उचित मूल्य नकारात्मक होता है ।

28. अंतर्निहित व्युत्पन्नी

आवश्यकता पड़ने पर अंतर्निहित व्युत्पन्नी को मेजबान संविदा से अलग किया जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

29. नकद और नकद समतुल्य

नकद में हस्तस्थ नकद और मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अत्यधिक अल्पकालिक चलनिधि निवेश है जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है, जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन होता है।

बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, तुलन-पत्र में वर्तमान देयताओं के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

30. वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

ऋण जोखिम वाले वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास के मापन एवं निर्धारण के लिए भारतीय ए.एस. 109 के मुताबिक, कंपनी अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पद्धति का उपयोग करता है।

क) कालातीत सरकारी / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से बकाया राशि को आम तौर पर ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख) कानूनी कार्यवाही में जहां देय राशि विवादित होती है, वहां प्रावधान किया जाता है अगर कोई निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है, भले ही वह उच्च प्राधिकारियों / न्यायालयों में विचाराधीन हो।

ग) समय की महत्वपूर्ण अवधि के लिए यथास्थिति में रहने वाले बकायों की समीक्षा की जाती है और मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

हानि भत्ता (या व्युत्क्रमण) लाभ / हानि विवरण में व्यय / आय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

31. वित्तीय देयताएं

(i) प्रारंभिक निर्धारण और मापन

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप से ऋण, उधार, देनदार या व्युत्पन्न के रूप में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य, जैसा उपयुक्त हो, पर वर्गीकृत किया जाता है ।

ऋण, उधार और देनदारियों को लेनदेनों की ऐसी निवल लागत उन पर दर्शाया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके कारण सृजित होते हैं।

(ii) बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन निम्नानुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक निर्धारण पर दी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय ए.एस. 109 में निर्धारित हेजिंग रिजर्व में बचाव विलेखके रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग अंतर्निहित व्युत्पन्नों को भी व्यापार के लिए आयोजित किया जाता है, जब तक उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं कहा जाता है। लाभ और हानि विवरण में व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि निर्धारित किए जाते हैं।

(iii) ऋण और उधार

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए ब्याज-आधारित ऋण और उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया सहित विनिर्धारित किया जाता है ।

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को निर्धारित किया जाता है।

(iv) व्यापार और अन्य भुगतान

देयताएं भविष्य में माल या सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि के लिए निर्धारित हैं, चाहे वे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किए गए हों या नहीं।

32. वित्तीय विलेखों का पुन: वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के

लिए व्यापार मॉडल में बदलाव होता है अगर कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण पर संभावित रूप से लागू होता है।

33. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समंजन किया जाता है और निवल राशि की रिपोर्ट तुलन-पत्र में की जाती है यदि वर्तमान में निर्धारित राशियों को समंजित करने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को वसूल करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए, निवल आधार पर निपटाने का आशय हो।

34. इक्विटी धारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर नकद वितरण करने के लिए देयता निर्धारित करती है जब ऐसा वितरण अधिकृत हो और कंपनी के विवेकाधिकार में न हो।

35. त्रुटियां और अनुमान

यदि भारतीय ए.एस. में परिवर्तन के कारण परिवर्तन की आवश्यकता होती है और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी तो कंपनी इसे लेखा नीतियों को संशोधित करती है। लेखा नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं ।

लेखा अनुमान में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित परिसंपत्तियों या देयताएं की मात्रा में परिवर्तन या लाभ और हानि का ब्यौरा परिवर्तन की अवधि (ओं) में संभावित रूप से लागू किया जाता है।

महत्वपूर्ण त्रुटियों की खोज पूर्वावधि, जिसमें ऐसी त्रुटि ज्ञात हुई की परिसंपत्तियो, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा दर्शते हुए पूर्व प्रभावी रूप से पुनरीक्षण में परिणामित होती हैं । सबसे पहले की अवधि के प्रारंभिक शेषों को भी दोबारा बताया जाता है ।

36. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल एवं परिवर्तन प्रति शेयर अर्जन डेटा दर्शाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित कर सामान्य शेयरधारकों की भारित औसत संख्या द्वारा, उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों से की जाती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होते हैं। परिवर्तित प्रति शेयर अर्जत कमाई सामान्य इक्विटी धारकों के लिए मुनाफे या हानि का समायोजन करते हुए और बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या, सभी शेयरों के लिए समायोजित, सभी परिवर्तित संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए निर्धारित करते हुए निर्धारित की जाती है।

37. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

समायोजनीय घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों का अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करती हैं । ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों को दारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उत्पन्न होने वाली स्थिति की संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं को हिसाब में नहीं लिया गया है, परंतु उन्हें प्रकट किया गया है।

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **सूरी एंड कंपनी**, सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं.004283S	**एम वी गौतम** अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	**कोशी एलेक्ज़ाण्डर** निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
नटराजन वी साझेदार सदस्यता सं. 223118		**एस श्रीनिवास** कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

समेकित वित्तीय विवरणियाँ

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हम यह संशोधित रिपोर्ट स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विशेष मामला पैरा के संबंध में भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक द्वारा किए गए प्रेक्षणों के अनुपालन में जारी कर रहे हैं। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की यह रिपोर्ट दिनांक 29 जून 2020 को जारी हमारी रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को मिलकर "समूह" कहा गया है) और उसकी संबद्ध कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक का समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिन्हें यहाँ इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) का सारांश शामिल है ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनी के समेकित कामकाज और उसके समेकित लाभ और समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए इसकी समेकित नकदी प्राप्ति की स्थिति के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") द्वारा आवश्यक जानकारी अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं तथा सच्ची और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते हैं ।

अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (एस.ए.) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के *समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों* खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाएँ जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार ग्रूप और संबद्ध कंपनी से स्वतंत्र हैं, अत: हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

विशेष मामला

1. हम धारक कंपनी के कारोबारी प्रचालनों पर कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप के प्रभाव के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 30 (15) पर ध्यान आकृष्ट करते हैं जो कुछेक ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो अनिश्चित हैं और जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता । उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है ।

2. हम कोरोना वायरस (कोविड 19) के प्रकोप से किए गए लॉकडाउन के कारण प्रतिधारित बिक्री की पहचान के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30 (21) पर ध्यान आकृष्ट करते हैं और उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे । समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों पर संपूर्ण रूप से विचार किया गया और उन पर हमारी राय निर्धारित करने में, हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले लेखा-परीक्षा के प्रमुख मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
1.	भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहकों की संविदा से राजस्व के प्रति राजस्व तथा संबंधित शेषों के अभिचिह्नन, मापन, प्रस्तुति और प्रकटण की सटीकता । इस मानक में सुस्पष्ट कार्य-निष्पादन देयताओं की पहचान, प्रत्येक अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता के लिए लेनदेन कीमत का निर्धारण, समय के दौरान या किसी निश्चित समय ऐसी कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त निर्णयों का आंकलन शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस मानक में संविदा को प्राप्त करने या उसे पूरा करने में उपगत लागत की राशि को अभिचिह्नित करने में प्रयुक्त निर्णय और वे अवधियाँ भी शामिल होते हैं जिनमें रिपोर्टिंग की तारीख के बाद कार्य-निष्पादन की देयताएँ पूरी की जाती हैं। (समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 23 देखें और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	**<u>लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ</u>** हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में आंतरिक नियंत्रणों तथा इस मानक के अनुप्रयोग के संबंध में उनकी प्रचालनीय प्रभावशीलता की पहचान शामिल है। हमने ऐसे लेनदेनों की सारभूत जाँच भी की है। (i) चालू संविदाओं और नए संविदाओं के नमूने का चयन किया और कार्य-निष्पादन देयताओं की पहचान की और उसकी तुलना धारक कंपनी द्वारा अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता के साथ की । (ii) संविदा में विशिष्ट रूप से उल्लेख न किए जाने पर अभिचिह्नित कार्य-निष्पादन देयता हेतु लेनदेन कीमत के आबंटन के आधार का सत्यापन किया। (iii) कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने के आधार की पहचान की गई और उसकी तुलना धारक कंपनी द्वारा समय के दौरान या किसी निश्चित समय पर कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने में प्रयुक्त निर्णयों के साथ की गई । (iv) वचनबद्ध माल या सेवाओं के लिए कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना निर्धारित करने हेतु विचार किए गए उचित साक्ष्यों का सत्यापन किया गया। (v) ऐसी संविदाओं के संबंध में जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना समय पर निर्भर है, हमने राजस्व को अभिचिह्नित करने क लिए धारक कंपनी द्वारा अभिचिह्नित विधि का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी विधियाँ कार्य-निष्पादन देयता की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त हैं। (vi) ऐसी लागतों की पहचान करने के लिए धारक कंपनी द्वारा प्रयुक्त निर्णयों का सत्यापन किया जो संविदा को प्राप्त करने या पूरा करने में उपगत हुईं और जिस अवधि में ऐसी लागतों को परिशोधित किया जाएगा। (vii) शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के पास उपलब्ध योजना की समीक्षा की जिन्हें ऐसी अवधियों से संबंधित प्रकटण तैयार करने हेतु ग्राहक के आदेश में निर्धारित सुपुर्दगी शर्तों के आधार पर अभिचिह्नित किया गया जिनमें शेष पूरी न की गई या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयताएँ रिपोर्टिंग तिथि के बाद पूरी की जानी हैं।
2.	दुर्वह संविदाओं के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान। ऐसी संविदाएँ जो दुर्वह बन गई हैं, के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी करने हेतु अपरिहार्य लागतों का प्राक्कलन करना महत्वपूर्ण है। इस प्राक्कलन में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में अपरिहार्य लागतों का अनुमान लगाने की अंतर्निहित सीमा है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 21 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 22 देखें)	**<u>लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ</u>** हमने दुर्वह संविदाओं तथा ऐसी संविदाओं को पूरा करने की लागत की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में धारक कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की है । (i) चालू और मौजूदा संविदा के नमूने चुने और ऐसी संविदा को पूरा करने में उपगत लागत और प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
		(ii) आंतरिक नियंत्रणों और दुर्वह संविदाओं के लिए साथ ही, अपरिहार्य लागतों के प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) दुर्वह संविदाओं के संबंध में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए अपरिहार्य लागतें तय करने के आधार का प्राक्कलन करने के लिए उपलब्ध आंतरित नियंत्रणों का सत्यापन किया और उन्हें समझा। (iv) कार्य-निष्पादन को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (v) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (vi) जुर्मनि के संबंध में शेष कार्य-निष्पादन देयताओं के प्रति संविदा में संभावित कटौतियों का सत्यापन किया। (vii) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।
3.	समय के दौरान कार्य-निष्पादन देयता को पूरा करने की अनुमानित लागत के संबंध में महत्वपूर्ण प्राक्कलन किए गए । इस प्राक्कलन में कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने की लागत का अनुमान लगाने की निश्चितता की अंतर्निहित सीमा है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	**<u>लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ</u>** हमने ऐसी संविदाओं की पहचान करने के लिए उपलब्ध आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में धारक कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की है जहाँ समय के दौरान कार्य-निष्पादन देयताएँ पूरी की गई हैं । (i) चालू और मौजूदा संविदा के नमूने चुने और उपगत लागत तथा प्राक्कलित लागतों के लिए नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जाँच की। (ii) आंतरिक नियंत्रणों और साथ ही संविदा को पूरा करने के लिए किए गए प्राक्कलन निर्धारित करने की समुचित प्रक्रियाओं की जाँच की। (iii) कार्य-निष्पादन को पूरा करने के लिए जारी क्रय आदेशों का सत्यापन किया और ऐसी शेष लागतों की पहचान की जिन्हें शेष कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने में उपगत किया जाना है। (iv) संबंधित संविदाओं पर उपगत लागतों की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि संविदा की संबंधित लागत ही दर्ज की जाती है। (v) धारक कंपनी के प्रबंधन के साथ चर्चा की और इस बात का विश्लेषण किया कि प्राक्कलित लागत ऐसे कार्यों के लिए है जो कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के लिए लंबित हैं।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	लेखा परीक्षक के उत्तर
		(vi) उपगत लागत तथा उपगत किए जाने वाले अनुमानित लागत के औचित्य की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और जाँच पूरी की।
4.	क) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ ग्राहकों को माल का प्रेषण नहीं किया जा सका, वहाँ नियंत्रण के अंतरण का निर्धारण । (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	**लेखा परीक्षा की प्रमुख प्रक्रियाएँ** (i) सुनिश्चित किया कि उचित साक्ष्य को देखते हुए क्या माल की डिज़ाइन और निर्माण ग्राहकों के विनिर्देशों के अनुरूप किया गया। (ii) नियंत्रण के अंतरण के मूल्यांकन के लिए माल हेतु ग्राहक की स्वीकृति का सत्यापन किया। (iii) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ माल का प्रेषण और सुपुर्दगी नहीं की जा सकी, वहाँ माल को रोक रखने के लिए ग्राहक द्वारा धारक कंपनी को किए गए अनुरोध का सत्यापन किया । (iv) सुनिश्चित किया कि क्या माल को धारक कंपनी द्वारा विनियोजित किया गया। (v) इस बात का सत्यापन किया कि क्या लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, जहाँ संभव हो, माल को बाद में प्रेषित किया गया।
	ख) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान जहाँ पूर्तिकर्ता के परिसर से भेजा गया माल ग्राहक के स्थल तक नहीं पहुँच सका और ऐसी संविदाएँ जहाँ कार्य-निष्पादन देयता समय पर पूरी की गई, के संबंध में उपगत लागत का निर्धारण। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 23 और लेखा नीतियों का क्र.सं. 5 देखें)	(i) ऐसे माल की सूची प्राप्त की जिन्हें लॉकडाउन की अवधि से पहले भेजा गया परंतु जो ग्राहक के स्थल तक नहीं पहुँचा। (ii) माल भेजने संबंधी सहायक साक्ष्यों का सत्यापन किया। (iii) धारक कंपनी द्वारा माल की स्वीकृति का सत्यापन किया। (iv) इस बात का सत्यापन किया कि लॉक डाउन समाप्त होने के बाद, जहां संभव हो, ग्राहक के स्थल पर माल प्राप्त किया गया। (v) सत्यापन किया कि ऐसी संविदाएँ जहाँ कार्य-निष्पादन देयता समय के दौरान पूरी की गई, के संबंध में राजस्व के परिकलन के प्रयोजनार्थ, उपगत लागत पर उचित रूप से विचार किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है । अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है जिसमें इसके अनुलग्नक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सूचना और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उन पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वास्तविक रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताया गया है या नहीं।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य जानकारी में वास्तविक रूप से गलत कथन दिए गए हैं तो हमें ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करनी होगी। इस संबंध में हम कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों का उत्तरदायित्व

समेकित वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार ग्रूप और उसके संबद्ध की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तन तथा समेकित नकदी प्राप्तियों की सच्ची और सही स्थिति प्रदान करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए धारक कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है । ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से रोकथाम करने और उनका पता लगाने; उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करने; उचित और दूरदर्शी निर्णय लेने और अनुमान लगाने; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, लागू करने और बनाए रखने जो समेकित वित्तीय विवरण, जो सच्ची और सही स्थिति दर्शाते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं, चाहे कपट या त्रुटि से क्यों न हों, जिसका उपयोग यथा उपरोक्त धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए किया गया, को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे थे, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में ग्रूप और उसके संस्थान की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों, जो लागू हो, का प्रकटण करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधन का आशय ग्रूप को परिसमाप्त करना न हो या कामकाज बंद करना न हो या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो ।

ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप और उसके संबद्ध की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये समेकित वित्तीय विवरण पूर्णत: महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, और अपने विचार के समर्थन में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है । औचित्यपूर्ण आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा विद्यमान होने पर हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगी। मिथ्याकथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से महत्वपूर्ण माने जाने पर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हमने पेशेवर निर्णय लिया है और संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखा है । हमने -

- कपट या त्रुटि, डिज़ाइन के कारण इन समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिमों की पहचान भी की है और उनका आंकलन भी किया है और ऐसे जोखिमों को कम करने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ पूरी की है और हमारे विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है। कपट के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है क्योंकि कपटपूर्ण कार्य में मिली-भगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत-बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल होता है।
- परिस्थितियों के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के संगत आंतरिक नियंत्रण को भी समझा है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या ग्रूप और उसके संबद्ध में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा प्राक्कलनों तथा संबंधित प्रकटणों की औचित्यता का भी मूल्यांकन किया है।
- लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का भी निष्कर्ष निकाला है और लेखा परीक्षा से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, चाहे कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की ग्रूप और उसके संबद्ध की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो या न हो । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण निश्चितता है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटणों के लिए अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट करना होगा या यदि ऐसे प्रकटण समुचित नहीं हैं तो अपने विचार में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। बहरहाल, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ ग्रूप और उसके संबद्ध को कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखना समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटण सहित समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन भी किया है और इस बात का भी मूल्यांकन किया है कि क्या ये समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को उस तरह से दर्शाते हैं कि उनका उचित प्रस्तुतीकरण किया जा सके।

समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथनों की मात्रा की महत्ता होती है जो वैयक्तिक रूप से या सकल रूप से इसकी संभावना बनाते हैं कि इन वित्तीय विवरणों का उचित ज्ञान रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हमने (i) अपनी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी अभिचिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का आंकलन करने में प्रमात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार किया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की किसी उल्लेखनीय कमी सहित, लेखा परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के उल्लेखनीय परिणामों के योजित कार्यक्षेत्र और समय के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, धारक कंपनी, ऐसे अन्य संस्थान, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है और जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के ऐसे लोग जिन्हें गवर्नेंस का कार्य सौंपा गया है, से बातचीत की है ।

हमने गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को ऐसे विवरण भी प्रदान किए हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी संगत नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें ऐसे सभी संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में बताया है जिन्हें हमारी स्वतंत्रता से उचित ढंग से संबद्ध माना जा सकता है और जहाँ लागू हो, संबंधित बचाव किए गए हैं।

गवर्नेंस का कार्य सौंपे गए लोगों को बताए गए मामलों में से, हमने ऐसे मामलों को लिया जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं। इन मामलों का वर्णन हमने अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किया है जब तक कि ऐसे मामले का प्रकटण कानून या विनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह तय करते हैं कि मामले की सूचना हमारी रिपोर्ट में दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसी सूचना के लोक हित अनुलाभ से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अन्य मामले

1. हमने दो सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को रु. 52,813 लाख की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 9,545 लाख के कुल राजस्व और रु. 2,664 की निवल नकदी प्राप्ति दर्शाते हैं जैसा कि इन समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है । समेकित

वित्तीय विवरण में, वर्ष 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों के शेयर का निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) रु. 371 लाख शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है ।

समेकित वित्तीय विवरण में "संबद्ध में निवेश" के रूप में रु. 16,209 लाख के संबद्ध की परिसंपत्तियों को दर्शाया गया तथा इसमें संबद्ध संस्थान रु. 3,185 लाख का कुल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई ।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनके रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा विचार, जहाँ तक वे इन सहायक कंपनियों और संबद्ध कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटणों से संबंधित हैं, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट में, जहाँ तक उक्त सहायक कंपनी और संबद्ध कंपनी से संबंधित है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर एकमात्र रूप से आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा विचार और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है ।

2. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित यूनिटों के संबंध में, जिनकी रिपोर्ट पर हम विश्वास करते हैं, हमने पाया कि गाज़ियाबाद और कोटद्वार यूनिटों के शाखा लेखा परीक्षकों ने अपने विचार को संशोधित किए बिना इस बात पर ज़ोर दिया है कि संविदाओं में लेनदेन की कीमत निर्धारित करने में निर्णीत हर्जाना अंतर्निहित है और यह परिवर्ती प्रतिफल का भाग बनेगा और इसका प्रावधान करने के स्थान पर राजस्व से इसे घटाने की आवश्यकता है। हमने इस पर विचार किया और पाया कि इन यूनिटों में अनुसरित लेखांकन उपचार कंपनी की लेखा नीति और अन्य यूनिटों में अनुसरित नीति के अनुसार है ।

   उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) में बताई गई आवश्यकता अनुसार, जहाँ तक लागू है, हम रिपोर्ट करते हैं कि-

   क) हमने ऐसी सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किया जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, उक्त समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   ख) हमारे विचार से, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथा आवश्यक, उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं जैसा कि अन्य लेखा परीक्षकों की खाता बहियों और रिपोर्ट के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है ।

   ग) इस रिपोर्ट में व्यवहरित समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि की समेकित विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणी तथा नकदी प्राप्ति समेकित विवरणी समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने के प्रयोजनार्थ लेखा बहियों, से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं ।

   घ) हमारे विचार से, उक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।

   ङ) चूँकि ग्रूप और संबद्ध कंपनी सरकारी कंपनी है, निदेशकों की अनर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   च) ग्रूप और संबद्ध कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   छ) कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में –

चूँकि ग्रूप और संबद्ध कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अनुसूची V के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा अनिवार्य बनाए गए अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार -

i. समेकित वित्तीय विवरणों में ग्रूप और उसके संबद्ध के समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 30(10) देखें।

ii. ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान किए हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 21 देखें । ग्रूप और उसके संबद्ध में कोई व्युत्पन्नी संविदा नहीं है ।

iii. ग्रूप और उसकी संबद्ध कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं किया गया।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.- 20223118AAAABO90370

बेंगलूरु
19 अगस्त, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में उक्त तारीख को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनी तथा उसकी संबंद्ध कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी तथा उसके संबंद्ध कंपनी, जो कंपनियाँ भारत में स्थित है भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आई.सी.ए.आई.") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी के कारोबार को उचित और प्रभावी ढंग से करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से किए जा रहे थे जिनमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा उसकी संबंद्ध कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है जो जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह आवश्यक बनाया गया है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित किए गए हैं और रखे गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उनकी प्रचालनीय दक्षता शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समय प्राप्त करना, इस बात के जोखिम का आंकलन करना कि महत्वपूर्ण कमी थी और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनीय प्रभावशीलता का जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार चयनित प्रक्रियाएं जिनमें वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम का आंकलन, चाहे धोखाधड़ी से हो या त्रुटि से हो, शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के संदर्भ में उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य, मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा उसकी संबद्ध कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में अपनी लेखा परीक्षा का विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है । वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो -

(1) ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है जो औचित्यपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और न्यायोचित ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं-

(2) इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना अनुमत करने हेतु यथा आवश्यक दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्च कंपनी के प्रबंधन और निदेशों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं जिनका पता नहीं चल सकता है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विकसित होने का पूर्वानुमान ऐसे जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर क्षीण हो सकता है।

विचार

वर्ष के दौरान, नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान धारक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता लगाया गया है (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 30(18) देखें) जिसके अनुसार धारक कंपनी द्वारा अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रण संस्थापित किए गए हैं ।

हमारे विचार में, तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी तथा उसके संबद्ध कंपनी, जो भारत में स्थित हैं, में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित अनुसार धारक कंपनी द्वारा संस्थापित अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रणों सहित) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे ।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनीय दक्षता के बारे में अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक वे दो सहायक कंपनियाँ तथा एक संबद्ध कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, से संबंधित हैं, भारत में निगमित उक्त कंपनियों की लेखा परीक्षक की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

कृते **सूरी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यू.डी.आई.एन.- 20223118AAAABO90370

बेंगलूरु
19 अगस्त, 2020

इस पृष्ठ को सोद्देश्य खाली छोड़ा गया है

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं./No.: Insp./BEL Accs(2019-20)/2020-21/163

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूरु - 560 001.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/DATE : 28 August 2020

To
Shri M V Gowtama,
Chairman and Managing Director,
M/s. Bharat Electronics Limited,
PO Nagavara, Outer Ring Road
Bengaluru – 560 045.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Standalone and Consolidated financial statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2020.

I forward **"Comments"** Certificates of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Companies Act, 2013 on the Standalone and Consolidated Financial Statements of **M/s. Bharat Electronics Limited, Bengaluru** for the year ended 31 March 2020.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013; and

(iii) Placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication to the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar V.M.)
Dy. Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूरु - 560 001
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bengaluru - 560 001

दू.भा/Phone : 2226 7646 / 2226 1168
E-mail : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स/Fax : 080-2226 2491

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट

सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बेंगलुरू के 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को वर्ष की समाप्ति पर कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के लिए वित्तीय विवरण तैयार करे। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर जोकि ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार धारा 143 (10) के अनुसार विहित हैं, इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा दि. 19 अगस्त 2020 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है जो उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट दि. 29 जून 2020 को अधिक्रमित करती है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। हमने मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु, मे. बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है परंतु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए मे. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे और मे. जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, अधिनियम की धाराएँ 139(5) और 143(6)(क) मे. जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने या अनुपूरक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजनार्थ यह एक निजी कंपनी है। तदनुसार, सी एंड एजी ने सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की और न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। इस पूरक लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रूप से पूरा किया गया है जो वैधानिक लेखा परीक्षकों की काम करने वाले कागजात तक पहुंच के बिना और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं :	

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ और हानि का विवरण

प्रचालन से राजस्व

नोट नं. 23 - ₹12,921.11 करोड़

टिप्पणी संख्या I - कंपनी के प्रचालन से राजस्व में बिल एंड होल्ड सेल्स के रूप में ₹ 225.12[1] करोड़ शामिल हैं जो तीन विदेशी डिलीवरी के आधार पर हैं जो कोविड-19 की लॉजिस्टिक समस्याओं को देखते हुए ग्राहकों द्वारा आपूर्ति स्थगित करने हेतु भेजे गए पत्रों के आधार पर है। यह भारतीय ए.एस. 115 (पैरा 38) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक निम्नलिखित कारणों से एक समय पर प्रदर्शन के बिंदु संतुष्ट नहीं थे :

- बीईएल के पास भुगतान का वर्तमान अधिकार नहीं था,
- ग्राहक के पास माल का कानूनी शीर्षक नहीं है,
- साइट पर वितरण के अनुबंध की शर्तों के कारण स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार ग्राहकों को नहीं दिया गया।

तीनों आदेशों में, ग्राहकों जिन्होने उत्पादों का नियंत्रण प्राप्त किया है, उनके लिए शर्तों का पालन नहीं किया गया है, जो बिल और होल्ड व्यवस्था में शर्त है (115 के भारतीय ए.एस. पैरा B81)। ऐसी बिक्री पर आई.सी.ए.आई.[2] का स्पष्टीकरण बताता है कि *यदि विक्रेता जिस अवधि में माल उसके पास होता है इस दौरान माल पर भंडारण और बीमा की लागत भुगतान कर रहा है तो ग्राहक को नियंत्रण नहीं दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि उन स्थितियों में नियंत्रण केवल तभी स्थानांतरित किया जाता है जहां उत्पाद ग्राहक की साइट पर पहुंचाया जाता है। बिल एंड होल्ड आधार पर राजस्व लगाना उचित नहीं होगा।*

उक्त बिक्री आईसीएआई स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है क्योंकि जब तक माल गंतव्य पर वितरित किया जाता है तब तक बीमा और भंडारण की लागत बीईएल द्वारा वहन की जाती है।

इस प्रकार पूर्वोक्त बिक्री भारतीय ए.एस. 115 और आई.सी.ए.आई. स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹225.12 करोड़ के राजस्व का अधिविवरण हुआ है साथ ही ₹90.06 करोड़ की सीमा तक के लाभ और ₹135.06 करोड़ की सीमा तक तैयार माल का कम विवरण हुआ है ।

</td><td>

"एक समय पर किसी बिंदु पर प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होने के लिए" मानदंड के अंतर्गत ₹ 225.12 करोड़ के राजस्व को मान्यता दी गई है। भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 में निर्दिष्ट मुख्य मापदंड (पैरा 33 के साथ पढ़ें) वह समय जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है इसका निर्धारण उस समय से किया जाता है जब "ग्राहक एसेट का नियंत्रण प्राप्त करता है"। आगे भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (ई) को पैरा B81 से B83 तक के साथ पढ़ें, जिसके अनुसार "ग्राहक के नियंत्रण प्राप्त करने" के निर्धारण का एक मापदंड ग्राहक की आइटम स्वीकृति है।

तीनों डिलीवरी के संबंध में, ग्राहक के निरीक्षण के बाद (अनुबंध के अनुसार) इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया गया, और वस्तुओं को बिना शर्त अनुबंध के रूप में 31 मार्च 2020 को विनियोजित किया गया है।

इसके अलावा, वस्तु ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और अनुबंध के बिना शर्त विनियोग पर ग्राहक केवल उपयोग का निर्देशन करने और एसेट के शेष सभी लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

चूंकि वस्तु ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए थे, लेकिन महामारी की स्थिति (कोविड-19) के कारण नहीं भेजे जा सकते थे, राजस्व को बिल और होल्ड के आधार पर मान्यता दी गई, जो महामारी की स्थिति में सुधार होने तक आइटम को रखने के लिए ग्राहक द्वारा जारी "धारण पत्र" के आधार पर है।

आईसीएआई ने स्पष्ट किया कि "जहां माल तैयार है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की स्थितियों के कारण नहीं भेजा जा सका, तो राजस्व को मान्यता दी जा सकती है यदि बिल और होल्ड के मानदंड मिलते हैं"।

मान्य विक्रय के संबंध में पैरा B81 में, "बिल एंड होल्ड सेल्स" के रूप में संतुष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

मापदंड	कैसे प्राप्त किया
बिल एंड होल्ड व्यवस्था का पर्याप्त कारण होना चाहिए।	ग्राहक के कोविड-19 के कारण सामान को रखने के अनुरोध के आधार पर आइटम बीईएल द्वारा रखा गया था।

</td></tr>
</table>

[1] ₹ 180.21 करोड़ + ₹ 43.44 करोड़ + ₹ 1.47 करोड़

[2] भारतीय एएस पर आईसीएआई कोविद 19 एफएक्यू

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>उत्पाद की अलग से पहचान होनी चाहिए कि वह ग्राहक की संपत्ति है।</td><td>ग्राहक द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया गया और स्वीकृति दी गई और बिना शर्त के अनुबंध में ग्राहक कि संपत्ति के के रूप में विनियोजित है।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।</td><td>ग्राहक द्वारा निरीक्षण और स्वीकृत वस्तुएं प्रेषण के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राहक के अनुरोध के आधार पर रखी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>इकाई उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकती या इसे किसी और ग्राहक को नहीं दे सकती।</td><td>कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे दूसरे ग्राहक को देने की क्षमता नहीं है क्योंकि वस्तुओं का निर्माण ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और बिना शर्त विनियोजित अनुबंध के रूप में था</td></tr>
</table>
पैरा 38 (ए) से 38 (ई) "नियंत्रण का हस्तांतरण" के लिए विभिन्न संकेतक निर्दिष्ट करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी मानदंड पूरा किया जाना चाहिए जब तक प्राथमिक मानदंड, "नियंत्रण का हस्तांतरण" पूरा है।
बिल और होल्ड विक्रय व्यवस्था के कारण कंपनी (या ग्राहक द्वारा अनुरोध पर) कोई अलग बीमा या भंडारण लागत नहीं ली जाती है।
इसके अलावा, भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (सी) में मान्य है कि बिल और होल्ड व्यवस्था में कंपनी उस एसेट का, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है, भौतिक अधिकार रख सकती है।
तीनों मामलों में बिक्री को दृढ़ आदेशों की मान्यता है और ग्राहक द्वारा डिलीवरी लेने में कोई अनिश्चितता नहीं है या कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की मान्य बिक्री के अनुरूप है।
उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मान्य बिक्री भारतीय ए.एस. और कंपनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>

टिप्पणी संख्या II - कंपनी के संचालन से राजस्व में ₹140.36 करोड़ शामिल हैं जो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) से संबंधित तीन अनुबंधों से प्राप्त राजस्व के रूप में कंपनी द्वारा मान्य हैं। उपरोक्त के लिए अनुबंध की शर्तें 'गंतव्य - एमडीएल, मुंबई' के लिए हैं। उपरोक्त बिक्री से संबंधित सामग्री अभी तक नहीं भेजी गई है। कंपनी ने विक्रय की गणना एमडीएल द्वारा 23 मार्च 2020 को जारी किए गए प्रतिधारण पत्र के और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निरीक्षण नोट के आधार पर की है।

चूंकि ग्राहक ने अनुबंध के जोखिम और पुरस्कार के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन नहीं किया है और कंपनी द्वारा बिलिंग स्वीकार नहीं की, बिल और होल्ड के तहत लेखांकन सही नहीं है और भारतीय ए.एस. 115 आवश्यकता का उल्लंघन है। कंपनी ने भी राजस्व से संबंधित है लेखा नीति सं. 5 (ए) (iii) (बी) सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है (एक समय में प्रदर्शन दायित्व)। ग्राहक द्वारा उत्पादों का नियंत्रण प्राप्त करने की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जो एक बिल और होल्ड व्यवस्था में पूर्व अपेक्षित हैं (भारतीय ए.एस. 115 पैरा बी 81)।

इसके अलावा, आईसीएआई द्वारा जारी स्पष्टीकरण (एफएक्यू 28), ऐसी बिक्री पर कोविड महामारी पर विचार करना बताता है कि *यदि विक्रेता माल रखने की अवधि के दौरान भंडारण और बीमा की लागत के लिए भुगतान कर रहा है तो ग्राहक को नियंत्रण नहीं प्रदान किया जाता है। यह ये भी बताता है कि उन स्थितियों में जहां नियंत्रण केवल तभी स्थानांतरित किया जाता है जब उत्पाद ग्राहक की साइट पर आपूर्ति किया जाता है तो यह उचित नहीं होगा कि बिल और होल्ड आधार पर राजस्व गणना की जाए।*

एमडीएल के साथ सभी तीन अनुबंधों में, माल के गंतव्य पर पहुँचने तक बीमा और भंडारण की लागत बीईएल द्वारा वहन की गई और चूंकि ग्राहकों की साइट पर माल नहीं पहुंचाया गया था, इसलिए नियंत्रण स्थानांतरण नहीं किया गया ।

</td><td>

"एक समय के भीतर किसी बिंदु पर संतुष्ट होने के लिए प्रदर्शन दायित्व का मानदंड" के अंतर्गत ₹140.36 करोड़ के राजस्व को मान्यता दी गई है। भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (पैरा 33 के साथ पढ़ें) में निर्दिष्ट मुख्य मापदंड एक समय में उस बिंदु के निर्धारण के लिए, जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है तो इसका निर्धारण उस समय से किया जाता है जब "ग्राहक एसेट का नियंत्रण प्राप्त करता है"। आगे भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (ई) को पैरा B81 से B83 तक के साथ पढ़ें, जिसके अनुसार "ग्राहक के नियंत्रण प्राप्त करने" के निर्धारण का एक मापदंड ग्राहक की आइटम स्वीकृति है।

ग्राहक ने निरीक्षण के बाद (अनुबंध के अनुसार) इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया और वस्तुओं को बिना शर्त अनुबंध के रूप में 31 मार्च 2020 को विनियोजित किया गया है। यह आइटम ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और अनुबंध के बिना शर्त विनियोजन पर ग्राहक केवल उपयोग का निर्देशन करने और एसेट के शेष सभी लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

चूंकि आइटम ग्राहक द्वारा स्वीकार किए गए थे, लेकिन महामारी की स्थिति (कोविड-19) के कारण नहीं भेजे जा सकते थे, राजस्व को बिल और होल्ड के आधार पर मान्यता दी गई, जो महामारी की स्थिति में सुधार होने तक आइटम को रखने के लिए ग्राहक द्वारा जारी "धारण पत्र" के आधार पर है। आईसीएआई ने स्पष्ट किया कि "जहां माल तैयार है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की स्थितियों के कारण नहीं भेजा जा सका, यदि बिल और होल्ड के मानदंड मिलते हैं तो राजस्व को मान्यता दी जा सकती है"।

मान्य विक्रय के संबंध में पैरा B81 में, "बिल एंड होल्ड सेल्स" के रूप में संतुष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>बिल एंड होल्ड व्यवस्था का पर्याप्त कारण होना चाहिए।</td><td>ग्राहक के कोविड-19 के कारण सामान को रखने के अनुरोध के आधार पर आइटम बीईएल द्वारा रखा गया था।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद की अलग से पहचान होनी चाहिए कि वह ग्राहक की संपत्ति है।</td><td>ग्राहक द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया गया और स्वीकृति दी गई और बिना शर्त के अनुबंध में ग्राहक कि संपत्ति के के रूप में विनियोजित है।</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>इस प्रकार पूर्वोक्त बिक्री भारतीय ए.एस. 115 और आईसीएआई स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹140.36 करोड़ के राजस्व का अधिविवरण हुआ है साथ ही ₹92.64 करोड़ की सीमा तक के लाभ और ₹47.72 करोड़ की सीमा तक तैयार माल का कम विवरण हुआ है ।</td><td>
<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>उत्पाद ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।</td><td>ग्राहक द्वारा निरीक्षण और स्वीकृत वस्तुएं प्रेषण के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राहक के अनुरोध के आधार पर रखी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>इकाई उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकती या इसे किसी और ग्राहक को नहीं दे सकती।</td><td>कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे दूसरे ग्राहक को देने की क्षमता नहीं है क्योंकि वस्तुओं का निर्माण ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और बिना शर्त विनियोजित अनुबंध के रूप में था।</td></tr>
</table>
पैरा 38 (ए) से 38 (ई) "नियंत्रण का हस्तांतरण" के लिए विभिन्न संकेतक निर्दिष्ट करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी मानदंड पूरा किया जाना चाहिए जब तक प्राथमिक मानदंड, "नियंत्रण का हस्तांतरण" पूरा है।
बिल और होल्ड विक्रय व्यवस्था के कारण कंपनी (या ग्राहक द्वारा अनुरोध पर) कोई अलग बीमा या भंडारण लागत नहीं ली जाती है।
इसके अलावा, भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (सी) में मान्य है कि बिल और होल्ड व्यवस्था में कंपनी उस एसेट का, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है, भौतिक अधिकार रख सकती है।
बिक्री दृढ़ आदेशों के आधार पर मान्य है और ग्राहक द्वारा डिलीवरी लेने में कोई अनिश्चितता नहीं है या कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की मान्य बिक्री के अनुरूप है।
उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मान्य बिक्री भारतीय ए.एस. इंडस्ट्रीज़ एएस और कंपनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।
</td></tr>
<tr><td>टिप्पणी संख्या III - कंपनी के संचालन से राजस्व में ₹68.66 करोड़ शामिल हैं जो रक्षा मंत्रालय (ग्राहक) से संबंधित दो अनुबंधों से प्राप्त राजस्व के रूप में कंपनी द्वारा मान्य हैं। उपरोक्त के लिए अनुबंध की शर्तें बेंगलुरु, और परेषिती, परियोजना निदेशक, शिप बिल्डिंग सेंटर, विशाखापत्तनम' के लिए ग्राहक प्राधिकृत एजेंसी के निरीक्षण के पूर्ण होने पर विनिर्दिष्ट हैं। अनुबंधित मूली इंस्टालेशन सहित हैं।</td><td>"एक समय के भीतर किसी बिंदु पर संतुष्ट होने के लिए प्रदर्शन दायित्व का मानदंड" के अंतर्गत ₹68.66 करोड़ के राजस्व को मान्यता दी गई है। भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (पैरा 33 के साथ पढ़ें) में निर्दिष्ट मुख्य मापदंड एक समय में उस बिंदु के निर्धारण के लिए, जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है तो इसका निर्धारण उस समय से किया जाता है जब "ग्राहक एसेट का नियंत्रण प्राप्त करता है"। आगे भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (ई) को पैरा B81 से B83 तक के साथ पढ़ें, जिसके अनुसार "ग्राहक के नियंत्रण प्राप्त करने" के निर्धारण का एक मापदंड ग्राहक की आइटम स्वीकृति है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>सी एंड एजी की टिप्पणियाँ</th><th>कंपनी का जवाब</th></tr>
<tr><td>
परीक्षण, पैकिंग और बीमा से प्रेषिती साइट तक हार्बर स्वीकृति परीक्षण (एच.ए.टी.) और सागर स्वीकृति परीक्षण (एस.ए.टी.)। कंपनी ने ग्राहक प्रतिनिधि द्वारा 9 अप्रैल 2020 को जारी एक ईमेल के आधार पर जिसमें फैक्टरी स्वीकृति टेस्ट (एफ.ए.टी.) के पूरा होने का संकेत है, उसके आधार पर राजस्व की गणना की है। हालांकि उपरोक्त राजस्व से संबंधित सामग्री विवरण युक्त निरीक्षण नोट्स निरीक्षण एजेंसी द्वारा 16 जून 2020 को जारी किया गया जिसमें निरीक्षण का संचालन 11 मार्च 2020 से 16 जून 2020 तक होने के संकेत हैं। चूंकि उपर्युक्त अनुबंधों से संबंधित उपकरणों का निरीक्षण और स्वीकृति कार्य 31 मार्च 2020 तक पूरा नहीं हुआ, ₹68.66 करोड़ तक की सीमा का राजस्व का लेखा-जोखा सही और कंपनी की लेखा नीति संख्या 5 (ए) (iii) (बी) के विरुद्द है। ग्राहक के उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त करने की शर्त भी पूरी नहीं हुई है जो बिल और होल्ड व्यवस्था (भारतीय ए.एस. 115) में पूर्व अपेक्षित है।
आईसीएआई द्वारा ऐसी बिक्री पर स्पष्टीकरण बताता है कि यदि विक्रेता माल रखने की अवधि के दौरान भंडारण और बीमा की लागत के लिए भुगतान कर रहा है तो ग्राहक को नियंत्रण नहीं प्रदान किया जाता है। यह ये भी बताता है कि उन स्थितियों में जहां नियंत्रण केवल तभी स्थानांतरित किया जाता है जब उत्पाद ग्राहक की साइट पर आपूर्ति किया जाता है तो यह उचित नहीं होगा कि बिल और होल्ड आधार पर राजस्व गणना की जाए।
दोनों मामलों में, माल के गंतव्य स्थल (प्रेषिती साइट) पर पहुँचने तक बीमा और भंडारण की लागत बीईएल द्वारा वहन की गई और चूकि माल ग्राहक साइट पर नहीं पहुंचाया गया था, इसलिए नियंत्रण स्थानांतरण नहीं किया गया ।
इस प्रकार पूर्वोक्त बिक्री भारतीय ए.एस. 115 और आई.सी.ए.आई. स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹68.66 करोड़ की सीमा तक के राजस्व का अधिविवरण हुआ है साथ ही ₹36.51 करोड़ की सीमा तक के लाभ का अधिविवरण और ₹32.15 करोड़ की सीमा तक तैयार माल का कम विवरण हुआ है ।
</td><td>
ग्राहक ने निरीक्षण के बाद (अनुबंध के अनुसार) इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया और वस्तुओं को बिना शर्त अनुबंध के रूप में 31 मार्च 2020 को विनियोजित किया गया है।
ग्राहक स्वीकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि ग्राहक नामांकित तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, अर्थात् चीफ क्वालिटी एशुरेंस इस्टेब्लिशमेंट (युद्धपोत उपकरण), बेंगलूरु ने 29 फरवरी 2020 को अपना निरीक्षण पूरा किया और ग्राहक द्वारा प्रख्यापित फैक्ट्री स्वीकार्यता परीक्षण (FAT), को ग्राहक ने 24 मार्च 2020 को पूरा किया।
यह आइटम ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं और अनुबंध के बिना शर्त विनियोजन पर केवल ग्राहक उपयोग का निर्देशन करने और एसेट के शेष सभी लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखता है।
ग्राहक के निर्देश के संदर्भ के आधार पर आइटम कंपनी में रखे गए।
मान्य विक्रय के संबंध में पैरा B81 में, "बिल एंड होल्ड सेल्स" के रूप में संतुष्ट करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><th>मापदंड</th><th>कैसे प्राप्त किया</th></tr>
<tr><td>बिल एंड होल्ड व्यवस्था का पर्याप्त कारण होना चाहिए।</td><td>ग्राहक के अनुरोध के संदर्भ के आधार पर आइटम बीईएल द्वारा रखे गए।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद की अलग से पहचान होनी चाहिए कि वह ग्राहक की संपत्ति है।</td><td>ग्राहक द्वारा वस्तुओं का निरीक्षण किया गया और स्वीकृति दी गई और बिना शर्त के अनुबंध में ग्राहक कि संपत्ति के के रूप में विनियोजित है।</td></tr>
<tr><td>उत्पाद ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।</td><td>ग्राहक द्वारा निरीक्षण और स्वीकृत वस्तुएं प्रेषण के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राहक के अनुरोध के आधार पर रखी गई हैं।</td></tr>
<tr><td>इकाई उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकती या इसे किसी और ग्राहक को नहीं दे सकती।</td><td>कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या उसे दूसरे ग्राहक को देने की क्षमता नहीं है क्योंकि वस्तुओं का निर्माण ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार किया गया था और बिना शर्त विनियोजित अनुबंध के रूप में था।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	कंपनी का जवाब
	पैरा 38 (ए) से 38 (ई) "नियंत्रण का हस्तांतरण" के लिए विभिन्न संकेतक निर्दिष्ट करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी मानदंड पूरा किया जाना चाहिए जब तक प्राथमिक मानदंड, "नियंत्रण का हस्तांतरण" पूरा है। बिल और होल्ड विक्रय व्यवस्था के कारण कंपनी (या ग्राहक द्वारा अनुरोध पर) कोई अलग बीमा या भंडारण लागत नहीं ली जाती है। इसके अलावा, भारतीय ए.एस. 115 के पैरा 38 (सी) में मान्य है कि बिल और होल्ड व्यवस्था में कंपनी उस एसेट का, जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है, भौतिक अधिकार रख सकती है। बिक्री दृढ़ आदेशों के आधार पर मान्य है और ग्राहक द्वारा डिलीवरी लेने में कोई अनिश्चितता नहीं है या कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की मान्य बिक्री के अनुरूप है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मान्य बिक्री भारतीय ए.एस. और कंपनी की लेखा नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।

कृते
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

संतोष कुमार
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

बेंगलुरु
28 अगस्त 2020

कृते
निदेशक मंडल

एम वी गौतम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बेंगलुरु
7 सितम्बर 2020

समेकित तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	2,56,777	2,13,878
(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	24,671	32,285
(ग) निवेश संपत्ति	3	9	10
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	14,473	15,872
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5	58,127	52,618
(च) संबंद्ध कंपनी में निवेश		16,209	13,024
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	94,823	83,418
(ii) व्यापार प्राप्य	7	-	-
(iii) ऋण	8	3,233	2,748
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2,920	2,895
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	10	49,870	47,201
(झ) वस्तुसूचियाँ	11	5,255	4,114
(ञ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	12	34,655	26,551
		5,61,022	**4,94,614**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वस्तुसूचियाँ	11	3,95,830	4,44,335
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्य	7	6,72,402	5,37,367
(ii) नकद और नकद समतुल्य	13	1,62,063	75,970
(iii) बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]	14	3,987	21,217
(iv) ऋण	8	1,734	1,622
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	3,180	3,626
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	28,495	24,366
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	6,06,118	4,78,941
		18,73,809	**15,87,444**
कुल परिसंपत्तियाँ		**24,34,831**	**20,82,058**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	24,366	24,366
(ख) अन्य इक्विटी		9,82,787	8,96,784
कंपनी के स्वामियों के कारण सृजित कुल इक्विटी		**10,07,153**	**9,21,150**
नियंत्रणरहित हित		1,417	1,330
कुल इक्विटी		**10,08,570**	**9,22,480**

समेकित तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
देयताएं			
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	18,196	18,809
(ख) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	**18**	-	-
(ii) व्यापार प्रदेय	**19**		
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और		-	-
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		20	26
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	4,934	3,029
(ग) प्रावधान	**21**	1,16,427	92,364
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएँ	**22**	112	475
		1,39,689	**1,14,703**
(2) चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित आय	**17**	1,750	1,573
(ख) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	**18**	-	-
(ii) व्यापार प्रदेय	**19**		
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय; और		6,503	4,623
- सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		2,38,510	1,38,782
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	**20**	83,880	1,05,580
(ग) अन्य चालू देयताएँ	**22**	9,22,478	7,46,235
(घ) प्रावधान	**21**	33,451	48,082
(ङ) चालू कर देयताएँ (निवल)	**15**	-	-
		12,86,572	**10,44,875**
कुल इक्विटी और देयताएं		**24,34,831**	**20,82,058**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

लाभ व हानि का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	23	12,96,767	12,16,417
II	अन्य आय	24	9,940	7,299
III	**कुल आय (I + II)**		**13,06,707**	**12,23,716**
IV	**व्यय**			
	क. खपत सामग्री की लागत		5,86,926	5,27,858
	ख. भंडार और खपत पुर्जों की लागत		2,774	3,734
	ग. व्यापारगत स्टॉक की खपत		95,097	75,906
	घ. तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियाँ में परिवर्तन	25	24,931	(13,068)
	ङ. कर्मचारी अनुलाभ व्यय	26	2,07,474	1,89,514
	च. वित्त लागत	27	360	1,275
	छ. मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	37,186	33,813
	ज. अन्य व्यय	29	1,04,119	1,41,850
	कुल व्यय (क से ज)		**10,58,867**	**9,60,882**
V	**असाधारण मदों, इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (III - IV)**		**2,47,840**	**2,62,834**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (V - VI)**		**2,47,840**	**2,62,834**
VIII	**कर व्यय**	10		
	- चालू कर		75,767	80,483
	- पूर्व के वर्षों का कर		(4,047)	(118)
	- आस्थगित कर		(3,143)	(2,334)
	कराधान का कुल प्रावधान		**68,577**	**78,031**
IX	**इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ के हिस्से और कर से पहले लाभ (VII - VIII)**		**1,79,263**	**1,84,803**
X	इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट के निवल लाभ का हिस्से		3,209	3,864
XI	**वर्ष का लाभ (IX+X)**		**1,82,472**	**1,88,667**
XII	**अन्य व्यापक आय/(हानि)**			
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के बाद पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति का पुनर्मापन		(6,128)	(6,311)
	- अन्य व्यापक आय द्वारा इक्विटी विलेख		2	2
	- इक्विटी विधि के तहत परिकलित एसोसिएट की कुल व्यापक आय का हिस्सा (निवल कर)		(24)	(15)
	-इन मदों से संबंधित आय कर		2,048	2,197
	कुल अन्य व्यापक आय /(हानि) (निवल कर)		**(4,102)**	**(4,127)**

लाभ व हानि का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
XIII	**वर्ष की कुल व्यापक आय (XI+XII) [वर्ष के लाभ तथा अन्य व्यापक आय सहित]**		**1,78,370**	**1,84,540**
XIV	**निम्नलिखित से संबंधित निवल लाभ/ (हानि)**			
	क) कंपनी के स्वामी		**1,82,385**	**1,88,640**
	ख) नियंत्रण रहित हित		**87**	**27**
	निम्नलिखित से संबंधित अन्य व्यापक आय			
	क) कंपनी के स्वामी		**(4,102)**	**(4,127)**
	ख) नियंत्रण रहित हित		**-**	**-**
	निम्नलिखित से संबंधित कुल व्यापक आय			
	क) कंपनी के स्वामी		**1,78,283**	**1,84,513**
	ख) नियंत्रण रहित हित		**87**	**27**
XV	**प्रति इक्विटी शेयर आर्जन (रु.1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) -**	**30(1)**		
	(1) मूल [आईएनआर में]		**7.49**	**7.74**
	(2) परिवर्तित [आईएनआर में]		**7.49**	**7.74**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

	टिप्पणी सं.	राशि
यथा 1 अप्रैल 2018 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- शेयर जारी करना	16	-
- शेयरों की पुनर्खरीद		-
31 मार्च 2019 को शेष		24,366

	टिप्पणी सं.	राशि
1 अप्रैल 2019 को शेष		24,366
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
- शेयर जारी करना	16	-
- शेयरों की पुनर्खरीद		-
31 मार्च 2020 को शेष		24,366

ख. अन्य इक्विटी

		प्रारक्षण व अधिशेष					अन्य प्रारक्षण			
	टिप्पणी सं.	पूँजीगत प्रारक्षण *	सहायक कंपनी के समेकन पर पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *	नियंत्रण रहित हित	कुल अन्य इक्विटी
1 अप्रैल 2018 को शेष		**4,669**	**362**	**1,868**	**2,79,546**	**5,02,085**	**3**	**(11,331)**	**1,303**	**7,78,505**
वर्ष का लाभ		-	-	-	-	1,88,667	-		27	1,88,694
समेकन समायोजन		-	-	-	-	(2,022)	-		-	(2,022)
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	-	2	(4,129)	-	(4,127)
कुल		**4,669**	**362**	**1,868**	**2,79,546**	**6,88,730**	**5**	**(15,460)**	**1,330**	**9,61,050**
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)		-	-	-	-	(1,250)	-	-	-	(1,250)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	40,000	(40,000)	-	-	-	-
पूँजीगत प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन										
लाभांश	16	-	-	-	-	(51,168)	-	-	-	(51,168)
लाभांश वितरण कर	16	-	-	-	-	(10,518)	-	-	-	(10,518)
शेयर जारी करना	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-		-	-	-	-	-	-	-
यथा 31 मार्च 2019 को शेष		**4,669**	**362**	**1,868**	**3,19,546**	**5,85,794**	**5**	**(15,460)**	**1,330**	**8,98,114**

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष					अन्य प्रारक्षण		नियंत्रण रहित हित	कुल अन्य इक्विटी
		पूँजीगत प्रारक्षण *	सहायक कंपनी के समेकन पर पूँजीगत प्रारक्षण *	पूँजी मोचन प्रारक्षण *	सामान्य प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी विलेख *	अन्य व्यापक आय *		
1 अप्रैल 2019 को शेष		**4,669**	**362**	**1,868**	**3,19,546**	**5,85,794**	**5**	**(15,460)**	**1,330**	**8,98,114**
वर्ष का लाभ		-	-	-	-	1,82,472	-	-	87	1,82,559
समेकन समायोजन		-	-	-	-	(174)	-	-	-	(174)
वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-	-	-	-	2	(4,104)	-	(4,102)
कुल		**4,669**	**362**	**1,868**	**3,19,546**	**7,68,092**	**7**	**(19,564)**	**1,417**	**10,76,397**
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)		-	-	-	-	(1,220)	-		-	(1,220)
सामान्य प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	40,000	(40,000)	-		-	-
पूँजीगत प्रारक्षण को अंतरित राशि		-	-	-	-	-	-		-	-
स्वामी के ओहदे में स्वामियों के साथ लेनदेन										
लाभांश	16	-	-	-	-	(75,534)	-		-	(75,534)
लाभांश वितरण कर	16	-	-	-	-	(15,439)	-		-	(15,439)
शेयर जारी करना	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	16	-	-	-	-	-	-		-	-
यथा 31 मार्च 2020 को शेष		**4,669**	**362**	**1,868**	**3,59,546**	**6,35,899**	**7**	**(19,564)**	**1,417**	**9,84,204**

* टिप्पणी 16 (ख) देखें

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

समेकित नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति-		
संबंद्ध संस्थान के शेयर के बाद परंतु असाधारण मदों और कर से पहले लाभ	2,51,049	2,66,698
इनके लिए समायोजन -		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	37,186	33,813
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान	-	3,707
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ जिन्हें प्रभारित किया गया	-	1,745
चालूगत पूँजी कार्य की अनर्जनकता का प्रावधान	-	124
प्रभारित संविदा लागत	1,247	3,348
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	3,117	2,311
सरकारी अनुदान से अंतरण	(1,998)	(1,524)
ब्याज की आय	(7,058)	(3,560)
पट्टे की देयता पर ब्याज	28	-
वित्त लागत	332	1,275
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	(21)	(27)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पहले प्रचालनीय लाभ	**2,83,882**	**3,07,910**
निम्नलिखित में वृद्धि / (कमी) -		
व्यापार प्राप्य	(1,35,035)	(35,937)
ऋण	(597)	(393)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	421	2,224
अन्य परिसंपत्तियाँ	(1,36,528)	(1,27,298)
वस्तुसूचियाँ	47,364	28,267
व्यापार देय	1,01,602	6,527
अय वित्तीय देयताएँ	(9,925)	13,726
प्रावधान	3,304	6,871
अन्य देयताएँ	1,75,880	29,587
चालू कर परिसंपत्तियाँ	(15,903)	(2,917)
प्रचालनों से जनित नकद	**3,14,465**	**2,28,567**
अदा किया गया आय कर (निवल)	(57,424)	(77,179)
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	**2,57,041**	**1,51,388**
असाधारण मदें	-	-
प्रचालनीय कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकद	**2,57,041**	**1,51,388**

समेकित नकदी प्राप्ति विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(76,220)	(76,142)
घटाएँ - अनुदान की प्राप्ति	1,562	3,220
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद (निवल)*	(74,658)	(72,922)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्ति	86	27
मियादी जमा तथा अन्य बैंक शेष से वृद्धि / (कमी)	17,230	(17,553)
अन्य में निवेश	(14,612)	(2,706)
प्राप्त ब्याज	7,058	3,560
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(64,896)**	**(89,594)**
ग. वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
उधार से प्राप्ति / चुकौती (निवल)	(2,501)	(4,702)
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च	(5,042)	(3,666)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(98,017)	(56,624)
पट्टे की देयताओं का चुकौती	(132)	-
पट्टे की देयता पर ब्याज	(28)	-
वित्त लागत	(332)	(1,275)
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(1,06,052)**	**(66,267)**
नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	**86,093**	**(4,473)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**75,970**	**80,443**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**1,62,063**	**75,970**

* टिप्पणी 30 (20) देखे

1. वित्त संबंधी कार्यकलापों के कारण देयताओं के संबंध में निर्धारित नकद-इतर परिवर्तन -
   (i) मूल कंपनी - कुछ नहीं (कुछ नहीं)
   (ii) सहायक कंपनी बेलोप - कुछ नहीं (रु. 25)
   (iii) सहायक कंपनी बीईएल-थेलेस - कुछ नहीं (कुछ नहीं)
2. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न समान दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 1
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यहास/परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 1 अप्रैल 2019 को संचित मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष का मूल्यहास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्णस्वामित्व की भूमि	12,908	803	-	**13,711**	-	-	-	**-**	**13,711**	**12,908**
सड़क और पुलिया	1,750	441	-	**2,191**	174	107	-	**281**	**1,910**	**1,576**
इमारतें	56,989	19,632	7	**76,614**	6,331	2,668	4	**8,995**	**67,619**	**50,658**
संस्थापनाएँ	3,792	574	1	**4,365**	1,634	420	1	**2,053**	**2,312**	**2,158**
संयंत्र और मशीनरी	1,25,049	23,090	(21)	**1,48,160**	40,647	14,723	(21)	**55,391**	**92,769**	**84,402**
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	50,667	7,811	268	**58,210**	22,387	7,912	224	**30,075**	**28,135**	**28,280**
अनु. व वि. लैब के उपकरण	38,746	4,460	9	**43,197**	16,353	6,886	9	**23,230**	**19,967**	**22,393**
वाहन	671	97	55	**713**	341	124	44	**421**	**292**	**330**
कार्यालयीन उपकरण	9,700	960	36	**10,624**	4,657	1,584	31	**6,210**	**4,414**	**5,043**
फर्नीचर, फिक्सर तथा अन्य उपस्कर	8,004	813	10	**8,807**	3,146	959	7	**4,098**	**4,709**	**4,858**
प्रायोजित अनुसंधान के लिए अर्जित परिसंपत्तियाँ	65	-	-	**65**	56	9	-	**65**	**-**	**9**
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
पट्टाधारित भूमि	1,293	20,204	776	**20,721**	30	39	7	**62**	**20,659**	**1,263**
इमारतों का पट्टा*	-	447	47	**400**	-	145	25	**120**	**280**	**-**
कुल	**3,09,634**	**79,332**	**1,188**	**3,87,778**	**95,756**	**35,576**	**331**	**1,31,001**	**2,56,777**	**2,13,878**
पिछले वर्ष	**2,32,395**	**77,294**	**55**	**3,09,634**	**63,433**	**32,333**	**10**	**95,756**	**2,13,878**	**1,68,962**

* मूल कंपनी के संबंध में, भवनों के पट्टे के परिवर्धन में दिनांक 01.04.2019 को भारतीय एएस 116 को अपनाने के कारण रु. 365 शामिल है ।

i. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 2,072.87 एकड़ (2064.60 एकड़) और पट्टाधारित भूमि में 951.58 एकड़ (300 एकड़) शामिल हैं। वर्ष के दौरान पूर्ण स्वामित्व की भूमि को अंतरित निवेश संपत्ति कुछ नहीं (आईएनआर 463) है।

ii. पूर्ण स्वामित्व की भूमि में 7. 21 एकड़ (7.21 एकड़) व्यावसायिक / धार्मिक संगठनों को पट्टाधारित एवं उनके कब्ज़े में शामिल है ।

iii. पूर्ण स्वामित्व भूमि में 2.2 एकड़ (कुछ नहीं) भूमि के अलावा, रक्षा उपकरणों का सुदूर संप्रेषण परीक्षण सुविधा के लिए गुडिबंदे तालूक, चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक में खरीदी गई भूमि शामिल है ।

iv. कंपनी द्वारा जोधपुर में 5.94 एकड़ की पट्टाधारित भूमि अधिग्रहित किया गया । सहायक कंपनी [बेलोप] ने नए नियमों और शर्तों पर 95 वर्ष के नवीकरणीय विकल्प के साथ दिनांक 25.11.1991 को रु. 21 साल की लागत पर एमआईडीसी से 95 वर्ष के लिए 3.38 एकड़ जमीन लीज पर ली है ।

v वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धनों में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला / उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र की परिसंपत्तियों, पुणे में अनु. व वि. की क्रमश: रु.1,019 (रु.12,096), रु.14 (रु.94) परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें नैसर्गिक कोड शीर्ष के तहत परिकलित किया गया है।

vi. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूल्य में रु. 1,026 (रु. 1,026) मूल्य की पीओएस मशीनें शामिल हैं जो हरियाणा सरकार (प्रचालित पट्टा) के नियंत्रण में हैं।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

vii. **स्थल पुन:स्थापन बाध्यता**

पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों के संबंध में स्थल पुन:स्थापन बाध्यता के लिए टिप्पणी 21 देखें ।

संयंत्र और मशीनरी के सकल ब्लॉक मूल्य में पवन चक्की और सौर शक्ति संयंत्रों से संबंधित रु. 2,062 (रु. 1,232) की स्थल पुन:स्थापन बाध्यता शामिल है ।

viii **संविदाजन्य प्रतिबद्धताएं**

बकाया संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30(9) देखें।

ix. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

x. **परिसंपत्तियाँ के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है ।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
भवन	20 - 40
सड़क और पुलिया	20 - 40
संस्थापना	10
संयंत्र एवं मशीनरी	5 - 25
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5 - 7
वाहन	4 - 5
कार्यालयीन उपकरण	5 - 7
फर्नीचर और जुड़नार	6 - 10
अनु. व वि. लैब के उपकरण	5

सहायक, सहयोगी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार केवल निम्न मामलों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी लाइफ को अभिस्वीकृत किया गया है -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
बेलॉप	
संयंत्र एवं मशीनरी – निरंतर प्रक्रिया संयंत्र	15
बीईएल थैलेस	
संयंत्र एवं मशीनरी	5 - 15
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	5
कंप्यूटर प्रणाली	5

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

xi. **मूल्यह्रास/ ह्रास**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

पट्टे की परिसंपत्तियों को उनके प्राक्कलित जीवकाल या उनकी संबंधित पट्टा अवधि, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

xii. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास/परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। अन्य परिसंपत्तियोँ के लागत के भाग के रूप में अभिचिह्नित मूल्यह्रास राशि रु. 3 (रु. 3) है ।

xiii. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

टिप्पणी 30 (7) देखें।

xiv. **तृतीय पक्षों से प्रतिपूर्ति**

रु. 109 (कुछ नहीं)

xv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के संबंध में टिप्पणी 12 देखें।

xvi. कुछ यूनिटों में सरकार से निशुल्क अधिग्रहित भूमि का परिकलन भारतीय एएस 101 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

xvii. **पंजीकरण लंबित मुकदमेबाजी आदि का विवरण[मूल कंपनी]**

क. मल्लापुर, हैदराबाद में 5.60 एकड़ भूमि (5.60 एकड़) के अधिकार/ बिक्री विलेख का निष्पादन तथा इस संबंध में आंध्र प्रदेश औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा बीईएल की हैदराबाद यूनिट को आवंटित भूमि के वास्तविक अधिकार को सौंपे जाने का कार्य लंबित होने के कारण तथा यह मामला मुकदमेबाज़ी के तहत होने के कारण, लेखा पुस्तकों में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । एपीआईआईसी को अदा की गई रु.65 (रु. 65) की राशि का भुगतान पूँजीगत अग्रिमों में शामिल किया गया है ।

ख. देवनहल्ली, बेंगलूरु में स्थित 31.15 एकड़ की भूमि के संबंध में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) से वास्तविक कब्जा प्राप्त किया गया तथा रु. 7,856 की पट्टाधारित भूमि के तहत पूँजीकृत है । पट्टा करार की शर्तों के अनुसार, परियोजना को सफलतापूर्व शुरु करने के लिए इसे पूर्णस्वामित्व में बदल दिया जाएगा । इसका पंजीकरण लंबित होने के कारण लेखा बहियों में इसके पंजीकरण तथा अन्य लागतों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. रक्षा अधिकारियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर, बीईएल को आवंटित भूमि पर निर्मित संपत्तियां जो बीईएल के कब्जे में है, हैदराबाद यूनिट की स्थापना के संबंधित शीर्षों के तहत पूँजीकरण किया गया । उपयुक्त अधिकारियों द्वारा निबंधन व शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित होने के कारण, 25.11 एकड़ (25.11 एकड़) की भूमि की लागत को लेखा बहियों में हिसाब में लिया गया है ।

घ. इब्राहिपटनम में एपीआईआईआईसी / टीएसआईआईसी द्वारा आवंटित 122.82 एकड़ (122.82 एकड़) भूमि जिसका कब्जा दिया गया है जिसका बिक्री विलेख लंबित है ।

ङ. अनंतपुर जिले, आंध्र प्रदेश में 913.99 एकड़ (913.99 एकड़) की भूमि की बिक्री विलेख को अंतिम रूप देना लंबित है ।

च. 22.375 एकड़ (22.375 एकड़) की भूमि जो ऊपर उल्लिखित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का भाग है, के लिए दिनांक 31.01.2015 को टीएसआईआईसी से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद द्वारा की गई डिक्री की क्षतिपूर्ति राशि का 50% के रूप में रु. 256 (रु. 256) की डिमांड प्राप्त हुई है। यह डिमांड विवाद के अधीन है, इसलिए, लेखा बहियों में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

छ. 1.22 एकड़ (1.22 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व की भूमि जो 1.24 एकड़ (1.24 एकड़) भूमि सौंपने के एवज में सरकारी प्राधिकारियों द्वारा आबंटित की गई थी, मुकदमेबाज़ी के अधीन है ।

ज. कंपनी ने तीन स्थलों में पवन चक्की जनरेटर स्थापित किए हैं । पवन चक्की जनरेटर-I को वर्ष 2006-07 में पट्टे की भूमि में पूँजीकृत किया गया। इस पट्टे का अग्रिम किराया कुछ नहीं है और भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है । पवन चक्की जनरेटर – II को रु. 36 के पट्टे का अग्रिम किराया अदा करते हुए पट्टाधारित भूमि पर वर्ष 2007-08 में पूँजीकृत किया गया । भूमि के पट्टे के करार को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है।

झ. 0.30 एकड़ (0.30 एकड़) की भूमि से संबंधित अधिकार विलेख मुकदमेबाज़ी के अधीन है। इस संबंध में दो मामले लंबित हैं ।

ञ. पठानकोट में अधिग्रहित 8.93 एकड़ पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ट. वर्ष के दौरान बठिंडा में 6.20 एकड़ की भूमि पूर्ण स्वामित्व भूमि में परिवर्तित कर दिया गया । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

ठ. वर्ष के दौरान बूटिबोरी, नागपुर में अधिग्रहित 197.68 एकड़ की पट्टाधारित भूमि पंजीकरण के लिए लंबित है । लंबित पंजीकरण के लिए खाता बही में पंजीकरण और अन्य लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

xviii. मूल कंपनी ने ओ.एफ.बी. मेडक, तेलंगाणा, इटारसी, बोलांगीर और एच.वी.एफ. आवड़ी, जीसीएफ जबलपुर, वीएपजे जबलपुर, हज़्रतपुर, मुरादनगर, नलंदा में प्रत्येक संयंत्र के लिए वार्षिक पट्टा किराया के रूप में आई.ए.आर. 1 का नाममात्र मूल्य अदा करते हुए पट्टे की भूमि पर सौर शक्ति संयंत्र स्थापित किया है । उपयोग का अधिकार के रूप में पूँजीकृत 3 मे.वा. हस्सन और 8.4 मे.वा. देवंगरे पवन चक्की संयंत्रों के लिए पूर्वदत्त किराए का भुगतान किया ।

xix. कार्मिक क्वार्टर्स के प्रति रु. 484 (समायोजित ब्याज की आय) की उधार लागत पूँजीकृत किया है । पूँजीकरण दर प्रति वर्ष 6.47% है ।

xx. कंपनी को आग में संपत्ति के नुक्सान के लिए बीमा दावा के माध्यम से रु. 109 की राशि प्राप्त हुई है, जिसका निवल पुस्तक मूल्य रु. 43 है ।

			यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 2					
पूँजीगत चालू कार्य					
-सिविल निर्माण कार्य	9,532			12,375	
-संयंत्र एवं मशीनरी	8,897			14,914	
-अन्य	3,550			4,278	
-मार्गस्थ पूँजीगत मदें	2,816			842	
			24,795		**32,409**
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान			(124)		(124)
			24,671		**32,285**

i. सिविल निर्माण में मुख्यत: उत्पादन संबंधी इमारत, अनु. व वि. इमारत और कर्मचारियों के क्वार्टर शामिल हैं।

ii. निर्माणाधीन कर्मचारियों के क्वार्टर के संबंध में उधार की लागत रु. 490 (रु. 798) [ब्याज की निवल आय] को पूँजीगत चालू कार्य में शामिल किया गया है। पूँजीकरण की दर 6.74% प्रतिवर्ष है।

iii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टिप्पणी 30 (9) देखें।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए अदा किए गए असमायोजित पूँजी अग्रिम के लिए टिप्पणी 12 देखें।

v. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

मूल कंपनी के संबंध में निर्माणीधीन भवन जिसका वहनीय मूल्य रु. 124 (रु. 124) है, का काम पिछले दो वर्षों से रोक दिया गया है क्योंकि जिस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया था, उसने यह काम बंद कर दिया है और उसके बाद से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। कंपनी ने ठेकेदार को अदा की गई राशि वसूल करने के लिए कानूनी दावा दाखिल किया है। इसलिए, रु. 124 (रु. 124) की राशि ह्रासमान दर्शाई गई है। टिप्पणी 30 (7) देखें।

टिप्पणी 3

निवेश संपत्ति

विवरण	सकल वहनीय राशि				मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
पूर्ण स्वामित्व की भूमि*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इमारतें	14	-	-	**14**	4	1	-	**5**	**9**	**10**
कुल	**14**	**-**	**-**	**14**	**4**	**1**	**-**	**5**	**9**	**10**
पिछले वर्ष	**14**	**-**	**-**	**14**	**3**	**1**	**-**	**4**	**10**	**11**

* पूर्ण स्वामित्व की भूमि में आईएनआर 3,830 (आईएनआर 3,925) [समग्र अंक] शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है ।

i. **लाभ व हानि के विवरण में दर्शित राशि**

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
क. किराए की आय	145	123
ख. किराए की आय प्रदान करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
ग. उपर्युक्त को छोड़कर प्रत्यक्ष प्रचालनीय व्यय (आर एंड एम सहित)	-	-
घ. मूल्यह्रास	1	1
ङ. निवेश संपत्ति से लाभ	144	122

ii. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (9) देखें।

iii. **निवेश संपत्तियों का अंकित मूल्य**

	यथा 31 मार्च 2020	**यथा 31 मार्च 2019**
भूमि	2,256	2,300
इमारत	895	902

iv. भूमि जिसमें मूल कंपनी की 1.48 एकड़ (1.53 एकड़) की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि शामिल है।

v. **अंकित मूल्य का प्राक्कलन**

मूल कंपनी ने निवेश संपत्ति के स्थान में समान संपत्तियों के सरकारी मार्गदर्शन मूल्य (नगरपालिका मूल्य) के आधार पर निवेश संपत्ति के अंकित मूल्य का प्राक्कलन किया है । निवेश संपत्तियों के सभी परिणामी अंकित मूल्य प्राक्कलन स्तर 2 में शामिल किए गए हैं ।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

vi. **मानी गई लागत**

भारतीय ए.एस. (01.04.2015) अपनाने से, मूल कंपनी ने यथा 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहनीय मूल्य को जारी रखने का विकल्प लिया जिन्हें पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया और इसमें वहनीय मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मानी गई लागत के रूप में प्रयोग किया जाता है।

vii. **परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन**

मूल कंपनी ने परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता, तकनीकी और वाणिज्यिक अप्रचलन के जोखिम आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूर्त परिसंपत्तियों (जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दर्शित उपयोगी जीवनकाल से अलग हैं) के विभिन्न वर्गों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन किया है।

मूर्त परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार हैं -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
इमारत	40

viii. **मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

ix. **मूल्यह्रास के लेखांकन की विधि**

मूल्यह्रास/परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में अभिचिह्नित किया गया है।

x. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

चूँकि निवेश संपत्ति का अंकित मूल्य उसके वहनीय मूल्य से अधिक है, ह्रास का कोई संकेत नहीं है।

xi. **निवेश की गई संपत्ति पर प्रतिबंध**

भूमि भारत सरकार द्वारा आबंटित की गई है।

xii. **पंजीकरण, लंबित मुकदमों आदि के विवरण**

शून्य (शून्य)

xiii. वर्ष के दौरान मूल कंपनी होने के नाते, निवेश संपत्ति से आईएनआर 95 (कुछ नहीं)(वास्तविक अंक दर्शाएं) को पूर्णस्वामित्व भूमि पर स्थ्नांतरित किया जाता है।

टिप्पणी 4
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल वहनीय राशि				परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
	यथा 1 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	संचित परिशोधन यथा 1 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
अमूर्त परिसंपत्तियाँ - अन्य										
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम*	2	-	-	**2**	1	-	-	**1**	**1**	**1**
लाइसेन्समिंग शुल्क	18,424	-	-	**18,424**	5,000	1,250	-	**6,250**	**12,174**	**13,424**
साफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का कार्यान्वयन	285	-	-	**285**	210	45	-	**255**	**30**	**75**
अन्य (विकास लागत)	2,531	214	-	**2,745**	159	318	-	**477**	**2,268**	**2,372**
कुल	**21,242**	**214**	**-**	**21,456**	**5,370**	**1,613**	**-**	**6,983**	**14,473**	**15,872**
पिछले वर्ष	**18,823**	**2,419**	**-**	**21,242**	**3,891**	**1,479**	**-**	**5,370**	**15,872**	**14,932**

** वर्ष के परिशोधन में आईएनआर 18,863 (आईएनआर 18,863) [समग्र अंक] शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **मानी गई लागत**

भारतीय एएस (01.04.2015) में संक्रमण पर, समूह ने पिछले सभी जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल 2015 को अपनी सभी अमूर्त संपत्तियों के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और अन्य अमूर्त संपत्तियों की समेकित लागत के रूप में मूल्य का उपयोग किया है ।

ii. **प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल**

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों (मूल कंपनी) का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है -

परिसंपत्तियों का वर्ग	वर्ष
सॉफ्टवेयर लाइसेंस / इंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का कार्यान्वयन	3
अन्य (विकास लागत)	4 / 10 / 15

iii. **परिशोधन**

परिशोधन की गणना परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

परिशोधन की राशि को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

iv. **परिशोधन के लेखांकन की विधि**

परिशोधन की गणना कंपनी की लेखा नीति संख्या 8 के अनुसार की गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में खर्च के रूप में अभिचिह्नित किया गया है।

v. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (9) देखें।

vi. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

टिप्पणी 30 (7) देखें।

vii. परिसंपत्तियों के अधिकार पर प्रतिबंध करार की शर्तें द्वारा नियंत्रित होता है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 5		
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
आंतरिक रूप से विकसित*	58,127	56,325
घटाएँ – ह्रास का प्रावधान	-	(3,707)
	58,127	**52,618**

* अन्य विकास एजेंसियों को वित्त पोषण शामिल है।

i. संविदाजन्य प्रतिबद्धताओं के लिए टिप्पणी 30 (9) देखें।

ii. **परिसंपत्तियों की ह्रास [मूल कंपनी] -**

इन परिसंपत्तियों के संबंध में रु. 3,707 (रु. 1,746) को बट्टे खाते में डाला गया जहाँ कंपनी ने अपनी ओर से विकास कार्य बंद कर दिए और कंपनी के आंकलन के अनुसार ग्राहक से आदेश प्राप्त करने की संभावना निश्चित नहीं है और ग्राहक की ओर से इसके लिए कोई आश्वासन / प्रतिबद्धता प्राप्त नहीं हुई है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 6		
निवेश		
(I) इक्विटी विलेखों में निवेश (अनुद्धृत)		
अन्य (एफवीओसीआई पर) (नीचे दी गई टिप्पणी v देखें)		
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि., हैदराबाद		
प्रत्येक रु. 1000 पूर्ण चुकता के 500 (500) इक्विटी शेयर	11	9
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु		
प्रत्येक रु. 1000 पूर्ण चुकता के 50 (कुछ नहीं) इक्विटी शेयर	1	1
(II) अन्य निवेश (अनुद्धृत)		
क) कोऑपरेटिव सोसाइटियों में निवेश (लागत पर) *		
कफ़ परेड पर्सोपोलिस प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी, मुंबई	-	-
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 40 (40) शेयर		
सुखसागर प्रिमाइसेस कोऑपरेटिव, सोसाइटी, मुंबई		
आईएनआर 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) शेयर		
श्री सप्तरत्न कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई	-	-
आई.एन.आर.50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 10 (10) शेयर		
दालामल पार्क कोऑप. सोसाइटी लि., मुंबई		
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 5 (5) शेयर		
चंद्रलोक कोऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि., पुणे	-	-
आई.एन.आर. 50 प्रत्येक पूर्ण चुकता के 30 (30) शेयर		
ख) अन्य (एफवीटीपीएल पर)		
भारतीय जीवन बीमा निगम (टिप्पणी ii देखें)	94,811	83,408
	94,823	**83,418**

*आईएनआर 4,750 [समग्र अंक] (आईएनआर 4,750) [समग्र अंक] जिसे पूर्णांकित किया गया।
यह हाउसिंग सोसाइटियों में उनके उप-नियमों के अनुसार अर्जित शेयर का मूल्य दर्शाते हैं।

i.

	2019-20	2018-19
क. उद्धृत निवेशों का कुल मूल्य और उनका बाज़ार मूल्य	-	-
ख. अनुद्धृत निवेशों का कुल मूल्य	94,823	83,418
ग. निवेश के मूल्य में ह्रास की कुल राशि	-	-

ii. कंपनी ने अपने छुट्टी नकदीकरण और "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) देयताओं को क्रमश: एलआईसी की न्यू ग्रूप लीव एनकैशमेंट प्लान और न्यू ग्रूप सुपरएन्युएशन कैश एक्यूमिलेशन प्लान में निवेश किया है [टिप्पणी 21 देखें] ।

iii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iv. मे. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डी.आई.ओ.) में इक्विटी पूँजी के लिए आईएनआर 50,000 [समग्र अंक] की राशि का अंशदान दिया गया है। डी.आई.ओ. को रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 (बीईएल : 50%; एचएएल : 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार 'लाभरहित' कंपनी के रूप में 10 अगस्त, 2017 को निगमित किया गया । इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है ।

प्रारंभिक कॉर्पस निधि के लिए लेखा बहियों में रु. 5,000 की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से रु. 4000 की राशि भुगतान के लिए लंबित है ।

v. क. कंपनी ने एफवीओसीआई में मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. तथा डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है क्योंकि ये इक्विटी शेयर ऐसे निवेश को दर्शाते हैं जो रणनीतिक प्रयोजन से लंबे समय तक धारित करने के लिए आशयित हैं। निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि के आधार पर निवेश का अंकित मूल्य इस प्रकार है -

विवरण	31 मार्च 2020 को अंकित मूल्य	2019-2020 के दौरान निर्धारित लाभांश आय	31 मार्च 2019 को अंकित मूल्य	2018-2019 के दौरान निर्धारित लाभांश आय
मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि.में निवेश	11	-	9	-
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, बेंगलूरु में निवेश	1	-	1	-

ख. कंपनी ने इन निवेशों पर अब तक कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया है।

ग. 2019-2020 के दौरान कोई रणनीतिक निवेश को निपटाया नहीं गया और इन निवेशों के संबंध में इक्विटी में कोई संचित लब्धि या हानि अंतरित नहीं की गई।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 7		
व्यापार प्राप्य		
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
व्यापार प्राप्य	1,34,875	1,26,587
घटाएँ - प्रावधान*	(1,34,875)	(1,26,587)
उप कुल (क)	-	-
चालू		
रक्षित, जिन्हें खरा माना गया	498	469
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया	6,71,904	5,36,898
उप कुल (ख)	**6,72,402**	**5,37,367**
कुल (क+ख)	**6,72,402**	**5,37,367**

*इसमें प्राप्य जो क्रेडिट ह्रासमान हैं, से संबंधित रु.359 (रु.359) [रु.339 मूल कंपनी और रु. 20 बेलोप] शामिल है ।

i. **भुगतान के निबंधन**

क. अधिकांश संविदाओं में, मदों की सुपुर्दगी पर भुगतान (प्राप्त अग्रिम, यदि कोई हो, का निवल) देय है। बहरहाल, कुछ संविदाओं में देयों का एक हिस्सा (सामान्यत: 5% से 10%) अतिरिक्त कार्य-निष्पादन देयता की संतुष्टि से जुड़ा है जैसे संस्थापना एवं कार्यारंभ संबंधी कार्यों को पूरा करना आदि। टर्नकी संविदाओं के संबंध में, भुगतान (निवल अग्रिम, यदि कोई हो) निर्दिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने से जुड़ा होता है।

ख. ग्राहक से प्राप्त प्रगामी भुगतानों सहित अग्रिम को संविदा की देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और संबंधित कार्य-निष्पादन देयता के समापन पर समायोजित किया जाता है। प्राप्त शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ग. संविदा में अन्य कार्य-निष्पादन देयताओं को पूरा करने के साथ भुगतान को जोड़ने के कारण पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में ग्राहकों द्वारा रोक रखी गई राशि को संविदा परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 29 के अनुरुप किया गया है।

iv. **संबंधित पक्षकारों के प्रकटण**

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी 31 देखें।

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 8		
ऋण		
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	2,537	2,046
कर्मचारियों को ऋण	696	702
	3,233	**2,748**
अरक्षित, जिन्हें संदिग्ध माना गया		
सुरक्षा जमा	81	75
घटाएँ - प्रावधान	(81)	(75)
	-	-
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	1	1
घटाएँ - प्रावधान	(1)	(1)
	-	-
अन्य को ऋण	132	132
घटाएँ -प्रावधान*	(132)	(132)
	-	-
उप कुल (क)	**3,233**	**2,748**
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
सुरक्षा जमा	1,567	1,453
अन्य		
कर्मचारियों को ऋण	167	169
उप कुल (ख)	**1,734**	**1,622**
कुल (क+ख)	**4,967**	**4,370**

*इसमें ऐसे ऋणों से संबंधित रु.132 (रु.132) शामिल है जो क्रेडिट ह्रासमान हैं।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 29 के अनुरुप किया गया है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 9		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	77	37
मीयादी जमा पर अर्जित ब्याज	4	1
बारह महीनों की परिपक्वता से अधिक बैंक जमा राशियां	71	19
बैंक के पास धारित मार्जिन नकद	-	70
अन्य परिसंपत्तियाँ	2,768	2,768
	2,920	**2,895**
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
अन्य को दिए गए अग्रिम	12	12
घटाएँ - प्रावधान	(12)	(12)
	-	-
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	966	31
घटाएँ – प्रावधान*	(966)	(31)
	-	-
अन्य परिसंपत्तियाँ	74	74
घटाएँ - प्रावधान	(74)	(74)
	-	-
उप कुल (क)	**2,920**	**2,895**
चालू		
अरक्षित, जिन्हें खरा माना गया		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	178	130
अन्य को दिए गए अग्रिम	2	3
प्रोद्भूत ब्याज परंतु मीयादी जमा पर देय नहीं	299	152
व्यापार प्राप्यों के अलावा प्राप्य	979	835
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,722	2,506
उप कुल (ख)	**3,180**	**3,626**
कुल (क+ख)	**6,100**	**6,521**

* टिप्पणी 30(18) देखें

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. **वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास**

ह्रास का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 29 के अनुरुप किया गया है।

iii. कुछ नहीं (आईएनआर14,306) [समग्र अंक] की निवल वहनीय राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं और निपटान के लिए लंबित हैं, के संबंध में अन्य परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 10		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	85,634	81,497
आस्थगित कर देयताएँ	(35,764)	(34,296)
	49,870	**47,201**

i. लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित आय

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
1	**आय कर के व्यय -**		
	- चालू अवधि	75,767	80,483
	- पूर्व के वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	(4,047)	(118)
2	**आस्थगित कर -**		
	- अस्थायी अंतरों का उद्गम और व्युत्क्रमण	(3,143)	(2,334)
3	**आस्थगित कर के कुल व्यय/(अनुलाभ)**	**(3,143)**	**(2,334)**
4	**आय कर के व्यय**	**68,577**	**78,031**

ii. अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर

क्र.सं.	विवरण	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
		कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय)/ अनुलाभ	निवल कर
1	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता/ (परिसंपत्ति) का पुन:मापन	(6,128)	(2,049)	(4,079)	(6,311)	(2,198)	(4,113)
2	अन्य द्वारा इक्विटी विलेख व्यापक आय	2	1	1	2	1	1
	कुल	**(6,126)**	**(2,048)**	**(4,078)**	**(6,309)**	**(2,197)**	**(4,112)**

iii. इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित आय कर

इक्विटी 31 मार्च 2020 को और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से अभिचिह्नत कोई आय कर नहीं है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iv. प्रभावी कर दरों का समाधान

विवरण	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	दर	राशि	दर	राशि
कर पूर्व लाभ		**2,47,840**		**2,62,834**
कंपनी की घरेलू कर दर का इस्तेमाल करते हुए कर	34.94%	86,605	34.94%	91,845
प्रभाव				
अनुसंधान एवं विकास व्ययों पर अतिरिक्त कटौती का प्रभाव	-5.72%	(14,181)	-5.30%	(13,930)
छूट प्राप्त आय	-0.06%	(149)	-1.29%	(3,392)
कर प्रोत्साहन	-0.37%	(914)	-0.21%	(554)
पिछले वर्षों से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तन	-1.63%	(4,047)	-0.03%	(67)
गैर-कटौती योग्य व्यय	0.47%	1,159	0.47%	1,238
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	0.00%	(1)	0.00%	(7)
अन्य	0.04%	105	1.10%	2,898
प्रभावी कर दर	**27.67%**	**68,577**	**29.69%**	**78,031**

v. आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) और देयताएँ निम्नलिखित के कारण हैं -

क्र. सं.	विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) यथा		आस्थगित कर देयताएँ यथा		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ यथा	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	व्यापार प्राप्य	(14,570)	(13,674)	-	-	(14,570)	(13,674)
2	वस्तुसूची	(14,954)	(14,860)	-	-	(14,954)	(14,860)
3	प्रावधान अन्य	(18,168)	(21,854)	-	-	(18,168)	(21,854)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(35,018)	(28,251)	699	-	(34,319)	(28,251)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	704	729	704	729
6	आस्थगित राजस्व	(373)	(373)	-	-	(373)	(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-	1	1	1	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	-	27,071	26,997	27,071	26,997
9	आईसीडीएस समायोजन	-	-	-	-	-	-
10	इक्विटी निवेश	-	-	2	1	2	1
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	10	10	10	10
12	ह्रास का प्रावधान	(2,006)	(2,012)	-	-	(2,006)	(2,012)
13	व्यापार देयताएँ	(6)	(6)	-	-	(6)	(6)
14	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	7,277	6,558	7,277	6,558
15	कर हानि	(54)				(54)	

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) यथा		आस्थगित कर देयताएँ यथा		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ यथा	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
16	बोनस	-	(1)			-	(1)
17	अधिवर्षता	(12)	(7)			(12)	(7)
18	एमएटी क्रेडिट	(473)	(459)			(473)	(459)
19	**कुल**	**(85,634)**	**(81,497)**	**35,764**	**34,296**	**(49,870)**	**(47,201)**
20	(परिसंपत्ति)/ देयता का पृथक्करण	35,764	34,296	(35,764)	(34,296)	-	-
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/ देयता		**(49,870)**	**(47,201)**	**-**	**-**	**(49,870)**	**(47,201)**

vi. **आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) एवं देयताओं का संचलन**

क्र. सं.	विवरण	यथा 1 अप्रैल 2019 को शेष	2019-20 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2019-20 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31 मार्च 2020 को शेष
1	व्यापार प्राप्य	(13,674)	(896)		(14,570)
2	वस्तुसूची	(14,860)	(94)		(14,954)
3	अन्य प्रावधान	(21,854)	3,686		(18,168)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(28,251)	(6,556)	488	(34,319)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	729	(25)		704
6	आस्थगित राजस्व	(373)	-		(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	-		1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	26,997	75		27,071
9	आईसीडीएस समायोजन	-	-		-
10	इक्विटी निवेश	1	-	1	2
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	-		10
12	ह्रास का प्रावधान	(2,012)	6	-	(2,006)
13	व्यापार देयताएँ	(6)	-	-	(6)
14	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6,558	719	-	7,277
15	बोनस	(1)	1		-
16	कर हानि		(54)		(54)
17	अधिवर्षता	(7)	(5)		(12)
18	एमएटी क्रेडिट	(459)	(14)		(473)
	कुल	**(47,201)**	**(3,157)**	**489**	**(49,870)**

नोट- वर्ष के दौरान सहायक कंपनी -बेलॉप, एमएटी क्रेडिट के संबंध में पिछले वर्ष के रु. 14 शामिल है ।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 1 अप्रैल 2018 को शेष	2018-19 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2018-19 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	यथा 31 मार्च 2019 को शेष
1	व्यापार प्राप्य	(11,373)	(2,301)	-	(13,674)
2	वस्तुसूची	(11,658)	(3,202)	-	(14,860)
3	अन्य प्रावधान	(18,180)	(3,674)	-	(21,854)
4	कर्मचारी अनुलाभ	(22,620)	(3,720)	(1,912)	(28,251)
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	420	309	-	729
6	आस्थगित राजस्व	(373)	-	-	(373)
7	अन्य परिसंपत्तियाँ	1	-	-	1
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	17,307	9,690	-	26,997
9	आईसीडीएस समायोजन	(197)	197	-	-
10	इक्विटी निवेश	1	-	1	1
11	अन्य वित्तीय देयताएँ	10	-	-	10
12	ह्रास का प्रावधान	-	(2,012)	-	(2,012)
13	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4,169	2,389	-	6,558
14	बोनस		(1)	-	(1)
15	अधिवर्षता		(7)	-	(7)
16	देय व्यापार	(6)	-	-	(6)
17	एमएटी क्रेडिट	(507)	49	-	(459)
	कुल	**(43,006)**	**(2,283)**	**(1,911)**	**(47,201)**

viii. अनिर्धारित आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ -

निम्नलिखित मदों के संबंध में स्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

विवरण	स्वत्व	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
कर घाटे	धारक कंपनी	कोई अस्थायी अंतर नहीं है जिस पर स्थगित कर (संपत्ति) / देयता को पहचाना नहीं गया है	
	बेलोप		
	बीईएल-थैलेस सिस्टम	652	647

ix. कर घाटा आगे बढ़ाया

विवरण	स्वत्व	यथा 31.03.2020		यथा 31.03.2019	
		राशि	समाप्त तिथि	राशि	समाप्त तिथि
समय सीमा समाप्त	धारक कंपनी	कोई कर हानि नहीं है जिस पर स्थगित कर संपत्ति को पहचाना गया है			
कभी समाप्त नही हो					
समय सीमा समाप्त	बेलोप	-	-	-	-
कभी समाप्त नही हो		290	-	-	-
समय सीमा समाप्त	बीईएल-थैलेस सिस्टम	572	2023-27	497	2023-27
कभी समाप्त नही हो		80	-	150	-

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 11		
वस्तुसूची		
गैर चालू		
कच्चा माल और घटक	47,562	46,023
जोड़ें – मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	108	118
घटाएँ - प्रावधान	(42,521)	(42,133)
	5,149	**4,008**
व्यापारगत स्टॉक	54	113
जोड़ें – मार्गस्थ व्यापारगत स्टॉक	-	1
घटाएँ - प्रावधान	(54)	(114)
	-	**-**
भंडार व पुर्जे	264	282
जोड़ें – मार्गस्थ भंडार व पुर्जे	-	-
घटाएँ - प्रावधान	(198)	(227)
	66	**55**
खुले औजार	119	124
घटाएँ - प्रावधान	(79)	(73)
	40	**51**
उप कुल (क)	**5,255**	**4,114**
चालू		
कच्चा माल और घटक	2,13,313	2,45,031
जोड़ें - मार्गस्थ कच्चा माल और घटक	22,781	12,667
	2,36,094	**2,57,698**
चालू कार्य	1,29,731	1,55,848
तैयार माल	21,632	19,440
जोड़ें – मार्गस्थ तैयार माल	2,514	3,186
	24,146	**22,626**
व्यापारगत स्टॉक	971	3,332
जोड़ें – मार्गस्थ व्यापारगत स्टॉक	38	987
	1,009	**4,319**
भंडार व पुर्जे	3,928	2,610
जोड़ें – मार्गस्थ भंडार व पुर्जे	69	2
	3,997	**2,612**
खुले औजार	880	926
जोड़ें – मार्गस्थ खुले औजार	1	-
	881	**926**
निपटान की रद्दी	193	306
	3,96,051	**4,44,335**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
बेची न गई वस्तुसूची में अप्राप्य लाभ	(221)	-
उप कुल (ख)	**3,95,830**	**4,44,335**
कुल (क+ख)	**4,01,085**	**4,48,449**

i. कच्चे माल और घटकों में रु.9,644 (रु. 7,619) शामिल हैं जो उप-ठेकेदारों के पास धारित माल है जिसमें रु. 367 (रु.291) का माल पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है । रु. 366 (रु. 284) के समक्ष, रु.367 (रु. 291) की राशि का प्रावधान किया गया है ।

ii. वर्ष की स्टॉक सत्यापन विसंगतियाँ इस प्रकार हैं -
रु. 1,294 (रु. 649) की कमी और रु. 412 (रु. 514) का अधिशेष । समाधान के लंबित होने पर, रु. 887 (रु. 74) की राशि का प्रावधान किया गया है।

iii. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन ग्रूप की लेखा नीति सं. 17 के अनुसार किया गया है ।

iv. क. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने 05.11.2007 से 31.03.2012 की सत्यापन अवधि के लिए 2.5 मे.वॉ. बीईएल ग्रिड कनेक्टेड पवन शक्ति परियोजना, दावणगेरे जिला, कर्नाटक के लिए, पूर्व के वर्षों के दौरान 15,856 (15,856) टन CO2EQ कार्बन क्रेडिट मंजूर किया है। इन कार्बन क्रेडिट को रु.2 (रु. 2) के मूल्य पर तैयार माल के तहत शामिल किया जाता है। सी.ई.आर. को आईसीएआई द्वारा जारी सीईआर संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा यथा अपेक्षित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

ख. प्रमाणीकरण के तहत सीईआर – कुछ नहीं (कुछ नहीं)

ग. वर्ष के दौरान उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों का मूल्यह्रास और प्रचालन -

क्रम.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
i.	मूल्यह्रास	273	266
ii.	उत्सर्जन कम करने वाले उपकरणों की प्रचालनीय लागत	203	169
	कुल	**476**	**435**

v. **सुरक्षा, दृष्टिबंधन आदि**

टिप्पणी 35 देखें।

vi. **लाभ व हानि का विवरण में दर्शित राशि**

वस्तुसूचियों को निवल वसूली योग्य मूल्य में बट्टे खाते में डालने की राशि रु. 5,067 (रु. 10,351) है, को लाभ व हानि के विवरण में दर्शाया गया ।

vii. वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों को बट्टे खाते में डालने का रु. 3,389 (कुछ नहीं) का व्युत्क्रमण किया गया जिन्हें पिछले वर्ष में व्यय के रूप में दर्शाया गया ।

viii. **परिसंपत्तियों की ह्रास**

वस्तुसूची का प्रावधान ग्रूप की लेखा नीति सं. 17 के अनुरूप किया गया है।

ix. रु. 3,319 (रु. 19,921) राशि की सामग्री को ग्राहक के परिसर में वास्तविक रूप से देखा गया ।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 12		
अन्य परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू		
पूँजीगत अग्रिम	1,059	24,113
क्रय के लिए अग्रिम	2,783	2,979
घटाएँ - प्रावधान	(2,783)	(2,979)
	-	-
संविदा परिसंपत्ति	10,226	9,153
घटाएँ - प्रावधान	(10,226)	(9,153)
	-	-
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	407	476
घटाएँ - प्रावधान	(277)	(275)
	130	**201**
पूर्वदत्त व्यय	82	18
प्राप्त दावे - क्रय	569	991
घटाएँ - प्रावधान	(569)	(991)
	-	-
संविदा की लागत	33,304	1,931
अन्य - परिसंपत्तियाँ	109	381
घटाएँ - प्रावधान	(29)	(93)
	80	**288**
उप कुल (क)	**34,655**	**26,551**
चालू		
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम	710	2,501
क्रय के लिए दिए गए अग्रिम	1,37,067	1,49,361
संविदा परिसंपत्ति	4,27,168	2,88,512
अन्य		
सीमा शुल्क, पत्तन न्यास तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष *	27,225	17,650
पूर्वदत्त व्यय	3,891	3,255
पूर्वदत्त कर	6,761	11,030
प्राप्त दावे - क्रय	2,072	3,355
अन्य - परिसंपत्तियाँ	1,224	3,277
उप कुल (ख)	**6,06,118**	**4,78,941**
कुल (क+ख)	**6,40,773**	**5,05,492**

*माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में निर्णय लंबित होने के कारण, रु.1,497 का जीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का उपयोग किया जाना लंबित है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **परिसंपत्तियों का ह्रास**

गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास का प्रावधान कंपनी की लेखा नीति सं. 13 के अनुरूप किया गया है।

ii. **संविदा परिसंपत्तियों का ह्रास**

संविदा परिसंपत्तियों का ह्रास रु. 1,073 (रु. 2,505).

iii. **संविदा के परिशोधन और ह्रास की लागत**

संविदा के परिशोधन और ह्रास की लागत- संविदा के परिशोधन की लागत संविदा की लागत रु. 6,163(कुछ नहीं) से अपेक्षित अनुलाभ की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। निर्धारित संविदा परिशोधन और ह्रास की लागत कुछ नहीं (कुछ नहीं) हैं।

iv. **उचित मूल्य का मापन**

	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
	एफवीपीएल	**एफवीओसीआई**	**परिशोधित लागत**	**एफवीपीएल**	**एफवीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
संविदा परिसंपत्ति	-	-	4,27,168	-	-	2,88,512

v संविदा की लागत का अंतिम शेष ग्राहकों से रु. 4,659 (रु. 1,931) की संविदा प्राप्त करने की लागत दर्शाता है तथा संविदा पूरा करने की लागत रु. 28,645 (कुछ नहीं) है ।

	यथा 31 मार्च 2020	**यथा 31 मार्च 2019**
टिप्पणी 13		
(ii) नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों के पास शेष	36,253	58,281
हस्तस्थ चैक / ड्राफ्ट	-	-
हस्तस्थ नकद	3	5
मीयादी जमा	1,25,807	17,684
	1,62,063	**75,970**

i. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। तीन महीनों से अधिक परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को बैंक शेष में शामिल किया गया है। (टिप्पणी 14 देखें)

ii. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iii. नकद व नकद समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

	यथा 31 मार्च 2020	**यथा 31 मार्च 2019**
टिप्पणी 14		
बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]		
मीयादी जमा	3,839	13,893
बैंको के पास शारित राशि	-	219
अदत्त लाभांश खाता	148	7,105
	3,987	**21,217**

i. वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

ii. मूल कंपनी के पास बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ कोई सावधि जमा नहीं है। सहायक कंपनियों के बारह महीनों की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा के लिए नोट 9 देखें।

iii. बैंक शेष के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 15		
चालू कर संपत्तियाँ (निवल)		
आय कर का अग्रिम भुगतान	28,495	24,366
	28,495	**24,366**
चालू कर देयता (निवल)		
कराधान का प्रावधान	-	-
	-	**-**

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 16		
क. **इक्विटी शेयर पूँजी**		
i. **अधिकृत पूँजी**		
आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 250,00,00,000 (250,00,00,000) इक्विटी शेयर	25,000	25,000
ii. **जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता पूँजी**		
आईएनआर 1 (आईएनआर 1) प्रत्येक के 243,65,92,943 (243,65,92,943) इक्विटी शेयर	24,366	24,366

iii. **अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान**

विवरण	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	243,65,92,943	24,366	243,65,92,943	24,366
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाएँ – वर्ष के दौरान पुन:खरीद किए गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	243,65,92,943	24,366	243,65,92,943	24,366

iv. **कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर**

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2020		यथा 31 मार्च 2019	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
भारत सरकार	1,24,59,73,978	51.14%	1,43,33,26,432	58.83%

v. **पिछले 5 वर्षों के दौरान बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

बोनस शेयरों द्वारा पूर्ण चुकता के रूप में आबंटित इक्विटी शेयर -

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-18	2018-2019
शेयरों की संख्या	-	16,00,00,000	-	22,33,62,793	-

vi. **पिछले 5 वर्षों के दौरान पुन:खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग।**

पुन:खरीदे गए इक्विटी शेयर -

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-18	2018-2019
शेयरों की संख्या	-	-	1,66,37,207	2,03,97,780	-

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

vii. पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल कंपनी ने संविदा के अनुसार नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्ण चुकता शेयर आबंटित नहीं किया है।

		यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
viii.	विकल्प के तहत जारी करने के लिए आरक्षित शेयर तथा शेयर / विनिवेश की बिक्री की संविदाएँ/प्रतिबद्धताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ix.	अदत्त कॉल का कुल मूल्य (कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों सहित)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
x.	जब्त शेयर	कुछ नहीं	कुछ नहीं

xi. **प्रत्येक वर्ग के शेयर से संबद्ध निबंधन, अधिकार, अधिमानता और प्रतिबंध**

क) मूल कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर नामत: इक्विटी शेयर हैं।

ख) इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर एक मत के हकदार होंगे और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान कर सकेंगे।.

ग) प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

घ) कंपनी के समापन पर, इक्विटी शेयरधारक नियमों के अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियाँ, यदि कोई हो, के वसूल किए जाने वाले मूल्य के हकदार होंगे।

xii. क) **अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश**

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2018-2019 और वित्तीय वर्ष 2017-2018 के क्रमश: अंतिम लाभांश	41,422	9,746
वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के क्रमश: अंतरिम लाभांश	34,112	41,422
लाभांश वितरण कर	15,439	10,518

ख) **प्रारक्षणों की प्रकृति और उद्देश्य**

i. **पूँजीगत प्रारक्षण**

पूँजी प्रारक्षण प्रतिधारित अर्जन से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो कंपनी द्वारा अर्जित पूँजीगत लाभ के समतुल्य राशि होती है । इस प्रारक्षण का पयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

ii. **पूँजी मोचन प्रारक्षण**

पूँजी मोचन प्रारक्षण सामान्य प्रारक्षण से अंतरण करते हुए बनाया जाता है जो पुन:खरीद किए गए शेयरों के अंकित मूल्य के समतुल्य राशि होती है। इस प्रारक्षण का पयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

iii. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) द्वारा इक्विटी निवेश**

कंपनी ने अन्य व्यापक आय में कुछेक इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को दर्शाने का विकल्प लिया है। उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रारक्षण में संचित होता है। जब कभी निवेश को न दर्शाने का विकल्प लिया जाता है, संचित राशि को प्रतिधारित अर्जन को अंतरित कर दिया जाता है।

iv. **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**

अन्य व्यापक आय ऐसी लब्धियाँ और हानियाँ होती हैं जिनकी वसूली अभी नहीं हुई है और जिन्हें लाभ व हानि के विवरण में शामिल नहीं किया गया है। इसमें मुख्य रूप से निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति (निवल कर) का पुनर्मापन शामिल किया जाता है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 17		
आस्थगित आय		
गैर चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	18,196	18,809
उप कुल(क)	**18,196**	**18,809**
चालू		
सरकारी अनुदान - आस्थगित	1,750	1,573
उप कुल(ख)	**1,750**	**1,573**
कुल(क+ख)	**19,946**	**20,382**

i. प्रस्तुतीकरण की विधि के लिए लेखा नीति 16 देखें		
ii. सरकारी अनुदान की उपयोगिता की प्रकृति		
क) राजस्व खर्च	-	-
ख) पूँजीगत खर्च		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	19,946	20,382
iii. अन्य प्रकार की सरकारी सहायता जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है	-	-
iv. सरकारी अनुदान से संबद्ध पूरी न की गई शर्तों के विवरण	-	-
v. सरकारी अनुदान से संबद्ध आकस्मिकताएँ	-	-
vi. प्राप्त उक्त अनुदान सौर शक्ति संयंत्रो के लिए व्यवहार्यता कमी के वित्त-पोषण, रूफ़ टॉप सौर प्रणालियों तथा ज़ेडएनएस परियोजना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-शिप) संशोधित सहायता को दर्शाते हैं।		

vii. सहायक कंपनी के मामले में [बेलॉप]

सहायक कंपनी ने उच्च विशिष्टता II के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है। बेलोप में ट्यूब जो अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है। टीओटी लागत को अनुदान का प्रतिशत 74.30% संचयी आधार पर गणना की जाती है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 में टीओटी की ओर किए गए खर्चों का 74.30% लाभ और हानि के वक्तव्य में आय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 18		
उधार		
गैर चालू		
रक्षित		
बैंकों से मीयादी ऋण	-	-
उप कुल (क)	**-**	**-**
चालू		
रक्षित		
बैंकों से मीयादी ऋण	-	-
उप कुल (ख)	**-**	**-**
कुल (क+ख)	**-**	**-**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i

बैंकों से मीयादी ऋण	2019-20	2018-19
तुलन-पत्र की तारीख में कुल देयता	833	3,363
घटाएँ – दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वता *	833	3,334
घटाएँ – मीयादी ऋण पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	29
गैर चालू उधार	-	-

* टिप्पणी 20 में दर्शित

ii. **सुरक्षा की प्रकृति-**

टिप्पणी 35 देखें ।

iii. **चुकौती के निबंधन -**

जून 2017 से प्रारंभ होने वाली तिमाही और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही तक 12 तिमाही किस्तों में चुकौती योग्य।

iv. **ब्याज दर -**

मूल कंपनी के मामले में 7.90 % प्रति वर्ष आरबीआई / एसबीआई दिशानिर्देश और समूह की जोखिम रेटिंग के आधार पर संशोधन के अधीन। सहायक [बीईएलओपी] के मामले में ब्याज दर 8.80% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.70% प्रति वर्ष (एसबीआई) है।

v. **तुलन-पत्र की तारीख में चूक की अवधि और राशि –**

कुछ नहीं

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 19		
व्यापार देय		
गैर चालू		
- अन्य	20	26
उप कुल(क)	**20**	**26**
चालू		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	6,503	4,623
- अन्य	2,38,510	1,38,782
उप कुल(ख)	**2,45,013**	**1,43,405**
कुल(क+ख)	**2,45,033**	**1,43,431**

i. 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत यथा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय संबंधी सूचना नीचे दी गई है -

विवरण	2019-20	2018-19
क. उस पर देय मूलधन और ब्याज जो 31 मार्च को अदत्त थे -		
मूलधन *	6,773	4,734
ब्याज	7	1
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा अदा किया गया ब्याज और 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि -		
मूलधन	4	23
ब्याज	1	3

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण		2019-20	2018-19
ग	31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्युत्क्रमित ब्याज **	-	2
घ.	विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदेय ब्याज (जिसका भुगतान तो किया गया लेकिन वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परंतु अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।***	-	-
ङ.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के अंत में प्रोद्भूत एवं अदत्त ब्याज	7	3
च.	ब्याज जो बाद के वर्षों में भी देय और प्रदेय तब तक बना रहा जब तक उपरोक्तानुसार ब्याज की देय राशियाँ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती करने योग्य खर्च के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को वास्तविक रूप से अदा नहीं कर दी गई।	5	1

* इसमें टिप्पणी 20 में दर्शित राशि शामिल है

** अवधि के दौरान कुछ नहीं (रु.2) का प्रावधान जो पिछले वर्ष में किया गया था, व्युत्क्रमित किया गया क्योंकि अनुवर्ती सत्यापन के दौरान यह राशि देय नहीं पाई गई।

*** चालू वर्ष के संबंध में पहले से अदा किए गए आईएनआर 336 के मूलधन के लिए प्रदेय और देय ब्याज [परम अंक दर्शाता है] को पूर्णांकित किया गया और 31.03.2020 को आईएनआर 22,111 [परम अंक दर्शाता है] पूर्णांकित किया गया।

ii यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं, जहाँ तक उन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में निर्धारित किया जा सका, के संबंध में दी गई है और इस बारे में लेखा परीक्षकों द्वारा उत्तर दिया गया है।

iii **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

iv व्यापार देय के संबंध में मुद्रा तथा चलनिधि के जोखिम के प्रति कंपनी का एक्सपोज़र टिप्पणी 34 में प्रकट किया गया है।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 20		
अन्य वित्तीय देयताएँ		
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	4,751	3,029
पट्टेदारी देयताएँ	183	-
उप कुल(क)	**4,934**	**3,029**
चालू		
सुरक्षा जमा	17,648	10,288
दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्व राशियाँ [1]	833	3,334
दीर्घकालीन ऋण पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज[1]	-	29
व्यापार देय पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज[2]	7	3
अन्य व्यापार देय	14,060	15,209
अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	37	37
अदत्त लाभांश	148	7,105
सूक्ष्म व लघु उद्यम को देय गैर-व्यापार देय[2]	270	111
बकाया व्यय	49,580	67,598
अन्य पट्टाधारित देयताएँ	114	-
अन्य देयताएँ	1,183	1,866
उप कुल(ख)	**83,880**	**1,05,580**
कुल (क+ख)	**88,814**	**1,08,609**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
तुलन-पत्र की तारीख को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि को अंतरित की जाने वाली राशि.	कुछ नहीं	कुछ नहीं

1 टिप्पणी (18) देखें

2 टिप्पणी (19) देखें

i. **वित्तीय विलेख**

वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 33 देखें।

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 21		
प्रावधान		
गैर चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	32,954	24,951
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	56,604	51,359
भविष्य निधि पर ब्याज की देयता	603	-
अन्य		
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	109	218
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	24,043	14,551
स्थल पुनःस्थापन देयता का प्रावधान	2,114	1,285
उप कुल (क)	**1,16,427**	**92,364**
चालू		
कर्मचारी अनुलाभ		
उपदान *	1,902	(910)
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	3,138	2,433
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस)	4,301	4,266
भविष्य निधि पर ब्याज की देयता	1,231	-
कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान	493	470
वार्षिक प्रोत्साहन राशि	98	170
अन्य		
दुर्वह संविदाओं का प्रावधान	1,555	5,561
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान	20,733	36,092
उप कुल (ख)	**33,451**	**48,082**
कुल (क+ख)	**1,49,878**	**1,40,446**

* बाध्यता पर योजित परिसंपत्ति का अतिरिक्त दर्शाता है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

i. **2019-20 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन**

	कार्य-निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन देयता
1 अप्रैल को	50,643	5,779	1,285
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	23,612	4,176	829
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (नीचे की टिप्पणी vi देखें)	41		
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	29,438	8,291	
31 मार्च को	**44,776**	**1,664**	**2,114**

2018-19 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों का संचलन

	कार्य-निष्पादन वारंटी	दुर्वह संविदा	स्थल पुन:स्थापन देयता
1 अप्रैल को	40,613	9,825	519
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित अतिरिक्त प्रावधान	33,353	2,250	766
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (नीचे की टिप्पणी vi देखें)	182		
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	23,141	6,296	
31 मार्च को	**50,643**	**5,779**	**1,285**

ii. **वारंटियों का प्रावधान – ग्रूप की लेखा नीति 19 के अनुसार।**

ऐसे उत्पादों के संबंध में वारंटियों का प्रावधान किया जाता है जिनकी सामान्य वारंटी अवधि बकाया होती है। चूँकि वारंटी प्रावधान की अवधि उत्पाद-दर-उत्पाद अलग भिन्न होती है, वारंटी अवधि की औसत अवधि के आधार पर रणनीतिक कारोबारी यूनिट (एसबीयू) स्तर पर प्रावधान किया जाता है। संभावित व्ययों की प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान का मापन वारंटी की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iii. **स्थल पुन:स्थापन का प्रावधान – ग्रूप की लेखा नीति 22 के अनुसार**

पट्टादाता के साथ किए गए पट्टा करार के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, मूल कंपनी को भूमि उसकी मूल स्थिति में वापस करना है। तदनुसार, स्थल पुन:स्थापन देयता का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस प्रावधान का मापन पुन:स्थापन की लागत के सर्वोत्तम प्राक्कलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

iv. **दुर्वह संविदाओं का प्रावधान - ग्रूप की लेखा नीति 22 के अनुसार**

मूल कंपनी द्वारा की गई कुछेक संविदाओं के संबंध में, यह अपेक्षा की जाती है कि संविदा को पूरी करने की संभावित लागत संविदा के समक्ष प्राप्त / प्राप्य राजस्व से अधिक होगी। ऐसे मामलों में, संभावित हानियों का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक वर्षांत में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। इस प्रावधान का मापन संभावित हानि की प्राक्कलित लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

v. बिक्री के संबंध में कार्य-निष्पादन वारंटी की देयता जहाँ पूर्तिकर्ता की दोतरफा वारंटी उपलब्ध है, पूर्तिकर्ता द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में संभावित देयता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की जाती और इसका उल्लेखनीय होना अपेक्षित नहीं है।

vi. प्रारंभिक प्रावधान को नामे की गई राशि

vii. वारंटी की लागत के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्ष के समक्ष रु. 13,937 (रु. 7,606) की राशि नामें की गई ।
स्थल पुन:स्थापन की देयता के संबंध में नैसर्गिक कोड शीर्षक के समक्ष कुछ नहीं राशि (कुछ नहीं) नामे की गई ।

viii. पिछले वर्षों के दौरान, ईवीएम और वीवीपैट परियोजना से संबंधित वारंटी प्रावधान प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलनों के आधार पर किए गए थे क्योंकि सामान्य क्रम में प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की गई थी। बहरहाल, चालू वर्ष के दौरान, चूँकि वास्तविक खर्च प्रबंधन के अनुमान से कम रहा, इसलिए, तदनुसार अतिरेक प्रावधान वापस किया गया।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

(क) नियोजन पश्चात् कर्मचारी अनुलाभ देयता

(i) उपदान - (मूल कंपनी के संबंध में)

कंपनी भारत में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार कर्मचारियों को उपदान प्रदान करती है। कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक उपदान योजना है जो वित्त-पोषित योजना है। प्रत्येक वर्ष कंपनी निधि देयताओं पर परिसंपत्तियों की कमी की सीमा तक इस उपदान ट्रस्ट में निधि विप्रेषित करती है जो बीमांकक मूल्यांकन द्वारा तय की जाती है। इस उपदान योजना के अनुसार, कंपनी में कम से कम पाँच वर्षों की सतत् सेवा प्रदान करने के बाद सेवा समाप्ति पर कर्मचारी को देय होता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छ: महीनों की अवधि से अधिक भाग के लिए, कंपनी अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर पंद्रह दिन के वेतन की दर से कर्मचारी को उपदान का भुगतान करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है -

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	63,187	61,412
	चालू सेवा लागत	1,713	1,672
	ब्याज की लागत	4,654	4,531
	विगत सेवा लागत	-	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(4,870)	(5,442)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	योजित देयता में वित्तीय मान्यताओं का परिवर्तन - हानि / (लब्धि)	5,957	316
	योजित देयता में अनुभव समायोजन - हानि / (लब्धि)	663	698
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**71,304**	**63,187**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	64,322	64,945
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4970	4,803
	अंशदान	6,000	-
	अदा किए गए अनुलाभ	(4,870)	(5,442)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	(720)	16
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**69,702**	**64,322**
	निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**1,602**	**(1,135)**
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव - वर्ष के प्रारंभ में	**-**	**366**
	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव - वर्ष के अंत में	**-**	**(286)**
	निवल निर्धारित अनुलाभ (परिसंपत्ति) / देयता	**1,602**	**(1,055)**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	चालू सेवा लागत	1,713	1,672
	निवल निर्धारित अनुलाभ देयता पर निवल ब्याज	(317)	(273)
	विगत सेवा लागत	**-**	-
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	1,396	1,399
iv)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) -**		

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
	योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	6,621	1,014
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर - (लब्धि) / हानि	721	(16)
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	(81)	(286)
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	7,261	712
v)	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ -**		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	71,304	63,187
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	69,702	64,322
	वित्त पोषण की स्थिति [(अधिशेष) / कमी]	**1,602**	**(1,135)**
	परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव - वर्ष के प्रारंभ में	**-**	**366**
	परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव - वर्ष के अंत में	**-**	**(286)**
	तुलन-पत्र के अनुसार 31 मार्च को वर्ष की देयता / (परिसंपत्ति)	**1,602**	**(1,055)**
vi)	**योजित परिसंपत्तियाँ**		
	योजित परिसंपत्तियों के वर्ग इस प्रकार हैं -		
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.12%	1.58%
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	1.22%	1.36%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	-	1.40%
	बीमाकर्ता के पास निवेश	98.65%	95.20%
	अन्य (बैंक शेष)	0.01%	0.46%
vii)	**बीमांकक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	प्रतिपूरक स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	6.65%	7.66%
	अनुमानित औसत भावी कार्यशील जीवन	15.90	16.40
viii)	**अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन -**		
	तुलन-पत्र के बाद शुरु होने वाली वार्षिक अवधि के दौरान उपदान के लिए अदा किए जाने वाले अंशदान का सर्वोत्तम प्राक्कलन रु. 1,602 (कुछ नहीं) है।		
ix)	**संवेदनशीलता विश्लेषण -**		
	बट्टे की दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.15%	8.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	**(3,069)**	**(2,548)**
	बट्टे की दर (0.50% संचलन) में कमी	6.15%	7.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	**3,329**	**2,750**
	वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में वृद्धि	7.50%	7.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	**1,049**	**1,015**
	वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में कमी	6.50%	6.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(1,133)	(1,080)

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

अतिरिक्त प्रकटण -

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकिक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

iii. उपदान निर्धारित अनुलाभ देयता का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है -

वर्ष	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष 1	3,091	3,028
वर्ष 2	9,288	8,145
वर्ष 3	6,450	5,971
वर्ष 4	7,031	6,108
वर्ष 5	8,038	6,662
अगले 5 वर्ष	33,363	34,540

उपदान विवरण (सहायक कंपनी - बेलॉप के संबंध में)-

भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ द्वारा आवश्यक कर्मचारी लाभों का विवरण निम्नानुसार हैं-

परिभाषित लाभ योजना

i) लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानि रु.36 (पिछला वर्ष रु. 17) है।

ii) अन्य लाभकारी आय विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानि रु.264 (पिछला वर्ष रु. 128) ।

iii) उपदान एक कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों अंतिम आहरित वेतन के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाला लाभ है।

iv) उपदान योजना वित्त पोषित है।

		2019-2020	2018-2019
क.	**परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन, उसके शुरुवाती और अंतिम समय के शेष का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार हैं-**		
1	अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	515	343
2	ब्याज लागत	40	27
3	चालू सेवा लागत	24	16
4	पूर्व सेवा लागत	-	-
5	परिसंपत्तियों का हस्तांतरित इन / अभिग्रहण	-	-
6	(परिसंपत्तियां हस्तांतरित आउट / विनिवेश)	-	-
7	काट छांट पर हानी/(लाभ)	-	-
8	परिशोधन पर शामक देयताएँ	-	-
9	(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान की गई लाभ)	-	-
10	(फंड से भुगतान की गई लाभ)	(4)	-
11	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12	बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर नुकसान - जनसांख्यिकी मान्यताओं में बदलाव के कारण	-	-

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		2019-2020	2018-2019
13	बीमांकिक (लाभ) / दायित्वों पर नुकसान - वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	210	117
14	एक्चुरियल दायित्वों पर (लाभ) / नुकसान - अनुभव के कारण	59	12
15	यथा तुलन पत्र की दिनांक के अनुसार निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	844	515
ख.	**खोलने और बंद करने की शेष के सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करने वाली योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:**		
1	अवधि की शुरुआत में योजना की संपत्ति का उचित मूल्य	369	339
2	ब्याज आय	29	27
3	नियोक्ताओं द्वारा वास्तविक योगदान	145	4
4	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
5	परिसंपत्तियों का हस्तांतरित इन / अधिग्रहण	-	-
6	(परिसंपत्तियां हस्तांतरित आउट / विनिवेश)	-	-
7	(फंड से भुगतान की गई लाभ)	(4)	-
8	(परिशोधन पर वितरित परिसंपत्तियां)	-	-
9	परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा पर प्रभाव	-	-
10	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
11	योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर	5	-
12	अवधि के अंत में योजना की संपत्ति का उचित मूल्य	544	370
ग.	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि-**		
1	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	(844)	(515)
2	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	544	370
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]	(300)	(145)
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(300)	(145)
घ.	**तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि दिखाने वाली योजना परिसंपत्तियों के परिभाषित लाभ दायित्व और उचित मूल्य के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य-**		
1	अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(844)	(515)
2	अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	544	370
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (कमी)]	(300)	(145)
4	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति / (देयता)	(300)	(145)
ङ.	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
1	वर्तमान सेवा की लागत	25	17
2	ब्याज लागत	11	-
3	पिछली सेवा लागत	-	-
4	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
5	काट छांट व परिशोधन पर हानि / (लाभ)	-	-
6	विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव का शुद्ध प्रभाव	-	-
7	**उपदान फंड में योगदान के तहत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय**	**36**	**17**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		2019-2020	2018-2019
च. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय			
1	अवधि के लिए दायित्व में एक्चुरियल (लाभ) / हानि	269	(128)
2	योजनाबद्ध परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर	(5)	-
3	परिसंपत्ति की उच्छतम सीमा में बदलाव	-	-
4	**ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय**	264	(128)
छ. **उपदान और सेवानिवृत्ति के संबंध में फंडेड बेनिफिट्स के संबंध में, योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य "बीमाकर्ता प्रबंधित फंड" के माध्यम से निवेश की गई राशियों का प्रतिनिधित्व करता है।**			
ज. प्रधान बीमांकिक अनुमान-			
1	छूट की दर (%)	6.83%	7.76%
2	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ (%)	6.83%	7.76%
3	वेतन वृद्धि (%)	10.50%	8.00%
4	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%

क) छूट की दर दायित्वों की अनुमानित शर्तों के लिए तुलन पत्र की तारीख के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार पैदावार पर आधारित है।

ख) **योजना आस्तियों की वापसी की अपेक्षित दर-** यह दायित्वों की अनुमानित अवधि के दौरान फंड के निवेश पर अपेक्षित लंबी अवधि की औसत रिटर्न की उम्मीद पर आधारित है।

ग) **वेतन वृद्धि दर-** भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमानों पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

झ. संवेदनशीलता विश्लेषण

		2019-2020	2018-2019
1	वर्तमान अनुमानों पर अनुमानित लाभ दायित्व	844	515
2	डेल्टा प्रभाव + 1% छूट की दर में परिवर्तन	(70)	(42)
3	डेल्टा प्रभाव -1% छूट की दर में परिवर्तन	80	48
4	डेल्टा प्रभाव +1% वेतन वृद्धि की दर में बदलाव	76	47
5	डेल्टा प्रभाव -1% वेतन वृद्धि की दर में बदलाव	(69)	(43)
6	डेल्टा प्रभाव +1% कर्मचारी विक्रयावर्त की दर में परिवर्तन	(15)	(1)
7	डेल्टा प्रभाव -1% कर्मचारी विक्रयावर्त की दर में परिवर्तन	17	1

ञ. उपदान फंड का निवेश बीमा कंपनी के पास ह।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

(ii). बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) - (मूल कंपनी के संबंध में)

कंपनी में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना "बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना" (बीईआरईसीएचएस) है जो गैर-वित्त पोषित योजना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनुलाभ ऐसे कर्मचारियों को उपलब्ध होते हैं जो स्वयं और जिनकी पत्नी/पति मात्र इसके सदस्य बनते हैं। कंपनी अंत:रोगी उपचार के लिए बीमा रक्षा लेती है। वार्षिक बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त, कंपनी चिकित्सा लागत का 60% और बाह्यरोगी उपचार के लिए नैदानिक परीक्षणों का 75% लागत वहन करती है और विशेष बीमारियों के इलाज के लिए, कंपनी बीमा रक्षा के अलावा इलाज की पूरी लागत वहन करती है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि की विवरणी में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और तुलन-पत्र में निर्धारित राशियों का सार और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्षों के दौरान निवल निर्धारित अनुलाभ देयता का संचलन दिया गया है -

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य (पीवीओ)	55,625	44,872
	चालू सेवा लागत	2,909	2,365
	ब्याज की लागत	4,278	3,464
	अदा किए गए अनुलाभ	447	(10)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि		
	गैर-योजित देयता पर वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन - हानि / (लब्धि)	7,333	3,621
	गैर-योजित देयता पर अनुभव समायोजन - हानि / (लब्धि)	(9,687)	1,313
	अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**60,905**	**55,625**
ii)	**गैर-योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (प्रतिपूर्ति के अधिकार) -**		
	वर्ष के प्रारंभ में गैर-योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	55,908	47,579
	गैर-योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	4,283	3,867
	अंशदान	3,836	8,876
	अदा किए गए अनुलाभ	(3,836)	(3,876)
	अन्य व्यापक आय में निर्धारित गैर-योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकक लब्धि / (हानि)	(352)	(537)
	अवधि के अंत में गैर-योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**59,839**	**55,909**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	2,909	2,365
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर ब्याज	4,278	3,464
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय [व्यय - कुछ नहीं (रु. 547), प्रावधान - रु. 7,187 (रु. 5,282)]	**7,187**	**5,829**
iv)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन:मापन) -**		
	गैर-योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	(2,353)	4,934

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
	गैर-योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि	352	537
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	**(2,001)**	**5,471**
v)	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ -**		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	60,905	55,625
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्त-पोषण की स्थिति	(60,905)	(55,625)
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	**60,905**	**55,625**
	अगले बारह महीनों में प्रदेय के लिए अपेक्षित	**4,301**	**4,266**
	अगले बारह महीनों के बाद प्रदेय के लिए अपेक्षित	**56,604**	**51,359**
vi)	**बीमांकक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	चिकित्सा स्फीति दर	6.00%	6.00%
	पलायन दर	1.00%	1.00%
vii)	**सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु वृद्धि का प्रभाव -**		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	1,098	982
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	9,313	7,599
	सेवा लागत और ब्याज की लागत तथा निर्धारित अनुलाभ देयता के योग पर मानी गई स्वास्थ्य सेवा लागत की प्रवृत्ति दरों में एक प्रतिशत बिंदु कमी -		
	सेवा लागत और ब्याज की लागत के योग पर प्रभाव	(884)	(804)
	निर्धारित अनुलाभ देयता पर प्रभाव	(7,423)	(6,220)
viii)	**संवेदनशीलता विश्लेषण -**		
	बट्टे की दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	7.15%	8.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(3,836)	(3,177)
	बट्टे की दर में (0.50% संचलन) कमी	6.15%	7.16%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	4,304	3,533
	चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) वृद्धि	6.50%	6.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	4,350	3,603
	चिकित्सा स्फीति दर में (0.50% संचलन) कमी	5.50%	5.50%
	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता में वृद्धि / (कमी)	(4,579)	(3,261)

अतिरिक्त प्रकटण -

i. संवेदनशीलता विश्लेषण में अन्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक समय में एक प्रमुख बीमांकक मान्यता का परिवर्तन शामिल है। संवेदनशील विश्लेषण 50 मूल अंकों तक जोड़ते या घटाते हुए परिवर्तित मान्यताओं के संपूर्ण मूल्यांकन मॉडल को दोबारा चलाते हुए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

ii. पिछले वर्ष की तुलना में संवेदनशीलता विश्लेषण करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iii. बीईआरईसीएचएस का परिपक्वता प्रोफाइल नीचे दिए गया है -

वर्ष	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष 1	2985	3,003
वर्ष 2	3149	3,173
वर्ष 3	3320	3,352
वर्ष 4	3501	3,543
वर्ष 5	3678	3,732
अगले 5 वर्ष	20906	21,444

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि [ब्याज में कमी]- (मूल कंपनी के संबंध में)

कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंध कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। कंपनी इस ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति देय प्रबंधन का अंशदान देती है।

कंपनी द्वारा दिए गए अंशदान और ब्याज में कमी, यदि कोई हो, को कर्मचारी अनुलाभ व्यय के तहत लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है। भविष्य निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तथा मान्यताओं के आधार पर, ब्याज की लागत में कमी हुई है क्योंकि इस निधि के अपेक्षित भावी अर्जन का वर्तमान मूल्य भविष्य निधि ट्रस्ट के ब्याज की अपक्षित गारंटीयुक्त दर के आधार पर वैयक्तिक सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि से कम है।

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	2,66,296	2,31,115
	चालू सेवा लागत	11,500	34,793
	ब्याज की लागत	20,793	16,957
	विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
	विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	बीमांकिक (लब्धि) / हानि	1,335	6,352
	अदा किए गए अनुलाभ	(29,210)	(22,921)
	अंशदान	29,354	
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**3,00,068**	**2,66,296**
ii)	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन -**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,69,156	2,35,924
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	21,012	18,698
	अंशदान*	40,746	35,456
	अदा किए गए अनुलाभ	(29,210)	(22,921)
	योजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लब्धि / (हानि)	(2,060)	1,999
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2,99,644**	**2,69,156**
iii)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	प्रारंभिक निवल देयता	-	-
	चालू सेवा लागत	11,500	34,793

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण		2019-20	2018-19
	ब्याज की लागत	20,793	16,957
	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति	(21,012)	(18,698)
	अवधि में निर्धारित निवल बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	4,353
	विगत सेवा लागत (अनिहित अनुलाभ)	-	-
	विगत सेवा लागत (निहित अनुलाभ)	-	-
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	**11,281**	**37,405**
iv)	**तुलन-पत्र में निर्धारित राशियाँ -**		
	अवधि के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	3,00,068	2,66,296
	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,99,644	2,69,156
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	179	-
	अंतर	**603**	**(2,860)**
	अनिर्धारित बीमांकिक (लब्धि) / हानि	-	-
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता	**603**	-
v)	**चालू अवधि की राशि -**		
	देयता का वर्तमान मूल्य	3,00,068	2,66,296
	योजित परिसंपत्तियाँ	2,99,644	2,69,156
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	179	-
	अधिशेष / (कमी)	(603)	2,860
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि) / लब्धि	(1,259)	(6,342)
	योजित परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन - (हानि) / लब्धि	(2,060)	1,999
vi)	**अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ (पुन: मापन) -**		
	योजित देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि)/ हानि	1,335	-
	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति और ब्याज की आय के बीच का अंतर - (लब्धि) / हानि	2,060	-
	तुलन-पत्र की परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	(2,792)	-
	अन्य व्यापक आय के विवरण में निर्धारित राशियाँ	603	-
vii)	**यथा 31 मार्च को परिसंपत्तियों का वर्ग -**		
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	44.68%/61.00%	43.73%/50.74%
	उच्च गुणता के कार्पोरेट बांड	36.72%/21.10%	39.24%/34.01%
	म्युच्युअल फंड	4.36%/1.50%	5.01%/1.75%
	अन्य	13.27%/12.00%	11.90%/11.76%
	अरक्षित, उद्यम से वसूल किए गए अनुसार**	0.38%/4.30%	0.12%/1.74%
	2019-20 के दौरान ट्रस्ट द्वारा उपगत निवल हानि समाप्त करने के लिए कार्पोरेट से वसूली योग्य राशि	0.59%/0.10%	
	कुल	**100%/100%**	**100%/100%**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	विवरण	2019-20	2018-19
vii)	**बीमांकिक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर	8.80%/8.90%	8.30%/8.75%

***नोट** - इसमें चालू वर्ष के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट की ब्याज की कमी की ओर रु. 1,231 शामिल है जिसका प्रावधान किया गया।

**** नोट** - निवेश का अरक्षित (मूलधन) हिस्सा जो रु. 5,740 (रु. 2,050) बनता है, को ट्रस्ट ने गैर-निष्पादनीय निवेश माना है और इस राशि को चूक की स्थिति में उद्यम से वसूल की जाने वाली राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार इसका प्रावधान किया गया है।

ख. दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति - (मूल कंपनी के संबंध में)

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति योजना है जो गैर वित्त-पोषित योजना है। कंपनी के कर्मचारी दी प्रकार की दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ लेने के हकदार होते हैं - कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और आधे वेतन की छुट्टी (एच.एल.) और गैर-कार्यपालकों के लिए वार्षिक छुट्टी (ए.एल.) और बीमारी छुट्टी (एस.एल.)। इस योजना में अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त न की गई छुट्टी (कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एच.एल. और गैर-कार्यपालकों के लिए ए.एल. और एस.एल.) के समक्ष कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान होता है।

निम्नलिखित टेबल में लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल अनुलाभ व्यय के घटक और बीमांकक द्वारा दी गई प्रकटण रिपोर्ट में दिए गए अनुसार, योजना के लिए तुलन-पत्र में निर्धारित राशि के विवरण दिए गए हैं -

	विवरण	2019-20	2018-19
i)	**लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित व्यय -**		
	लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित निवल व्यय [2019-20 नकदीकृत छुट्टी - रु. 1,073, प्रावधान - रु. 8,552] [2018-19 नकदीकृत छुट्टी - रु. 773, प्रावधान - रु. 6,423]	9,625	7,196
ii)	**तुलन-पत्र में निर्धारित की जाने वाली राशियाँ -**		
	तुलन-पत्र में निर्धारित देयता [बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	**35,699**	**27,147**
iii)	**बीमांकिक मान्यताएँ -**		
	बट्टे की दर	6.65%	7.66%
	क्षतिपूरण स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
iv)	विगत अनुभव के आधार पर, कंपनी यह अपेक्षा नहीं करती है कि अगले 12 महीनों में सभी कर्मचारी प्रोद्भूत छुट्टी की पूर्ण राशि लेंगे या इसका भुगतान करने की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित राशियाँ ऐसी छुट्टी को दर्शाते हैं जिसे अगले 12 महीनों के भीतर / 12 महीनों के बाद लिया जाएगा या भुगतान किया जाएगा।		
	चालू छुट्टी की देयता अगले 12 महीनों में निपटाना अपेक्षित है	3,115	2,417
	12 महीनों के बाद निपटाने के लिए अपेक्षि छुट्टी की देयता	32,584	24,730
	कुल	**35,699**	**27,147**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

लंबी अवधि के मुआवजे की अनुपस्थिति (सहायक कंपनी - बेलॉप के संबंध में)

नकदीकरण अवकाश

कंपनी के पास अवकाश नकदीकरण योजना है जो एक गैर-वित्त पोषित योजना है।

योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी अपने संचित वार्षिक अवकाश के अधीन प्रत्येक ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम अवकाश के प्रतिधारण को प्राप्त करने के हकदार हैं। नकदीकृत अवकाश प्रति दिन (बेसिक + डीए) / 30 की दर से देय है। लंबी अवधि के मुआवजे के अभाव के लिए देयता जैसे कि बीमांकिक आधार पर वार्षिक छुट्टी का मूल्य 31.03.2020 के अनुसार रु. 393 है। पीयूसी पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है।

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
सेवानिवृत्ति आयु	58 years	58 years
आर्कषक मुल्य	2%	2%
भावी वेतन वृद्धि	10.50%	8%
छूट की दर	6.83%	7.76%
मृत्यु दर तालिका	भारतीय आश्वासित मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय आश्वासित मृत्यु दर (2006-08)

लंबी अवधि के मुआवजे के अभावों पर देयता की राशि को एक्ट्रे की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान के बीच द्विभाजित किया गया है।

विवरण	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2019**
चालू देयताएँ	23	16
गैर चालू देयताएँ	370	221
कुल	**393**	**237**

ग. पेंशन योजना- [मूल कंपनी के संबंध में]

कंपनी में अपने कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित अंशदान पेंशन अनुलाभ योजना है जिसमें इस प्रयोजनार्थ स्थापित ट्रस्ट में वार्षिक आधार पर अंशदान दिया जाता है।

इस योजना के तहत अनुलाभ इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

i) निर्धारित अनुलाभ योजना (यानी उपदान और बीईआरईसीएचएस) के कारण पैदा होने वाले विशिष्ट या असाधारण जोखिमों का व्याख्यात्मक वर्णन

निर्धारित अनुलाभ योजनाओं से संबंधित विशिष्ट जोखिम इस प्रकार हैं - दो रिपोर्टिंग अवधियों के बीच दीर्घकालीन सरकारी बांड दर में संचलन बट्टे की दर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप देयताओं का वर्तमान मूल्य प्रभावित होगा। वित्तीय वर्ष में वास्तविक अनुभव के समक्ष मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उच्चतर / निम्नतर वेतन वृद्धि / अनुलाभ का जोखिम। बहरहाल, दोनों प्रकार की जोखिमों को नियमित आधार यानी वार्षिक रूप से कम किया जाता है क्योंकि अद्यतन मान्यताओं के आधार पर ये मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष के बाद किए जाते हैं।

ii) किसी परिसंपत्ति - देयता की मेल करने वाली रणनीति का व्याख्यात्मक वर्णन

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की समर्थक परिसंपत्तियाँ मुख्यत: बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ होती हैं। इसलिए, इस योजना के लिए परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियों को कार्यान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में, कंपनी की सीमित लोचता होती है। कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना गैर-वित्त पोषित योजना है। इसलिए, परिसंपत्ति-देयता का मेल करने वाली रणनीतियाँ इस योजना के लिए संगत नहीं हैं।

iii) वित्त-पोषण की व्यवस्थाओं और वित्त-पोषण की नीति का वर्णन

कंपनी की उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है। इस योजना की योजित परिसंपत्तियों का 98.65% (95.20%) बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित परिसंपत्तियाँ होती हैं और योजित परिसंपत्तियों का 1.34% (2.94%) निवेश केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाता है। इस निधि का वार्षिक अंशदान आम तौर पर अनुलाभ देयताओं के पूर्ववर्ती बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रकट किए गए अनुसार, कमी के समतुल्य तय किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना [बीईआरईसीएचएस] गैर-वित्त पोषित योजना है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
टिप्पणी 22		
अन्य देयताएं		
गैर चालू		
आस्थगित राजस्व - ग्राहक अनुदान	112	475
उप कुल (क)	**112**	**475**
चालू		
आस्थगित राजस्व - ग्राहक अनुदान	363	389
संविदा देयता		
- ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	8,83,299	7,27,913
- आस्थगित राजस्व	3,615	4,211
सांविधिक देयताएं	31,413	11,347
अन्य	3,788	2,375
उप कुल (ख)	**9,22,478**	**7,46,235**
कुल (क+ख)	**9,22,590**	**7,46,710**

i. संविदा देयता

रु. 1,63,559 (रु. 2,11,270) की राशि वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व में से संविदा देयता के प्रारंभिक शेष के समक्ष समायोजित की गई ।

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 23				
प्रचालनों से राजस्व				
उत्पादों की बिक्री	11,29,980		10,63,117	
सेवाओं से आय	1,33,678		1,22,353	
		12,63,658		**11,85,470**
अन्य प्रचालनीय राजस्व				
रद्दी की बिक्री		548		500
परिवहन की रसीदें		390		376
किराए की रसीदें		709		630
कैन्टीन प्राप्ति		1,233		1,143
संग्रहित बिजली प्रभार		203		191
संग्रहित जल प्रभार		54		59
आहरित प्रावधान				
- कार्य-निष्पादन वारंटी	5,826		-	
- दुर्वह संविदाएँ	4,114		4,046	
- संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्जाना	4,302		6,854	
-वस्तुसूची	6,620		5,278	
- ऋण व अग्रिम	304		198	
- अन्य*	102		75	
		21,268		16,451
शुल्क वापसी सहित सरकारी अनुदान		2,125		1,993
ग्राहक के अनुदान		389		411
विविध		6,190		9,193
		12,96,767		**12,16,417**

* * इसमें कर्मचारियों से प्राप्य राशि की वसूली के प्रति रु. 33 शामिल है । टिप्पणी 30(18) देखें।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

(i) ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के भिन्न-भिन्न आंकड़े (2019-20)

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	9,23,545	1,01,391	72,569	32,475	11,29,980
सेवाओं से आय	99,747	29,637	1,682	2,612	1,33,678
कुल	**10,23,292**	**1,31,028**	**74,251**	**35,087**	**12,63,658**

उपर्युक्त में से रु. 35,087 की ग्रूप की निर्यात बिक्री बीईएल (मूल कंपनी) से संबंधित है । इसके अलावा, जीई-बीई प्रा. लि. का निर्यात रु. 105,840 (जिसका मूल्य ऊपर शामिल नहीं है) है ।

ग्राहकों की संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के भिन्न-भिन्न आंकड़े (2018-2019)

विवरण	देशीय			निर्यात	कुल
	भारत सरकार		अन्य		
	रक्षा	रक्षा इतर			
उत्पादों की बिक्री	7,00,819	3,41,696	7,128	13,474	10,63,117
सेवाओं से आय	1,04,663	16,356	909	425	1,22,353
कुल	**8,05,482**	**3,58,052**	**8,037**	**13,899**	**11,85,470**

उपर्युक्त में से रु. 13,819 की ग्रूप की निर्यात बिक्री बीईएल (मूल कंपनी) से संबंधित है और रु. 80 बीईएल थालेस से संबंधित है। इसके अलावा, जीई-बीई प्रा. लि. का निर्यात रु. 94,287 (जिसका मूल्य ऊपर शामिल नहीं है) है ।

(ii) लाभ व हानि के विवरण में संविदा के मूल्य सहित निर्धारित राजस्व का समाधान

विवरण	2019-20		2018-19	
	राशि	राशि	राशि	राशि
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार राजस्व				
उत्पादों की बिक्री	11,29,980		10,63,117	
सेवाओं से आय	1,33,678		1,22,353	
कुल (क)		**12,63,658**		**11,85,470**
संविदा के मूल्य में समायोजन जोड़ें / (घटाएँ)				
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के दावे	(16,830)		(3,647)	
मूल्य पुनरीक्षण	-		5,073	
दी गई छूट और रिबेट	71		190	
अन्य	(10,769)		(914)	
कुल समायोजन (ख)		**(27,528)**		**702**
संविदा मूल्य (क+ख)		**12,36,130**		**11,86,172**

कार्य-निष्पादन देयता पूरी करना

क. अधिकांश संविदाओं में, कार्य-निष्पादन की देयता ऐसे "समय-बिंदु" में पूरी की जाती है जो प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने से निर्धारित होती है। इसके लिए विचार किया गया एक प्रमुख संसूचक उल्लेखनीय जोखिम का अंतरण और ग्राहकों का पारितोषिक है जो इन्को की शर्तों पर आधारित होता है। जहाँ संविदा में एक से अधिक कार्य-निष्पादन देयताएँ होती हैं तो कार्य-निष्पादन देयता पूरी करने का समय-बिंदु तय करने के लिए भारतीय ए.एस. 115 में निर्दिष्ट मानदंड लागू किया जाता है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ख. "बिल एंड होल्ड" व्यवस्था में, कार्य-निष्पादन देयता संविदा में माल के निस्शर्त विनियोजन पर पूरी की जाती है। सामान्य रूप से, अभिरक्षा सेवा के लिए कोई देयता नहीं होती।

ग. ग्राहक के साथ की गई संविदा में आम तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होता और ग्राहक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान तथा / या प्रतिधारित राशि संविदा के दोनों पक्षकारों की रक्षा करने के आशय से रखी जाती है।

घ. परिवर्ती प्रतिफल में प्राथमिक रूप से विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव खंड के समक्ष प्राप्य / प्रतिपूर्ति योग्य राशि शामिल होती है। इसके संबंध में निर्धारित राजस्व की राशि संविदा में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के आधार पर तय की जाती है। इस राशि को ग्राहक का दावा प्रोद्भूत होने / स्वीकार करने पर राजस्व के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ङ. कंपनी के कुल कारोबार में मुख्य रूप से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है।

च. ग्राहकों के साथ की गई संविदा में सामान्य रूप से वापसी / धन-वापसी का खंड नहीं होता है।

छ. प्रदान की गई वारंटियाँ मुख्य रूप से कार्य-निष्पादन वारंटी की प्रकृति की होती हैं।

ज. कंपनी ऐसी संविदाओं के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से निविष्टि विधि का उपयोग करती है जिनमें कार्य-निष्पादन देयता एक समयावधि में पूरी की जाती है। राजस्व निर्धारित करने के लिए, समापन प्रतिशत विधि अपनाई जाती है जिसमें निर्धारित किए जाने वाले राजस्व की प्रमात्रा तय करने के लिए संविदा की कीमत में कुल प्राक्कलित लागत में उपगत वास्तविक लागत का प्रतिशत लागू किया जाता है।

झ. ग्राहकों के साथ की गई संविदा (ए.एम.सी. को छोड़कर) जिसके संबंध में राजस्व एक समयावधि में निर्धारित की गई है, में सामान्य रूप से विभिन्न प्रकृति के अनेक कार्यकलाप शामिल होते हैं जैसे भवन निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना, उपकरण और सिस्टम की नेटवर्किंग आदि। इसके कारण, किए गए कार्य (यानी उत्पादन) की मात्रा को विश्वसनीय रूप से वास्तविक परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि, निविष्टि विधि के अंतर्गत, इन विविध कार्यकलापों के संबंध में उपगत लागत प्राप्त की जा सकती है और समापन का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आने वाली लागत (जिसका प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है) के कुल प्राक्कलित लागत से इसकी तुलना की जा सकती है। ए.एम.सी. संविदाओं के मामले में, राजस्व निर्धारित करने के लिए उत्पादन विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ कार्य-निष्पादन देयता पूरी करने के लिए समय अंतराल मानदंड होता है।

ञ. "समय-बिंदु" पर पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व निर्धारित करने के लिए, यह तय करने के लिए कि क्या ग्राहक ने "परिसंपत्ति पर नियंत्रण" प्राप्त किया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का उपयोग किया जाता है -

- उल्लेखनीय जोखिम और परितोष का अंतरण
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- संस्थान ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- संस्थान का परिसंपत्ति का भुगतान करने का वर्तमान अधिकार है

ट. लेनदेन की कीमत का निर्धारण सामान्य रूप से ग्रहाक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है। अनेक देयताओं के संबंध में लेनदेन की कीमत का आबंटन सापेक्ष स्टैंडअलोन बिक्री कीमत पर आधारित होता है।

ठ. लेनदेन की कीमत का निर्धारण सामान्य रूप से ग्रहाक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है। अनेक देयताओं के संबंध में लेनदेन की कीमत का आबंटन सापेक्ष स्टैंडअलोन बिक्री कीमत पर आधारित होता है. चालू / पिछले वर्ष के दौरान कोई नकद-रहित प्रतिफल प्राप्त नहीं किया गया / दिया गया।

(iii) पिछली अवधियों में पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता में से वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में रु. 7,725 (रु. 2,974) (निवल) की राशि निर्धारित की गई।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 24		
अन्य आय		
मीयादी जमा पर ब्याज की आय	7,058	3,560
स्टाफ़/ आयकर वापसी / अन्य से ब्याज की आय	2,199	2,214
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री का लाभ	21	27
विदेशी मुद्रा की अवकल लब्धि	-	1,102
किराए की आय - निवेश संपत्ति	145	123
विविध (व्यय का निवल)	517	273
	9,940	**7,299**

विदेशी मुद्रा के लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और उसके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच ऐसे लेनदेन से होने वाले उतार-चढ़ाव की दर के कारण विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 25				
तैयार माल, चालू कार्य और रद्दी की वस्तुसूचियाँ में परिवर्तन				
चालू कार्य -				
अंतिम वस्तुसूची	1,29,731		1,55,848	
प्रारंभिक वस्तुसूची	1,55,848		1,43,206	
		26,117		(12,642)
तैयार माल -				
अंतिम वस्तुसूची	24,146		22,626	
प्रारंभिक वस्तुसूची	22,626		22,691	
		(1,520)		65
रद्दी -				
अंतिम वस्तुसूची	193		306	
प्रारंभिक वस्तुसूची	306		209	
		113		(97)
		24,710		**(12,674)**
घटाएं- स्टॉक पर अवास्तविक लाभ		(221)		394
		24,931		**(13,068)**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 26				
कर्मचारी अनुलाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी और बोनस / अनुग्रह राशि		1,65,226		1,51,159
सेवानिवृत्ति अनुलाभ व्यय				
उपदान	1,432		1,417	
भविष्य निधि और पेंशन निधियों में अंशदान	12,417		10,653	
बीईएल अधिवार्षिता (पेंशन) योजना में प्रबंधन का अंशदान	5,565		5,399	
बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना का प्रावधान	7,187		5,282	
		26,601		22,751
कल्याण संबंधी व्यय* [वेतन सहित रु. 1,101 (रु. 1,165) पी.एफ. अंशदान रु. 100 (रु. 101)]		15,682		15,653
		2,07,509		**1,89,563**
घटाएं-पूँजीगत कार्यों के लिए आबंटित खर्च		(35)		(49)
		2,07,474		**1,89,514**

* टिप्पणी 21 (ए) देखें, तदनुसार रु. 3,690 (रु. 2,050) का प्रावधान किया गया।

मुख्य प्रबंधक कार्मिक के पारिश्रमिक के लिए टिप्पण 31 देखें।

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 27				
वित्त लागत				
ब्याज व्यय				
सूक्ष्म व लघु उद्यों को देय राशि पर ब्याज	5		1	
आय कर पर ब्याज	-		1,149	
बैंकों से मीयादी ऋण पर ब्याज	-		-	
पट्टे देयता पर ब्याज व्यय	28		-	
अन्य ब्याज व्यय	263		77	
		296		1,227
अन्य उधार की लागत				
ऋण प्रसंस्करण प्रभार		64		48
		360		**1,275**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 28		
मूल्यह्रास / ह्रास		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास / ह्रास	35,388	32,326
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास	1	1
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का ह्रास	1,613	1,479
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	184	7
	37,186	**33,813**

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी 29				
अन्य व्यय				
बिजली और ईंधन*		3,726		4,003
जल प्रभार		434		385
रॉयल्टी और तकनीकी सहायता		526		1,204
किराया		2,288		2,478
दर व कर		868		561
बीमा		1,149		1,055
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क	21		20	
कर लेखा परीक्षा शुल्क	4		4	
कंपनी कानूनी कार्यों के लिए शुल्क	-		-	
अन्य सेवाएँ (प्रमाणीकरण शुल्क)	6		4	
व्ययों की प्रतिपूर्ति	10		6	
		41		34
लागत लेखा परीक्षा शुल्क		4		4
मरम्मत और रख-रखाव				
इमारतें	2,187		1,992	
संयंत्र और मशीनरी	1,212		1,310	
अन्य	7,844		7,374	
		11,243		10,676
बैंक प्रभार		406		318
मुद्रण व लेखन-सामग्री		451		469
विज्ञापन व प्रचार		740		1,393
यात्रा व्यय		11,633		13,865
वैन / टैक्सी का भाड़ा प्रभार		1,297		1,558
पैकिंग और अग्रेषण		3,806		2,946
अशोध्य ऋण व अग्रिम जिन्हें बट्टे खाते में डाला गया	23,041		14,075	
घटाएँ – प्रावधान को प्रभारित	(22,899)		(13,909)	
		142		166
अप्रचलन / अप्रयुक्त सामग्री का प्रावधान		7,153		14,711

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
संदिग्ध ऋण, एलडी, ग्राहक के दावों और अस्वीकृतियों का प्रावधान		36,185		33,289
संदिग्ध अग्रिमों, दावों का प्रावधान		172		3,257
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान (निवल) **		-		10,212
अप्रचलन और अप्रयुक्तता के कारण कच्चे माल, भंडार और घटकों को बट्टा खाते में डालना	229		289	
घटाएँ – प्रावधान को प्रभारित	(229)		(269)	
		-		20
अन्य प्रावधान**		-		124
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रावधान		-		3,707
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति जिसे प्रभारित किया गया		-		1,745
प्रभारित संविदा लागत		1,247		3,348
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		2,912		2,142
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन में अंशदान		-		5,000
अन्य				
अन्य विविध प्रत्यक्ष खर्च	10,992		18,235	
विदेशी मुद्रा के अंतर की हानि	1,827		-	
बिक्री पश्चात सेवा	297		913	
टेलीफ़ोन	1,053		1,009	
संगोष्ठियों और पाठ्यक्रमों पर खर्च	867		817	
अन्य बिक्री व्यय	1,288		748	
बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियाँ / पूँजीगत चालू कार्य	-		1	
विविध	4,784		4,899	
		21,108		26,622
		1,07,531		**1,45,292**
घटाएँ - पूँजीगत कार्यों के लिए आबंटित खर्च		(3,412)		(3,442)
		1,04,119		**1,41,850**

* पैदा की गई पवन ऊर्जा जिसे समायोजित किया गया

** टिप्पणी 21 देखें

*** वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुछ नहीं के अन्य प्रावधानों में रु. 936 शामिल है जो कर्मचारी से वसूली योग्य है और इस वसूली के लिए रु. 936 का प्रावधान किया गया। टिप्पणी 30(18) देखें।

विदेशी मुद्रा के लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और उसके निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच ऐसे लेनदेन से होने वाले उतार-चढ़ाव की दर के कारण विदेशी मुद्रा की लब्धि / हानि ।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 30

लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ

1. अर्जित प्रति इक्विटी शेयर

		2019-20	2018-19
क.	**जारी प्रचालनों से**		
	मूल अर्जित प्रति शेयर (आईएनआर)	7.49	7.74
	परिवर्तित अर्जित प्रति शेयर (आईएनआर)	7.49	7.74
ख.	प्रति शेयर अर्जन मूल और परिवर्तन आय की गणना में संख्याओं के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि	1,82,472	1,88,667
ग.	प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त शेयरों की सं.	243,65,92,943	243,65,92,943

2. समेकन की प्रक्रिया

इन समेकित वित्तीय विवरणों ("सीएफएस") को मूल कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), उसकी सहायक कंपनियों नामत: बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, पुणे (शेयरधारण 100%) और बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड, बेंगलूरु (शेयरधारण 74%) (दिनांक 28.08.2014 को निगमित) और सहयोगी कंपनी नामत: जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूरु (शेयरधारण 26%) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। मूल और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह के लेनदेनों तथा अप्राप्त लाभ / हानि को हटाने के बाद, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे सादृश्य मदों को एक साथ जोड़ते हुए, लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किया गया है। सहयोगी कंपनी जीई बीई प्रा. लि. के संबंध में, समेकन इक्विटी विधि के आधार पर किया गया है। सहायक और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए बनाए गए हैं जो मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तारीख है।

दूसरी सहयोगी कंपनी, डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत लाभ-रहित कंपनी है, को समेकन के लिए विचार में नहीं लिया गया है क्योंकि मूल कंपनी का इक्विटी निवेश के अलावा, परिवर्ती प्राप्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और कोई अधिकार भी नहीं है।

3. नियंत्रण हित के अधिग्रहण की तारीख के संदर्भ में सहायक कंपनियों में इसके निवेश पर मूल कंपनी की लागत और सहायक कंपनी में इक्विटी के मूल कंपनी के भाग के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में सुनाम / पूँजीगत प्रारक्षण के रूप में निर्धारित किया गया है। मूल कंपनी का सहायक कंपनियों के लाभ / हानि अधिग्रहित करने के बाद का हिस्सा राजस्व प्रारक्षणों में समायोजित किया गया है।

4. प्रचालनों के निवल परिणामों और सहायक कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में नियंत्रणेतर हित यह दर्शाते हैं कि लाभ / हानि और निवल परिसंपत्तियों का हिस्सा मूल कंपनी के कारण नहीं हैं।

5. मूल तथा सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों के वैयक्तिक वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना जिनका समेकित वित्तीय विवरणों की सच्ची और सही स्थिति से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किए गए हैं।

6. अनुपालन का विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (भारतीय ए.एस.) [जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अधिसूचित] तथा उक्त अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष तक और उस तारीख तक के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों के तहत अधिसूचित, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

7. परिसंपत्तियों की अनर्जकता

मूल कंपनी ने प्रत्येक भौगोलिक सम्मिश्रित निर्माणी यूनिट जिसे नकद सृजित करने वाली यूनिट (सी.जी.यू.) माना गया है, की परिसंपत्तियों की अनर्जकता की संसूचना का विश्लेषण किया है। आंतरिक और बाहरी कारकों का आंकलन करने के आधार पर, अनर्जकता के प्रावधान के लिए रु. 124 (रु. 3,831) की राशि का प्रावधान किया गया है। सहायक कंपनियों (बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड और बीईएल-थालेस सिस्टम्स लिमिटेड) तथा सहयोगी कंपनी (जीई बीई प्राइवेट लि.) ने भी परिसंपत्तियों की अनर्जकता की संसूचना का विश्लेषण किया है और परिसंपत्तियों की अनर्जकता की कोई सूचना नहीं पाई गई है, इसलिए, इसका प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8. अल्पकालीन उधार

क. मूल कंपनी को संघीय बैंकों (एसबीई अग्रणी बैंक) द्वारा रु. 400,000 की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इस मंजूर सीमा में रु. 50,000 की निधि आधारित सीमा और रु. 3,50,000 की गैर निधि आधारित सीमा शामिल है।

ख. निधि आधारित सीमा पर देय ब्याज दर एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर से जुड़ी है। [31.03.2020 को देय ब्याज दर 7.90 % प्रति वर्ष (8.55% प्रति वर्ष) है].

ग. प्रयुक्त राशि की चुकौती मांग पर की जाती है। यथा 31.03.2020 को यह उपयोगिता कुछ नहीं (कुछ नहीं) है।

घ. उक्त मंजूरी सीमा मूल कंपनी की चालू परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित है (टिप्पणी 35 देखें)

सहायक कंपनी [बेलॉप] को एसबीआई के संघीय बैंकों (अग्रणी बैंक) और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600/- की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.80% (8.80%) प्रतिवर्ष [एक्सिस बैंक] और 8.70% (8.30%) प्रतिवर्ष [एसबीआई] है।

9. संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
क. संविदाओं की प्राक्कलित राशि जो पूँजी खाते में निष्पादित की जानी है और 31 मार्च को जिनका प्रावधान नहीं किया गया है		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	50,406	29,737
निवेश संपत्ति	-	-
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	1,856	2,787
ख. निवेश संपत्ति की मरम्मत और रख-रखाव तथा वर्धन के लिए संविदाजन्य प्रतिबद्धता	-	-
ग. 31 मार्च को अन्य प्रतिबद्धताएँ यानी निरस्त न करने योग्य संविदाजन्य प्रतिबद्धताएँ (यानी जिसे निरस्त करने से संबंधित अनुलाभ के लिए अनुपातरहित जुर्माना लगाया जाएगा)	-	-

10. आकस्मिक देयताएँ -

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	1,04,875	24,417
बकाया साख पत्र	89,273	38,201
अन्य	2,945	4,428
ग्राहक के अनिष्पादित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो चुकी है, में 31 मर्च तक का अनंतिम निर्णीत हर्जाना	24,846	34,397

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

11. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ -

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
कुछ नहीं	-	-

12. पट्टा [मूल कंपनी]

भारतीय ए.एस. 116 को अपनाना

1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी करते हुए कंपनी ने संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भारतीय ए.एस. 116 "पट्टे" को अपनाया है, इसलिए, तुलनात्मक सूचना दोबारा नहीं बताई जा रही है। इस मानक को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

क) पट्टाकर्ता के रूप में -

i) भावी प्राप्त न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
एक वर्ष से अधिक नहीं	399	339
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं	486	594
पाँच वर्षों से अधिक	2,910	1

कंपनी ने 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि के लिए हरियाणा सरकार को प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनों को पट्टे पर दिया है।

कंपनी ने रद्द न करने योग्य प्रचालनीय पट्टे के तहत विभिन्न संगठनों को भूमि का कुछ हिस्सा पट्टे पर दिया है। पट्टे की अवधि वर्ष 1967 से 2077 तक की है। पट्टों की विभिन्न शर्तें, वृद्धि खंड, पट्टा नवीकरण अधिकार आदि है। नवीकरण पर, पट्टे की शर्त दोबारा वार्ता कर तय की जाती हैं।

कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में कोई आय निर्धारित नहीं की है।

ख) पट्टेदार के रूप में -

ग्रूप में ऐसे पट्टे हैं जिन्हें भारतीय ए.एस. 17 लागू करते हुए वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ऐसे पट्टों के लिए, भारतीय ए.एस. 116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख में उपयोग के अधिकार की राशि की वहनीय राशि, भारतीय ए.एस. 17 को लागू करते हुए मापे गए अनुसार संक्रमण की तारीख पर पट्टे की वहनीय राशि है। तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से रु. 1,293 [मूल कंपनी रु. 1,275 और बेलोप रु.18] की राशि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वर्गीकृत की गई ।

संक्रमण पर, कंपनी पट्टे की समाप्त न हुई अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार को दर्शाते हुए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार निर्धारित करती है।

उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति को इसमें निर्धारित किया जाता है -

क) पूर्वदत्त किराए की वहनीय राशि जब कोई भावी पट्टा भुगतान देय नहीं होता है; या

ख) वहनीय राशि तथा वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया गया। तदनुसार, उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति रु. 365 है और पट्टे की संबंधित देयता रु. 365 निर्धारित की गई। इन परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय ए.एस. 116 को लागू करने पर, व्ययों की प्रकृति को पट्टे के किराए से उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति की मूल्यह्रास लागत में और पट्टे की देयता पर प्रोद्भूत ब्याज की वित्त लागत में पुन:वर्गीकृत किया गया ।

कंपनी द्वारा दर्ज उक्त पट्टे की संविदाएँ सौर परियोजना द्वारा बिजली पैदा करने और कारोबारी प्रयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए पट्टे पर ली गई भूमि से संबंधित हैं। इन परिसंपत्तियों का निपटान करना कंपनी के लिए प्रतिबंधित है।

कंपनी ने आकस्मिक किराए के रूप में कोई व्यय निर्धारित नहीं किया है।

पट्टे की देयताओं की संविदाजन्य नकदी प्राप्ति का परिपक्वता विश्लेषण टिप्पणी सं. 34 में उल्लिखित है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

देय भावी न्यूनतम पट्टा किराया

विवरण	यथा 31 मार्च 2020
एक वर्ष से अधिक नहीं;	134
एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से अधिक नहीं;	193
पाँच वर्षों से अधिक	-

13 शेषों का पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अग्रिम और जमा राशियों के संबंध में शेषों के पुष्टिकरण का अनुरोध करते हुए पत्र भेजे गए। जहाँ कहीं उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनका समाधान किया जा रहा है और आवश्यक समझे जाने पर प्रावधान / समायोजन किए गए।

14. खंडवार रिपोर्टिंग

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित द्वारा रक्षा उत्पादनों में लगी हुई कंपनियों को खंडवार रिपोर्टिंग की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

15. कोविद -19 का प्रभाव

कोरोना वायरस (कोविद-19) महामारी के वैश्विक और भारत में प्रकोप से अत्यधिक व्यवधान पैदा हो रहा है और अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा है। कंपनी ने अपने कारोबारी प्रचालनों में इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इसकी समीक्षा तथा भावी आर्थिक परिस्थितियों के चालू संसूचकों के आधार पर, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी ने वस्तुसूचियों की वहनीय राशि, लेनदारी, अन्य परिसंपत्तियों तथा संविदा पूरा करने/संविदाजन्य देयताओं को पूरा न करने के जुर्माने हेतु लागत प्राक्कलनों के पुनरीक्षण पर कोविद-19 महामारी के संभावित प्रभावों पर विचार किया है।

कंपनी के प्रमुख ग्राहक भारतीय रक्षा सेवाओं से हैं। चूँकि आपूर्तियाँ पक्के और नियत आदेश पर आधारित होती हैं, इस महामारी का कारोबार पर को प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, चूँकि प्राप्त प्रमुख राशि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सरकारी और सरकार से संबंधित निकायों से है, कंपनी आशा करती है कि इन शेषों की वसूली की जा सकती है।

भावी प्रचालनीय एवं वित्त कार्य-निष्पादन पर कोविद-19 का प्रभाव कुछेक बातों पर निर्भर करेगा जिनमें इस प्रकोप की अवधि और फैलाव, कर्मचारियों, पूर्तिकर्ताओं पर इसका भावी प्रभाव जो पूरी तरह अनिश्चित है और इसका अभी अनुमान नही लगाया जा सकता। चूँकि कंपनी के भावी प्रचालनीय एवं वित्त कार्य-निष्पादन पर कोविद-19 का प्रभाव, यदि कोई हो, इस संबंध में प्रबंधन के प्राक्कलनों से अलग होगा, कंपनी भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की गहन निगरानी करती रहेगी ।

16. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित न किया गया लाभांश[मूल कंपनी]

निदेशकों ने प्रति शेयर आईएनआर 1.40 (आईएनआर 1.70) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर है और यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो इसके कारण लगभग रु. 34,112 का नकदी बहिर्वाह होगा।

17. शेष कार्य-निष्पादन देयता का मूल्य (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

ग्राहकों की संविदाओं से अनिर्धारित राजस्व जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया है या पूरा नहीं किया गया है (लंबित आदेश जिनका निष्पादन करना है)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
अनिष्पादित आदेश का मूल्य	52,07,386	16,22,200	16,51,001	10,12,475	9,21,710

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विशेष रूप से प्रमुख आदेश रक्षा से प्राप्त होते हैं जिनकी उत्पादन-पूर्व अवधि लंबी होती है। कंपनी पूरी न की गई (या आंशिक रूप से पूरी न की गई) कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में कंपनी 3 से 5 वर्षों की अवधि में राजस्व को अभिचिह्नित करने की आशा करती है।

18. वर्ष के दौरान, नेमी आंतरिक लेखा परीक्षा के दौरान कर्मचारियों द्वारा कंपनी के साथ रु. 1,000 की धोखाधड़ी की घटना का पता चला है। उक्त राशि में से, रु. 64 की वसूली की गई और शेष रु. 936 की राशि को लेनदारी के रूप में निर्धारित किया गया, वसूली के लंबित होने के कारण, इसे लाभ व हानि के विवरण में संदिग्ध माना गया है। कंपनी ने इस संबंध में उचित कार्रवाई की है और जाँच प्रगति में है।

19. मूल कंपनी द्वारा रु. 25 (रु. 50) की राशि रक्षा उत्पादन के आई.टी. प्रभाग को अंशदान में दी गई है जिसे आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और रक्षा सरकारी क्षेत्र की यूनिटों सहित रक्षा उत्पादन विभाग में आई.टी. संबंधी पहल को कार्यान्वित करने के लिए एचएएल के एक प्रभाग के रूप में तैयार किया गया है।

20. मूल कंपनी ने प्रचालनीय कार्यकलापों से लेकर निवेश संबंधी कार्यकलापों तक के अनुदान की प्राप्ति को बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद में कटौती के रूप में पुन:वर्गीकृत किया है ।

21. **प्रतिधारण बिक्री [मूल कंपनी]**

कोविद-19 परिस्थितियों से हुए लॉकडाउन के कारण, माल की वास्तविक आवाजाही संभव नहीं थी और माल को ग्राहक के अनुरोध और उनकी जोखिम पर कंपनी में रखा गया था। प्रतिधारित बिक्री का मूल्य जिसे वर्ष के दौरान कुल कारोबार में शामिल किया गया रु. रु. 1,77,962 (रु. 14,139) है।

उपर्युक्त में से कारखाना-बाह्य बिक्री का मूल्य रु. 29,959 (रु. 4,456) है।

22. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

23. समेकित वित्तीय विवरणों के सभी आंकड़ों को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

24. समेकित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों को दिनांक 29 जून 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

टिप्पणी 31

संबंधित पक्षकार के लेनदेन

क. संबद्ध कंपनियाँ

स्वत्व का नाम	कारोबार का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		नियंत्रणरहित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान कार्यकलाप
		यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26%	26%	74%	74%	चिकित्सा उपकरणों का निर्माण
डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	भारत	50%	50%	50%	50%	रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ख. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के विवरण

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम

श्री एम वी गौतम, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक [विपणन]
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक [वित्त] एवं सीएफओ
श्री वी महेश वी, निदेशक [आर एंड डी]
श्री विनय कुमार कत्याल,निदेशक [बेंगलूरु कॉमप्लेक्स]
श्री शिवकुमारन के एम, निदेशक [एचआर] 11.06.2019 से
श्रीमती शिखा गुप्ता, निदेशक [अन्य यूनिटें] 01.12.2019 से
श्री नटराज कृष्णप्पा, निदेशक [अन्य यूनिटें] 30.11.2019 तक
श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक [एचआर] 30.05.2019 तक
श्री एस श्रीनिवास, कंपनी सचिव
श्री डी सी एम श्रीनिवास राव, सीईओ-बेलोप
श्रीमती प्रिया एस अय्यर, कंपनी सचिव और सीएफओ-बेलोप
श्री इमैनुअल डे रॉकफील, निदेशक - बीईएल थालेस सिस्टम्स
श्री राजीव कुमार सिक्का, सीईओ-बीईएल थेलेस सिस्टम्स
श्री अभिषेक कुमार, सीएफओ-बीईएल थेलेस सिस्टम्स
श्री हरीश एम वी, कंपनी सचिव-बीईएल थेलेस सिस्टम्स 08.04.2019 तक
श्री संजोग मोहपात्रा, कंपनी सचिव-बीईएल थेलेस सिस्टम्स 08.04.2019 से

ii. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रतिपूर्ति

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ	582	482
नियोजन के बाद के हितलाभ	32	33
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ	63	52
सेवानिवृत्ति के लाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**677**	**567**

ग. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन इस प्रकार हैं (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं) -

विवरण	संबद्ध कंपनी	
	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
माल की खरीद	2,519	-
	(2,477)	-
निवेशों पर लाभांश आय	-	-
	(9,360)	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
	-	(3)

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	संबंद्ध कंपनी	
	जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
वर्ष के दौरान अंशदान	-	-
	-	(5,000)
यथा 31.03.2020 को बकाया व्यापार प्राप्य	691	-
	(764)	-
यथा 31.03.2020 को इक्विटी में निवेश	260	1
	(260)	(1)
यथा 31.03.2020 को बकाया अंशदान	-	4,000
	-	(4,500)

घ. संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर हैं।

ङ. सभी बकाया शेष अरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के भीतर नकद में चुकौती/प्राप्य योग्य हैं।

च. मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकार संबंधी निकायों के साथ लेनदेन-

चूँकि बीईएल रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, कंपनी ने सरकार और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विवरणों को प्रकट करने से छूट प्राप्त की है।

बहरहाल, भारतीय ए.एस. 24 के तहत यथा अपेक्षित, निम्नलिखित लेनदेन वैयक्तिक रूप से उल्लेखनीय हैं -

रु. 40,612 (रु. 31,364) की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लाभांश के रूप में अदा की गई। उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कुल कारोबार का लगभग 91% (98%), व्यापार प्राप्य का लगभग 97% (95%) और ग्राहकों के अग्रिम का लगभग 99% (98%) सरकार और सरकार संबंधी निकायों से संबंधित है।

छ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, 10 अप्रैल 2017 को "लाभ रहित" कंपनी के रूप में डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) की स्थापना रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्य का वित्त पोषण करने के उद्देश्य से रु. 100 (बीईएल: 50%; एचएएल: 50%) की प्राधिकृत शेयर पूँजी के साथ की गई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलूरु में बीईएल के परिसर में स्थित है।

टिप्पणी 32

अन्य संस्थानों में हित

क. सहायक कंपनियाँ

संस्था का नाम	कारोबार का स्थान / निगम का स्थान	मूल कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		नियंत्रणरहित हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रधान कार्यकलाप
		यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019	
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेलोप)	भारत	100%	100%	-	-	इमेज इंटेंसिफयर ट्यूब का विनिर्माण/आपूर्ति
बीईएल - थेलेस सिस्टम्स लिमिटेड	भारत	74%	74%	26%	26%	रक्षा और गैर-रक्षा रेडार के विकास, आपूर्ति और समर्थन

इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक अपने हाथ दिखाकर एक वोट देने और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान करने के हकदार हैं।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ख. नियंत्रणेतर हित (एनसीआई)

i. कंपनी की प्रत्येक सहायक कंपनी जिसका किसी अंतर्समूह विलोपन से पहले महत्वपूर्ण नियंत्रणेतर हित है, से संबंधित संक्षिप्त वित्तीय सूचना

संक्षिप्त तुलन-पत्र	बीईएल- थेलेस सिस्टम लि.	
	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
एनसीआई का प्रतिशत	**26%**	**26%**
गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	1,859	1,379
चालू परिसंपत्तियाँ	9,842	4,118
कुल परिसंपत्तियाँ	**11,701**	**5,497**
गैर - चालू देयताएँ	123	5
चालू देयताएँ	6,128	376
कुल देयताएँ	**6,251**	**381**
निवल परिसंपत्तियाँ	**5,450**	**5,116**
एनसीआई के कारण निवल परिसंपत्ति	**1,417**	**1,330**

संक्षिप्त लाभ व हानि का विवरण	बीईएल- थेलेस सिस्टम लि.	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	4430	938
लाभ	334	104
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	-	-
कुल व्यापक आय	**334**	**104**
एनसीआई को आबंटित लाभ	**87**	**27**
एनसीआई को आबंटित ओसीआई	-	-
एनसीआई को आबंटित कुल व्यापक आय	87	27

संक्षिप्त नकदी प्राप्ति का सार	बीईएल- थेलेस सिस्टम लि.	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	4,166	(431)
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	(1,217)	819
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्राप्ति	(41)	-
नकद और नकद समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी)	2,908	388

ii. नियंत्रणेतर हितों का लेन-देन - कुछ नहीं

ग. संबंद्ध कंपनियों में हित

स्वत्व का नाम	कारोबार का स्थान / निगम का स्थान	स्वामित्व हित का प्रतिशत %	संबंध	लेखा विधि	वहनीय राशि	
					यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26%	संबंद्ध कंपनी	इक्विटी विधि	16,209	13,024
रक्षा नवोन्मेष संगठन	भारत	50%	संबंद्ध कंपनी	#	1	1

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत लाभ रहित कंपनी, डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन में किए गए निवेश को दर्शाता है। आई.एन.आर. 50,000 [परम अंक को दर्शाता है] के इक्विटी निवेश को छोड़कर, मूल कंपनी का सहयोगी कंपनियों की परिवर्ती प्राप्तियों पर कोई नियंत्रण और कोई अधिकार नहीं होता है।

एसोसिएट में निवेश का उचित मूल्य प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी अनुद्धृत है।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड चिकित्सा यंत्रों का निर्माण करती है और इसके उत्पाद बीईएल बेंगलूरु के कंपोनेंट एसबीयू और बीईएल की पुणे यूनिट के कारोबार को सहायता प्रदान करते हैं।

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी के हित की वहनीय राशि (लेखा परीक्षित)

संक्षिप्त तुलन-पत्र	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	22,736	20,269
चालू परिसंपत्तियाँ -		
नकद व नकद समतुल्य	338	761
अन्य परिसंपत्तियाँ	63,655	48,241
कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**63,993**	**49,002**
कुल परिसंपत्तियाँ	**86,729**	**69,271**
गैर - चालू देयताएँ -		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	56	-
अन्य देयताएँ	1,010	1,006
कुल गैर - चालू देयताएँ	**1,066**	**1,006**
चालू देयताएँ -		
व्यापार देय के अलावा वित्तीय देयताएँ	1,176	551
अन्य देयताएँ	22,117	17,622
कुल चालू देयताएँ	**23,293**	**18,173**
कुल देयताएँ	**24,359**	**19,179**
निवल परिसंपत्तियाँ	**62,370**	**50,092**
स्टॉक पर आप्राप्त लाभ हटाएं	(7)	-
निवल परिसंपत्तियों में कंपनी का हिस्सा	**16,209**	**13,024**

संक्षिप्त लाभ व हानि का विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व	1,21,366	1,09,420
ब्याज की आय	1,546	3,523
मूल्यह्रास और ह्रास	3,112	2,716
ब्याज का व्यय	41	117
आय कर व्यय	4,011	8,343
वर्ष का लाभ	12,369	14,862
अन्य व्यापक आय	(91)	(56)
कुल व्यापक आय	12,278	14,806
लाभ में कंपनी का हिस्सा	3,216	3,864

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

संक्षिप्त लाभ व हानि का विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टॉक पर प्राप्त नहीं किया गया लाभ	(7)	-
लाभ में कंपनी का निवल हिस्सा	3,209	3,864
कंपनी का ओसीआई हिस्सा	(24)	(15)
कुल व्यापक आय में कंपनी का हिस्सा	3,185	3,849

मूल कंपनी ने उसकी संबंद्ध कंपनी (जीई प्राइवेट लिमिटेड) से प्राप्त लाभांश कुछ नहीं (रु. 9360) है ।

वहनीय राशियों का समाधान		
विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियाँ	**13,024**	**20,458**
वर्ष का लाभ	3,209	3,864
अन्य व्यापक आय	(24)	(15)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	-	11,283
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ	**16,209**	**13,024**

एसोसिएट से संबंधित प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ-		
विवरण	**जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड**	
	यथा 31 मार्च 2020	**यथा 31 मार्च 2019**
पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ	268	320
अन्य प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	831	803

स्वत्व का नाम		डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन
कारोबार / निगमन का स्थान		भारत
स्वामित्व हित का %		50%
संबंध		एसोसिएट
वहनीय राशि	2019-20	1
	2018-19	1

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

घ. अनुसूची III के तहत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

स्वत्व का नाम	वर्ष	निवल परिसंपत्तियां यानी कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयता घटाकर		लाभ व हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि	समेकित लाभ व हानि का %	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय का %	राशि
मूल कंपनी -									
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2019-20	95.52%	9,63,383	97.89%	1,78,628	92.97%	(3,814)	98.00%	1,74,814
	2018-19	95.74%	8,83,144	97.15%	1,83,281	97.44%	(4,021)	97.14%	1,79,260
सहायक कंपनी -									
भारतीय									
बीईएल आप्ट्रानिक्स डिवाइसेस लि. (बेलॉप)	2019-20	2.33%	23,528	0.16%	301	6.44%	(264)	0.02%	37
	2018-19	2.30%	21,196	0.75%	1,418	2.20%	(91)	0.72%	1,327
बीईएल –थेलेस सिस्टम लि.	2019-20	0.40%	4,033	0.14%	247	0.00%	-	0.14%	247
	2018-19	0.41%	3,786	0.04%	77	0.00%	-	0.04%	77
सहायक कंपनी में नियंत्रणरहित हित -									
भारतीय									
बीईएल –थेलेस सिस्टम लि.	2019-20	0.14%	1,417	0.05%	87	0.00%	-	0.05%	87
	2018-19	0.14%	1,330	0.01%	27	0.00%	-	0.01%	27
इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार निवेश -									
भारतीय									
जीई बीई प्राइवेट लि.	2019-20	1.61%	16,209	1.76%	3,209	0.59%	(24)	1.79%	3,185
	2018-19	1.41%	13,024	2.05%	3,864	0.36%	(15)	2.09%	3,849
कुल	**2019-20**	**100%**	**10,08,570**	**100%**	**1,82,472**	**100%**	**(4,102)**	**100%**	**1,78,370**
	2018-19	**100%**	**9,22,480**	**100%**	**1,88,667**	**100%**	**(4,127)**	**100%**	**1,84,540**

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

टिप्पणी 33

वित्तीय विलेख - उचित मूल्य मापन

1. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

निम्नलिखित टेबल वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहनीय राशि और उचित मूल्य दर्शाता है -

		यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
		एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
I	**निवेश**						
i	इक्विटी विलेख - मना एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्रा. लि.	-	11	-	-	9	-
ii	इक्विटी विलेख - डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन	-	1	-	-	1	-
iii	अन्य निवेश						
क.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश (छुट्टी नकदीकरण और बीईआरईसीएचएस के लिए)	94,811	-	-	83,408	-	-
	उप कुल	**94,811**	**12**	-	**83,408**	**10**	-
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें उचित मूल्य में नहीं मापा गया						
II	व्यापार प्राप्य	-	-	6,72,402	-	-	5,37,367
III	**ऋण**						
क	प्रतिभूति जमा	-	-	4,104	-	-	3,499
ख	कर्मचारियों को ऋण	-	-	863	-	-	871
IV	नकद और नकद समतुल्य	-	-	1,62,063	-	-	75,970
V	अन्य बैंक शेष	-	-	3,987	-	-	21,217
VI	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**						
क	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	178	-	-	130
ख	अन्य को अग्रिम	-	-	2	-	-	3
ग	व्यापार-इतर प्राप्य	-	-	1,056	-	-	872
घ	प्रोद्भूत ब्याज जो मीयादी जमा पर देय नहीं हुई	-	-	299	-	-	152
ङ	मीयादी जमा पर प्रोद्भुत ब्याज	-	-	4	-	-	1
च	12 महीनों से अधिक परिपक्वता के बैंक जमा	-	-	71	-	-	19
छ	बैंक के पास धारित मार्जिन राशि	-	-	-	-	-	70
ज	अन्य	-	-	4,490	-	-	5,274
	अन्य निवेश						
क	को-ऑपरेटिव सोसाइटियों, हाउसिंग सोसाइटियों आदि में निवेश*	-	-	-	-	-	-
	उप कुल	**-**	**-**	**8,49,519**	**-**	**-**	**6,45,445**
	कुल	**94,811**	**12**	**8,49,519**	**83,408**	**10**	**6,45,445**

* आईएनआर 4,750 (आईएनआर 4,750) [परम अंक दर्शाता है] जिसे पूर्णांकित किया गया।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

		यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
		एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयताएँ		-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्तीय देयताएँ जिन्हें उचित मूल्य पर मापा नहीं गया							
I	उधार	-	-	-	-	-	-
II	व्यापार देय	-	-	2,45,033	-	-	1,43,431
III	**अन्य वित्तीय देयताएँ**						
क	व्यापार देय पर प्रोद्भूत और देय ब्याज	-	-	7	-	-	3
ख	दीर्घकालीन उधार की चालू परिपक्वता	-	-	833	-	-	3,334
ग	प्रतिभूति जमा	-	-	22,399	-	-	13,317
घ	अदत्त परिपक्व जमा राशियाँ	-	-	37	-	-	37
ङ	अदत्त लाभांश	-	-	148	-	-	7,105
च	एमएसएमई को बकाया व्यापर इतर देय	-	-	270	-	-	111
छ	बकाया व्यय	-	-	49,580	-	-	67,598
ज	अन्य व्यापार देयता	-	-	14,060	-	-	15,209
झ	प्रोदभूत और देय बयान मियादी ऋण	-	-	-	-	-	29
ञ	पट्टे की अन्य देयता	-	-	297	-	-	-
ट	अन्य देयताएँ	-	-	1,183	-	-	1,866
	कुल	**-**	**-**	**3,33,847**	**-**	**-**	**2,52,040**

2 **उचित मूल्य का पदानुक्रम**

वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य मापन, जहाँ लागू हो, के लिए प्रयुक्त पदानुक्रम स्तर नीचे दिए गए हैं -

	विवरण	टिप्पणी	यथा 31 मार्च 2020			यथा 31 मार्च 2019		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 3	स्तर 2	स्तर 3
I	**उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ - आवर्ती उचित मूल्य मापन**							
क	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
i	एफवीपीएल में वित्तीय निवेश	6	-	94811	-	-	83408	-
ii	एफवीओसीआई में वित्तीय निवेश - अनुद्धृत	6	-	-	12	-	-	10
II	**वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया**		किसी अलग उचित मूल्य का प्रकटण नहीं किया गया है क्योंकि इन परिसंपत्तियों और देयताओं का वहनीय मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है।					

स्तर 1: स्तर 1 के पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापित वित्तीय विलेख शामिल हैं।

स्तर 2: ऐसे वित्तीय विलेख जिनका लेनदेन सक्रिय बज़ार में नहीं किया गया है, का उचित मूल्य ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर तय किया जाता है जो प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों का उपयोग अधिकतम करते हैं और निकाय के विशिष्ट प्राक्कलनों पर कम से कम निर्भर होते हैं।

स्तर 3: यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रेक्षणीय बाज़ार आंकड़ों पर आधारित नहीं होती हैं तो विलेख को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामलों में ऐसा किया जाता है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

3 **उचित मूल्य तय करने में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक**

क. एलआईसी निवेश - (स्तर 2)

एलआईसी की योजना के मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित

ख. मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. - (स्तर 3)

बीईएल ने मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. जो कि गैर-सूचीबद्ध कंपनी है, की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश किया है। मना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लि. में निवेश की कंपनी की लागत केवल रु. 5 (रु. 163 की जारी शेयर पूँजी में से) है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

ग. डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) - (स्तर 3)

बीईएल ने डिफेंस इन्नोवेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (डीआईओ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार एक 'लाभरहित कंपनी' है और जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का वित्त-पोषण करना है, की इक्विटी पूँजी में अंशदान किया है। कंपनी ने उचित मूल्यांकन के लिए निवल परिसंपत्ति मूल्य विधि चुना है।

टिप्पणी 34

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i. जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीतियाँ

ग्रूप में वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि जोखिम और बाज़ार का जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज की दरों और कीमत जोखिम में उतार-चढ़ाव) बना रहता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन संरचना की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होगी। मंडल ने इस प्रयोजनार्थ एक जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना दी गई है और वित्त तथा प्रचालन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, वरीयता और उपचार की व्यापक संरचना दी गई है।

मूल कंपनी में एक केंद्रीकृत निधि विभाग है जो मंडल द्वारा तैयार की गई नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तीय जोखिमों को कम करने के उचित उपाय करता है। बचाव संबंधी व्यवहार बाहरी विशेषज्ञ के सलाह से उपयुक्त कौशल और अनुभव रखने वाली टीम द्वारा किए जाते हैं। कंपनी सट्टा बाज़ार में व्यापार नहीं करती।

ii. बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रा दरों के रूप में बाजार मूल्य में परिवर्तन करता है, ब्याज दरें कंपनी की आय या वित्तीय साधनों की इसकी होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करेगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न को अनुकूलित करते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।

ग्रूप की गतिविधियाँ मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दरों और ब्याज दर आंदोलनों में बदलाव के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं (मुद्रा जोखिम और ब्याज जोखिम के नीचे के टिप्पण देखें)।

iii. मुद्रा जोखिम

ग्रूप विदेशी मुद्रा संचालन से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय जोखिम खासकर अमेरिकी डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीस येन जैसे विदेशी मुद्राओं में खरीदी और बिक्री से संबंधित होता है इसका खुलासा करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मुद्रा मानी जाती है जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आई.एन.आर.) नहीं है ।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

ग्रूप के पास जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा कार्यान्वित एक बोर्ड अनुमोदित मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है जो इस जोखिम के लिए कंपनी के जोखिम को नियमित आधार पर समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन नीति खुली विदेशी मुद्रा जोखिम के 50% तक बचाव व्यवस्था की सिफारिश करती है। हालांकि बचाव व्यवस्था में प्रवेश करने का निर्णय प्रासंगिक डेटा आदानों के आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बाहरी विशेषज्ञ सलाहकार की सलाह दी जाती है।

मूल कंपनी का निर्यात आय ज्यादातर एक निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में प्रेषण द्वारा महसूस होता है, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, जिससे निर्यात पर मुद्रा जोखिम को कम किया जा सकता है। लगभग 7% (10%) वार्षिक विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का आयात संबंधित ग्राहक संविदा में विनिमय दर भिन्नता (ईआरवी) खंड द्वारा कवर नहीं किया गया है और इसलिए यह मुद्रा जोखिम के लिए खुला होता है। इन आयातों को मामले दर मामले के आधार पर नीति और जोखिम को कवर करने के लिए उचित निर्णय मामले के आधार पर मानदंड किया जाता है। जहां भी जरूरत हो, कंपनी की मुद्रा जोखिम नीति आगे की आवश्यकता के मुताबिक जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था संविदा का समर्थन करती है।

यथा 31 मार्च 2020 को, कोई बकाया वायदा संविदा नहीं है।

प्रमुख मुद्राओं के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु ग्रूप एक्सपोज़र नीचे दिए गए है -

विवरण	यथा 31.03.2020					यथा As at 31.03.2019				
	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen	USD	EURO	GBP	CHF	J Yen
व्यापार प्रदेय	1609	175	14	22	136	659	182	23	41	45
व्यापार प्राप्य / संविदा संपत्ति	267	6	-	-	-	52	4	-	-	
निवल एक्सपोज़र	1,342	169	14	22	136	607	178	23	41	45

iv. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विनिमय दर में होने वाले लाभ या हानियों की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में निहित वित्तीय साधनों से होती है । प्रमुख मुद्राओं के संबंध में संवेदनशीलता की विविधता नीचे दी गई है । यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अन्य सभी परिवर्तनशील लगातार बने रहते हैं।

	लाभ पर प्रभाव	
	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
USD – 5% बढ़ोत्तरी	5,122	2,127
USD – 5% कमी	(5,122)	(2,127)
EURO – 5% बढ़ोत्तरी	718	707
EURO – 5% कमी	(718)	(707)
GBP – 5% बढ़ोत्तरी	65	105
GBP – 5% कमी	(65)	(105)
CHF – 5% बढ़ोत्तरी	89	146
CHF – 5% कमी	(89)	(146)
J Yen – 5% बढ़ोत्तरी	5	1
J Yen – 5% कमी	(5)	(1)

v. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यों में होने वाले बदलावों का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है ताकि बाजार में ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की वजह से चलायमान ब्याज वाले उपकरणों के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

vi. परिवर्तनीय दर उधार-

मूल कंपनी को 31.03.2017 को रु.10,000 का टर्म लोन स्वीकृत किया गया है [31 मार्च 2020 को बकाया राशि रु. 833 (रु.3,334)] है। इस ऋण पर देय ब्याज एसबीआई की न्यूनतम वाणिज्यिक उधार दर पर आधारित है - एमसीएलआर [एसबीआई वार्षिक आधार पर वसूल किए गए ब्याज को वापस लेने के लिए पात्र है]। यदि ब्याज दर 1% बढ़ जाती है और रु.8 की बचत नकदी प्राप्ति के रूप में हो जाती है तो रु.8 की नकदी का अतिरिक्त बहिर्वाह होगा यदि ब्याज दर 1% कम हो जाती है। हालांकि लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्याज घटक पूँजीकृत है क्योंकि उधार पूँजीगत व्यय की ओर है।

इसके अलावा मूल कंपनी को 4,00,000 की कार्यशील पूँजी की सीमा को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत सीमा में निधि आधारित सीमा 50,000 रुपये और गैर-आधारित आधार सीमा रु.3,50,000 शामिल हैं। वर्ष के दौरान रु.50,000 की निधि आधारित सीमा का उपयोग नहीं किया गया है [31 मार्च 2020 तक बकाया शून्य है (31 मार्च 2019 शून्य है)]। नॉनफंड आधारित सीमा के संबंध में 31.03.2020 को बकाया राशि रु. 3,14,236 (रु. 1,88,007) है। यह ब्याज एसबीआई की 1 वर्ष की एमसीएलआर दर के आधार पर देय है। चूंकि ऋण लेना शून्य है, इसलिए ब्याज दरों में संभावित बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सहायक कंपनी [बेलॉप] के मामले में भी एसबीआई के संघीय बैंकों (अग्रणी बैंक) और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600/- की वित्त आधारित और गैर-वित्त आधारित कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.80% प्रतिवर्ष(एक्सिस बैंक) और 8.70% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है। एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर उनके आधार दर से जुड़े होते हैं जिनमें उतार-चढ़ाव हो सकता है। 31 मार्च 2020 को बकाया कुछ नहीं है जिसके संबंध में देय ब्याज एसबीआई और एक्सिस बैंक की आधार पर पर आधारित है (निबंधन व शर्तों के अनुसार, एसबीआई और एक्सिस दोनों बैंक आवधिक आधार पर प्रभारित ब्याज को पुन: निर्धारित करने के पात्र हैं।)

vii. इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम के संबंध में ग्रूप का निवेश नगण्य है क्योंकि इसके औचित्य निवेश (सहायक व सहयोगी के अलावा) नगण्य है।

viii. चलनिधि जोखिम

"चलनिधि जोखिम वह जोखिम है कि ग्रूप को वित्तीय देनदारियों से जुड़ी दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, नकदी और अन्य वित्तीय संपत्ति या जोखिम के जरिये कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना होगा। लिक्विडिटी जोखिम के लिए ग्रूप का अनावरण बहुत कम है क्योंकि इसमें एक विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से पर्याप्त दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी और बिक्री योग्य प्रतिभूतियां बनाए रखता है। जब आवश्यक हो वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी को बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा, नकद ऋण सुविधा और अल्पकालिक उधार की प्रकृति में अपनी चालू कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं और विकास की जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

ग्रूप अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करती है मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न नकदी प्रवाहों के माध्यम से जो कि राजकोष द्वारा मुख्य बिन्दु पर निगरानी रखी जाती है। विभिन्न ऑपरेटिंग यूनिटों से नकद पूर्वानुमान के रोलिंग की एक स्थापित प्रक्रिया है जो देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह को अंकित करने का आधार बनाती है।"

नीचे दी गई तालिका में ग्रूप की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण किया गया है, जो उनके संविदा संबंधी परिपक्वता पर आधारित हैं। दर्शित राशि संविदात्मक और रियायती नकदी प्रवाह है।

यथा 31 मार्च 2020

	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्रदेय	2,29,781	11,553	3,679	20	-	-	2,45,033
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	833	-	-	-	-	-	833
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	7	-	-	-	-	-	7
पट्टी की देयता	35	31	48	90	89	4	297
अन्य वित्तीय देयताएँ	72,231	1,782	8,913	4,707	44	-	87,677

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

यथा 31 मार्च 2019

	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 या 2 वर्षों के बीच	2 या 5 वर्षों के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
उधार	-	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्रदेय	1,36,715	5,113	1,577	26	-	-	1,43,431
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्व राशियाँ	833	834	1,667	-	-	-	3,334
व्यापार प्रदेय पर दावे एवं प्रोद्भूत ब्याज	1	-	2	-	-	-	3
अन्य वित्तीय देयताएँ	90,530	1,651	10,062	3,029	-	-	1,05,272

31 मार्च 2020 को ग्रूप में कोई बकाया व्युत्पन्नी नहीं है।

ix. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम ऐसे जोखिम को दर्शाता है जिससे कारण प्रति-पक्षकार द्वारा अपने संविदा संबंधी दायित्वों पर चूक करने के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है । ग्राहकों से ऋण जोखिम, बैंकों के साथ नकदी और नकद समकक्ष, सुरक्षा जमा और ऋण से ऋण जोखिम उत्पन्न होता है।

कंपनी के ऋण जोखिम को जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा एक कॉरपोरेट स्तर पर प्रबंधित किया जाता है जिसने अपने ग्राहकों और अन्य प्राप्तियों के लिए क्रेडिट नीति मानदंडों की स्थापना की है। व्यापार प्राप्तियों की महत्वपूर्ण मात्रा सरकारी / सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की वजह से होती है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को ऐसी प्राप्तियों के साथ जुड़े क्रेडिट जोखिम नहीं मिलता है। गैर सरकारी व्यापार प्राप्तियों के मामले में, आम तौर पर बिक्री ग्राहक द्वारा स्थापित साख-पत्र के आधार पर किया जाता है जिससे क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलों में, ग्राहक की शोधन क्षमता का आकलन करने के बाद और ऋण योग्यता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कारणों से बाजार की स्थितियों के आधार पर ग्राहकों के ऋण को बढ़ाया जाता है। अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी के प्रतिकूल किए जाते हैं जो इस तरह के भुगतान से जुड़े क्रेडिट जोखिम को सुरक्षित रखते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर नुकसान हानि (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों के लिए उगाही योग्य निर्णीत हर्जाने को दर्शाते हैं) संविदा के नियमों आदि कारकों और अन्य संकेतकों के बाद किया गया है।

बैंकों के साथ नकद और नकद समकक्ष 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के परिप्रेक्ष्य अवधि के साथ अल्पकालिक जमा के रूप में हैं। कंपनी की एक अच्छी तरह से संरचित जोखिम निवारण नीति है जिसके तहत प्रत्येक बैंक के लिए अपनी कुल मूल्य और कमाई क्षमता के आधार पर निर्धारित सीमाएं हैं, जो कि आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती हैं। कंपनी ने जमाओं पर बैंकों से चूक के कारण किसी भी प्रकार की हानि नहीं की है । अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण जोखिम नगण्य है क्योंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग / पक्षकारों के कारण होते हैं।

x. पूँजी प्रबंधन

ग्रूप का पूँजी प्रबंधन का उद्देश्य शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करने के लिए एक मजबूत पूँजी आधार बनाए रखना है और कंपनी की क्षमता बढ़ती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता सुनिश्चित करना है। कंपनी के पास ऋण के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, लेकिन यह उचित समय पर इस विकल्प का लाभ उठाने और इष्टतम पूँजी संरचना को बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कंपनी के पास एक अच्छी तरह से निर्धारित लाभांश वितरण नीति है जो भविष्य के विकास और शेयर धारकों के धन को बढ़ाने के लिए अधिशेष के लाभांश और प्रतिधारण के भुगतान के लिए रूपरेखा तैयार करती है। कंपनी ने क्वार्टर के निर्माण के लिए बैंक से रु.10,000 की राशि उधार ली है। [31 मार्च 2020 तक बकाया राशि रु. 833 (रु. 3,334)] [टिप्पणी 18 और 20 देखें]। कंपनी को बैंकों के साथ उधार की सीमा को 4,00,000 की मंजूरी दी गई है।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

गियरिंग अनुपात -

विवरण	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
निवल ऋण	833	3,334
कुल इक्विटी	1007153	921150
निवल ऋण से इक्विटी का अनुपात	0.001:1	0.0036:1

टिप्पणी 35

सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ

मियादी ऋण एवं चालू पूँजी उधार राशियाँ के लिए सुरक्षा हेतु गिरवी परिसंपत्तियाँ का स्वीकृत राशि -

	यथा 31 मार्च 2020	यथा 31 मार्च 2019
(i) वस्तुसूचियाँ	3,95,830	4,44,335
(ii) व्यापार प्राप्य	6,72,402	5,37,367
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	1,62,060	75,965
(iv) बैंक शेष [उपर्युक्त (iii) के अलावा]	3,839	14,112
(v) ऋण	1,734	1,622
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,180	3,626
(vii) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	5,95,466	4,64,656
सुरक्षा हेतु गिरवी कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**18,34,511**	**15,41,683**

उधार राशियाँ के विवरण हेतु टिप्पणी 18 एवं 20 देखें ।

सहायक कंपनी बेलोप के मामले में, कार्यशील पूँजी को भूमि और भवन पर साम्य गिरवी के माध्मम से सममात्रा प्रभार से भी रक्षित किया जाता है ।

टिप्पणी 36

महत्वपूर्ण प्राक्कलन और फैसले [मूल कंपनी]

वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन ने कुछ निर्णय, प्राक्कलन और धारणाएं बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की मात्रा को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधनों को भविष्य में मान्यता प्राप्त है।

लेखा नीतियों को कार्यान्वित करते समय लिए गए फैसले वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसके तहत सामग्री समायोजन में जिसके परिणामस्वरूप होने का एक महत्वपूर्ण जोखिम इस प्रकार है -

i. **अनुसंधान और विकास व्यय - लेखा नीति सं. 10 (टिप्पणी संख्या 5 एवं 12 देखें)**

नहीं लागत नहीं प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परियोजनाओं और संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास संबंधी व्यय जो कि विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से क्षतिपूरण नहीं किए जाते हैं, परियोजना के पूरा होने तक आगे किए जा रहे हैं।

ii. **निर्धारित लाभ दायित्व का अनुमान - मुख्य बीमांकिक मान्यताएं - (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

iii. **वारंटी दावों के प्रावधान का आकलन (टिप्पणी संख्या 21 देखें)**

वारंटी प्रावधान गणना में प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण के आधार पर औसत वारंटी लागत का आकलन शामिल है। यदि विविध अनुमान लगाया जाए, तो यह उसी मान्य व्यय को प्रभावित करेगा।

समेकित लेखों की टिप्पणियाँ

(रु. लाख में)

iv. **राजस्व का निर्धारण अभिचिह्नन - (टिप्पणी संख्या 23 देखें)**

पूर्णता विधि का प्रतिशत संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागतों के वास्तविक लागत के आधार पर पूरा होने के चरण का अनुमान लगाता है। अगर विविध अनुमान लगाए जाए, तो यह उसी संबंधित राजस्व को प्रभावित करेगा।

v. **अमूर्त परिसंपत्तियाँ - (टिप्पणी संख्या 4 और 5 देखें)**

अन्य अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में आगे की गई राशि को भविष्य के आर्थिक लाभों की निश्चितता के संबंध में प्रतिवर्ष हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

vi. **पट्टा (टिप्पणी 1 देखें)**

यदि भारतीय ए.एस. 116 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई करार पट्टे के रूप में योग्य बनता है तो कंपनी इसका मूल्यांकन करती है। पट्टे की पहचान करना निर्णायक होता है। कंपनी पट्टे के निबंधन (प्रत्याशित नवीकरणों सहित) और लागू बट्टा दर का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

बट्टे की दर सामान्य रूप से मूल्यांकन किए जा रहे पट्टे की वृद्धिशील उधार दर पर आधारित होती है।

टिप्पणी 37

आयकर के उपचार की अनिश्चितता [मूल कंपनी]

कंपनी में आय कर अधिनियम, 1961 के तहत आंकलन प्रक्रियाओं को पूरा करने पर उत्पन्न होने वाली मांगों के समक्ष आय कर प्राधिकारियों के साथ विवाद चल रहे हैं। ये विवाद ऊर्जा बचत डिवाइसों पर किए गए मूल्यह्रास के दावे, निर्णीत हर्जाने का प्रावधान तथा पूँजीगत परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा की हानि जैसे कुछेक व्ययों की अस्वीकृतियों के कारण हैं। ये मामले कर प्राधिकारियों के फोरम में लंबित हैं। कंपनी ने उक्त लंबित विवादों का मूल्यांकन किया है और यह आशा करती है कि अंतिम समाधान में निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा और इसका कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पणी 38

हाल में की गई लेखांकन घोषणाएँ

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) विद्यमान मानकों के लिए नए मानक या संशोधन अधिसूचित किए हैं। ऐसी कोई नई अधिसूचना नहीं है जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

साथ में दिए गए वित्तीय विवरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी) के वित्तीय विवरण हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सार्वजनिक कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर भारत में दो निर्धारणप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। पंजीकृत कार्यालय और कंपनी का व्यवसाय का मुख्य स्थान बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत में स्थित है ।

कंपनी रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करती है। रक्षा क्षेत्र के अलावा, कंपनी असैनिक बाजार में भी सीमित स्तर तक मौजूद है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

1. तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है अनिवार्य भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनियों के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015], लागू नियमों का पालन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को भी लागू किया गया है ।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अनुमान और पूर्वानुमान लगाए जिसका विवरण की तारीख पर रिपोर्ट कि गए परिसंपत्तियों और देनदारियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं रिपोर्ट किए गए रजस्व और व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि इस तरह के अनुमान उचित और विवेकपूर्ण आधार पर सभी उपलब्ध जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में निर्धारित किए गए हैं जिनमें परिणामों का पता लगाया जाता है ।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है सिवाय निम्न ऐतिहासिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है-

- व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो
- वित्तीय संपत्ति और देनदारियां जो उचित मूल्य पर मापा जाने योग्य हैं
- निर्धारित लाभ संपत्ति / दायित्व को योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

4. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी का कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है ।

5. राजस्व का निर्धारण

क. ग्राहकों के साथ ठेका से राजस्व

i. राजस्व को तब निर्धारित किया जाता जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को वचनबद्ध माल या सेवाओं (जैसे परिसंपत्ति) को अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन की देयता को पूरी करती है ।

ii. **समय के साथ कार्य नदाष्पनि-देयता को पूरा करना।**

क. राजस्व को ऐसे समय के दौरान निर्धारित किया जाता है जहाँ उस कार्य-निष्पादन आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में निम्न से कोई भी एक मानदंड के अनुसरण में माल एवं सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण समय-समय पर हो रहा हो-

- कंपनी के कार्य-निष्पादन से ग्राहक को एक साथ अनुलाभ प्राप्त करने और उनका उपभोग करने का हक मिलता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से किसी परिसंपत्ति को तैयार किया जाता है या बढ़ाया जाता है जिसे ग्राहक ऐसा करते समय ग्राहक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- कंपनी के कार्य-निष्पादन से कंपनी के वैकल्पिक उपयोग के साथ परिसंपत्ति तैयार नहीं की जाती और कंपनी को यथातिथि पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय हक होता है।

ख. कार्य-निष्पादन आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में की हुई प्रगति रिपोर्ट तिथि तक संविदा पर हुई वास्तविक

लागत और संविदा को पूरा करने के लिए अनुमानित कुल लागत के बीच औसत के आधार पर किया जाता है। यदि कार्य-निष्पादन आवश्यकता के परिणाम का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता और जहा संभव है कि लागत की वसूली हो जाएगी, वहा राजस्व को प्रदत्त लागत की सीमा तक निर्धारित होगी ।

ग. एएमसी संविदाओं के मामले में जहाँ समय विस्तारण कार्य-निष्पादन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक मापदंड होता है, राजस्व को निर्गत पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

iii. **समय के किसी भी अवस्था में निष्पादन आवश्यकता को पूर्ण करना।**

क. उन मामलों में जहाँ समय के साथ नियंत्रण का स्थानांतरण नहीं हो पाता, कंपनी कार्य-निष्पादन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले समय राजस्व निर्धरण के लिए चयनित करेगा ।

ख. कार्य-निष्पादन देयताओं को पूर्ण तब माना जाएगा जब ग्राहक परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रण का स्थापांतरण के सूचक निम्नानुसार है-

- कंपनी ने परिसंपत्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण किया है।
- कंपनी के पास परिसंपत्ति का न्यायिक अधिकार है।
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है।
- जब कंपनी को परिसंपत्ति पर भुगतान के लिए वर्तमान अधिकार है।
- ग्राहक के पास संपत्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल हैं। संविदाओं के इनको-शर्तों के आधार पर महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है ।

कारखाना बाह्य संविदा - कारखाना बाह्य संविदाओं के मामले में, राजस्व तब निर्धारित किया जाता है, जब आवश्यक पूर्व निरीक्षण यदि आवश्यक हो और स्वीकृति के बाद बिना शर्त के सामान कॉन्ट्रैक्ट के लिए विनियोजित किए जाते है ।

एफ.ओ.आर. संविदाएँ - एफ.ओ.आर. संविदाओं के मामले में, राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है, जब माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति यदि निर्धारित हो के बाद वाहक को खरीददार तक ट्रांसमिशन के लिए सौंप दिया जाता है, और गंतव्य संविदाओं के मामले में, अगर लेखांकन अवधि के भीतर सामान गंतव्य तक पहुंचने की उचित उम्मीद है।

ग. बिल और होल्ड की बिक्री

बिल और होल्ड की बिक्री को तब निर्धारण दी जाती है जप निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाता है-

- बिल और होल्ड बिक्री का कारण है
- उत्पाद का स्वामित्व ग्राहक के पास होने के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है
- उत्पाद वर्तमान में ग्राहक को भौतिक हस्तांतरण के लिए तैयार है
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या किसी अन्य ग्राहक को निर्देशित करने की क्षमता नहीं है।

iv. **मापन**

क. राजस्व कार्य नदाष्पनि-आवश्यकताओं के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य के हिसाब से निर्धारित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके लिए कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रस्तावित वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

मूल्य वृद्धि और ईआरवी के मामले में, जहां ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त विचार को निर्धारित और अनुमोदित किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक(ओं) से पुष्टि प्राप्त होने पर निर्धारण प्राप्त है ।

ख. जहां ठेका कई निष्पादन दायित्वों को शामिल करते हैं, कंपनी संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर निष्पादन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है।

बंडल किए गए संविदा - ऐसी बंडल संविदा के मामले में, जहां स्थापना और कमीशनिंग या किसी अन्य अलग से निर्धारित किए जाने वाले घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं है, कंपनी अलग-अलग निर्धारण योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापना, कमिशनिंग आदि) के लेन देन के लिए निर्धारण मानदंड लागू करती है और इन घटकों को स्टैंडेलोन बिक्री दर के आधार पर राजस्व आबंटित करती है।

एकाधिक तत्व – ऐसे मामलों में जहाँ संस्थापना और कार्यारंभ अथवा कोई अलग से निर्धारित किए जाने वाला घटक निर्दिष्ट किया गया है जिसकी कीमत पर अलग से सहमति हुई है, तो कंपनी ऐसे लेनदेन के अलग से निर्धारित किए जाने योग्य घटक (माल की बिक्री तथा संस्थापना एवं कार्यारंभ आदि) पर अभिचिह्नन का मानदंड लागू करती है और ऐसे अलग घटकों की स्टैंडअलोन बिक्री कीमत के आधार पर उनके लिए राजस्व आबंटित करती है।

ग. अगर स्टैंड-अलोन बिक्री दर उपलब्ध नहीं है तो कंपनी स्टैंड-अलोन बिक्री दर का अनुमान लगाता है।

v. **जुर्माना**

संविदा में निर्दिष्ट जुर्मने (सुपुर्दगी में देरी के लिए निर्णीत हर्जाने सहित) को लेनदेन की कीमत दर का एक अंतर्निहित हिस्सा नहीं माना जाता यदि उसकी उगाही ग्राहक के समीक्षाधीन हो।

vi. **महत्वपूर्ण वित्तीय घटक**

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन की दिशा में प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि उद्देश्य संविदा में शामिल पार्टियों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य संविदाओं के लिए, मामला आधार महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के अस्तित्व की समीक्षा की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है -

i. **ब्याज आय**

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है ।

ii. **लाभांश आय**

कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

iii. **किराये की आय**

प्रचालनीय पट्टों से होने वाली किराये की आय का आंकलन पट्टे की अवधि पर एक सीधी रेखा के आधार पर होता है, जब तक भाड़े में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं होती है या अन्यथा उचित होती है।

iv. **ड्यूटी कमियां**

निर्यात पर ड्यूटी की कमी के दावों को उन्हें प्राथमिकता देते हुए हिसाब में लिया जाता है।

v. **अन्य आय**

अन्य आय जिसे ऊपर विशिष्ट रूप से नहीं बताया गया है, को प्रोदभूत आधार निर्धारित किया जाता है।

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में लागत पर मापा जाता है और बाद में लागत में से कम संचित मूल्यह्रास और संचयी अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है । इस उद्देश्य के लिए लागत में परिसंपत्ति को उसके स्थान और स्थिति में लाने के लिए सभी विशेष लागत शामिल किए जाते हैं। यदि तत्संबंधी प्रावधान के लिए निर्धारण मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो परिसंपत्ति का इसके उपयोग के बाद समाप्त करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया गया है।

प्रत्येक रिपोर्ट की तारीख पर आशयित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत कार्य-प्रगति के रूप में प्रकट की जाती है।

पूंजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-कम-निर्माण संविदा, साइट पर प्राप्त एवं स्वीकृत पूंजी और पारगमन एवं निरीक्षण में पूंजीगत सामान शामिल है।

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) और जिससे महत्वपूर्ण भविष्य आर्थिक लाभ अपेक्षित है का उपयोग के लिए तैयार होने के बाद उसकी लागत को लेखा पुस्तकों में एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख तक वांछित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली अमूर्त परिसंपत्ति को «विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति» के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पूरे किए गए विकास कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है।

विकासाधीन कार्य की लागत, जहाँ कहीं अर्ह हो, को “विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के लिए बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और प्रत्यक्ष व्यय जैसे सामग्री लागत, कर्मचारी लागत आदि के लिए खर्च किए गए व्यय शामिल है।

8. मूल्यह्रास / परिशोधन

संपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है। कंपनी, तकनीकी आकलन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची II में निर्धारित उपयुक्त जीवन से अलग अनुमानित जीवन से अधिक अलग अलग इमारतों, संयंत्रों और उपकरणों और अन्य परिसंपत्ति वर्गों की कुछ वस्तुओं को कम करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के निष्पक्ष अनुमान को प्रतिबिंबित करते हैं जिन पर संपत्ति का इस्तेमाल होने की संभावना है।

जहाँ परिसंपत्ति के किसी भाग लागत उस परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए उल्लेखनीय होती है और उस भाग का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का अलग से निर्धारण किया जाता है और उल्लेखनीय भाग को उसके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियां अपने व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन से सीधी रेखा के आधार पर परिमाण की जाती हैं, जो उस तिथि से होती हैं, जो वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समय-समय पर की जाती है।

9. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

संपत्ति, संयंत्रऔर उपकरण एवं प्रारंभ में निर्धारित किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु निपटान पर या इसके उपयोग व निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाने पर उनके निपटान के लिए निर्धारित है । निपटान से लाभ या हानि विवरण (जिसे परिसंपत्ति निपटान राशि और उसकी वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि विवरण में निपटान के बाद शामिल किया गया है।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

(i) अनुसंधान गतिविधि पर व्यय को उसके खर्चे की अवधि के दौरान एक व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

(ii) विकास व्यय (ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए गए विशिष्ट विकास-से-बिक्री संविदा और विकास संबंधी परियोजनाओं के अलावा), खर्च किए जाने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। विकास-सह-बिक्री संविदाओं और विकास संबंधी परियोजनाएं जो, ग्राहक के अनुरोध पर शुरू किए जाते हैं पर विकास संबंधी व्यय, अन्य बिक्री संविदाओं के समान माने जाते हैं।

संयुक्त विकास परियोजनाओं के संबंध में किए गए विकास व्यय, जो विकास साझेदार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति नहीं किए गए हैं आगे ले जाया जाते है जहां कंपनी को उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है और अग्रेनीत राशि, यदि कोई हो, को ग्राहक द्वारा आदेश के लिए किसी प्रतिबद्धता के बिना परियोजना को बंद करने की घोषना पर शुल्क लिया जाता है।

(iii) अन्य विकास कार्यों से संबंधित व्यय (बाहरी एजेंसियों के सहयोग के साथ संयुक् विकास कार्य सहित) जहा अनुसंधान परिणाम एवं अन्य ज्ञान) को नये एवं उन्नत उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए उपयोग किया गया हो को अमूर्त संपत्ति के रूप में निर्धारण दिया जाता है यदि आईएनडी एएस38 में दिए निर्धारण मानदंडों के अनुरूप हो और जब यह उम्मीद किया जाता है कि विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी एवं वानिज्यक रूप में उपयोगी होगा, कंपनी के पास इसको पूर्ण रूप से विकसित कर इस अमूर्त संपत्ति को उपयोग करने या बिक्री करने के लिए पर्याप्त संसाधन है और वह उत्पाद या प्रक्रिया से पारस्परिक लाभ होने की संभावना है।

(iv) ग्राहक से उद्धरण के लिए अनुरोध के आधारपरक लागत न प्रतिबद्धता (एनसीएनसी) परीक्षणों में भाग लेने के लिए विकास संबंधी परियोजनाओं पर किए गए खर्च परीक्षणों के समापन तक आगे किए जाते हैं और प्राप्त होने वाले आदेशों पर परिशोधित कर दिए जाएंगे।

यदि ग्राहक का आदेश तुरंत प्राप्त नहीं होने वाला है –

- यदि उसके प्रयोग से अतिरिक्त आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित हो तो राशि पूँजीकृत कर दी जाती है, या
- ग्राहक / अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आदेश देने की किसी प्रतिबद्धता के बिना परियोजना बंद किए जाने पर राशि प्रभारित की जाती है।

11. तकनीकी जानकारियों पर व्यय

तकनीकी जानकारी पर किए गए खर्च को ऐसे खर्च के उपगत होने पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि वह पृथक रूप से स्वयं या अन्य परिसंपत्तियों / व्ययों के संयोजन से एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में निर्धारित करने के लिए अर्ह नहीं बन जाता है ।

12. निवेश संपत्ति

निवेश परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद निवेश परिसंपत्तियों को लागत कम संचित अवमूल्यन और संचित हानि के नुकसान, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

13. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई परिसंपत्ति कमजोर होने के कोई संकेत है। अगर कोई संकेत मौजूद है, या जब परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसे माना जाता है जो परिसंपत्ति या नकद-पैदा करने वाली यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य कम उसके निपटान लागत और उपयोग के दौरान उसके मूल्य से जो भी अधिक हो। एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए पुनर्प्राप्ति योग्य राशि निर्धारित की जाती है जब तक कि परिसंपत्ति द्वारा उत्पन्न नकदी प्रवाह अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूह से उत्पन्न नकदी प्रवाह से अधिकतर स्वतंत्र नहीं है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को कमजोर माना जाता है और इसको वसूली योग्य राशि में लिखा जाता है।

उपयोग के दौरान मूल्य का आंकलन करने में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उस समय प्रचलित बाज़ार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करने वाले, राशि का मूल्य और परिसंपत्ति के विशेष जोखिम के साथ उसका उचित मूल्य कम निपटान लागत निर्धारित कर पूर्व कर छूट दरों का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य को भुनाये जाते है।

ह्रास के प्रावधान को तब व्युत्क्रमित किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) की अनुमानित सेवा क्षमता में उस संपत्ति के लिए हानि का आखिरी बार निर्धारित तारीख के बाद हुई पुनर्मूल्यांकन से यह निर्धारित हो कि उपयोग या बिक्री से उसके मूल्य में वृद्धि हुई है।

14. पट्टे

(i) पट्टेदार के रूप में कंपनी-

तृतीय पक्षकारों की संविदाएँ जिनसे कंपनी को किसी परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करती हैं, उन्हें भारतीय ए.एस. 116 - पट्टे के अनुसार हिसाब में लिया जाता है, यदि लेखा मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे होते हों।

अल्पकालिक पट्टों से संबद्ध पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों के भुगतान को पट्टे की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर या अन्य क्रमबद्ध आधार, जो लागू हो, पर व्ययों के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ की तारीख पर, "प्रयोग का अधिकार" मूल्य को पट्टे के बकाया मूल्य के वर्तमान मूल्य तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने या हटाने तथा जिसे संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, की किसी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत या प्राक्कलित लागत, यदि कोई हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

पट्टे की देयता उस राशि के लिए सृजित की जाती है जो पट्टे के बकाया भुगतान के वर्तमान मूल्य के समतुल्य हो और उसे उधार के रूप में दर्शाया जाता है। परिणामी मापन, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग कर किया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ताकि इससे प्रत्येक अवधि के लिए देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिर आवधिक दर प्राप्त हो सके।

प्रयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि पर और सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि पर किया जाता है ।

पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग कर भुनाया जाता है यदि इसकी दर निर्धारित की जा सकती हो या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर भुनाया जाता है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हों।

(ii) पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी-

पट्टों को भारतीय ए.एस. - पट्टे में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंडों के आधार पर प्रचालन लागत या वित्त लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क. **वित्तीय पट्टा** -

प्रारंभ की तारीख में, "पट्टे में निवल निवेश" के समतुल्य राशि लेनदारी के रूप में दर्शाई जाती है। "पट्टे में निवल निवेश" के मूल्य का मापन करने के लिए अंतर्निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित लेनदारी और वित्त आय के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है ताकि पट्टे में निवल निवेश पर प्राप्ति की स्थिर आवधिक दर दर्शाई जा सके।

परिसंपत्ति की जाँच विनिर्धारण और भारतीय ए.एस. 109 – वित्तीय विलेख के अनुसार अनर्जकता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की जाती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरा किया जाता हो।

ख. **प्रचालनीय पट्टा -**

कंपनी प्रचालनीय पट्टों के पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा आधार या किसी दूसरे क्रमबद्ध आधार, यदि आवश्यक हो, पर आय के रूप में निर्धारित करती है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हों, को अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि उक्त मानक में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरा किया जाता हो।

15. उधार की लागत

उधार की लागतें प्रत्यक्ष रूप से ऐसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जिसमें उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार होने की सारभूत अवधि आवश्यक रूप से लगती है या बिक्री को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है । उधार की सामान्य लागतों को उस परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर का उपयोग करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों में पूँजीकृत किया जाता है । पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधार को छोड़कर, सामान्य उधार बकाया पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होती है । उधार की अन्य सभी लागतों के व्यय उस अवधि में किए जाते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं । उधार की लागतों में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती है जो एक निकाय निधियों के उधार के संबंध में उपगत करता है । उधार की लागत में विनिमय के ऐसे अंतर भी शामिल होते हैं जहाँ तक उन्हें उधार की लागतों का समायोजन माना जाता है ।

16. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरू में निर्धारित आय के रूप में निर्धारित है।

अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को संबंधित परिसंपत्ति का ह्रास मूल्य के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदानों तक सीमित करते हुए लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय में उपलब्ध राशि को कुल मंजूर लागत और वित्त-पोषण के अनुपात अनुमान के अनुसार व्यय और सरकारी अनुदान तक सीमित रखते हुए वहित लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

17. वस्तुसूचियां

प्रयोज्य रद्दी को छोड़कर कंपनी के सभी वस्तु सूचियां मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मूल्यित किए जाते है। रद्दी अनुमानित निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यित किया जाता है। सामग्री की लागत का भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करते हुए पता लगाया जाता है।

कार्य प्रगति और तैयार माल की लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उपयुक्त उपरी प्रभार शामिल हैं।

वस्तु सूचियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है जो पांच वर्ष से अधिक पुराना हो, जो आगे उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

18. आय कर

आयकर में मौजूदा और स्थगित कर शामिल हैं।

(i) **वर्तमान आय कर**

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियां कराधान प्रधिकारियों से अपेक्षित वसूली की या भुगतान की राशि पर मापे जाते है। राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कर की दरें और कर कानून उन रिपोर्टिंग तारीखों पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे निर्धारित वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में निर्धारित है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

(ii) **आस्थगित कर**

आस्थगित कर रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर और उनकी आगे लाई गई राशि के साथ तुलन-पत्र विधि का उपयोग करते हुए प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे ले जाते हुए और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए निर्धारित किया जाता है जहाँ तक कि इस बात की संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

19. वारंटियों के लिए प्रावधान

निष्पादन की गारंटी और प्रति सामान / बेची गई वस्तुओं की मरम्मत के कारण व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

20. विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कंपनी द्वारा अपने संबंधित मुद्रा विनिमय दरों पर लेन-देन को पहले निर्धारण के लिए उत्तीर्ण करने के लिए दर्ज किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर में विदेशी मुद्राओं में निहित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों का अनुवाद किया जाता है मौद्रिक वस्तुओं के निपटान या अनुवाद पर होने वाले अंतर लाभ और हानि विवरण में निर्धारित किए जाते हैं। गैर-मौद्रिक आइटम जो कि विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार मापा जाता है, प्रारंभिक लेन-देन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करते हुए अनुवाद किया जाता है।

21. कर्मचारी हितलाभ

(i) संबंधित सेवाओं को प्रतिपादन के लिए पूरी तरह से बारह महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी हितलाभ अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनमे मुख्य रूप से शामिल हैं (ए) मजदूरी और वेतन; (बी) अनुपस्थिति की अल्पकालिक मुआवजे; (सी) लाभ-भाजन, प्रोत्साहन और बोनस और (घ) गैर-मौद्रिक लाभ जैसे कि चिकित्सा देखभाल, सब्सिडी वाले परिवहन, कैंटीन सुविधाएं आदि, जो कि बट्टारहित आधार पर निर्धारित है और संबंधित सेवाओं की अवधि के दौरान निर्धारित है।

(ii) दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ जैसे कि वार्षिक छुट्टी, सिक लीव और आधा वेतन छुट्टी निर्धारित वार्षिक दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित आधार के आधार पर निर्धारित होता है, जो अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हैं और तुलन-पत्र में निहित प्रावधान का।

(iii) कर्मचारियों को उपदान और कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान के लिए देयता के रूप में निर्धारित की जाती है, जो कि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर है और इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत अनुमोदित ट्रस्ट में वित्तपोषित योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जिसके लिए भविष्य निधि के मामले में मासिक योगदान दिया जाता है और उपदान के मामले में एकमुश्त योगदान होता है।

(iv) बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) के तहत वृद्धिशील दायित्व, प्रति वर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमित वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसके लिए प्रदान किया जाता है।

(v) प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत में कर्मचारियों के संदर्भ में वर्ष के लिए बीमांकिक देयता निर्धारित की जाती है।

(vi) बीमांकिक लाभ और हानि और योजना की परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न और संपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर), अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत निर्धारित है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय की गणना की गई छूट दर लागू करने के लिए, निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के लिए, निर्धारित अवधि के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निवल निर्धारित देयता (संपत्ति) वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निवल ब्याज व्यय और निर्धारित लाभ योजना से संबंधित अन्य व्यय लाभ और हानि विवरण में निर्धारित किए जाते हैं।

जब किसी योजना का लाभ बदल जाता है या जब कोई योजना कम हो जाती है, तो पिछली सेवा से संबंधित लाभ में परिणामी परिवर्तन या कटौती पर लाभ या हानि लाभ और हानि विवरण में तुरंत निर्धारित की जाती है।

(vii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान होने पर आय पर राजस्व को निर्धारित किया जाता है।

(viii) निर्धारित अंशदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना और अधिशेष पेंशन योजना संचालित करती है जिन्हें निर्धारित योगदान योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निर्धारित अंशदान योजनाओं के लिए, कंपनी कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर स्वतंत्र रूप से संचालित निधि में योगदान देती है। इन योगदानों को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया है। कंपनी की देनदारी इन योजनाओं में दिए गए अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

22. प्रावधान

क. प्रावधान

पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को निर्धारण दी जाती है, यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह को दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है दायित्व की राशि जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में निर्धारित है, लेकिन केवल जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

निर्माण संविदाओं के अलावा अन्य कई संविदा के लिए प्रावधान किया जाता है, जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। प्रावधान ठेका समाप्त होने की उम्मीद की लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और संविदा के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है। प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्तियों पर किसी प्रकार की अनर्जक हानि को निर्धारित करती है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, प्रावधान मौजूदा कर-दर की दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है जो दर्शाता है, जब उपयुक्त हो, तो दायित्व के लिए विशिष्ट जोखिम। जब छूट का उपयोग किया जाता है, समय के पारित होने के कारण प्रावधान में वृद्धि वित्त लागत के रूप में निर्धारित है।

ख. आकस्मिक देयताएं / संपत्ति

आकस्मिक देनदारियों / परिसंपत्तियों को प्रबंधन की जानकारी तक वित्तीय विवरण के टिप्पण के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

23. नकद प्राप्ति विवरण

नकद प्राप्ति का विवरण आईएनडी एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधियों के अनुसार तैयार किया गया है।

24. उचित मूल्य मापन

कंपनी कुछ वित्तीय साधनों को जैसे व्युत्पत्तियो और अन्य वस्तुओं को अपने वित्तीय विवरणों में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य पर ही मापन करता है।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियों जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए जाते हैं जो पूरे के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमत (बिना समायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में प्रस्तावित मूल्यों को छोड़कर अन्य निवेश जो कि संपत्ति या देयताओं के लिए सीधे दरों के रूप में या अप्रत्यक्ष से दरों से व्युत्पन्न के रूप में देखी जा सकती है।

स्तर 3 - संपत्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों या देनदारियों और परिसंपत्तियों या दायित्व की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है।

25. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) **प्रारंभिक अभिचिह्न और मापन**

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती हैं वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से दर्ज नहीं किया जाता है, लेनदेन की लागत वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है जो परिसंपत्ति की लागत में शामिल होती है।

(ii) **बाद के मापन**

बाद के माप के उद्देश्यों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है-

- परिशोधित लागत पर मापा गया ऋण विलेख, ,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया ऋण विलेख,
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया ऋण विलेख, व्युत्पन्नी और इक्विटी विलेख,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी विलेख।

(iii) **विनिर्धारण**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या किसी वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा अस्वीकृत हो जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है।

(iv) **व्यापार और अन्य प्राप्य**

प्राप्य प्रारम्भ में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाता है। यदि ऐसा कोई संकेत हो कि उन परिसंपत्तियों को कमजोर किया जा सकता है, तो हानि के लिए उनकी समीक्षा की जाती हैं।

26. वायदा संविदा

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों का बचाव करने के लिए वायदा मुद्रा संविदाओं जैसे व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय साधनों की शुरुआत उस तारीख को उचित मूल्य पर की जाती है जिस पर एक व्युत्पन्न संविदा दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। व्युत्पन्नी को वित्तीय संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देनदारियों के रूप में उचित मूल्य नकारात्मक होता है ।

27. अंतर्निहित व्युत्पन्नी

आवश्यकता पड़ने पर अंतर्निहित व्युत्पन्नी को मेजबान संविदा से अलग किया जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

28. नकद और नकद समतुल्य

नकद में हस्तस्थ नकद और मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अत्यधिक अल्पकालिक चलनिधि निवेश है जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है, जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन होता है।

बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, तुलन-पत्र में वर्तमान देयताओं के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

29. वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

ऋण जोखिम वाले वित्तीय परिसंपत्तियों के ह्रास के मापन एवं निर्धारण के लिए भारतीय ए.एस. 109 के मुताबिक, कंपनी अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पद्धति का उपयोग करता है।

क) कालातीत सरकारी / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से बकाया राशि को आम तौर पर ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख) कानूनी कार्यवाही में जहां देय राशि विवादित होती है, वहां प्रावधान किया जाता है अगर कोई निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है, भले ही वह उच्च प्राधिकारियों / न्यायालयों में विचाराधीन हो।

ग) समय की महत्वपूर्ण अवधि के लिए यथास्थिति में रहने वाले बकायों की समीक्षा की जाती है और मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

हानि भत्ता (या व्युत्क्रमण) लाभ / हानि विवरण में व्यय / आय के रूप में निर्धारित किया जाता है ।

30. वित्तीय देयताएं

(i) **प्रारंभिक निर्धारण और मापन**

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक रूप से ऋण, उधार, देनदार या व्युत्पन्न के रूप में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य, जैसा उपयुक्त हो, पर वर्गीकृत किया जाता है ।

ऋण, उधार और देनदारियों को लेनदेनों की ऐसी निवल लागत उन पर दर्शाया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके कारण सृजित होते हैं।

(ii) **बाद के मापन**

वित्तीय देनदारियों का मापन निम्नानुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं-

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक निर्धारण पर दी गई वित्तीय देयताएं शामिल हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जिन्हें भारतीय ए.एस. 109 में निर्धारित हेजिंग रिजर्व में बचाव विलेखके रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग अंतर्निहित व्युत्पन्नों को भी व्यापार के लिए आयोजित किया जाता है, जब तक उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं कहा जाता है। लाभ और हानि विवरण में व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि निर्धारित किए जाते हैं।

(iii) **ऋण और उधार**

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए ब्याज-आधारित ऋण और उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में तब निर्धारित किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया सहित विनिर्धारित किया जाता है ।

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को निर्धारित किया जाता है।

(iv) **व्यापार और अन्य भुगतान**

देयताएं भविष्य में माल या सेवाओं के लिए भुगतान की गई राशि के लिए निर्धारित हैं, चाहे वे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किए गए हों या नहीं।

31. वित्तीय विलेखों का पुन: वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक निर्धारण पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में बदलाव होता है अगर कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण पर संभावित रूप से लागू होता है।

32. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का समंजन किया जाता है और निवल राशि की रिपोर्ट तुलन-पत्र में की जाती है यदि वर्तमान में निर्धारित राशियों को समंजित करने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को वसूल करने और देयताओं को एक साथ निपटाने के लिए, निवल आधार पर निपटाने का आशय हो।

33. इक्विटी धारकों को नकद लाभांश और गैर-नकद वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर नकद वितरण करने के लिए देयता निर्धारित करती है जब ऐसा वितरण अधिकृत हो और कंपनी के विवेकाधिकार में न हो।

34. त्रुटियां और अनुमान

यदि भारतीय ए.एस. में परिवर्तन के कारण परिवर्तन की आवश्यकता होती है और वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगी तो कंपनी इसे लेखा नीतियों को संशोधित करती है। लेखा नीतियों में परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं ।

लेखा अनुमान में बदलाव, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित परिसंपत्तियों या देयताएं की मात्रा में परिवर्तन या लाभ और हानि का ब्यौरा परिवर्तन की अवधि (ओं) में संभावित रूप से लागू किया जाता है।

महत्वपूर्ण त्रुटियों की खोज पूर्वावधि, जिसमें ऐसी त्रुटि ज्ञात हुई की परिसंपत्तियो, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा दर्शते हुए पूर्व प्रभावी रूप से पुनरीक्षण में परिणामित होती हैं । सबसे पहले की अवधि के प्रारंभिक शेषों को भी दोबारा बताया जाता है ।

35. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए मूल एवं परिवर्तन प्रति शेयर अर्जन डेटा दर्शाती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के साधारण इक्विटी धारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित कर सामान्य शेयरधारकों की भारित औसत संख्या द्वारा, उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों से की जाती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होते हैं। परिवर्तित प्रति शेयर अर्जत कमाई सामान्य इक्विटी धारकों के लिए मुनाफे या हानि का समायोजन करते हुए और बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या, सभी शेयरों के लिए समायोजित, सभी परिवर्तित संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए निर्धारित करते हुए निर्धारित की जाती है।

36. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

समायोजनीय घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों का अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करती हैं । ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों को दारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है।

गैर-समायोजन घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उत्पन्न होने वाली स्थिति की संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर-समायोजन घटनाओं को हिसाब में नहीं लिया गया है, परंतु उन्हें प्रकट किया गया है।

37. समेकन के सिद्धांत

धारक कंपनी के वित्तीय विवरण, उसकी सहायक कंपनियों और उप-अनुषंगी संस्थाओं के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को अंतर समूह के सभी शेषों और लेनदेनों को हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की सभी मदों को एक साथ शामिल करते हुए लाइन-दर-लाइन आधार पर संयोजित किया गया है। इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए एसोसिएट के ब्याज को हिसाब में लिया गया है। इन्हें प्रारंभिक रूप से लागत पर अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें लेनदेन की लागत शामिल है। प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में ग्रूप के लाभ व हानि का हिस्सा तथा इक्विटी परिकलित इनवेस्टी की अन्य व्यापक आय उस तारीख तक शामिल है जिसमें महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त होते हैं।

प्रारक्षण के संबंध में दर्शित राशि में धारक कंपनी के तुलन-पत्र के अनुसार संबंधित प्रारक्षण की राशि और सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी की संबंधित बढ़ोत्तरी में अधिग्रहण के बाद की बढ़ोत्तरी में इसका हिस्सा शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों को समान परिस्थितियों में सदृश्य लेनदेनों एवं अन्य घटनाओं की एक समान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है जिन्हें जहाँ तक संभव हो, धारक कंपनी के वित्तीय विवरणों की भांति प्रस्तुत किया गया है।

जिस तारीख को निवेश किए गए हैं, उस तारीख में सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी की इक्विटी के अपने शेयर पर सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी में इसके निवेश हेतु कंपनी की लागत का अतिरेख को "समेकन पर सुनाम" रूप में अभिचिह्नित किया गया है जो समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति मानी जाती है। वैकल्पिक रूप से, जहाँ निवेश की तारीख में सहायक कंपनियों तथा उप-अनुषंगी कंपनी में इक्विटी का हिस्सा धारक कंपनी के निवेश की लागत से अधिक हो, इसे "पूँजीगत प्रारक्षण" के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है और समेकित वित्तीय विवरणों में "प्रारक्षण एवं अधिशेष" शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

हमारी इसी दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

(रु. लाखों में)

फार्म एओसी-I

भाग "क" - सहायक कंपनी

क्रम. सं.	विवरण		
1	सहायक कंपनी का नाम	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाईज लिमिटेड	बीईएल थेलेस सिस्टम लि.
2	संबंधित सहायक कंपनी की समीक्षाधीन अवधि, यदि धारक कंपनी की समीक्षाधीन अवधि से अलग हो	लागू नहीं	लागू नहीं
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनांक को आलोच्य मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
4	शेयर पूँजी	8,386	5,762
5	प्रारक्षण एवं अधिशेष	15,142	(312)
6	कुल परिसंपत्तियाँ	41,112	11,701
7	कुल देयताएँ	17,584	6,251
8	निवेश	-	-
9	विक्रयावर्त	3,721	4,056
10	कराधान पूर्व लाभ	215	464
11	कराधान का प्रावधान	(86)	130
12	कराधान पश्चात् लाभ	301	334
13	प्रस्तावित लाभांश	91	-
14	शेयरधारण का %	100%	74%

1	सहायक कंपनियाँ जिनका प्रचालन शुरु नहीं हुआ है, के नाम	लागू नहीं	लागू नहीं
2	वर्ष के दौरान सहायक कंपनियाँ जिनका समाप्तन या विक्रय किया गया है, के नाम	लागू नहीं	लागू नहीं

(रु. लाखों में)

भाग “ख” - संबद्ध कंपनी एवं संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	संबद्ध कंपनी का नाम	जीई बीई प्रा. लि.	डिफेंस इन्नोवेशन ऑरगनाइसेशन
1	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	31 मार्च 2020	31 मार्च 2020
2	वर्षांत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर		
	संख्या	2600000	50
	संयुक्त उद्यम द्वारा निवेश राशि	260	1
	धारण की सीमा %	26%	50%
3	उल्लेखनीय प्रभाव के होने संबंधी विवरण	मतदान अधिकार	मतदान अधिकार
4	संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं	*
5	नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारण के कारण निवल मूल्य	16,216	-
6	वर्ष का लाभ / की हानि		
	i. समेकन में विचार किया गया	3,216	-
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	-	-

* इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और इक्विटी निवेश को छोडकर परिवर्ती प्राप्तियों पर कोई अधिकार नहीं है ।

1	संबद्ध कंपनी, जिनका प्रचालन शुरु नहीं हुआ है, के नाम	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	वर्ष के दौरान परिसमाप्त संबद्ध कंपनी के नाम	कुछ नहीं	कुछ नहीं

कृते **सूरी एंड कंपनी**,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं.004283S

एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

नटराजन वी
साझेदार
सदस्यता सं. 223118

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

बेंगलूरु
29 जून 2020

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

नवोन्मेष का प्रदर्शन